# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 ] पंचम विधान सभा के द्वितीय सत्र का चतुर्थ दिवस [ संख्या 3



गुरुवार,

दिनांक 17 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, श्रम, समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य, नगर विकास न्यास, शिक्षा, खाद्य, स्वायत्त शासन, अकाल सहायता, गृह एवं भूतल-जल-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

वृद्धावस्था पेन्शन के मामले

22. श्री वृद्धिचन्द्र जैन ( बाड़मेर ) [श्री रघुनाथ विश्नोई ( सांचोर ) की अनुपस्थिति में] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में अब तक एक भी वृद्धावस्था पेंशन केस नहीं बनाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) अब तक जिला जालोर में वृद्धावस्था पेंशन केसेज की कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितने केसेज में अब तक फाईनल होकर पेंशन मुकर्रर की जा चुकी है ?

(3) वृद्धावस्था पेंशन केसेज क्या सरकार पटवारियों के जरिये बनवा कर शीघ्र तैयार करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां । चूंकि कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(2) जालोर में 14 प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त हुए और 14 ही केसों को पेन्शन स्वीकृत कर दी गई।

(3) जी नहीं। मौजूदा नियमों में इसके लिये प्रावधान है कि सम्बन्धित व्यक्ति उससे सम्बन्धित सब ट्रेजरी ऑफिसर या जिला कोषाधिकारी को प्रार्थना-पत्र पेश कर सकता है, इसलिये केवल पटवारी द्वारा ही ये प्रार्थना-पत्र बनवाये

Page No 2



(श्री ओंकारलाल चौहान)
जाने का प्रावधान नियमों में करना उचित नहीं है ।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : ये जो 14 केसेज हैं जिनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, लिस्ट तो हमें मिली नहीं, कौन कौन से केसेज हैं ?

**श्री ओंकारलाल चौहान**: मैं पेश कर दूंगा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (भीनमाल) : आपके जो रूल्स बने हुए हैं वे बड़े कॉम्प्लीकेटेड हैं । अपाहिजों को फोटो खिचवाना पड़ता है, उनको डॉक्टरी मुआयना कराके सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है और मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट पेश कराना पड़ता है । यह उनके लिये असंभव हो जाता है जो कि वास्तव में अपाहिज हैं । इसलिये नियमों में संशोधन होना चाहिए। पटवारी से नहीं कराना चाहते तो किसी दूसरे से कराइये लेकिन गांव में तो पटवारी ही एक ठीक प्रकार की एजेन्सी है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : भूतपूर्व मंत्री महोदय ने पहले आश्वासन दिया था कि नियमों को सिम्पलीफाई करेंगे मैंने भी एक पत्र लिखा था ।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर): जो लावारिश हैं, 65 वर्ष की ज जब तक प्राप्त न करलें वे पेन्शन पाने के अधिकारी नहीं होते हैं ।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : उसको सिम्पलीफाई कर देंगे ।

**मुख्य मंत्री** (श्री बरकतुल्ला खां ) : 65 की उम्र रखी गई है वह बहुत ज्यादा है । उसको रिड्यूस करके 58 और 60 के बीच में कर देंगे ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जबाब दे ही रहे हैं, नियमों में सुधार करना जरूरी है।

**श्री बरकतुल्ला खां** : मैं यह मानता हूं कि जो भी कदम इस सम्बन्ध में उठाने चाहिये वे उठाये जायेंगे । 65 की उम्र ज्यादा है इसलिये इसको 58 और 60 के बीच में कर देंगे।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : दो-दो, तीन-तीन साल से पेन्शन पाने के लिये केसेज पड़े हुए हैं और कोई निर्णय नहीं हो रहा है ।

**श्री ओंकारलाल चौहान**: कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे सकूंगा ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

श्री मीठालाल ।

**दो हजार की जन संख्या वाले ग्रामों की जलप्रदाय योजनायें**

23. **श्री मीठालाल** ( लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार दो हजार से अधिक जन संख्या वाले सभी गांवों में जल प्रदाय योजना चालू करने की योजना के तहत जयपुर जिले के लालसोट व चाकसू तहसीलों के किन किन गांवों में जल प्रदाय योजना चालू करने का विचार कर रही है ?

(2) क्या उक्त तहसीलों में दो

# Page No 3



( श्री मीठालाल )

हजार से अधिक जन संख्या वाले गांवों का सर्वे करा लिया गया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

**जन स्वास्थ्य मंत्री** ( श्री चन्दनमल बैद ) : (1) जल योजना शुरू करने से पूर्व ग्राम द्वारा नियमानुसार पंचायत प्रस्ताव, जिलाधीश प्रमाण-पत्र व अनुमानित लागत का 2।। पर्सेन्ट जन सहयोग प्राप्त होना चाहिये। अभी सिर्फ ग्राम डीडवाना तहसील लालसोट का जन सहयोग प्राप्त हुआ है। इस ग्राम की जल योजना 1.86 लाख रु० की लागत की बना ली गई है व इसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

(2) अभी ग्राम डीडवाना व मंडावरी, तहसील लालसोट का सर्वेक्षण कर लिया गया है· और उनकी योजनायें जिनकी लागत क्रमशः 1.86 लाख व 1.18 लाख रु० है बना ली गयी है। इसके अतिरिक्त 2000 से ऊपर वाली आबादी के दो गांवों से पंचायत प्रस्ताव, जिलाधीश, प्रमाण-पत्र व जन सहयोग प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

**श्री मीठालाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे सरकार की नीति दो हजार संख्या वाले गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने की है। पिछला इतिहास इस प्रकार का है कि जनता द्वारा दस दस हजार रुपये, पांच पांच हजार रुपये, जन सहयोग के रूप में जमा करा दिया गया लेकिन दस वर्ष तक भी योजना नहीं बनी। इसलिये अब लोगों की धारणा यह हो गई है कि पहले पैसा जमा करा देंगे तो दस साल तक भी वह पैसा उसमें लगायेंगे नहीं। आप कहते हैं कि सर्वे कराया है। दो हजार से ऊपर 'जन संख्या वाले गांवों में सर्वे करवा कर योजना स्वीकृत हो सकती है। वहां जनता पैसा देने के लिये तैयार है या नहीं उनका सर्वे कराने के लिये? दो गांवों का सर्वे कराया और बाकी का क्यों नहीं कराया?

**श्री चन्दनमल बैद :** एक तरफ आप पूछते हैं कि सर्वे कराने के लिये तैयार हैं या नहीं और आप दूसरी तरफ पूछते हैं कि सर्वे क्यों नहीं कराया। किस प्रश्न का आपको जवाब दूं?

सरकार को सर्वे कराने में ऐतराज नहीं है। 6 के लिये कह सकता हूं कि 4 की तकनीकी जांच हो रही है, दो का जन सहयोग नहीं आया और बाकी सर्वे कराना बेकार होगा।

**श्री मीठालाल :** चार का नाम बता दीजिये।

**श्री चन्दनमल बैद :** रामगढ़, कचवाड़, डीडवाना, मंडावरा, मानपुर, डगलिया गोलका।

**श्री मीठालाल :** मंडावरा की स्कीम स्वीकृत हो चुकी है, कब तक कर देंगे?

**श्री चन्दनमल बैद :** स्वीकृत नहीं हुई है। जांच हो रही है, तकनीकी जांच हो रही है। दूसरों में जन सहयोग नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष :** श्री गोटेवाला।

Page No 4



**लालकोठी योजना**

24. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास की लालकोठी योजना किस तिथि को मंजूर हुई थी ? क्या उसमें कोई बाद में संशोधन किया गया था ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(2) गत दो वर्षों में उक्त योजना के अन्तंगत जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें से किन किन व्यक्तियों को एवज में निवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) जिस व्यक्ति की भूमि अवाप्त की गई वह कितने भूखण्डों के प्राप्त करने के लिय सक्षम था ?

(4) जिस व्यक्ति की भूमि अवाप्त की गई उसे वास्तविकता में या उसके कहन से अन्य व्यक्तियों को कितने भूखण्ड आवंटित किये गये ? ऐसे व्यक्तियों के नाम व पते क्या क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखन का कष्ट करें ?

**मंत्री, नगर विकास न्यास** (श्री परसराम मदेरणा) : (1) लाल कोठी योजना दिनांक 6-5-71 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी । बाद में योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया ।

(2) गत दो वर्षों में दो अवार्ड दिनांक 29-4-71 और 26-5-72 को हुये जिनके संदर्भ में कोई भूखण्ड आवंटन नहीं किये गये ।

(3) यह भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अवार्ड पर निर्भर करता है जो प्रत्येक मामले में मेरिट के अनुसार निर्णय लेता है ।

(4) प्रश्न भाग (2) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्षजी, मैंने मेरे प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत पूछा है कि जिस व्यक्ति की भूमि अवाप्त की गई वह कितने भूखण्डों को प्राप्त करने के लिये सक्षम है । यह मेरा बहुत ही क्लीयर प्रश्न है । कितने भूखण्डों के बारे में सक्षम है और कितने उसको आवंटित किये गये हैं । इसकी प्रोसिडिंग्ज कब आरम्भ हो गई ?

**श्री परसराम मदेरणा** : 2 वर्ष में कितनी भूमि अवाप्त की गई उसके सम्बन्ध में उत्तर दिया है कि दो अवार्डों में अवाप्त की गई । एक अवार्ड में 17 बीघा और कुछ विश्वा और दूसरे अवार्ड में 2 बीघा और कुछ विश्वा । जो मुआवजेदार और खातेदार थे उनको भूमि आवंटित की गई । उससे पूर्व अवार्ड किया गया उनको भूमि आवंटित की जावेगी यदि भूमि बतायी गयी ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : उनकी संख्या जानना चाहता था ?

**श्री परसराम मदेरणा** : उनकी कुल संख्या 31 है । इन खातेदारों को भूमि अलॉट की गई थी ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जयकिशन लाल ।

**फागी व चाकसू तहसीलों का औद्योगिक सर्वेक्षण**

25. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(1) क्या फागी व चाकसू तहसीलों का औद्योगिक सर्वेक्षण कराया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक करा दिया जावेगा?

(2) फागी व चाकसू में लघु उद्योग स्थापित करने में सरकार क्या क्या सुविधायें उपलब्ध कराने में समर्थ है तथा ऐसा कौन कौन सा कच्चा सामान उपलब्ध हो सकता है जिससे इस क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं?

**राज्य मंत्री, उद्योग** (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) फागी व चाकसू तहसील का अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जयपुर जिले को इकाई मान कर जिले का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) सरकार जो सुविधायें व सहायता देती है उसकी पुस्तिका सदन की मेज पर रख दी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित होने पर कच्चे माल के सम्बन्ध में जानकारी मिल सकेगी।

**श्री मीठालाल:** अध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा है। शिवदासपुरा-चाकसू यह भी जयपुर के नजदीक हैं क्या वहां भी सरकार औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार रखती है?

**श्रीमती कमला बेनीवाल:** अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको जांच करके पता लगाया जा सकता है।

**श्री मीठालाल:** जांच करायी है क्या? शिवदासपुरा-चाकसू भी जयपुर के नजदीक है, क्या यहां भी औद्योगिक क्षेत्र बनायेंगे?

**श्रीमती कमला बेनीवाल:** जांच करा ली जावेगी।

**श्री अध्यक्ष:**

प्रश्न संख्या 26 श्री मोहनलाल छंगाणी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

**स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की मांगरोल शाखा में कार्य करने वाली महिला को उड़ाने की घटना**

27. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि बारां के पास मांगरोल गांव में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में कार्य करने वाली श्रीमती विमला विजय को अप्रेल, 1972 में श्री घनसिंह जो कि डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के भतीजे हैं उड़ाने के लिये आये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त घटना की सूचना उसी समय बैंक मैनेजर ने पुलिस अधिकारियों को दे दी और कोई भी पुलिस अधिकारी वहां नहीं आया और न उस पर कोई कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त घटना को लेकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर दो दिन तक मांगरोल गांव में बन्द रहा?

(4) क्या यह सही है कि उक्त घटना की सूचना आई० जी० पी० और मुख्य मंत्री को दी गई थी तो उन्होंने भी उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की?

**राज्य मंत्री, उद्योग** (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) जी नहीं। माह अप्रल,

# Page No 6



**(श्रीमती कमला बेनीवाल)**

1972 में श्री धनपालसिंह जो कि श्री दुर्गपालसिंह, इसिस्टेन्ट कमाण्डर का भतीजा है, ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रान्च के मांगरोल के कर्मचारी श्रीमती विमला को गाली गलाच व धमकी दी। झगड़े का कारण धनपालसिंह व श्रीमती विमला के घर वालों में आपसी झगड़ा बताया जाता है। धनपालसिंह ने न तो बैंक के अन्दर प्रवेश किया और न ही श्रीमती विमला को उड़ाने की कोशिश की।

(2) जी नहीं। बैंक मैनेजर की पुलिस में इत्तिला मिलने पर श्री रमजान खां हैड कानस्टेबल फौरन मौके पर पहुंचे, वहां पर श्री दुर्गपालसिंह भी मौके पर आगये। श्री धनपालसिंह के विरुद्ध दफा 107/117 सी० आर० पी० सी० की कार्यवाही की जाकर गिरफ्तारी के वारन्टस जारी करवाये गये तथा उन्हें अदालत एस० डी० एम०, बारां ने जमानत पर रिहा कर दिया।

(3) जी हां।

(4) पुलिस विभाग में सूचना प्राप्त होते ही फौरन कार्यवाही अमल में लायी गई।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कहा गया कि सरकार ने कार्यवाही की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की? क्या यह सही नहीं है कि दो दिन तक वहां इस केस को लेकर हड़ताल रही, बैंक बन्द रहा? आप का क्या कहना है?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : हड़ताल की जानकारी मुझे नहीं है, बैंक बन्द रहा इसकी भी सूचना नहीं है। आपने कहा कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। यह सही नहीं है। पुलिस मौके पर तुरन्त पहुंची और वाजिब कार्यवाही की।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : चूंकि अपराधी डिप्टी-एस० पी० का भतीजा था इस कारण मौके पर पुलिस समय पर नहीं पहुंची। वह लड़का बैंक में सीधा घुस गया उस लड़की को उड़ाकर ले जाने के लिये और वह बेचारी भाग कर ऊपर चली गई। बैंक मैनेजर ने इस पर पुलिस को टेलीफोन किया तो भी पुलिस नहीं आई। बैंक बन्द हो गया। हड़ताल रही पर तब भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आप बताने की कृपा करेंगे कि उस लड़के को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया और यह किस तारीख की घटना है?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : मैंने बताया अप्रेल महीने में हुई। एग्जेक्ट डेट तो मालूम नहीं है क्योंकि कम्यूनिकेशन इस बाढ़ के कारण डिसरप्ट हो गया है और जो टेलीफोन हमने यहां से किये वे पहुंच नहीं सके। इस कारण से यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : फिर जानकारी के अभाव में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सदन में रखना और गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करना सदन का अपमान है। बैंक के अन्दर जाकर डी० वाई० एस० पी० का भतीजा लड़की पर हमला कर दे और बैंक में त्राहि त्राहि हो जावे और आप कहती हैं आपको सूचना नहीं है। यह मामला इस तरह से दबा नहीं सकेंगे। अप्रेल का मामला है। कम्यूनिकेशन तो आज डिसरप्ट हुआ है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जिस व्यक्ति ने यह वारदात ी है उसको घर वालों का संरक्षण नहीं है । इसलिये यह कहना कि उसके जोरे पर किया है यह ठीक नहीं है । मैंने बताया कि सूचना मिलने के तुरन्त बाद ही कार्यवाही की है। अब कब हड़ताल की गई, कब बैंक बन्द रहा यह डिटेल मेरे पास इस समय नहीं है आप कह रहे हैं कि पुलिस देर से पहुंची और मेरी बात गलत है तो फरदर जांच करवा रही हूं कि जो जवाब दे रही हूं वह गलत है या सही है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ)** : मुख्य प्रश्न यह है कि एफ० आई० आर० क्या दर्ज हुई है और कार्यवाही की गई है दफा 107 और 117 में । एफ० आई० आर० दर्ज हुई है लड़की उड़ाने की। यह एफ० आई० आर० कब दर्ज हुई और इसके कन्टेन्ट्स क्या हैं ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : फिर आप क्या जवाब लेकर आई हैं । यही तो सारी बात है, एफ० आई० आर० दर्ज हुई है लड़की को उड़ाने की और आपने उसको लिया है 107 और 117 में और इस तरह से इस किस्से को खत्म करने के लिये सारे मुकद्दमे को ही दबा दिया । बैंक मैनेजर ने कहा कि यह लड़की को उड़ाने की बात है । उनकी शहादतें हैं । उन शहादतों को आप इग्नोर करके केस को रफा दफा कर देना चाहती हैं । हड़ताल की बात, बैंक के बन्द होने की बात आपकी जानकारी में नहीं है । तो फिर क्या बात आपके ध्यान में है ?

**श्री जान मोहम्मद (पिड़ावा)** : मेरा निवेदन यह है कि यह मांगरोल का किस्सा बिल्कुल सही है । मैंने खुद ने इस विषय में राजमन्त्री महोदया को सारी बात बताई है और कहा है कि इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है और कृपा करके इसमें जल्दी से एक्शन लिजिये । फिर आपने जो हड़ताल की बात कही यह भी सही है । यह भी सही है कि वाकये के कोई दस रोज बाद पुलिस ने कुछ कार्यवाही की जब कि बहुत ज्यादा मामले को प्रेस किया । लड़की बेचारी मेरे पास आई और अपना सारा दुख रोया है । इस पर मैंने नगेन्द्र बालाजी को साथ लेकर आपसे मिलकर सब निवेदन किया । आपने इस पर एस० पी० को आर्डर भी लिखा । पर तब भी कुछ नहीं हुआ । उसके बाद मुझे पता नहीं इसमें क्या हुआ । वाकई में यह घटना सही है । मन्त्री महोदय ने भी लिखा पर इस पर क्या एक्शन लिया गया यह समझ में नहीं आता है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मन्त्री महोदया से मिलकर इसकी इत्तिला दी । इसके बाद आपने क्या एक्शन लिया और आपको क्या जानकारी आपके नीचे के अधिकारियों ने दी और क्या तथ्य आपके सामने आये इससे सदन को अवगत करावें ।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : माननीय सदस्य मुझ से मिले थे । अखबारों की कटिंग भी साथ में थी जो उन्होंने मुझे पढ़ाई । महिला भी साथ थी । एप्लीकेशन पेश की । इस पर मैंने वाजिब कार्यवाही करने के लिय एस० पी० को लिखा। इसके बाद में मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
हुई इसलिये आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह मेरी जानकारी में नहीं है। अब जब प्रश्न सदन में आया और यहां सवाल उठाये गये तो एफ० आई० आर० क्या दर्ज कराई गई। एग्जेक्ट किन तारीखों में क्या क्या हुआ इस सबकी जानकारी मंगाने की कोशिश की गई पर कम्यूनिकेशन टूटे हुए थे इसलिये जानकारी आ नहीं पाई।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : एस० पी० की क्या रिपोर्ट आई ? उसने क्या एक्शन लिया ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : उसी एप्लीकेशन पर एस० पी० को लिखकर कार्यवाही करने के लिये भेज दिया था। इस प्रश्न के आने के बाद जानकारी चाही, पर आ नहीं पाई है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मांगरोल से आने वाले माननीय सदस्य के अनसार यह स्पष्ट है कि वाकये के दस दिन बाद पुलिस पूछने आई। ऐसी स्थिति में मैं मुख्य मन्त्रीजी को और पुलिस मन्त्री जी को यह बता दूं कि पुलिस आपके काबू में नहीं है। यह पुलिस विभाग अब रक्षक विभाग नहीं है, भक्षक विभाग बन गया है। आप सताये हुओं को संरक्षण दे पायेंगे या नहीं इसमें भी शंका हो गई है। एक तरफ आपको सारी जानकारी सदन के ही एक माननीय सदस्य द्वारा मिलने पर भी आपको जानकारी होते हुए भी उसे सदन से छुपाया गया है और आज भी छुपाया जा रहा है। यह घटना आज की नहीं है। अप्रेल महीने की है। ऐसी स्थिति में अगर माननीय मन्त्रीजी को आज जानकारी नहीं है तो जानकारी लेकर जल्दी से जल्दी सदन को दी जावे।

**मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां** : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह माननीय सभी सदस्यों को मालूम है कि एफ० आई० आर० पुलिस में दर्ज कराई जाती है तो दुनियां भर के जुर्म उसमें लगाये जाते हैं। यह तो तफतीश के बाद ही तै होता है कि कौनसा जुर्म सही है और कौनसा नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की भावना इस मामले में देखते हुए, इस मामले को सारी इन्क्वायरी के लिये सी० आई० डी० को दे रहा हूं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : लड़की को उड़ाने का जुर्म एफ० आई० आर० में दर्ज है और इस बारे में सभी शहादतें भी ली गई हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सी० आई० डी० को आपने जांच के लिये यह मामला दे दिया, यह तो ठीक है पर 107 और 117 में जो मामला लिया गया है वह किन हालतों में लिया गया है यह भी जांच कराई जाय। यह गम्भीर मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : सी० आई० डी० को जांच दे दी गई है सबकी।

**प्रश्न संख्या 28**

**स्कूलों को क्रमोन्नत करने का आधार**

28. **श्री मोहनराज** (पाली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष राजस्थान में प्राथमिक-शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में

# Page No 9



(श्री मोहनराज)
क्रमोन्नत करने हेतु जिलेवार जो संख्या (कोटा) निर्धारित की गई उसका क्या आधार रखा गया था ?

(2) क्या सभी जिलों में निर्धारित कोटे के अनुसार स्कूलें खोल दी गई हैं ? कृपया जिलेवार निर्धारित (कोटा) एवं खोली गई स्कूलों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्रमोन्नत की जाने वाली ऐसी स्कूलों की संख्या कितनी हैं जिनके लिए जिलास्तरीय कमेटी ने अपनी सिफारिशें नहीं की हैं ? ऐसी स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्रमोन्नत की गई स्कूलों में छात्रों के लिए अलग से कितने स्कूल खोले गये हैं ? कृपया संख्या बतावें।

**राज्य मंत्री, शिक्षा** (श्री जुझारसिंह): (1) प्राथमिक शालाओं से उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की संख्या प्रत्येक जिले में वर्तमान प्राथमिक शालाओं की संख्या जनसंख्या एवं वर्तमान क्षेत्रीय असन्तुलन के आधार पर निश्चित की गई थी।

(2) जिलेवार निर्धारित उच्च प्राथमिक शालाओं की संख्या संलग्न है। समस्त विद्यालय निरीक्षक/विद्यालय कन्या निरिक्षका को आदेश दे दिये गये हैं कि जिलास्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार शालाएं खोल दें। आशा है कि अधिकांश स्थानों पर उच्च प्राथमिक शालाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं।

(3) जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय के अनुसार ही प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार ने 26 शालाएं अवशिष्ट रखी हैं जिसका निर्णय मैरिट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिया जायगा।

(4) इस वर्ष 119 (एक सौ उन्नीस) छात्रों की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया है। शेष क्रमोन्नत 855 उच्च प्राथमिक शालाएं सहशिक्षा हेतु हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

**श्री मोहनराज :** अध्यक्ष महोदय, जो आधार आपने जिलावार कोटा मुकर्रर करने का बताया है वह आधार आपने वहां स्थानीय शिक्षा निरीक्षक को बताया, तो क्या उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों की संख्या निर्धारित की थी या किसी प्रकार की जानकारी के आधार पर या जो स्कूलें पहले हैं उनमें असंतुलन है उस आधार पर ? क्या आधार है ? क्या रिपोर्ट थी जिसके आधार यह संख्या निर्धारित की गई ?

**श्री जुझारसिंह :** जिलेवार सूची राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। जिन जिलों में अशिक्षा अधिक है या जिनमें अपेक्षा से कम है ऐसे जिलों को प्राइमरी स्कूलें ज्यादा दीं ताकि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में वहां का असन्तुलन कम हो सके। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूलें काफी हैं उनके आधार पर अपर प्राइमरी स्कूलें दी हैं। कौनसे जिलों को ज्यादा प्राइमरी और कौनसों को अपर प्राइमरी स्कूलें दी जावें आपने सूची में देखा होगा यह इसी आधार पर आपको मिलगी। वहां जहां अशिक्षा

(श्री जुझारसिंह)

अधिक है प्राइमरी हमने अधिक दी हैं और अपर प्राइमरी कम। पहले से ही प्राइमरी जहां ज्यादा हैं वहां अपर प्राइमरी अधिक दी हैं।

**श्री मोहनराज :** प्रश्न संख्या 28 के खण्ड तीन में पूछा है कि क्रमोन्नत की जाने वाली ऐसी संख्या कितनी है जिसके लिये जिला समितियों ने सिफारिशें की हैं ?

**श्री जुझारसिंह :** हमारे पास जितना कोटा अलाट हुआ था उतना डिस्ट्रिब्यूट कर दिया गया। 26 रिजर्व कोटा है उसको राजस्थान सरकार डिस्ट्रिब्यूट करेगी।

**श्री केदारनाथ :** मेरिट पर अलॉट करेंगे या जो आलरेडी आधार तय कर दिये गये उन पर करेंगे। मेरिट का कोई अलग आधार तय कर रहे हैं क्या ?

**श्री जुझारसिंह :** इस विषय में क्या, नियम होंगे, क्या प्रिन्सिपल्स फालो किये जावेंगे उनके डाइरेक्शन्स दिये जा चुके हैं। फिर भी कोई हार्ड केसेज हो सकते हैं उनकी जरूरत हुई तो उसमें मेरिट का कन्सीडरेशन होगा।

**एक माननीय सदस्य :** विधायकों से पूछ कर स्कूल खोले गये हैं। मेरिट में जो अच्छे पढ़ते थे उन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं खोले गये हैं।

**श्री जुझारसिंह :** अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल नहीं हो सकता है। जिले का कलेक्टर, प्रमुख और वहां के प्रभावशाली व्यक्ति मिलकर तय करें कि स्कूल खोला जाय। राज्य सरकार ने आपके डिसिजन को डिटो ही किया है।

**श्री मीठालाल :** जहां पर दो अध्यापक हैं वहां पर मिडिल स्कूल हो गया और जहां 200-200 लड़के हैं अध्यापकों की संख्या अच्छी है वहां स्कूल नहीं खोले गये हैं।

**एक माननीय सदस्य :** यह तो एम० एल० एज० की वास्तविकता का पता चलेगा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** मंत्री महोदय ने जो बताया वह जवाब देने के लिये तो सही है लेकिन वास्तविकता क्या है, यह ठीक नहीं है। क्या यह बात सही है कि उन अध्यापकों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है जिसमें जनसंख्या का आधार नहीं है ? यह जवाब देने के लिये तो आपका उत्तर सही है। भीलवाड़ा और जालौर जिले के लिए मैं कह सकता हूं। वहां कितनी जनसंख्या है और कितने स्कूल खोले गये हैं, यह आप बता दीजिये ? जनसंख्या जहां ज्यादा थी वहां ज्यादा किये हैं और जहां जनसंख्या कम थी वहां कम किये हैं।

**श्री जुझारसिंह :** जालौर में प्राइमरी स्कूल 55 और 25 अपर प्राइमरी स्कूल दिये गये हैं। जहां तक भीलवाड़ा का प्रश्न है 40 स्कूल प्राइमरी दिये गये और 41 अपर प्राइमरी।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** 41 प्राइमरी स्कूल दिये गये जनसंख्या का ही ध्यान रखा है। पिछला नहीं रखा है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

**स्थानान्तरणों पर व्यय की गई राशि**

29. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा

**(श्री निरंजननाथ आचार्य)**
करेंगे :-

मार्च, 1972 से जलाई, 1972 तक प्रशासन द्वारा कुल कितने स्थानान्तरण राजस्थान में किये गये और टी० ए० व डी० ए० में कुल कितनी धन राशि का व्यय हुआ ?

**राज्य मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल )** : अध्यक्ष जी, इसकी जानकारी में देर लगेगी, क्योंकि बहुत सारी सूचना एकत्रित करनी है इसलिए प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : उत्तर ही मैं देना चाहता था लेकिन मैं भूल गया।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : ऐसे प्रश्न का उत्तर आने का तो इस सदन में प्रश्न ही नहीं उठता है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : तमाम स्थानान्तरणों का चाहे वे गजेटेड आफिसर हों या नॉन गजेटेड हों, उनका कितना टी० ए०, डी० ए० मिला इसकी जानकारी दो दिन में तो देना मुश्किल है....

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : टोटल ट्रान्सफर बता दीजिये राशि जाने दीजिये। कितने हुये स्थानान्तरण, कितने किये गये हैं--बता दीजिए।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : यह भी एकदम बताना सम्भव नहीं है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आप प्रशासन में है, यह आपके लिये तो मामूली बात है। बता दीजिये 10 हजार स्थानान्तरण हुये, एक हजार स्थानान्तरण हुये और कह दीजिये यह सही है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : मैं कुछ भी नहीं कह सकती।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : प्रश्न ही नहीं है हजारों हुये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**लेबर कोर्ट्स में विचाराधीन मुकद्दमें**

30. **श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लेबर कोर्ट्स कहां कहां है ? इन कोर्टस में श्रम विवाद वगैरह विभिन्न श्रेणी के कितने कितने मुकदमे, कब कब से चल रहे हैं ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन लेबर कोर्ट स में एक एक मुकदमा काफी समय तक चलता रहता है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

**श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान)** : (1) राजस्थान में केवल एक लेबर कोर्ट जयपुर में स्थित है। इसमें विभिन्न श्रेणी के विचाराधीन मुकदमों की संख्या तथा वे कितने समय से चल रहे हैं, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, मुकदमों के अधिक समय तक चलने का एक कारण यह भी है कि प्रबन्धकों एवं श्रमिक संघों द्वारा पेशी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

बढ़वाई जाती है जिसके कारण वे जल्दी नहीं निपटाये जा सकते। इसके अतिरिक्त किसी न्यायिक अधिकारी को मुकदमें निपटाने के लिये समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, जब तक इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान कानून में नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : आपने यह जो सूची दी है इसमें 15-4-72 तक 999 केसेज हैं जिसमें 990 केसेज, अध्यक्ष महोदय, दो साल के ऊपर के पेन्डिंग हैं यानि तीसरा हिस्सा केसेज पेन्डिंग हैं करीब दो साल और 62 ऐसे केसेज हैं जो 5 साल से पेन्डिंग है और दो साल और पांच साल के बीच के बाकी के केसेज कवर हो जायेंगे। कुछ केसेज ऐसे होंगे जो दो साल के हैं। यह चित्र है राजस्थान की लेबर कोर्ट का और गरीब मजदूरों को न्याय देने की यह स्थिति है। पांच पांच वर्ष तक केसेज नहीं निपटाये जा सकते हैं। आखिर लेबर कोर्ट्स कम हैं तो इनकी संख्या इन्क्रीज कीजिये, कोई आर्डिनेन्स लाये कितने समय में तय हो जाना चाहिये। एक मजदूर को आप जस्टिस देना चाहते हैं यह तो जस्टिस डिनाई कर रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : आज कल लेबर कोर्ट में जज कितने हैं, पहिले कितने थे। ये जज कब कब रहे, यह जानकारी देंगे ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, लेबर कोर्ट में जज कितने और कब कब रहे यह तो प्रश्न अलग है लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं पहले इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट एक ही थी उनके जज एक ही थे लेकिन अब औद्योगिक कोर्ट और लेबर कोर्ट के जज अलग अलग मुकर्रर हो गये हैं इसलिये अब केसेज शीघ्र ही निपटाये जाने की आशा की जाती है।

**श्री केसरीमल** : अध्यक्ष महोदय, पांच महीने तक पहिले जज नहीं आये। पहिले केसेज उनको दिये बाद में दूसरे आ गये, दूसरे भी बीमार हो गये और इधर मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में और जजों के नम्बर बढ़ायेंगे ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : चोट लग जाने पर और बीमार हो जाने पर तो छुट्टी देनी ही पड़ती है।

**श्री केदारनाथ** : नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन में अमेन्डमेंट करना बेसिक लाईन है। क्या आपको उसकी जानकारी है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : अभी कोई जानकारी नहीं है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : कमीशन की भी जानकारी है या नहीं ?

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : नेशनल लेबर कमीशन की जानकारी है या नहीं सरकार को ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : यह जानकारी है। उसका विचार हुआ है दिल्ली में लेकिन फाइनल नहीं हुआ है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : आपकी कितनी लेबर कोर्ट्स हैं, केवल एक। कोटा से गंगानगर और जयपुर से जैसलमेर सारे मजदूरों को न्याय एक कोर्ट से करवाना चाहते हैं। इतने दूर दूर से आकर क्या एक गरीब मजदूर सस्ता न्याय प्राप्त कर सकता है। क्या आप कोई रोटेटिंग कोर्ट नहीं बना सकते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन ?

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : मेरा क्वेशचन है अध्यक्ष महोदय क्या आपके पास कोई योजना नहीं। नेशनल कमीशन की रिपोर्ट को आपने पढ़ी नहीं है इस प्रकार उनकी ब्राम्चेच को आप बांटें....

**श्री केदार नाथ** : लेबर को फ्री लीगल एडवाइस मिले, क्या राज्य सरकार इस पर कोई विचार कर रही है ? जो लोग यूनियन से बन्धे हुए नहीं है—अकेले लेबर कोर्ट मे पेश होते हैं उनको सरकार की तरफ से फ्री एडवाइस मिले, इस पर सरकार का क्या विचार चल रहा है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : और साथ मोबाईल कोर्ट्स का भी........

**श्री औंकार लाल चौहान** : इस बारे में अभी कोई विचार नहीं है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : मोबाईल कोर्ट का प्रश्न कोई विचाराधीन नहीं है ? राज्य सरकार में आप मौन, आपके दो पोर्टफोलियो तो पहले ही छिन गये मुझे लगता है यह भी जाता दिखता है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि रिप्रजेंनटेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट में प्रावधान है एक चुनाव याचिका को शीघ्र तय करना चाहिये उसी प्रकार क्या मंत्री महोदय और राज्य सरकार विचार करेगी कि राज्य के अन्दर बढ़ते हुए आद्योगिक विवादों को देखते हुये जनता को और मजदूर वर्ग को निश्चित रूप से राहत देने के लिये लेबर कोर्ट और औद्योगिक कोर्ट में अमेन्डमेंट करके हर मुकद्दमे को तीन महीनों में तय किया जाय.... .....

**श्री औंकारलाल चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्ट में प्रावधान है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाना चाहिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : "इट इज टू एलास्टिक"

**श्री औंकारलाल चौहान** : लेकिन उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है और अवधि मुकर्रर की गयी है। वह अमेन्डमेन्ट का प्रश्न है और केन्द्रीय सरकार से संबन्धित है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

**रिक्शा चालकों के संबंध में नियम**

31. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): श्री गिरधारी लाल भार्गव की ओर से:** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 297 (ए) के अन्तर्गत सरकार ने रिक्शा चालकों के संबंध में नियम बनाने के अधिकार प्राप्त किये हैं ?

# Page No 14



**(श्री भानुकुमार शास्त्री)**

(2) यदि हां, तो उसके अनुसार नियम अभी तक क्यों नहीं बनाये गये हैं ? और अब कब तक नियम बना दिये जावेंगे ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां।

(2) नियम बना दिये गये हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : नियम बना दिये गये हैं तो उनको लागू करने के लिए गजट में शाया क्यों नहीं किया जाता ताकि रिक्शा चालकों को राहत मिल सके अन्यथा नगर परिषद् तो कहती है कि जिसका रिक्शा है और जो उसका ओनर है उनको लाइसेन्स दिया जावे।

**श्री परसराम मदेरणा** : 18-1-72 को राजकीय मुद्रणालय में प्रकाशनार्थ भेज दिये गये हैं और उनके भेजने के बाद में अब 15-10-72 की तारीख रखी है इसके बाद एक्ट लागू कर दिया जायेगा।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : प्रकाशित हो गये या क्या हुआ ?

**श्री परसराम मदेरणा** : ऐसा है कि प्रकाशन के लिए पहले रूल 291 (ए) के तहत एतराज मांगे जाते हैं इसलिए प्रिवियस पब्लिकेशन होता।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : 18-1-72 को प्रकाशनार्थ भेज दिये तो क्या वह प्रकाशित हो चुके हैं अथवा राज्य के गवर्नमेन्ट प्रेस में ही सुशोभित हो रहे हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : अभी तक प्रकाशित नहीं हुए।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : क्या मंत्री महोदय अब शीघ्र प्रकाशित करवाने की कृपा करेंगे ?

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि सरकार की ओर से सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जो रिक्शा चालक हैं उन्हीं को लाइसेन्स दिया जायगा और इसके ऊपर बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ और उसके बाद हमने अपने नियमों में परिवर्तन किया और मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था। अब केवल नियमों में प्रकाशन के लिए जनवरी, 72 से अगस्त, 72 तक लाल फीताशाही के कारण गवर्नमेन्ट प्रेस द्वारा वह प्रकाशित नहीं किया जाय और लाखों रिक्शा चालकों का इस प्रकार से शोषण किया जाये मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको शीघ्रातिशीघ्र एक्स्ट्राआर्डीनरी गजट में प्रकाशित करावें। इसको इतना महत्वपूर्ण देखते हुए क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इसको एक्स्ट्राआर्डीनरी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने पहले ही आदेश दिये हैं कि इसको जल्दी प्रकाशित किया जाये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : क्या मंत्री महोदय सदन में जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसके अनुसार नगरपरिषदों को लिखने के लिए तैयार हैं कि वह शीघ्र ही रिक्शा चालकों को ही केवल लाइसेन्स दें और रिक्शा मालिकों को नहीं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसका प्रावधान नियमों में है और नियमों की अनुपालना की जायेगी।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** कब की जायेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा :** पब्लिकेशन होने दें पहले आप गजट में ।

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न । श्री भीमसेन ।

**राज्य के देहाती क्षेत्र के व्यक्तियों के लिये नियुक्तियों में सुरक्षित स्थान**

32. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सेवाओं एवं राजकीय सार्वजनिक निगमों आदि में नई भर्ती हेतु 80 प्रतिशत स्थानों को राज्य के देहाती क्षेत्र के ऐसे नागरिकों के लिये आरक्षित किये हैं जिनके परिवार की आमदनी 200 रुपये माहवारी तक हो ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार भी देहाती क्षेत्र की बेरोजगारी से शिक्षित एवं अशिक्षित वर्ग की गम्भीर समस्या के निवारण हेतु इसी प्रकार का आरक्षण करना चाहती है ?

**राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन** (श्रीमती कमला बेनीवाल) : महाराष्ट्र सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर सरकार उपयुक्त समझेगी तो विचार करेगी ।

**श्री भीमसेन :** महाराष्ट्र सरकार ने जो आदेश प्रसारित किये हैं उसकी प्रति मुख्य मंत्री जी को पेश कर दी और मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी है ।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** मेरी जानकारी में नहीं था इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया । हमने और जानकारी चाही है और वह भी आ जायेगी और आपने भी कहा है इसको लेकर भी विचार किया जायेगा ।

**श्री भीमसेन :** महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे नियम बनाये या नहीं यह अलग बात है लेकिन आप समाजवाद की राह पर चलना चाहते ह और देहाती क्षेत्र में जो बेकार लोग हैं उनको आगे लाना चाहते हैं तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** अभी तक इसके ऊपर कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है लेकिन एक निश्चय लिया गया है कि इसके ऊपर विचार किया जायेगा ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** देहाती क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी जोड़ दें ।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** क्या राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार की नीति को अनुकरणीय नहीं समझती ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** इस सारे मुद्दे के ऊपर विचार किया जायेगा, यह मैंने निवेदन किया है ।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** में निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी व्यवस्था की या नहीं यह अलग बात है । लेकिन राज्य सरकार के सामने अलग से सुझाव माननीय सदस्य ने रखा है और एक प्रश्न के रूप में रखा है आप यह बता दें कि इस प्रश्न के ऊपर राज्य सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** मैंने कहा है कि इसके बारे में विचार किया जायेगा ।

# Page No 16



**श्री अध्यक्ष** : श्री भानुकुमार शास्त्री ।

**सिंधी भाषा के विकास के लिये अनुदान**

33. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राजस्थान साहित्य अकादमी को हिन्दी, राजस्थानी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा और साहित्य के वर्धन हेतु आर्थिक सहायता देती है ? यदि हां तो कितनी सहायता किस किस संस्था या व्यक्ति को देती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार सिन्धी भाषा के विकास हेतु भी आर्थिक सहायता देने का इरादा रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान साहित्य अकादमी ने सिन्धी भाषा के विकास हेतु राज्य सरकार से पृथक् अनुदान की मांग की है ? यदि हां तो, उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**राज्य मंत्री, शिक्षा** (श्री जुझारसिंह) :

(1) जी हां, किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को सहायता अकादमी द्वारा दी जाती है ।

(2) जी नहीं ।

(3) राजस्थान साहित्य अकादमी की संचालिका ने सिन्धी भाषा को मान्यता देकर अकादमी का अनुदान अतिरिक्त रूप से बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया था । इस प्रस्ताव की प्रति सरकार को सूचनार्थ प्राप्त हुई थी । किन्तु वित्तीय कठिनाईयों के कारण अतिरिक्त अनुदान देना सम्भव नहीं था ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : किसी भी ऐसी संस्था को इन भाषाओं के लिए चाहे वह राजस्थानी हो, सिंधी हो, उर्दू हो या संस्कृत हो सहायता आपने दी है क्या ? आप उसकी नामावली बता सकते हैं ?

**श्री जुझारसिंह** : आपने सिन्धी के लिए पूछा है, सिन्धी के लिए डिमाण्ड किया था तो साहित्य अकादमी इसको डिस्ट्रिब्यूट करती है । साहित्य अकादमी को राज्य सरकार से लगभग मदद दी जाती है और वह उसको डिस्ट्रिब्यूट करती है जो डिजर्विंग होते हैं केसेज उनके लिए ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मैंने सिन्धी भाषा के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए पूछा है उर्दू के लिए भी पूछा है, राजस्थानी भाषा के लिए भी पूछा है ।

**श्री जुझारसिंह** : जो भी डिस्ट्रिब्यूशन होता है वह साहित्य अकादमी करती है और उन्होंने उसको आवश्यकतानुसार ही डिस्ट्रिब्यूट किया है । उसमें जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता रही होगी उतना उन्होंने दिया होगा ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : रही होगी, दिया है और मगर के बजाय आप बतायें कि आपके पास ऐसी सूची है क्या ?

**श्री जुझारसिंह** : अभी मेरे पास सूची उपलब्ध नहीं है । इतना जरूर है कि 2 लाख 50 हजार रुपया साहित्य अकादमी को राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : प्रश्न यह है कि भाषा के विकास के लिए पैसा दिया जाता है वह मिलता है या बीच में ही खत्म हो जाता है ?

# Page No 17



**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : ये अलग अलग भाषाओं को कितनी कितनी सहायता दी गयी यह सूची मांगी गयी है ?

**श्री जुझारसिंह** : जो भी डिस्ट्रिब्यूशन है साहित्य अकादमी के द्वारा अलग अलग भाषाओं के लिए किया और कितना किया यह सची उपलब्ध नहीं है ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या साहित्य अकादमी राज्य सरकार निर्देशानुसार नहीं चलती है और केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार चलती है ? अगर राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलती है तो सूची देने में आपको क्या आपत्ति है ?

**श्री जुझारसिंह** : अकादमी तो राज्य सरकार के आधार पर ही चलती है लेकिन व सूची अभी उपलब्ध नहीं है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या आप कहने कि स्थिति में हैं कि राजस्थान की साहित्य अकादमी संस्कृत भाषा के लिए या सिन्धी भाषा के लिए जो राज्य सरकार का निर्देश है उसकी पालना नहीं करा कर किसी को भी सहायता नही देती है ? जब सहायता नहीं देती है तो साहित्य अकादमी को किस लिए अनुदान दिया जा रहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : यह प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ । सीधा प्रश्न यह है कि आप उनको दे रहे हैं या नहीं ?

**श्री जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो मूल में प्रश्न पूछा गया है यह सिन्धी के बारे में ही पूछना चाहते थे । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक राज्य सरकार ने जो सिन्धी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है तो वह उर्दू के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अगर आप जानकारी चाहें तो मैं बता सकता हूं । जहां भी सिन्धी के स्टुडेन्ट्स 40 की संख्या में होते हैं वहां उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया हुआ है । अगर किसी हाई स्कूल या हायर सैकेन्डरी स्कूल में 60 की तादाद में लड़के पढ़ते हैं और किसी एक क्लास में 15 से ज्यादा स्टुडेन्ट्स हैं तो उनको भी उनकी भाषा में शिक्षा दिलाने का प्रावधान है और अभी तक 12,405 विद्यार्थी सिंधी में शिक्षा पा रहे हैं और 56 प्राथमिक शालाओं में सिंधी के जरिये शिक्षा दी जा रही है । इसके अलावा 359 अध्यापक हैं जिनको पढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने लगाया है । सिंधी के लिए जो प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार ने जो इसके लिए खर्चा किया है वह जितनी आवश्यकता थी उसी के अनुसार किया है और जितने विद्यार्थी पढ़ने वाले थे उनको ध्यान में रखते हुए भी सब स्कूलों में प्रावधान किया है, इसको नेग्लेट नहीं किया है ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या प्रावधान के अनुसार एक भी अध्यापक नियुक्त हुआ है ?

( अन्तर्रित )

**श्रीमती कान्ता खतूरिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कल भी एक सवाल सिंधी भाषा के सिलसिले में था और उसको सिंधी सिंधी कह कर टाल दिया गया । प्रश्न बिल्कुल साफ है सदस्य महोदय का कि किन किन

# Page No 18



(श्रीमती कान्ता खतूरिया)

भाषाओं का नाम लेकर जो बताया गया है उनमें किन किन को अनुदान दिया है। मंत्री महोदय का जवाब है कि खास तौर से सिंधी के बारे में पूछा है। मैं निवेदन करना चाहती हूं सिंधी सिंधी कह कर इसको एक कम्यूनल तौर पर जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है जो सही नहीं है। मंत्री महोदय का सूची सदन के पटल पर रखनी चाहिए कि किन किन संस्थाओं को अनुदान दिया है लेकिन सिंधी सिंधी कह कर जवाब को गोल मोल तरीके से रखना उचित नहीं रहेगा।

(अनुत्तरित)

**श्री अध्यक्ष:** श्री मोहनराज।

### बढ़ती हुई मंहगाई की रोकथाम के लिए कार्यवाही

34. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या खाद्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य भर में भयंकर रूप से बढ़ती हुई मंहगाई की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

(2) क्या राज्य में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं-अनाज, दालें, तेल पदार्थ, शक्कर, गुड़, घासलेट आदि के निर्धारित दरों पर सुलभ वितरण हेतु सरकारी दुकाने खोली गई हैं ? यदि हां, तो जिलेवार संख्या बताने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे वितरण केन्द्र खोलने का इरादा रखती है ?

(3) राज्य सरकार ने पिछले तीन माह में मुनाफाखोरी के अपराध में क्या कोई धर पकड़ की है ? कितने चालान पेश किये गये व कितनों को सजा हुई ?

**खाद्य मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) (1) बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए निम्नांकित कार्यवाही की गई है :—

1. राज्य सरकार ने सस्ते मूल्य की दूकानों के माध्यम से मिलने वाले गेहूं की कीमत 89) रु० प्रति क्विन्टल से घटा कर 85) रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित कर दी है।

2. अनुचित जमाखोरी को रोकने हेतु राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ होर्डिंग आदेश 1966 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं।

3. सभी जिलाधीशों को वस्तुः स्थिति पर निकटतम ध्यान रखन हेतु सतर्क कर दिया गया है।

4 प्रत्येक जिले के मुख्य मुख्य व्यापारियों को मूल्यों का सट्टे से भाव बढ़ाने पर रोक रखने के लिए आदेश दिये गये हैं।

5. खाद्य निगम के माध्यम से अतिरिक्त गेहूं एवं मोटा अनाज प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

6. विभिन्न जिलों में सस्ते मूल्य की 8371 दुकानें खाद्यान्न एवं चीनी वितरण हेतु खोली जा चुकी हैं। एवं अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में और अधिक दुकानें खोलने हेतु जिलाधीशों को निर्देश दिये जा चुके हैं। इन दुकानों के माध्यम से मोटा अनाज, गेहूं, आटा, चीनी आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

(7) खाद्य निगम को किसी प्रकार का खाद्यान्न राज्य के बाहर न भेजने हेतु निवेदन किया गया है।

(8) खण्डसारी एवं गुड़ के व्यापार करने वाले व्यापारियों पर नियन्त्रण रखने हेतु राजस्थान खण्डसारी एवं गुड़ डीलर्स लाइसेन्सिग आदेश, 1972 प्रसारित किया गया है।

(9) राजस्थान सूगर डीलर्स लाईसेंसिग आदेश में संशोधन कर अब किसी भी चीनी विक्रेता को 100 क्वि० के बजाय 10 क्वि० चीनी के व्यापार करने पर उक्त आदेश के अन्तर्गत लाईसेन्स लेना अनिवार्य कर दिया है जिससे जमाखोरी नहीं होने से मंहगाई बढ़ने पर अंकुश रहेगा।

(10) केन्द्रीय सरकार ने खाद्य निगम को निर्देश दिया है कि यह अपना स्टॉक व्यापारियों को न बेचें न उसको नीलाम करें।

(2) निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न एवं चीनी के वितरण हेतु परिशिष्ट 'अ' और 'ब' के अनुसार विभिन्न जिलों में 8371 दुकानें खोली जा चुकी हैं। वनस्पति घी और घासलेट के भाव निर्धारण भारत सरकार द्वारा किए जाते है एवं निर्धारित भाव पर विक्रय की देखरेख की जाती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी को रोकने हेतु धर पकड़ करने के आदेश दिए गए है। वास्तविक सूचनायें जिलों से एकत्र की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़): प्रश्न यह है कि कितनी धर पकड़ की गई है, इसके ठोस आंकड़े क्या हैं? आदेश तो दिए जाते हैं, दिये जाते रहे हैं और दिए जाते रहेंगे। प्रश्न यह है कि कितनी धर पकड़ हुई है?

**श्री परसराम मदेरणा**: इन आदेशों के अन्तर्गत एन्फोर्समेंट स्टॉफ ने 225 इस प्रकार के केसेज बनाए हैं। इन मामलों में कितने चालान पेश हुए हैं और कितने इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पर है यह सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है?

**श्री रोशनलाल शर्मा**: इसकी जिलेवार सूचना दे सकते हैं?

**श्री परसराम मदेरणा**: जिलेवार सूचना अभी मेरे पास नहीं है। कुल मिलाकर 225 केसेज हुए हैं।

**श्री शंकरलाल** (पाली): धर पकड़ के मामलों से कितना धान प्राप्त हुआ? यह सूचना है आपके पास?

**श्री श्रीराम गोटेवाला**: धर पकड़ के मामलों में........

**श्री परसराम मदेरणा**: स्टाक डिक्लेयर करना पड़ता है, धर पकड़ नहीं की जाती है।

**श्री शंकरलाल**: क्या यह ग्रेन पर लागू नहीं होता है?

**श्री परसराम मदेरणा**: ग्रेन पर लागू है लेकिन उसमें स्टाक डिक्लेयर करना पड़ता है।

**श्री शंकरलाल** : स्टाक डिक्लेयर करने के बाद चाहे जितना स्टाक कर सकता है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जी हां।

**श्री शंकरलाल** : इसको बेचना चाहें तो क्या प्रणाली है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसको एक्वायर करने की और उसका रिक्वीजिशन करने की पावर्स अभी राज्य सरकार के पास नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आई तो जो आर्डर एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट के तहत भारत सरकार बनाती है और वही आवश्यकता पड़ने पर उस कानून को बनाया जायगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्नसिंह।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : राजस्थान के अन्दर विभिन्न जिलों के अन्दर अभाव की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि जितनी दुकानें सस्ते गल्ले की खोली जानी चाहिए उतनी दुकानें नहीं खुली हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस अभाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान के अन्दर कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का सरकार का इरादा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह बात सही है कि अनाज के बढ़ते हुए भावों को देखते हुए और जो फूड ग्रेन्स की प्राईसेज में स्टार्ट आया है उसको देखते हुए कुल दुकानें खोलने के जो जिलाधीशों को आदेश दिए गए हैं वे 3775 खोलने की बात है। अभी तक दुकानें कुल जो खुली हैं वे 1296 हैं।

**श्री मोहनराज** : मंत्री महोदय, आपने जो सूची दी है उसमें खोली गई दुकानों की संख्या 2026 बताई है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : वह इसलिए बताई है कि दुकानों के मामले रिटेलर लाईसेंस के मामले कलेक्टरों के सामने पड़े हैं। जिनको रिटेलर अपोइन्ट कर दिया है उनकी संख्या बताई है लेकिन जो रिटेलर मुकर्रर नहीं हुए हैं उससे फर्क है।

**श्री मोहनराज** : पाली जिले की क्या संख्या है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह बात सही है कि अभी तक दुकानें इसलिए नहीं खुलीं क्योंकि अभी बाजार में तीन महीने पहले तक एफ० सी० आई० ने 72 से 76 रुपये के बीच में प्रोक्योरमेंट प्राईस में अनाज खरीद की थी और हजारों टन अनाज राजस्थान में खरीदा था.....

(व्यवधान)

**श्री जान मोहम्मद** : सस्ता गल्ला किसे कहते हैं और इसके भाव क्या हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : पहले आप मंत्री महोदय को सुन लीजिए।

**श्री परसराम मदेरणा** : सस्ते गल्ले का भाव मैंने खण्ड (1) के उत्तर में बता दिया था। लेकिन उस वक्त करीब पिछले वर्ष में कम से कम तीन ढाई साल से अनाज बेचने की दर 89) ६० थी।

Page No 21



**(श्री परसराम मदेरणा)**

उस 89) रु० पर क्विन्टल की दर को घटा कर अभी 27 या 28 जुलाई को ही 89) रु० से 85) रु० प्रति क्वि० कर दिया गया है। पहले सस्ते गल्ले की दुकानें इसलिए नहीं खोली गई थीं क्योंकि बाजार के भाव इससे नीचे थे और जब बाजार के भाव ऊंचे आए तो चार रुपये क्वि० कम कर दिए गए हैं। इसलिए कम किए गए हैं कि जो व्यापारी नाजायज फायदा उठाते हैं, बाजार के भाव बढ़ गए हैं उनको चैक करने के लिए होल सेल डीलर का कमीशन कम करके उसका भाव 85) रु० किया गया है। एफ०सी०आई० के काफी गोदाम, करीब 80-85 के आस पास यहां हैं। एफ०सी०आई० को आदेश दिया गया है कि होल सेलर का काम तहसील हैड क्वार्टर पर राज्याधिकारी करें और वहां से रिटेलर अनाज को आगे ले जावें। 89)रु० के आस पास भाव रहने पर हम प्राईजेज को कण्ट्रोल नहीं कर सकते हैं।

प्राईजेज के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि पूरे देश भर में सब चीजों के भाव बढ़े हैं। इस सम्बन्ध में लोक सभा में और राज्य सभा में, दोनों सदनों में बहस हुई थी कि सब चीजों के भाव बढ़े हैं और खाद्यान्न के भावों को कन्ट्रोल करने के लिए 89) रु० से 85) रु० भाव निर्धारित किए गए हैं। प्राईजेज कन्ट्रोल और पूरे देश की आर्थिक स्थिति भारत सरकार की पोलिसी पर निर्भर करती है। इसलिए राजस्थान सरकार ऐसे मामलों में पब्लिक फाइनेन्सेज कण्ट्री के कण्ट्रोल नहीं करती लेकिन फिर भी राज्य सरकार इस बारे में जो कुछ भी कर सकती है करने की कोशिश कर रही है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : मैंने दुकानों के बारे में प्रश्न पूछा था कि कितनी दुकानें खोली गई और बाकी नहीं खोली गई तो कब तक खोल दी जावेगी, इस बारे में कोई जवाब नहीं आया।

**श्री परसराम मदेरणा** : जो दुकानें नहीं खोली गई हैं उसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से बराबर टेलीफोन के जरिए और वायरलेस मेसेज के जरिए कलेक्टर्स को हिदायतें दी जाती रही हैं। हर 24 घण्टों में एक दो हिदायतें दी जा रही हैं और सूचना मांगी जा रही है। मैं भी चाहता हूं कि जो 3700 के करीब दुकानें खोलनी हैं वे जल्दी से जल्दी खोल दी जावें ताकि प्राईजेज नीचे जावें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य सोचिए कितने आदमी एक साथ बोलेंगे।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री विट्ठल भाई** : बांसवाड़ा जिले में दो दुकानें भी सस्ते गल्ले की नहीं खोली गई है। अभी तक दुकानें नहीं खोली गई हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये दुकानें क्या नया अनाज पक कर बाजार में आ जाएगा तब खोली जाएंगी।

(व्यवधान)

क्योंकि डेढ़ मही में नया अनाज आने वाला है····

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य शान्त रहें।

(शोरगुल)

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : इसके लिए आधे घंटे की बहस रख ली जाय।

**श्री विट्ठल भाई :** बरसात हो गई है और नया अनाज पक जायेगा। तब कब व्यवस्था होगी ?

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :** जो आपने संख्या बतायी है 1200 की उसके हिसाब से···

**श्री अध्यक्ष :** मैं निवेदन करूंगा, आप सब लोग समझदार हैं। सदन की परम्पराओं से वाकिफ हैं। सब माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कार्यवाही कैसे चलेगी। आप इतना अनुशासन तो रखें कि एक बार एक ही आदमी (माननीय सदस्य) बोले। श्री गहलोत।

**श्री रावतराम :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनाज मिलना शुरू हो गया है ? उसका आधार क्या है और यह किस आधार पर खोले हैं ? क्या इन दुकानों पर सस्ता अनाज मिलना शुरू हो गया है ? दूसरी बात यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोल देनें के बाद भी मोटे अनाज की प्राइसेज कितनी सारी बढ़ गई हैं ? 110 और 115 का बाजरा हो गया है तो यह प्राइसेज रिड्यूज कब होंगी? क्या कम प्राइज पर बाजरा मिलने लगा है ?

**श्री अध्यक्ष :** श्री गहलोत।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** अध्यक्ष महोदय,····

**श्री परसराम मदेरणा :** अध्यक्ष महोदय, बाजरा में कुल मिला कर 2 हजार 260 टन का अलॉटमेन्ट हुआ है जिसमें चूरू भी एक जिला है। एक हजार टन मक्का का आवंटन हुआ है। इसके अलावा 300 टन मक्का बाली तहसील को आवंटित की गई है क्योंकि यह आदिवासी इलाका है। गेहूं का अलॉटमेन्ट 22 हजार 912 टन किया गया है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सब जिलो में रिटेलर्स ने अनाज उठा लिया है। जयपुर में वितरण हो रहा है। तहसील हैड क्वार्टर में हो रहा है। कई जगह पर रिटेलर्स ने अनाज ले लिया है। कहीं पर नहीं ले पाये हैं। वे कोशिश कर रहे हैं। यह डिसीजन लिये हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इतने कम समय में हो जाना सम्भव नहीं था। इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं और सतर्कता के साथ किये जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में अनाज पहुंचे। भाव तय कर दिये हैं परन्तु इसके साथ ही मैंने तमाम अधिकारियों, कलेक्टर और फूड कमिश्नर को हिदायत दे दी हैं कि उनकी इफीसेन्सी इसमें है कि गांवों को रिलीफ मिले, उनको अनाज पूरा पहुंचे। कन्जूमर को अनाज नहीं मिला तो प्राइज तय कर देने से कोई लाभ नहीं होगा, इसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। राज्य सरकार इस ओर प्रयास कर रही है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री गहलोत।

**श्री मनोहर कोठारी :** उदयपुर जिले..

**श्री अध्यक्ष :** प्लीज सिट डाउन।

**श्री** गहलोत।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने अनाज के भाव कम करने के लिए आदेश भेज दिये हैं परन्तु दुकानों के लाइसेन्स उन्हीं लोगों को दिये जा रहे हैं

Page No 23



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
जिनके पास पहले थे। इस तरह इन लोगों की मोनोपोली बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले थे वे ही अधिकांश रूप में आज हैं। क्या राज्य सरकार ने इसके लिये कोई हिदायत नहीं दी है?

**श्री परसराम मदेरणा** : शुरू में जो सूचना दी है उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूं। जो दो हजार दुकानें हैं उनमें केवल खाद्यान्न की 1,296 हैं और 730 दुकानें शुगर की है, शुगर रिटेलर्स की है। दूसरों को इमीडियेटली अपाइन्ट करने में टाइम लग रहा था इसलिये चीनी के जो रिटेलर्स थे जयपुर शहर के अन्दर उनको अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिये कह दिया है। ऐसे आदेश दे दिये हैं। अगर ऐसी कोई बात है, कोई शिकायत है या दुसरे रिटेलर्स वार्ड में दुकान खोले हुए हैं, इसलिये उनको कहा गया कि वे इमीजियेटली अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें क्योंकि इतनी जल्दी दूसरी व्यवस्था संभव नहीं थी। दूसरे कोई अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे तो उनके द्वारा वितरण कराया जायेगा। इसके लिये मोनोपोली टेन्डेन्सी होने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसका ध्यान रखा जायेगा कि वितरण के सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी न हो। फर्जी नाम से किसी ने दुकानें ले ली है, शिकायत आने पर अविलम्ब जांच करायी जायगी और उसका लाइसेन्स केन्सिल कर दिया जायेगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपने 24 घंटे में रिमाइन्डर्स जारी कर दिये। रिमाइन्डर के बावजूद कलेक्टर की तरफ से स्लेकनेस की गई है और दुकानें क्यों नहीं खोली जा रही हैं?

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : गंगानगर जिले की तीन तहसीलों में अकाल घोषित किये गये हैं। सूरतगढ़ में 96, नोहर में 132 और भादरा में 200 गांव घोषित किये गये हैं। मैं चेलेन्ज कर के कहता हूं कि इनमें से किसी एक गांव में भी आपकी ये दुकानें नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कोठारी।

**श्री परसराम मदेरणा** : शुरू में निवेदन किया है। सब से पहला आदेश 24-7-72 को दिया है। इसके साथ साथ 26/27 को अनाज का आवंटन किया है। अनाज के आवंटन के साथ साथ एफ०सी० आई० भारत सरकार और हमारे बीच में, कृषि मन्त्रालय के बीच में बातचीत चलती रही कि क्या कमीशन होगा इस सम्बन्ध में क्लीअर आदेश नहीं है। इसमें तीन चार दिन का समय लग गया। इसके बाद कलेक्टर को आदेश दिये गये कि आप अनाज का वितरण कीजिये और गोदाम से अनाज मिलेगा। इस डिटेल्स का तय करने में दो तीन दिन का समय लग गया। मैं आपके चेलेन्ज को स्वीकार नहीं करता हूं। कमी रह सकती है। यह सारा आठ दस दिन का मामला है और उसकी पूर्ति करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

**श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में 204 दुकानें खोलने का प्रस्ताव किया है और उसके अगेंस्ट में 34 दुकानें खोलने की बात यहां पर मंत्री महोदय ने कही है परन्तु उदयपुर जिले में एक भी दुकान इस समय खाद्यान्न की नहीं है।

# Page No 24



(श्री मनोहर कोठारी)

कृपया यह भी बतावें कि मोटा अनाज उदयपुर के लिये कितना दिया गया है, और मक्का का कहां कहां पर आवंटन किया है, यह भी बतावें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिटेलर्स और लाइसेन्स होल्डस हैं वे खाद्यान्न को नहीं लेना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार और कोई एजेन्सी क्रियेट करेगी और उसकी माध्यम से अनाज डिस्ट्रीब्यूशन करेगी ? तो फिर उदयपुर में तो डाट हैं और लोगों को, खास कर के आदिवासी और हरिजनों को, काफी परेशानी हो रही है, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज के भाव बढ़ गये हैं। 105 से 130 तक इस वक्त गेहूं है, मक्का 105 है। ऐसी स्थिति में आप मेहरबानी कर के यह बतलावें कि कहां कहां पर सस्ते खाद्यान्न की दुकानें खोल रहे हैं। पहले भी आपने दुकान खोली थी। क्या उसी के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ?

**श्री केदारनाथ** : क्वेश्चन का पार्ट नम्बर एक। आज तक राज्य सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत रोकने के लिए क्या कोई योजना बनाई है? लोकसभा में भी यह चर्चा हुई थी कि ब्लैक मनी कीमतों को बढ़ाने में पार्ट प्ले कर रहा है। तो इस ब्लैक मनी को खतम करने की कोई योजना है क्या ?

**श्री परसराम मदेरणा** : कन्जूमर को सस्ते भाव पर रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है। यह भारत सरकार से सम्बन्धित है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो इसेन्शियल कमोडिटीज हैं उसका वितरण वेल्नरेबुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हो सके, यह मामला भारत सरकार के सामने विचाराधीन है और इसके लिये भारत सरकार एक कार्पोरेशन को स्थापित करने जा रही है इसलिए उस रूपरेखा के प्रकट होने के बाद में ही मैं कुछ कह सकता हूं। प्राइसेज का लेवल, खास तौर से एसेन्शियल कामोडिटीज का, काफी ऊपर गया है जैसा कि फाइनेंन्से मिनिस्टर, गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने लोकसभा और राज्यसभा में कहा है कि भाव इन दो महीनों में एबनोर्मल तरीके से ऊपर गये हैं।

जहां तक उदयपुर का संबंध है यह सूचना कलेक्टर ने दी है कि 34 दुकान खोली गई हैं और खोलना चाहते हैं 204। मैं यह नहीं कह सकता कि पहले वाली दुकानों के स्थान पर ही खोल रहे हैं या दूसरी जगह। माननीय सदस्य ने कहा है कि 34 दुकानें नहीं खुली हैं तो मैं कल 10 बजे से पहले सही स्थिति से माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा कि कौन सी जगहों पर खोली गई हैं। खुली हैं या नहीं यह आप वेरीफाई करलें।

**श्री रोशनलाल शर्मा** : मक्की का आवंटन कितना किया गया यह आपने नहीं बताया है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां कि आदिवासियो की संख्या 9 लाख है।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह आंकड़े मेरे पास अभी नहीं हैं, लेकिन मक्का का 1 हजार टन का जो आवंटन किया गया है वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही किया गया है और 300 टन का कल आवंटन पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** मैं यह जानना चाहता हूं कि चीनी और घासलेट का वितरण गंगानगर में नहीं हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष :** Mr. Handa, please sit down.

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** चीनी और घासलेट मार्केट में बिना ब्लेक के नहीं मिलते हैं........

**श्री अध्यक्ष:** Mr. Handa, please sit down.

**श्री परसराम मदेरणा :** ऐसा है..

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदय, आप भी बिराजिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** यह बड़ी लज्जा की बात है कि गंगानगर में चीनी नहीं मिलती है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**ट्रैक्टरों के लिये प्रार्थना-पत्र**

26. **श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के कौन कौन से जिलों के कितने किसानों के प्रार्थना-पत्र किन किन ट्रैक्टरों हेतु कब कब से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के विचाराधीन हैं ?

(2) निगम द्वारा अभी तक किन किन जिलों में कितने कितने व कौन कौन से ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**उत्तर**

(1) राज्य के विभिन्न जिलों के प्रार्थना-पत्र जिन जिन ट्रैक्टरों हेतु विचाराधीन हैं उनका मानचित्र परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। ये प्रार्थना-पत्र निगम की स्थापना के बाद से विचाराधीन हैं। प्रत्येक ट्रैक्टर के सबसे पहिले के प्रार्थना-पत्र की तारीख मानचित्र पर अंकित है।

(2) निगम द्वारा जिन जिन ट्रैक्टरों का आवंटन जिन जिन जिलों में किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**आदर्श नगर थाने की चार दीवारी**

1. **श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में आदर्श नगर थाने की चार दीवारी बनी हुई नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक थाने की चार दीवारी का बना होना कानूनन जरूरी होता है ?

(3) क्या यह सही है कि यह थाना कई बस्तियों के बीच बना हुआ है और वहां के निवासियों ने इसकी चार दीवारी के बनाये जाने की आवश्यकता बताई है ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(4) क्या सरकार इसकी चार दीवारी बनाये जाने की आवश्यकता महसूस करती है ? यदि हां, तो चार दीवारी कब तक बना दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) ऐसा कोई कानून नहीं है । प्रशासकीय दृष्टिकोण से चार दीवारी होना ठीक है ।

(3) इस विभाग में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नही हुई है ।

(4) जी हां । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**देवगढ़ (उदयपुर) के थाने में बलात्कार का मामला**

2. **श्री चिम्मन सिंह भाटी** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि दिनांक 8 जुलाई, 1972 को जिला उदयपुर के देवगढ़ थाने में किसी एक दाखू नामक महिला के साथ बलात्कार का केस हुआ ? यदि हां, तो श्रीमती दाखू के साथ बलात्कार करने में कुल कितने व्यक्ति थे और उनके क्या नाम थे और क्या उनके नाम केस रजिस्टर कर लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती दाखू के साथ बलात्कार करने में देवगढ़ थाने का कान्स्टेबल श्री दिलदार खान नम्बर 1131 भी शामिल था ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार का एक कान्ड कुछ दिनों पूर्व इसी थाने के अन्तर्गत श्री टीकमचन्द कलाल नाम के एक व्यक्ति ने किया था ?

(4) क्या यह सही है कि फरवरी सन् 72 में इसी थाने के अन्तर्गत आम्जना रोड पर एक साईकल सवार ने एक संभ्रान्त महिला से छेड़-छाड़ की और उसके जेवर ले गया जिसे स्थानीय पुलिस आज तक नहीं पकड़ सकी ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं व पुलिस कर्मचारी के सम्मिलित होने पर भी उस स्टाफ को वहां रखना व उनकी मौजूदगी में जांच होने को उपयुक्त समझती है ? क्या इस प्रकार वहां की जनता का सामान्य जीवन, खतरे में नहीं है ?

(6) क्या सरकार वहां के समस्त स्टाफ को हटाकर ऐसे कान्डों की सही व निष्पक्ष जांच कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 9-7-72 को मुसम्मात दाखी ने पुलिस थाना देवगढ़ में जुबानी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह जिस बस से भीलवाड़ा से देवगढ़ आई थी उसी बस के ड्राईवर व खलासी ने 8-7-72 की रात को धर्मशाला में उसके साथ बलात्कार किया है । श्रीमती दाखी ने बलात्कार करने वालों के नाम नहीं बताये थे व उसकी रिपोर्ट पर मु०नं० 47/1972 धारा 376 आई०पी०सी० पु० थाना देवगढ़ दर्ज किया जाकर तफतीश की गई । बस ड्राईवर दुर्गाप्रसाद व खलासी शंकर सिंह व मूल सिंह को गिरफ्तार किया गया । मुसम्मात

(मुख्य मंत्री)
दाखी से मुलजिमों की शनाख्त करवाई गई लेकिन वह उक्त तीनों मुलजिमों में से किसी को भी नहीं पहचान सकी। तीनों मुलजिमों को बाद में जुडिशियल कस्टेडी में भेज दिया गया।

(2) मुसम्मात दाखी ने सिपाही दिलदार खान द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी लेकिन तफतीश में श्री दिलदारखां सिपाही का भी इस बलात्कार में हाथ होना पाया गया। उक्त सिपाही को निलम्बित किया जा चुका है।

(3) जी हां। दिनांक 13-4-72 को श्री टीकमचन्द कलाल द्वारा एक 13 साल की लडकी के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में मु०नं० 24/1972 धारा 376 आई०पी०सी० पुलिस थाना देवगढ़ दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में चालान दिनांक 2-5-72 को पेश अदालत किया जा चुका है।

(4) जी हां। दिनांक 26-2-72 को श्री रतन लाल पालीवाल निवासी देवगढ़ की रिपोर्ट पर मुकदमा नं० 11/1972 धारा 392 आई०पी०सी० पुलिस थाना देवगढ़ दर्ज किया गया था जिसमें बाद तफतीश दिनांक 6-5-72 को एफ०आर० अदम पता दी जा चुकी है।

(5) उपरोक्त अभियोगों में से केवल एक अभियोग मु०नं० 47/1972 में सिपाही श्री दिलदारखां का मुलजिमान से मेल जोल पाया गया है जिसको निलम्बित किया जाकर उसके खिलाफ जांच की जा रही है।

(6) इसकी जांच की जा रही है। आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय**

**3. श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा किया गया? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

**फागी तथा चाकसू पंचायत समितियों में पाठशालाएं**

**4. श्री जयकिशन लाल (फागी)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी तथा चाकसू पंचायत समितियों में कितनी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालायें हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी प्राथमिक शालाओं के लिए स्कूल भवन उपलब्ध हैं तथा ऐसी कितनी प्राथमिक शालायें हैं जिनके लिए स्कूल भवन उपलब्ध नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन प्राथमिक शालाओं के लिए भवन उपलब्ध नहीं हैं उनके बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है? इनके भवन कब तक तैयार हो जावेंगे इसके लिए सरकार का क्या माप दण्ड है?

(श्री जयकिशन लाल)

(4) फागी तथा चाकसू तहसील की कितनी प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार चाकसू कस्बे की आबादी तथा आसपास के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सैकेण्ड्री स्कूल को हायर सैकेण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) उपरोक्त क्षेत्र की कितनी माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) भवन निर्माण की जिम्मेवारी पंचायत समिति की है।

(4) इस वर्ष पंचायत समिति फागी में 4 तथा पंचायत समिति चाकसू में 4 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया है।

(5 व 6) धनाभाव के कारण इस वर्ष किसी भी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम सिंथल में पानी के मीटरों की दर

5. श्री चुन्नी लाल इंदलिया (नौखा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले के ग्राम सिंथल में पानी के कुल कितने कनेक्शन हैं और उनसे किस दर से वसूली की जा रही है ? मीटर वाइज वसूली की दर की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ग्राम में मीटर की दर भिन्न भिन्न प्रकार की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के ग्राम सिंथल में वर्तमान में कुल 165 पानी के कनेक्शन हैं। इनमें से 2 पानी के कनेक्शन मीटर युक्त हैं तथा 163 पानी के कनेक्शन फ्लेट रेट के हैं। फ्लेट रेट के पानी के कनेक्शन की दर 8 रु० प्रति नल है तथा दो मीटर युक्त कनेक्शन में एक प्राइवेट कनेक्शन है जिसका रेट 80पै० प्रति 1000 लीटर है तथा दूसरा पंचायत का कनेक्शन है जिसका रेट 67 पैसा 1000 लीटर है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) प्रथम प्रश्न के उत्तर के अनुसार ग्राम में केवल दो मीटर युक्त कनेक्शन हैं (1) प्राइवेट पार्टी का (2) पंचायत का प्राइवेट पार्टी से पानी की रेट 80 पैसा प्रति 1000 लीटर व पंचायत से पानी की दर 67 पैसा प्रति 1000 लीटर वसूल की जा रही है। यह दर

( जन स्वास्थ्य मंत्री)
तत्कालीन अधिशासी अभियंता व प्राइवेट पार्टी के बीच तथा पंचायत के बीच तय की गई है और तत्पश्चात् ही पानी का कनेक्शन दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

**जल प्रदाय योजनाओं के लिए परामर्श मण्डल**

6. **श्री मोठालाल** (लालसोट) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि जल प्रदाय योजनाओं के लिए एक परामर्श मण्डल बना हुआ है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब हुई, तथा स्थापना के पश्चात् कितनी बार इसकी मिटिंगें बुलाई गई? तथा अन्तिम मीटिंग किस तारीख को हुई? तथा मीटिंगें न बुलाने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

जल प्रदाय योजनाओं के लिए एक परामर्श मण्डल की स्थापना राज्य सरकार की आज्ञा संख्या प० स० 5(64) व्यय/एवं प०/63 दिनांक 26-11-70 के द्वारा की गई थी। परामर्श मण्डल में निर्धारित गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार की आज्ञा संख्या प० स० 5(64) व्य० एवं प०/63 दिनांक 17-12-71 द्वारा सम्मिलित किया गया। इसके उपरान्त चुनावों में दर्शाई गई जनता की भावनाओं को देखते हुए इसके पुनर्गठन हेतु विचार किया जा रहा है अतः मण्डल की अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

**कोटपूतली नगरपालिका की सीमा-वृद्धि**

7. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोट पुतली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर जिले की कोटपूतली नगरपालिका ने सीमावृद्धि का कोई प्रस्ताव पास किया है? यदि हां तो, यह किस साल व किस माह में पास किया गया है?

(2) उपरोक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रस्ताव को पास हुए करीब 10 वर्ष हो चुके हैं और उस पर सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

**उत्तर**

(1) जी हां। दि० 28-9-71 को।

(2) जिलाधीश जयपुर से जानकारी चाही गई है।

(3) जी नहीं। नगरपालिका सीमा बढ़ाने संबंधी पत्रादि जिलाधीश ने अपने पत्र दि० 9-6-72 द्वारा भिजवाये हैं।

**भीम व देवगढ़ तहसीलों के अभाव ग्रस्त ग्राम**

8. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसील, भारत सरकार द्वारा रूरल वर्क्स प्रोग्राम (क्रोनिकली अफेक्टेड) में कब घोषित की गई?

Page No 30



(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि रूरल वर्क्स प्रोग्राम को इन तहसीलों में चालू करवाने के लिए ओवरसियर व अन्य स्टाफ राज्य सरकार द्वारा भेज दिया गया है ?

(3) क्या पंचायत समिति भीम व पंचायत समिति देवगढ़ दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य करवाने हैं उनकी सूची जिला प्रशासन व सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी है ?

(4) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा इन कार्यों के सर्वे एवं एस्टीमेट तैयार नहीं किये जा रहे हैं जबकि पंचायत समिति अपनी निजी आय से यह खर्च देने को तैयार है जब तक कि इस मद में रकम नहीं आए ?

(5) क्या यह भी सही है कि भीम व देवगढ़ पिछले तीन वर्षों से लगातार अभावग्रस्त रही है और वर्तमान में इस भयंकर अकाल से भी नहीं बची है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन दोनों तहसीलों में रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य कब से चालू कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

(6) यदि आदेश जारी कर दिये गये तो कब ? और नहीं किये तो क्यों नहीं किये और अब कब तक कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की भीम, देवगढ़ तहसीलों को ड्राट प्रोन एरियाज कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 18 मई, 1972 को दी गई ।

(2) जी नहीं ।

(3) पंचायत समिति भीम तथा देवगढ़ ने यह प्रस्ताव जिलाधीश, विभागाध्यक्षों को भिजवाए हैं या नहीं यह सूचना उपलब्ध नहीं है । वस्तुत: जिलाधीश के प्रस्ताव सहायता विभाग के पास आने पर आगे कार्यवाही संभव होगी ।

(4) जी नहीं । मुख्य अभियन्ता ने अपने नियमित स्टाफ द्वारा एस्टीमेट तैयार करवाने का कार्य चालू कर दिया है । पंचायत समिति की निजी आय से खर्चा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है ।

(5) जी नहीं । सम्वत् 2027 में यह क्षेत्र अभाव ग्रस्त नहीं था तथापि राज्य सरकार उपरोक्त तहसीलों में ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम के अन्तर्गत शीघ्र कार्य चालू करवाने हेतु भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है । ज्योंही भारत सरकार से उपरोक्त दोनों तहसीलों हेतु राशि का आवंटन आया, मुख्य अभियन्ता सिंचाई ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों के एस्टीमेट आदि बनाने हेतु आदेश जारी कर दिये हैं ।

(6) भारत सरकार से इन तहसीलों में खाद योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है । धनराशि की सीलिंग निर्धारित होने पर कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार से ली जावेगी ।

**जिला गंगानगर के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने हेतु सहायता**

9. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत तीन वर्षों में जिला गंगानगर में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिये कितनी रकम सहायता के रूप में किस-किस क्षेत्र में और किन किन यन्त्रों के लिये दी गई ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

कृषि विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में कृषि यन्त्र (agriculture implements) खरीदने के लिए कोई ऋण/सहायता काश्तकारों को नहीं दिया गया।

**चूरू जिले की पंचायत समितियों को दी गई धनराशि**

10. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले की किस-किस पंचायत समिति को उनके गठन से आज तक समाज कल्याण विभाग द्वारा किन-किन मदों की कितनी कितनी धनराशि दी गई ? वर्षवाइज व पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त धनराशि मदवाइज समय पर खर्च नहीं की गई ? यदि खर्च की गई है, तो मदवाइज व वर्ष वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) चूरू जिले की जिन पंचायत समितियों को उनके गठन से अब तक समाज कल्याण विभाग द्वारा जिन मदों में जितनी धनराशि आवंटित की गई उनकी वर्षवार व पंचायत समिति वाइज सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह सूचना समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समितियों को धनराशि आवंटित की जाती है और पंचायत समितियों द्वारा ही विभिन्न मदों में व्यक्तियों और स्थानों को धनराशि स्वीकृत की जाती है और वे ही इसके खर्चे आदि का लेखा जोखा रखती हैं। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28-10-70 के अनुसार पंचायत समितियों को वर्ष 1970 तक आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को प्रस्तुत करने को शर्त हटा दी गई है। अत: विभाग को आवंटित धनराशि को ही व्यय मानना पड़ता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. सर्व श्री निरन्जननाथ आचार्य, केदारनाथ, सुरेन्द्र प्रसाद व्यास व मानसिंह, सदस्य, विधान सभा ने स्वतन्त्रता सैनानियों

# Page No 32



(श्री अध्यक्ष)

को सम्मानित करने के विषय में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली में व घोषित सूची में अनियमितता व पक्षपात आदि बरतने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

2. श्री निरंजननाथ आचार्य, श्री केसरीमल, मोहम्मद गफ्फार अली और श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने खेतड़ी ताम्बा प्रोजेक्ट में गत 11 जुलाई से आठ हजार मजदूरों की हड़ताल तथा कतिपय मजदूरों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने जिला धौलपुर के ग्राम ममरौली में मौजा बजानी वाली रेल्वे सड़क पर खसरा नम्बर 17/2 पर बसे हुए 15 अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ किये गये बल प्रयोग के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. सर्वश्री केदारनाथ, निरंजननाथ आचार्य व श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा ने कृषि विद्यालयों व वेटेरिनेरी कॉलेज, बीकानेर तथा गंगानगर शहर के कॉलेजों के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

5. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने किसानों को निर्धारित कीमत पर सीमेन्ट न मिलने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

6. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने जिला गंगानगर में किसानों को पूरी कीमत पर खाद न मिलने के सम्बन्ध में एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

6. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा और श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर नगर बस यातायात के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

7. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16-8-1972 को श्री ओमप्रकाश शर्मा की हत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

8. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर में खाद तथा चीनी के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

9. श्री भानुकुमार शास्त्री और श्री अजीतसिंह, सदस्य, विधानर सभा ने भू-जल विभाग, राजस्थान द्वारा टेक्निकल असिस्टेन्ट ज्योलॉजी के पद के लिए राजस्थान विश्व-विद्यालय द्वारा राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को चुन लिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

10. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने आबकारी विभाग द्वारा गंगानगर शहर में दिये जाने वाले देशी शराब के ठेकों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

11. श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वितीय श्रेणी में अस्थाई रूप से नियुक्तियों

(श्री अध्यक्ष)

में पक्षपात के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** आज ही निर्णय दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष :** श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने कपास की फसल में तेला की बीमारी से होने वाली हानि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है और इसका किसी घटना विशेष से सम्बन्ध नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

13. श्री नत्थासिंह, सदस्य, विधान सभा ने भरतपुर जिले के बयाना व रूपबास आदि तहसीलों में गम्भीर व राणा नदी का पानी खतरे के बिन्दु से ऊपर आजाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि आज विधान सभा में बाढ़ व अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में आम बहस हो रही है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

14. श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 14, 15 अगस्त 1972 की अर्ध रात्रि को राज्यपाल महोदय ने सदन के प्रांगण पर जो भाषण दिया है वह दलगत राजनीति का परिचायक है और इससे संविधान की गरिमा के साथ साथ उनके पद के गौरव पर भी आघात पहुंचा है।

यों तो अनेकानेक विषयों पर सदन में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, परन्तु राज्य के प्रधान (हैड आफ दी स्टेट) के सम्बन्ध में और विशेषकर उनके भाषण को लेकर उनके आचरण की आलोचना करते हुए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना एक असाधारण घटना है।

राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि के नाते संविधान के अन्तर्गत अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसकी पृष्ठभूमि में यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय है कि क्या किसी भी अवसर पर और किसी भी स्थान पर उनके द्वारा प्रकट किये गये विचार एवं आचरण की आलोचना को इस सदन में स्थगन प्रस्ताव का विषय बनाया जा सकता है अथवा नहीं?

मैंने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। हमारे सदन के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के प्रावधान, जो इस विषय से सम्बन्ध रखते हैं, निम्न प्रकार हैं:—

> "नियम 52 स्थगन प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है जो संविधान या नियमों के अन्तर्गत अलग से प्रस्ताव द्वारा उठाया जा सकता हो।"

> "नियम 272 खंड (5)–किसी सदस्य को बोलेते समय उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि चर्चा उचित

(श्री अध्यक्ष)

रूप में रखे गये सब्स्टेन्टिव मोशन पर आधारित नहीं हो ।"

इस प्रकार मोटे तौर पर राज्यपाल महोदय एक उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति होने के नाते उनके आचरण पर इस सदन में कोई आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । यदि इस सामान्य स्थिति को प्रस्ताव द्वारा उठाई गई विशेष स्थिति पर पूर्णरूपेण लागू नहीं भी समझा जाय, तब भी इसी सदन में दिनांक 13 मार्च, 1958 को जब कि एक माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के कार, स्टाफ आदि के व्यय में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने चाहे तो उस समय के अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि:--

"That the Hon'ble member will not refer to or make any observations about the Governor."

बंगाल विधान सभा में भी सन् 1963 में निम्नलिखित अध्यक्षीय व्यवस्था इन शब्दों में दी गई थी:—

"श्री राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्य पर प्रदेश के प्रधान से उनका व्यक्तित्व पृथक करके भी विवाद नहीं किया जा सकता।"

उपरोक्त व्यवस्थाओं की पुष्टि हेतु कौल व शकधर की पुस्तक के पृष्ठ "प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट" के पृष्ठ 393 का निम्नलिखित उद्धाहरण उपयोगी होगा:-—

"It has been held by the speaker from time to time that the following matters cannot be raised by way of an adjourment motion :

Conduct of the Governor General (now President) or any action taken by him.

Conduct of the Governor of a State."

उत्तर प्रदेश में भी 6 फरवरी, 1961 को दिये गये एक अध्यक्षीय निर्णय के अनुसार राज्यपाल महोदय के विरुद्ध सदन में कुछ नहीं कहा जा सकता, "राष्ट्रपति से उनकी शिकायत की जा सकती है"।

इंगलैण्ड के हाउस आफ कामन्स की मान्यताओं में भी इस बात को असन्दिग्ध रूप से माना गया है कि सम्पूर्ण सत्ताधारी की आलोचना या उनके कार्य पर कोई छींटाकसी नहीं की जा सकती है (मेज की पार्लियामेण्ट्री प्रेक्टिस का 18 वां संस्करण, पृष्ठ 361,417-18)

यहां मैं इस विषय के एक अन्य पहलू पर भी विचार करना चाहूंगा । किसी भी पद-धारक के कार्य-कलाप दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं, प्रथम उसके पद से सम्बन्धित और द्वितीय उसके व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्धित । राज्यपाल महोदय पर भी कार्यकलाप की वह दोनों श्रेणियां लागू होती हैं । कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पेज 381 पर उद्धृत एक निर्णय दिनांक 14-3-60 के अनुसार "जो कार्य राज्यपाल संविधान के अन्तर्गत करने के लिए सशक्त हैं उसको स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता "। जब संविधान के अन्तर्गत किये गये कार्य को

# Page No 35



(श्री अध्यक्ष)

भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता तो राज्यपाल महोदय के तारीख 14 अगस्त, 1972 को प्रकट किये गये विचारों पर स्थगन प्रस्ताव किसी प्रकार नहीं लाया जा सकता, विशेषकर तब, जबकि उक्त विचार किसी संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत दिये गये अभिभाषण में प्रकट नहीं किये गये थे। आलोच्य विचार स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के पुनीत अवसर पर स्वतन्त्रता संग्राम में प्राणोत्सर्ग करने वाले अमर शहीदों को श्रृद्धांजलि अर्पित करने के सिलसिले में प्रकट किये गये थे।

इसी सदन में एक अध्यक्षीय व्यवस्था 3-4-70 को दी गई थी जिसमें 29-3-70 को तत्कालीन राज्यपाल महोदय द्वारा गुरु गोविन्द सिंह कालेज में दीक्षान्त समारोह के अवसर पर दिये गये भाषण के एक अंश को लेकर स्थगन प्रस्ताव को इसी आधार पर अस्वीकृत किया गया था कि राज्यपाल के आचरण के विषय में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

अन्त में मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को इस सदन की कार्यवाही का अंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि सदन की बैठक इससे पूर्व ही स्थगित की जा चुकी थी।

ऐसी अवस्था में माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रकट किये गये उनके निजी विचारों को स्थगन प्रस्ताव का विषय बनाने और ऐसा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय..., अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में...

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये, बैठिये। आप को समय मिलेगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार स्थगन प्रस्ताव भेजे थे। उन पर कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

**श्री अध्यक्ष** : जो स्थगन प्रस्ताव समय पर आये हैं, उन पर व्यवस्था दी गई है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : मैंने स्थगन प्रस्ताव भेजा है।

**श्री अध्यक्ष** : आप का साढ़े 10 बजे बाद मिला है। जो स्थगन प्रस्ताव साढ़े 9 बजे आ गये हैं उन पर व्यवस्था दे दी गई है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव रह गया है। तीन आ गये हैं। एक रहा है। वह जयपुर के मेडिकल कालेज के स्टूडेण्ट्स के बारे में है।

**श्री अध्यक्ष** : आप का 10-35 पर आया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्योंकि कल ही लड़कों ने आपका घेराव किया था। आप की कार को मेडिकल कालेज में ले गये थे।

**एक माननीय सदस्य** : कार को ले गये होंगे।

**श्री मो०गफ्फार अली** : क्या हाउस कल तक होगा ?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज की स्ट्राइक चल रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : आप तशरीफ रखिये। भूल से, मिस्टर हांडा ने दिया था, वह रह गया है।

**एक माननीय सदस्य** : भूल से दिया था या भूल से रह गया है?

**श्री अध्यक्ष** : भूल से रह गया है। मैं व्यवस्था दे देता हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने, बेरोजगार डाक्टरों के प्रश्न पर राजस्थान के मेडिकल कालेजों द्वारा अनिश्चित काल के लिए हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इसके सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है।

**श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)** : मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था 'अग्नि परीक्षा' पुस्तक के सम्बन्ध में ?

**श्री अध्यक्ष** : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर इस समय बात नहीं हो रही है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान विश्वविद्यालय के 12 ऐसे विद्यार्थियों के बारे में दिया था जो कि फर्स्ट क्लास आये हैं।

(बिजली व्यवस्था कुछ देर के लिए भंग—सदन में अंधेरा)

मेरा निवेदन यह है कि सेलेक्शन में उन 12 विद्यार्थियों को नहीं लिया जाये, जो कि फर्स्टक्लास आये हैं। राजस्थान के विद्यार्थियों को नहीं लिया जाए और दूसरे प्रान्त वालों का सेलेक्शन हो जायेगा। इसका तो मतलब है कि राजस्थान में जूलोजी विभाग बन्द कर दिया जाये/या फिर जो फर्स्ट क्लास पास हुये हैं, अच्छे मार्क्स में पास हुये हैं उनको नौकरियों में लिया जाये।

**सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र**

**श्री अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री)**: अध्यक्ष महोदय, मैं, इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 (3) व 75 (1-ए) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1972–73 तथा वार्षिक प्रतिवेदन 1971–72 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, (विराम) अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय..

**श्री अध्यक्ष** : मैंने दूसरा विषय ले लिया है। आप पहले तो बोले नहीं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बोल तो रहा हूं।

# Page No 37



**श्री अध्यक्ष**: When I pronounced your name you did not say anything at that time. Now I have taken another business.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : शास्त्री जी ने समय ले लिया।

**श्री अध्यक्ष** : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। गंगानगर के सारे विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर के सारे विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। वेटेर्नरी कॉलेज हड़ताल पर है। बेरोजगारी के बारे में सरकार बार बार कह रही है लेकिन कोई निश्चित निर्णय नहीं ले रही है। इस बारे में सरकार क्या आश्वासन दे रही है? सरकार इस प्रश्न को बराबर टालती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी क्या कह रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष** : तशरीफ रखिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : ऐसी स्थिति में कम से कम सदस्यों को माननीय मुख्यमन्त्री और शिक्षा मन्त्रीजी कोई आश्वासन तो दें। आखिर क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, डाक्टरों के सम्बन्ध में, वेटेर्नरी डाक्टरों के सम्बन्ध में? आज आखरी दिन है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान–अश्रव्य–शोरगुल)

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : एक दिन और बढ़ाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने दूसरा विषय ले लिया है। प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(कुछ क्षणों के लिए बिजली व्यवस्था पुनः भंग–अश्रव्य) श्री हीरालाल देवपुरा।

**कई माननीय सदस्य** : एक दिन के लिए सदन का समय और बढ़ाया जाय!

(शोर गुल)

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : एक दिन के लिए समय और बढ़ाया जाय।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : यह आश्वासन दिया जाये कि असेम्बली एक दिन और होगी। कल इस सवाल को लिया जाये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : (व्यवधान के कारण अश्रव्य)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर पूरे दिन बहस करके कोई निर्णय लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रतिवेदनों का उपस्थान।

(व्यवधान–शोरगुल)

मैं फैसला दे चुका हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सदन की भावनाओं का प्रश्न है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : श्री देवपुरा।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन....

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास :** अध्यक्ष महोदय, जो श्री हांडा ने कहा है उसके बारे में आपने क्या निर्णय दिया ? स्टूडेन्ट्स का मामला है, अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । जैसा कि सुना जा रहा है कि आज ही सदन समाप्त होने जा रहा है तो इसके बारे में पूर्ण निश्चित जानकारी तो सदन के माननीय सदस्यों को हो जानी चाहिये कि सदन में इस पर विचार होगा या नहीं या..

**श्री अध्यक्ष :** आप कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने जो कहना था वह कह दिया । श्री देवपुरा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल–अश्रव्य)

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में अगर कोई स्टेटमेन्ट दे दिया जावे तो ठीक रहे कि सदन चलेगा या नहीं ।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) **:** अध्यक्ष महोदय, अगर वाकई हाउस आज ही समाप्त होने जा रहा है तो मेरा निवेदन है हाउस को लेट आवर्स तक चलाया जाय और उसमें एक स्टेटमेन्ट दे दिया जाय कि डाक्टरों की बेरोजगारी के बारें में, एग्रीकल्चर कालेज के छात्रों की प्रोबलम्स के बारे में, इसके अलावा पी० एम० टी० के स्टूडेन्टस के बारे में राज्य सरकार से एक स्टेटमेन्ट आना चाहिये या आपकी तरफ से यह स्टेटमेन्ट आ जाय कि आज विधान सभा स्थगित नहीं होगी......

**श्री अध्यक्ष :** इसके लिये तो मुख्य मन्त्री महोदय से बात करनी पड़ेगी । में अभी कुछ नहीं कह सकता ।

श्री देवपुरा ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मंत्री से बात करलें इस बारे में कि विधान सभा का सत्र और आगे चले । यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है इस पर फैसला होना चाहिये....

**श्री अध्यक्ष :** मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । सत्र चाहे कल चले परसों चले ।

श्री देवपुरा ।

## समिति का प्रतिवेदन

## जनलेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन

**श्री हीरालाल देवपुरा** (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जिसका कि संबंध उपनिवेशन, मुद्रण, एवं लेखन सामग्री एवं सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है ।

**श्री अध्यक्ष** : विधायी कार्य ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि इस बारे में कोई एश्योरेन्स मिल जाता । (श्री राजेन्द्र भारतीय के बोलने पर अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, श्री भारतीयाजी पहली दफा निवेदन कर रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : विधायी काय ।

## विधायी कार्य

## रजिस्ट्रीकरण (राज० संशोधन) विधेयक, 1972 का पुरः स्थापन

**श्री चन्दनमल बैद** (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करता हूं ।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर ।

# Page No 39



**श्री अध्यक्ष** : नो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट, ऑफ आर्डर है सर।

**श्री अध्यक्ष** : नो पोइन्ट ऑफ आर्डर सर प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री बी० एन० जोशी।

**समिति का प्रतिवेदन**
**राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:—

1. राजस्थान राज्य होटल निगम पर अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति का प्रतिवेदन तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1969-70 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

**श्री अध्यक्ष** : विधायी कार्य।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : क्या है ?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि श्री बी० एन० जोशी कौनसा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे थे।

**श्री अध्यक्ष** : विधायी कार्य। श्री रामचन्द्र चौधरी :

**विधेयक का पुरः स्थापन**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, 1972 का पुरः स्थापन**

**श्री रामचन्द्र चौधरी** (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

**समिति का प्रतिवेदन**
**राजस्थान अभिवृत्ति (टेनेन्सी) विधेयक, 1972 पर प्रवरसमिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि**

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिवृत्ति (टेनेन्सी) विधेयक, 1972 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की सम्मति है कि प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि की जाय !

(स्वीकृत)

**प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि की गई।**

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, इसकी अवधि के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय ने इसकी अवधि बढ़ाने को कहा है। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रवर समिति की आज तक बैठक नहीं हुई।

# Page No 40



**एक माननीय सदस्य** : एक बार हुई थी।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : खैर साहब एक बार हो गई होगी। पर यह बहुत ही महत्व-पूर्ण मसला है इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहिये। भूमि सुधार के बारें में विधेयक है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये समय निर्धारित करदें। ऐसा नहीं हो कि अगले सत्र में इसके समय बढ़ाने के लिए और मन्त्री महोदय, निवेदन करदें।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : अध्यक्ष महोदय, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर समय निर्धारित किया जाना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : समय के अन्दर ही पूरा कर दिया जाय। मन्त्री महोदय, को कहूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। राज्य गृह मन्त्री का वक्तव्य :

**शासकीय वक्तव्य**
**आचार्य तुलसी कृत**
**'अग्नि परीक्षा' को लेकर चूरू में**
**तनावपूर्ण स्थिति सम्बन्धी**

**श्रीमती कमला बेनीवाल** (राज्य गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य तुलसी द्वारा रचित 'अग्नि परीक्षा' पुस्तक में राम और सीता के विषय में जो उल्लेख किये गये हैं उन कारणों को लेकर चूरू जिले में आचार्य तुलसी के जुलाई में आने की खबर से एक सम्प्रदाय के लोगों ने आचार्य तुलसी के विरुद्ध प्रदर्शन करने का निश्चय किया। इसकी सूचना उन्होंने पुरी के जगद्‌गुरू शंकराचार्य को भी दी। विरोध पक्ष के लोगों ने प्रदर्शन के लिये एक संघर्ष समिति भी बनायी।

आचार्य तुलसी ने चूरू में चातुर्मास करने का निश्चय किया था। शंकराचार्यजी दिनांक 16-7-72 को चूरू आये और उन्होंने अपने अनुयायियों को आन्दोलन जारी करने का आव्हान किया। आचार्य श्री तुलसी ने दिनांक 20-7-72 को चूरू शहर में प्रवेश नहीं किया और चूरू के बाहर 'बाल बिहार' स्कूल में ठहरे।

तारीख 21-7-72 को आचार्य तुलसी का यह कार्यक्रम था कि बाल बिहार से चूरू शहर में प्रवेश करेंगे। परन्तु मुख्य मन्त्री की सलाह पर उन्होंने 21 तारीख को चूरू शहर में प्रवेश करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बाल बिहार के आस पास को 21 तारीख को प्रातः काल से ही विरोध पक्ष के लोगों का जुलूस आ गया। इन व्यक्तियों के बाजुओं पर काले बिल्ले लगे हुए थे। प्रदर्शनकारी सर्वप्रथम श्री शिवप्रकाश शास्त्री के नेतृत्व में प्रातःकाल 6 बजे पहुंचे। इसके पश्चात् धीरे धीरे अन्य जत्थे भी वहां आ गये और करीब 8 बजे तक लगभग तीन हजार प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठे हो गये जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे और श्री तुलसी विरोधी नारे लगाने लगे। बाल बिहार के चारों तरफ पुलिस द्वारा सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करदी गई थी।

करीब 8 बजकर 15 मिनट पर आचार्य तुलसी कुछ साथियों सहित बाहर आये। उन्हें यह निवेदन किया गया कि उनके बाहर आने से झगड़ा बढ़ने की सम्भावना है इसलिए वह बाहर न आवें लेकिन उन्होंने कहा कि वे शौच जाने के लिए बाहर जा रहे हैं। ज्योंही वह बाहर आये उपरोक्त भीड़ में से कुछ लोग आचार्य

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

तुलसी के चारों और एकत्रित हो गये और आचार्य तुलसी विरोधी नारे लगाने लगे। इसी बीच में दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आचार्य तुलसी को सुरक्षित रूप से बाल बिहार पहुंचा दिया। स्थिति तनावपूर्ण और गम्भीर हो जाने के कारण जिलाधीश, चूरू, द्वारा बाल विहार के चारों और धारा 144 जाप्ता फौजदारी लागू करने की घोषणा की गई। इस मौके पर जिलाधीश ने लाठी चार्ज के आदेश भी दिये लेकिन प्रदर्शनकारी तुरन्त तितर बितर हो गये और लाठी चार्ज का मौका नहीं आया और स्थिति नियन्त्रण में आ गई। आचार्य तुलसी का घेराव करने के विरोध में थाना चूरू में मुकदमा नम्बर 74 दिनांक 21-7-72 धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजिबद्ध किया गया। पथराव के दौरान करीब 25 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं। इसके कारण मुकदमा नं० 75 धारा 147/337/336 भारतीय दण्ड संहिता पंजिबद्ध किया गया। जब यह झगड़ा हो रहा था कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दो निजी मोटर गाड़ियो को आग लगा दी गई। गाड़ियों के जलने के बारे में भी धारा 437 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा पंजिबद्ध कर दिया गया। दोनों पक्षों के आपसी पत्थर फेंकने के कारण 7-8 पुलिस कर्मचारियों को भी मामूली चोटें आयीं।

जगद् गुरू शंकराचार्य की घोषणा के अनुसार तारीख 21-7-72 को चूरू शहर में हड़ताल रही। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखकर तारीख 21 को 15 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। स्थिति को काबू में करने के लिये चूरू शहर में 144 जाप्ता फौजदारी धारा भी लगाई। अब तक चूरू में 144 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई।

विरोध पक्ष के लोगों ने दिनांक 1-8-72 को चूरू बन्द का आह्वान किया। जिलाधीश चूरू द्वारा चूरू नगरपालिका क्षेत्र में दिनांक 31-7-72 से 3-8-72 के सायं तक धारा 144 जाप्ता फौजदारी को लगाने की घोषणा की गई। चूरू कस्बे में दिनांक 1-8-72 को पूर्ण हड़ताल रही। इसके अलावा रतनगढ़, सुजानगढ़, राजगढ़, सरदारशहर, तारानगर व डूंगरगढ़ में भी पूर्ण हड़ताल रही।

दिनांक 1-8-72 को राजगढ़ में प्रातःकाल 8 बजे जबकि विरोधीपक्ष के व्यक्तियों का एक जुलूस बाजार से जा रहा था तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती से समर्थक पक्ष के व्यक्तियों की दुकाने बन्द करायीं जिस पर तनाव पैदा हुआ। एस०डी०एम मौके पर पहुंच गये। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया जिससे 2 कांस्टेबलों को चोटें आई। भीड़ के तितर बितर करने के लिये एस०डी०एम० के आदेश पर हल्का लाठी चार्ज किया गया। इस सिलसिले में मु०नं० 69 धारा 353, 332, 148, 149, 153 भारतीय दण्ड संहिता में पंजिबद्ध किया गया। इसी दिन बीदासर में भी कुछ समर्थक पक्ष के लोग अपनी दुकानें खोलना चाहते थे लेकिन विरोध पक्ष के लोगों ने ऐतराज किया जिससे कि समर्थक पक्ष के लोगों ने पथराव किया। दोनों ओर से पथराव और लाठियों का प्रयोग किया गया जिससे

# Page No 42



(श्रीमती कमला बेनीवाल)

करीब 23 व्यक्तियों को चोटें पहुंची जिसमें 7 पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे की दुकानों को जला कर क्षति पहुंचायी। बीदासर में भी तीन दिन के लिये धारा 144 जाप्ता फौजदारी लगा दी गई। चार व्यक्तियों को मौके पर रंगें हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

तारीख 4 अगस्त से 2 व्यक्तियों ने क्रमागत भूख हड़ताल जारी रखी। तारीख 8 अगस्त को विरोध पक्ष के लोगों की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें बहुत से व्यक्तियों की गिरफ्तारी के कारण जिला प्रशासन की निंदा की गई। तारीख 9 अगस्त को प्रातःकाल करीब 1000 से 1500 व्यक्तियों ने मिल कर कलेक्टर के दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया और आचार्य तुलसी और उनकी पुस्तक के विरुद्ध नारे लगाये और मांग की गई कि पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाया जावे और जो आदमी गिरफ्तार किये गये हैं उनको छोड़ दिया जाये।

वित्त मंत्री, राजस्थान दिनांक 20-7-72 को 5 बजे सायंकाल चूरू पहुंचे थे और वे राजकीय विश्राम गृह, चूरू में ठहरे। उसी रोज वह दादू भवन में श्री शंकराचार्य जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने हेतु गये। उनके द्वारा जिला प्रशासन को इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये गये थे, अतः उनकी अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता। दिनांक 21-7-72 को दफा 144 जाब्ता फौजदारी लगाने के बाद कुछ व्यक्तियों ने त्रिलोक बाल विहार से भाग कर डाक बंगले के पिछले भाग में वित्त मंत्री की खड़ी गाड़ी पर पथराव किया, जिससे एक खिड़की का शीशा टूट गया था। वित्त मंत्री का घेराव नहीं किया गया। वित्त मंत्री 20 जुलाई से 23 जुलाई की सुबह 3.25 बजे तक चूरू में ठहरे थे।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहती हूं कि कल दिनांक 16-8-72 को आचार्य तुलसी ने "अग्नि परीक्षा" नामक पुस्तक को हमेशा के लिये वापस लेने की घोषणा कर दी है और विरोध पक्ष ने भी

(करतलध्वनि)

अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने भी आदेश दे दिये हैं कि इस आन्दोलन से सम्बन्धित सभी केसेज, जहां हिंसात्मक कार्य नहीं हुए हैं, उन्हें वापिस ले लिया जावे। अब स्थिति पूर्णतया सामान्य है।

**श्री दीपंकर (लाडनू):** अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया है वह केवल चूरू जिले के लिये दिया गया है। इसमें नागौर जिले का लाडनूं शहर शामिल नहीं है। आचार्य श्री का जन्म स्थान लाडनूं है और वहां पर सैकड़ों की तादाद में उनके अनुयायी रहते हैं। जब इस आन्दोलन का नारा दिया गया तो लाडनूं में भी हड़ताल रही और उपद्रव हुए। वहां के निष्पक्ष लोगों ने एस० पी० साहब से निवेदन किया कि जिस प्रकार चूरू में उपद्रव हुए हैं उसी प्रकार के यहां भी उपद्रव न हों इसकी व्यवस्था करें। वहां पर धारा 144 लगायी गई लेकिन धारा 144 को तोड़ कर भी बराबर जुलूस निकाले गये और जो दुकानदार अपनी दुकानें बन्द नहीं करना चाहते थे उनकी दुकानों पर पत्थर मारे गये और दुकानें जलायी गईं।

**श्री अध्यक्ष** : बस, अब हो गया।

**श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूं कि एक झगड़ा बहुत आसानी से खत्म हुआ इसके लिये मैं दोनों पार्टीज को बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि आज के दिन जब नेशनल इन्टीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं उसके लिये यह अच्छा कदम है। मैं आचार्य श्री तुलसी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी मर्जी से "अग्नि परीक्षा" नामक पुस्तक को विड्रो कर लिया। संघर्ष समिति को भी मैं बधाई देता हूं कि इस ने नया कदम उठा कर चूरू मूवमेन्ट को विड्रो कर लिया। दोनों को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिये थी। एक शुद्ध अच्छा वातावरण बना है उसमें एक दूसरे के साथ कोआपरेट करें और आपसी झगड़े को समाप्त करें।

**श्री दीपंकर** : मैं इस झगड़े पर नहीं बोलना चाहता हूं। हाउस के नेता ने कहा मैं उनसे पूर्ण सहमत हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हुआ उसके बाद एक वातावरण बन गया धन्यवाद दे दिया। सीकर, चूरू, नागौर जिले के गुंडों को पर्चेज कर लिया गया साम्प्रदायिक लोगों के द्वारा। साम्प्रदायिक दलों के बारे में उन्होंने क्या इलाज किया इसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय जबाव दें।

**श्री बरकतुल्ला खां** : एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी का साथ नहीं दिया। ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन किया। एडमिनिस्ट्रेशन की सिम्पेथी एक पार्टी या ग्रुप के साथ हो यह बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो जिम्मेदारी दी थी उसने वह जिम्मेदारी निभायी। और उसी का परिणाम है कि ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ और अच्छा वातावरण बन गया। आप यह चाहें कि बहस में पड़ कर एक दूसरे को बुरा कहें यह उचित नहीं। उन लोगों ने बैठ कर फैसला किया यह सदन उनको रद्द करना नहीं चाहता किन्तु धन्यवाद देना चाहता है। आशा करके चलना चाहते हैं कि ऐसे मतभेद नहीं आयेंगे और आयेंगे तो आपस में बैठ कर तय कर लिये जायेंगे।

**श्री दीपंकर (लाडनूं)** : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं किन्तु यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों ने बंगलों में बैठ कर ताश खेली। पुलिस से एश्योरेन्स नहीं मिला। पुरानी साम्प्रदायिक भावना भरी हुई है उसका कोई निराकरण होना चाहिये इसके लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने सदन में निवेदन किया, हम इस मसले पर बहुत संतुलित रहना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता पर आघात न पहुंचे। इस दृष्टि से मैं इस प्रश्न को विवाद के प्रश्न पर नहीं रखना चाहूंगा। यह पहली घटना है राजस्थान में और इतिहास में भी पहली घटना है कि जहां जैन और अजैन की समस्या पैदा हुई और उस वक्त समस्या पैदा हुई जब हम संकल्प ले रहे हैं धर्म निरपेक्षता का और संकल्प ले रहे हैं साम्प्रदायिकता के भूत को हमेशा के लिए दफना देने का। इसलिये यह प्रश्न राजस्थान के लिये ही नहीं वरन राष्ट्र के लिये बहुत महत्वपूर्ण

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हो जाता है । मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कहां क्या हुआ, किसने क्या किया । दोनों पक्षों को कहां आघात पहुंचा कहां नहीं पहुंचा । क्योंकि इसका विश्लेषण खामख्वाह का तनाव समाज में पैदा कर सकता है इसलिये उस प्रश्न को राज्य सरकार पर छोड़ दें वे जिस तरह से चाहें इस प्रश्न का निराकरण करें और यह खुशी की बात है कि "अग्नि परीक्षा" पुस्तक ने सचमुच में परीक्षा कर ली दोनों तरफ की । मैं धन्यवाद देता हूं आचार्य तुलसी को जिन्होंने सदाशयता दिखायी और सदाशयता दिखा कर दूसरों की धर्म भावना को, अगर कोई भावना हो तो, ठेस पहुंचाने से बचे ।

अग्नि परीक्षा के सम्बन्ध में मैं नहीं जाना चाहता कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। लेकिन दो चार मुद्दों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं निवेदन करना चाहता था जैसा कि अभी सदन के नेता ने कहा दोनों पक्षों के आपस में बातचीत होकर राजीनामा हो गया और एक शुद्ध वातावरण बनाने का प्रयत्न किया । उसमें कोई अशान्ति न फैले और भावना का उभाड न हो । धार्मिक भावना का उभाड़ शीघ्र हो जाया करता है । माननीय सदस्य बोलेंगे तो भावना का उभाड़ हो सकता है इसलिए संयम, शान्ति और शालीनता बरतें जिससे उभड़े नहीं ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : पर क्या अध्यक्ष महोदय, आपको मेरे भाषण में ऐसा आभास मिला है कि मेरे इस अभिमत से आगे जाकर कोई बखेड़ा खड़ा हो । मेरा ख्याल है कि जिस सदाशयता के साथ आपने अपनी अभिव्यक्ति विचारों की की है वैसे ही मैंने की है ।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने तो सबके लिए कहा है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस की अकर्मण्यता रही, निष्क्रियता रही, उदासीनता रही । अब किसकी ओर कहां कैसे रही मैं इस पर नहीं जाना चाहता । पर भविष्य के लिये सतर्क होना है इस प्रश्न पर कि यह साम्प्रदायिकता का दैत्य अपना रूप आगे न दिखा सके । तो आगे से यह देखना है कि प्रशासन में किसी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया हो, या कोई निष्क्रिय या उदासीन या एकपक्षीय तो नहीं रहा है । मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और आपसे स्पष्टीकरण भी इस बारे में चाहूंगा और आगाह करूंगा कि यह प्रश्न, यह मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

दूसरा प्रश्न रखना चाहता हूं प्रशासन और प्रशासक के सम्बंध में । जिले के प्रशासन के सम्बंध में । एक माननीय सदस्य ने कहा । अब वह किस पक्ष को लेकर कहा या विपक्ष को लेकर कुछ कहा । मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता । यह क्या मुद्दा है कि कहां प्रशासन सतर्क रहा और कहां अकर्मण्य रहा । इस मुद्दे की भी जांच होनी चाहिये । इसलिये कि आगे चलकर यह साम्प्रदायिकता का दैत्य राष्ट्र को संतापित न करे । दोनों मुद्दे प्रशासन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और पुलिस की अकर्मण्यता के महत्वपूर्ण हैं। यह है जांच का विषय।

तीसरा मुद्दा रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपने और मुख्यमंत्री ने इस सम्बध में जैसी भावना व्यक्त की है। जब हम विधायकों के पास तार आने लगे तो उनका जवाब मैंने दिया था और यह कहा उनसे था कि धर्म गुरुओं की धर्मान्धता से धर्म मुक्त हो सके तो मानवता जीवित रह सकेगी। यह प्रसंग जनता का नहीं है। यह प्रसंग न मालूम किनका है। एक मामला उछाल देते हैं और अपना फायदा उठा लेते हैं। धर्म गुरुओं के सम्बध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि भाषण उत्तेजनात्मक था और किसका नहीं यह प्रश्न विवादास्पद है। न मालूम यह क्या पेचीदगियां पैदा करे, इसलिए इसको छोड़ देता हूं।

पर चौथा प्रश्न यह आता है कि क्या वहां पर किसी धर्म गुरु का स्वागत किया गया था चाहे वह वहां के वैष्णवों का हो या दूसरों का हो, उस स्वागत समारोह में जो भ्रान्तियां पैदा की गई हैं लोगों में की सरकार की कृपा एक पक्षीय रही, वह बात सदा सदा के लिये निर्मूल हो जानी चाहिये। मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर कभी कभी भ्रान्तियां हो जाया करती हैं कि धर्म गुरु के स्वागत या प्रवचनों के समय यदा कदा हम जाया करते हैं और जाने का यह अभ्यास विकृति पैदा करता है। ऐसी स्थिति में हमें इन भ्रान्तियों का भी निराकरण करना चाहिये।

**श्री मनोहर कोठारी** : आप स्वयं बहुत गये हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इसका विवेचन मत करिये। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न भी एक जांच का अंग होता है।

दूसरा अर्ज करता हूं कि जिलाधीश के सम्बंध में भी बहुत कुछ कहा गया। इसकी विवेचना भी मैं नहीं करना चाहता और आपसे भी अभी उत्तर नहीं मांगना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि जिलाधीश एकपक्षीय रहे या दो पक्षीय रहे या तटस्थ रहे यह भी एक जांच का मुद्दा है।

आखिर का प्रश्न। बीदासर की घटना का विवेचन भी नहीं करना चाहता। पर अध्यापकों में रोष पैदा हुआ। न मालुम किस कारण से पैदा हुआ। रोष अध्यापकों का है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सब कुछ कहे जा रहे हैं और कुछ नहीं कहना चाहते।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आखिर प्रश्न जो निवेदन करना चाहता हूं वह खटकने वाला है। जैसा गृहमन्त्री महोदया ने कहा कि सत्ताधीश कोई नहीं था और फलां तारीख से फलां तारीख तक कोई नहीं रहा। सत्ताधीश का कोई सम्बंध या सम्पर्क किस सम्प्रदाय से विशेष से रहा और उनकी वहां उपस्थिति के कारण यह माहोल पैदा हुआ। यह प्रश्न बहुत महत्व का है। इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रश्न की अवहेलना न की जावे।

**श्री दीपंकर** : चन्दनमलजी के लिये नहीं कह सकते कि उनके कारण कोई

(श्री दीपंकर)

भयभीत हुआ। यदि ऐसा है तो आप भी साम्प्रदायिक हैं। आप भी इनके पास आते जाते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। यह प्रश्न सत्ताधीश का जो वहां उपस्थित हुआ उससे भ्रान्तियां पैदा हुईं। यह विवाद का प्रश्न बना हुआ है। इसकी जांच मय अन्य मुद्दों के सामूहिक रूप से होनी चाहिये। ताकि भविष्य में इस प्रश्न को हल कर सकें और साम्प्रदायिकता की भावना को सदा के लिये मिटा सकें।

**श्री दीपंकर**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल से तो यह जनसंघ का मुद्दा है। इस पर बैन लगनी चाहिये। यह सब झगड़ा फसाद शंकराचार्यजी की देन है।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस काण्ड के संबंध में जो मतभेद उत्पन्न हुआ उसका समाधान करने के संबन्ध में सदन के नेता महोदय, मुख्यमंत्री के द्वारा जो कथन अभी रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

जहां तक कि व्यक्तिगत मेरा संबन्ध है मैं सब धर्मों को आदर और इज्जत की भावना से देखता हूं। वह चाहे जैनी हो, चाहे सनातनधर्मावलम्बी हो, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो या सिक्ख हो कोई हो। विविध धर्मों के अनुयायी बहुत से व्यक्तियों से जब कभी मैं मिला उनमें एक दूसरे के प्रति मैंने आदर के भाव देखे और मैंने भी उनको आदर की दृष्टि से देखा है।

जहां तक इस दुर्भाग्य पूर्ण समस्या का प्रश्न है जहां पर भी इस तरह की दुर्घटना होती है मैं उसको महान् दुर्भाग्य पूर्ण मनता हूं।

इस समस्या को जिस तरह से सरकारी पक्ष ने हैण्डल किया है मेरी बुद्धि के अनुसार वह व्यवस्था खामी से भरपूर रही है। इस तरह की समस्या जब कभी भी उत्पन्न होती है वह सरकार के लिये वास्तव में एक बड़ी दिक्कत की समस्या होती है कि इस तरह की समस्या का किस तरह से समाधान किया जावे। मैं आरोप और प्रत्यारोप के सम्बन्ध में किसी का किसी पर कीचड़ उछालना नहीं चाहूंगा और खास कर तब जब कि उस विवादास्पद पुस्तक "अग्नि परीक्षा" नामक पुस्तक का प्रचार और प्रकाशन हटा लिया गया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। आचार्य तुलसीजी की भी मैं इज्जत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जो महा पुरुष राम के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया वह व्यक्तिगत विचार है। पर किसी भी धर्माचार्य को इस तरह का प्रचार करना मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समाचीन नहीं है कि जो जन साधारण और राम के अनुयायियों के मन के अन्दर चोट और आघात पहुंचावे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह पुस्तक वापिस ले ली गई है।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : इस सम्बन्ध में बहुत दुर्घटनापूर्ण समस्याएं उत्पन्न हुईं। खराबा हुआ। मार काट हुई। मोटरें जलाई गईं। ये दुर्घटनाएं आइन्दा न हों, भविष्य में ऐसी सम्भावनाएं नहीं हों इस सम्बन्ध में भी मैं सरकार को निवेदन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

करना चाहूंगा और मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जिन आदर्श पुरुष का नाम इस देश के अन्दर पांच हजार वर्षों से प्रचलित है।

(12.50 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिसके नाम से हजारों सैकड़ों लोगों के नाम रखे जाते रहे हैं जैसे श्रीराम गोटेवाला हैं श्री रामकिशोरजी व्यास हैं कितने ही लाखों आदमियों के नाम जिस महा आदर्श पुरुष के नाम के पीछे रखे जाते हैं उसके पीछे यही भावना रही है कि जब कभी जिस किसी बहाने से, उस पुरुषोत्तम का नाम स्मरण हो जाय, जीभ पर उसका नाम आ जाय। वापसी वन्दना के नाम से भी, राम राम साहब के नाम से भी, एक दूसरे के नाम से सलाम करना है तो राम राम भाई के नाम से भी पुकारे जाते हैं। जो गरमी के अन्दर से आकर ठंडी छाया में आदमी बैठे तब भी हे राम करके बैठता है। जब आदमी मरता है तब भी यह कहता है कि राम नाम सत्य है सत्य बोले गत है। महात्मा गान्धी जैसे महापुरुष राष्ट्रपिता भी उनकी प्रार्थना सभाओं में इसी नाम का जाप और रामधुनी किया करते थे और महात्मा गान्धी का आखिरी शब्द मरने से पहले 'हे राम' था। तो मैं कोई पक्षपात के रूप से राम के नाम के महत्व को विशेष महत्व नहीं देना चाहता हूं। जैन धर्म महान गूढ़ है। जैनधर्माचार्य और तीर्थंकर की भी मैं बहुत इज्जत करता हूं। वे तो करीब करीब सब राजा ही थे लेकिन इस पचड़े में नहीं पड़ते हुये यह निवेदन जरूर करूंगा इस सदन के अन्दर भी अणुव्रत प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव का समर्थन मैंने किया और यह सदन हमेशा सिक्यूलर बेसिस पर रहा है। मेरी शिक्षा के आधार पर और जब से मैं जन्मा हूं मेरे माता पिता कहते आये है एक आंख से हिन्दु को देखना तो दूसरी आंख से मुसलमान को देखना। तुम्हारी दोनों आंखें समान हैं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आक्षेप लगाने की इच्छा नहीं है लेकिन राज्य सरकार को देखना चाहिये कि इस प्रकार की दुर्घटनायें हुईं तो यह बवाल बढ़ेगा और जो इस देश में मैं देख रहा हूं, जो हिंसा का वातावरण, अराजकता का वातावरण दिनोदिन बढ़ता जा रहा है उसका समाधान करना भी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। इसके बीच ऐसी कोई दुर्घटना भी होती है तो उसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता। मैं विशेष, इस पचड़े में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं जो समझौता हुआ वह टिकाऊ और चिरकाल तक स्थापित रहेगा और जिस क्षेत्र में यह वाद विवाद उत्पन्न हुआ है उस सम्बन्ध में भी एक सम्माननीय सदस्य का कथन है कि वहां समाधान अभी नहीं हो पाया है। यदि समाधान नहीं हो पाया है तो सरकार को चाहिये समाधान करावे और मैं यह भी सरकार को पुरजोर शब्दों में कहूंगा आपके पुलिस आफिसर्स को भी इस सम्बन्ध में क्या इन्स्ट्रक्शन्स हों, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन सीक्रेट इन्स्ट्रक्शन्स खानगी इन्स्ट्रक्शन्स होने चाहिये। अगर भविष्य में इस तरह की आपत्तिजनक परिस्थितियां

# Page No 48



**(श्री लक्ष्मण सिंह)**

उत्पन्न होती हैं तो उनको क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। अगर हिंसा एक तरह से नहीं होती है तो छींटाकसी होती है चाहे वह सूर्य के सामने धूल उछालने के रूप में ही क्यों न हो लेकिन उसकी प्रतिक्रिया—री-ऐक्शन होना स्वाभाविक है। उनको किस तरह से एरेस्ट किया जाय, इस तरह की समस्या को किस तरह हेन्डिल किया जाय यह सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है कि सरकार को पुलिस को आगाह कर देना चाहिये, सरकार को सजग रहना चाहिये। पुलिस कर्मचारियों को सजग रहना चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा।

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चूरू के अकाल ग्रस्त क्षेत्र में साम्प्रदायिक भाव धीरे धीरे फैलते जा रहे है और एक बड़ी कठिन स्थिति इस भयंकर अकाल क्षेत्र में पैदा हो गई थी वह समाप्त हो गई। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे बढ़ते हुये चरणों को देश के सम्बन्ध में, समाज के सम्बन्ध में परिवर्तन लाने वाले धर्म गुरू प्रभावित करते हैं और हमें गुमराह करते हैं। यह सारी गुत्थी सुलझ गई, सारा भार उतर गया लेकिन छाती छिल गई इसलिये यह भार उतरा नहीं है। आज इस बात की आवश्यकता है कि यह परिस्थिति किस कारण पैदा हुई किस कारण झगड़ा हुआ लेकिन इससे सन्तोष कर लें कि सारी स्थिति सुलझ गई तो मैं समझता हूं राज्य सरकार न्याय नहीं करेगी क्योंकि यह आग फिर भी सुलग सकती है, फिर भी यह आग भड़क सकती है। यह आग सदा के लिये समाप्त नहीं हुई है। वे सारे तत्व मौजूद हैं वे सारे आधार मौजूद हैं जो इन स्थितियों को पैदा करते हैं। अगर वास्तविक शान्ति देना चाहते हैं और स्थिति को न्यायिक रूप से समाप्त करना चाहते हैं तो राज्य के अन्दर उन सारे तत्वों को, उन सारी परिस्थितियों को उन असामाजिक तत्वों का गहन रूप से अध्ययन करना पड़ेगा जिनके कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी अखबार में छपे लेखों से, कचहरी में दिये गये बयानों से व दोनों पार्टियों की ओर से दिये जाने वाले लीफलेटों से और किताबों से है। इसमें कुछ तथ्य बड़े गंभीर रूप से उभर कर आये हैं जिसमें राज्य सरकार को जांच करनी है। सबसे पहले शासन तन्त्र का क्या योग रहा है। स्वयं कलेक्टर महोदय ने एक बयान मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां दिया है और बातों को नहीं लेता, मैं दोनों पार्टियों के पेम्पलेट्स को नहीं लेता, बयान को नहीं लेता जो बी० के० बिज्जू 8-8-72 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हजेला की कोर्ट में दिया। इस बयान में उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है वे आचार्य तुलसी को चूरू में निमंत्रित करने के लिये स्वयं लाडनूं में गये और इस बात को कहा है वे बतौर कलेक्टर नहीं गये वे व्यक्ति के रूप में गये हैं और व्यक्ति के रूप में निमंत्रण दिया है। उन पर ये

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

भी चार्जेज लगाये गये कि कोर्ट में केसेज पेन्डिंग थे। आवाज पड़ती रही लेकिन कोर्ट में नहीं पहुंच सके। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय एक कलेक्टर के कोई धार्मिक विचार हो एक मंत्री के कोई धार्मिक विचार हो, मेरे कोई धार्मिक विचार हो। इस धर्म निरपेक्ष राज्य में मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखने के लिये मुक्त हूं लेकिन न्याय करने वाला मंत्री, कलेक्टर या कोई उच्च अधिकारी व्यक्ति कोई भी वक्त हो कलेक्टर हर समय कलेक्टर रहता है। सारे जिले के ला एण्ड आर्डर का वह मालिक है। कलेक्टर कभी भी व्यक्तिगत हैसियत से एक धर्म निरपेक्ष राज्य में किसी धर्म गुरु को जाकर निमंत्रित करें यह जांच का विषय है।

दूसरा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय यह है कि किसी दल का यह आक्षेप है कि एक ही दल के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक ही दल के व्यक्तियों के ऊपर लगातार सारे के सारे जुल्म और ज्यादतियां हुई—यह भी स्पष्ट जांच का विषय है। यह सन्तोष होना चाहिए कि एक दल विशेष के ऊपर ही आक्रमण नहीं किया गया बल्कि दोनों दल के लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह भी आक्षेप है कि दफा 144 तोड़ने के संबंध में एक पक्ष को आज्ञा दे दी गयी कि वह धारा 144 के अन्दर भी जुलूस निकाले और समास्थलों पर जायें और जब दूसरे पक्ष के लोगों ने जुलूस निकाला तो दफा 144 तोड़ने के संबंध में उनको गिरफ्तार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, और इस सबसे ऊपर मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपना स्पष्टीकरण इस संबंध में दे। उनके संबंध में सारे राजस्थान के अन्दर यह चर्चा है कि उन्होंने चूरू के अन्दर, राज्य मंत्री गृह ने जो बयान दिया है उसमें वह 3 दिन बैठे लेकिन जो उनके ऊपर आक्षेप है वह यह है कि वह 9 दिन तक लगातार चूरू के अन्दर बैठे रहे और इस सारे दृश्य को देखते रहे। आज सारा राजस्थान या तो अकाल से पीड़ित है या फिर बाढ़ से और हमारे बयान यह हैं कि आज राजस्थान की स्थिति यह है कि इससे भयंकर अकाल न पहले कभी पड़ा और बाढ़ की स्थिति भी बहुत गम्भीर है। स्वयं मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी के बयान अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं कि 30 करोड़ रुपया 5 दिन दिल्ली में बैठ कर लाये तब राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह मिली। चाहे जो भी प्रश्न हो, शिक्षा का प्रश्न हो, सिंचाई का प्रश्न हो हम अपना पेट उठाकर दिखा देते हैं कि हमारे ऊपर 60 करोड़ का तो कर्जा है और 90 करोड़ का हमारे ऊपर ओवरड्राफ्ट है और हमारे वित्त मंत्री जी ऐसी गम्भीर स्थिति में 9 दिन तक एक जगह लगातार बैठे रहें इस संबंध में उनको विधान सभा में स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्व सिर उठा रहे हैं और शोषित वर्ग को डेवियेट करते हैं, भड़काते हैं। आज यह आवाज लगातार उठ रही है कि साम्प्रदायिक पार्टियों के ऊपर बैन लगाया जाये। हमारी स्वयं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

विधान सभा के 130 सदस्यों ने इस

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

बात की लगातार मांग की है कि यह साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्व, जो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए प्रगति के चरणों को रोकते हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाये। आज सारी पृष्ठभूमि में दुबारा इस निश्चय को दृढ़ करें कि कोई भी साम्प्रदायिक पार्टी हो उसके ऊपर रोक लगाना आवश्यक है। 20 अगस्त को नारा दिया जाये और साम्प्रदायिक दल के एक लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और आज राजस्थान के अन्दर इतना बड़ा अकाल है और हमारी वित्तीय स्थिति का दिवालिया निकला हुआ है और एक लाख आदमी इकट्ठे होने की बात सोचें इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। अगर मैंने कोई कटु शब्द कहे हों तो माफी मांगता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री मनोहर कोठारी।

**श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण राजस्थान में उपस्थित हुआ लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि आज जब विधान सभा में इस पर चर्चा हो रही है इस सम्बन्ध में एक सूचना यह भी मिली कि उस प्रश्न को समझाइश के द्वारा, आपसी समझौते के द्वारा ठीक कर लिया गया है। जिस स्थिति में और जिस परिवेश में यह सारी घटनायें हुई हैं हमें उसके मूल म सोचना पड़ेगा कि आज यह घटना चाहे निपट गई हो लेकिन भविष्य में इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सोचने की भी बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में वातावरण बना है और हर दृष्ठि से राजनैतिक अवसरवादिता सामने आती है और जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी मूलभूत चीजों को झटका दिया जाता है और खास कर सर्वहारा मजदूर और मध्यम श्रेणी के लोगों को गुमराह कर दिया जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और इसी तरह के दूसरे तरीकों से और उस सब के मूल में हिंसा का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी मावली से आने वाली माननीय सदस्य ने एक बात जोर शोर से कही कि राजतंत्र के अधिकारी और मंत्री वहां पर बैठे हुए रहे। मुझे याद है मैं जानता हूं यही राजतंत्र को कभी अपने गले में तोप की तरह लटकाये हुए थे और जब कभी आचार्य तुलसी के राजसमन्द में चाहे द्विशताब्दी समारोह हुआ या लाडनूं में कभी अनवृत सभा रही हुई हो यही तोप लगाये हुए जाते थे······

**श्री निरंजननाथ आचार्य:** सम्मिलित होता था और तेरापंथी का एक केण्डीडेट सामने आया तो 15 हजार की तोप से मारा था उसी प्रांगण पर।

**श्री दीपंकर:** आप लाडनूं गये हैं और सम्मिलित होते रहे हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य:** मैंने प्रशासनिक ढांचे के लिए कहा है खामखा उस पर आघात नहीं लगायें।

**श्री दीपंकर:** चन्दनमलजी गये थे तो उनके ऊपर भी लाने का अधिकार नहीं है।

**श्री मनोहर कोठारी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न सामने आता है तो उसी सन्दर्भ में हमारे राज्य कर्मचारियों को राज्य के सूत्रधारों को सोचना चाहिए। यह बात तो समझ में आती है किन्तु हम केवल इस आशय मे किसी पर आक्षेप लगायें कि वह वहां पर क्यों गये जैसे आपके क्षेत्र म कभी कोई धर्म गुरु आये, आप वहां पर कोई ऐसी सभा आयोजन करते, ढोलक और तन्दूरे से कोई आयोजन बनाते हैं तो उसम भी लोग जाते हैं, गाते हैं और ! जाते रहेंगे लेकिन सवाल यह है कि राजनैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग न किया जाये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा की हत्या के पूर्व भी इसी तरह का एक साम्प्रदायिक माहौल पैदा किया गया था और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरह की भ्रांतियां पदा की जा रहा है उसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता है उसके लिये हमें समझने की आवश्यकता है और हमारे कई पुराने शास्त्र हो सकते हैं, शास्त्रों के निर्देश किसी तरफ ब कर शास्त्रों के द्वारा किये जा सकते हैं लेकिन लाठियों से यह मसले हल नहीं होते। म कहना चाहता हूं कि जिन राजनीतिज्ञों ने, चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हों, उन्होंने घी की आहुति देकर इस अग्नि को प्रज्वलित किया है और मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि जिस आग को आज आचार्य तुलसी ने अपनी सदाशयता से पुस्तक को विथड्रा करके दिया है और दूसरे पक्ष ने भी अपना आन्दोलन वापिस ले लिया है लेकिन मुझे डर है कि यह लोग इस आन्दोलन को जारी रखने के लिए और भी प्रयत्न कर सकते हैं, यह इसके लिए और आगे कोई वातावरण और ऐसा धरातल बना सकते हैं उसके लिए हमारी राज्य सरकार को सचेष्ट और जागरूक रहने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने धर्म म स्वतंत्र है, मैं इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि काव्य की दृष्टि से जहां तक अग्नि परीक्षा पुस्तक का प्रश्न था उसमें कोई तथ्य मैं पाता नहीं था और मैं कवि होने के नाते भी कह सकता हूं और शास्त्रों के पक्ष के आधार पर भी कहा जा सकता है कि उसके अन्दर कोई धार्मिक आघात वाली बात नहीं थी। कई प्रकरण रामायण के सम्बन्ध में उपस्थित हैं। यहां तक कि क्षमा करेंगे कल्चरल एकेडमी द्वारा जो रामावतार चरित्र है, जो कि फारसी लिपि में लिखा गया है, कश्मीरी भाषा में लिखा गया है उसमें भी कई दूसरे प्रकरण मिल जाते हैं...... तो इसलिए इन सब तथ्यों के आधार पर हमें आने वाले समय के लिए इस बात के लिए सावचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि इस तरह के तत्व, कुछ लोग जो अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा और कुंठाओं को दबाने के लिए आम जनता का शोषण नहीं कर सकें और वर्ग और समाज के भेद को इस तरह की धार्मिक भावनाओं को उछाल कर दंगा फिसाद कराने की कोशिश न करें। इसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि जो एक कटु प्रकरण शुरू हुआ था और जैसा कि आज मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह प्रकरण अब समाप्त हो गया है, लेकिन जो भावनाएं दबी आवाज में निकलती हैं, कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं लेकिन हैं भी और नहीं, इस तरह की बातें करते ह इसका अफसोस होता है। इसलिए

**(श्री मनोहर कोठारी)**

अन्त में मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आगे के लिए आप सोचिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि हमारे देश में कई धर्मगुरु हैं कई सम्प्रदाय हैं, कई समाज हैं, उनके उत्सव हुआ करते हैं, उनके ऋषि महर्षि आते रहते हैं । इस तरह की बातें भविष्य में न हों इसके लिए सरकार बराबर सचेष्ट रहे, प्रयत्नशील रहे और सब लोग स्वतंत्रता-पूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकें, इसकी व्यवस्था करे ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री लोढ़ा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विचार का था कि माननीय मुख्य मंत्री व सदन के नेता के द्वारा कल जो चूरू में निर्णय किया गया और जो यह कहावत है कि अन्त भला तो सब भला, इसका मान कर इस सदन में इसका वाद-विवाद न हो, और धार्मिक सहिष्णुता, सहृदयता, सहनशीलता जो हमारे समाज की महान थाती रही है उसको सामने रख कर हम सब राजस्थान में जो वातावरण कलुषित हुआ है उसको समाप्त करने में अपना अपना योगदान दें ।

दुर्भाग्य इस बात का है कि माननीय नेता के कहने के पश्चात् भी दूसरे दूसरे वक्ताओं ने कुछ कहा । उसके बारे में मैं नहीं कहता लेकिन माननीय लाडनूं से आने वाले सदस्य ने उस विवाद को विषाक्त बनाने के लिए इस सदन के अन्दर जो शान्त वातावरण बन रहा था उसको क्षति पहुंचाई । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वक्तव्य से सदन के नेता की अपील के विरुद्ध यह कहा कि शंकराचार्य जनसंघ की देन है और उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से अपील करूंगा कि वह यह कहने के पहले कम से कम अपने नेता की अपील की ओर विचार करते, चूरू की उस भभकती हुई आग की ओर विचार करते और अगर वह चिनगारी बढ़ जाती तो सारे राजस्थान में ही नहीं सारे भारत के अन्दर चौराहे चौराहों पर, गलियों में और मोहल्ले में, जगह जगह पर जो हमें शर्मनाक दृश्यों को देखना पड़ता । आप और हम भारत के रहने वाले हैं.....

**श्री दीपंकर :** यह आप नहीं बोलते है आपकी नीति बोल रही है । उन्होंने तो आपकी बातों की ओर ध्यान दिलाया है ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मुझे दुःख है, मैं सोचता था कि इस अपील के बाद वे इन शब्दों को वापिस ले लेंगे । शंकराचार्य के लिए जो अपमानजनक शब्द कहें हैं उनको वापिस ले लेंगे और इस विवाद को समाप्त करेंगे ।....

**श्री दीपंकर :** शंकराचार्यजी भी देश के हैं और उनको सनातनी बना कर साम्प्रदायिकता में बांधने का भी आपको ही श्रेय है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को वीटो पॉवर दे दी गई है । उपाध्यक्ष महोदय, म आपसे अपील करूंगा कि जब एक सदस्य पैरों पर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खड़ा है और अपनी बात कह रहा है, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, दूसरे सदस्य को इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि उसके बीच बीच में इस प्रकार का व्यवधान डालकर अपनी बात को पूरा नहीं करने दे। इसका मतलब यह हो सकता है कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य किसी विशेष कारण से यहां पर आज सदन में और लाडनूं क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में जहां उनकी दिलचस्पी हो सकती है, यह बताना चाहें कि उन्होंने विशेष अपनी भक्ति का परिचय यहां पर दिया है। लेकिन मैं उस बात में नहीं जाकर मैं बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं, मैं यहां पर माननीय सदन के नेता के वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इन विवादों को यहां पर समाप्त कर दिया जावे। मैं सदन से भी और सदन से बाहर राजस्थान की जनता से अपील करता हूं कि यह महान गंगा, यह महान हिन्दू समाज जिसमें जैन, वैष्णव, सिख और सभी प्रकार के मतावलम्बी हैं, पूजा की पद्धति भिन्न हो सकती है, मैं महावीर का अनुयायी हूं, मैं जैनी हूं लेकिन उस महान संस्कृति तथा महान विभूति का आदर करता हूं जिसे अन्य भाई भी करते हैं। और इस कारण से मैं चाहूंगा, सदन के माध्यम से सारे राजस्थान की जनता से अपील करूंगा कि आचार्य तुलसी जो एक महान व्यक्ति हैं, जिन्हें मैं महान व्यक्ति समझता हूं, जिनके प्रति मेरी श्रद्धा भावना है और उतनी ही श्रद्धा भावना मेरी शंकराचार्य के प्रति भी है, और मैं चाहता हूं कि यह मेल मिलाप जो चूरू में हुआ है वह स्थायी बने। इसमें किसी प्रकार का तनाव पैदा न हो, इसको उलझाने का प्रयास न हो और इसको भड़काने का प्रयास किसी भी ओर से न किया जाय। और इसी कारण से इस सदन में अग्नि परीक्षा के विवादग्रस्त दोनों पहलुओं पर विचार प्रकट नहीं करूंगा, इसके शास्त्रीय विवाद में न जाते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे सामने वैसे ही बहुत सी समस्यायें हैं, बाढ़ से ग्रस्त हैं, अकाल से ग्रस्त हैं, हमारे विद्यार्थी, नवयुवक बेरोजगारी के कारण चौराहों पर चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, भरतपुर जिलाधीश के कार्यालय पर पानी तेजी के साथ आ रहा है, अनेकानेक समस्याओं से मानव त्रस्त है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे विवादों में न पड़ कर इस महान मानव के विकास के लिए आगे बढ़ कर कार्य करें। मैं एक बात और कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

मेरे दल ने इस संदर्भ के अन्दर किसी प्रकार से, कोई भी करवट हो, कोई भी पक्ष हो, किसी का भी पक्ष नहीं लिया है और न ही आगे लेना चाहते हैं। यह चाहे चूरू जिले में हो चाहे लाडनूं में, रायपुर में हो या देश के अन्य स्थान पर हो, अग्नि परीक्षा की बात हो या अन्य कोई बात हो, हम समझते हैं और इसमें विश्वास करते हैं कि हर एक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगर इससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचती है तो जैसा कि आचार्य तुलसी ने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अपनी सभ्यता का, अपनी सज्जनता और महानता का परिचय दिया है और बाबू जय प्रकाशनारायण और प्रकाशवीर शास्त्री की अपील करने के पश्चात् और प्रदेश की बहुमुखी स्थिति को देखते हुए जो सर्वजनहिताय निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और शंकराचार्यजी ने भी जो आन्दोलन को वापिस लेने का निर्णय लिया है जिससे कटुता समाप्त होगी, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। चूरू जिले में रहने वाले भाई, महान् हिन्दू समाज जिनका आदर्श है, पिछले दिनों में किन्हीं कारणों से जबकि इसमें राजनीति नहीं लाना चाहिए था मुझे सूचना मिली थी कि एक ही दल के अलग-अलग लोग झगड़ा करा रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) हो सकता है कि यह सूचना गलत हो और आगे भी गलत ही रहनी चाहिए, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि जो सौजन्यता, सहिष्णुता, सहनशीलता और आपसी मेल मुलाकात का बीज चूरू में लगा है उसको लेकर राजस्थान के घर-घर में पहुंचायें और सारे भारत के अन्दर हमारी महान् समाज की, महान् संस्कृति की सुरक्षा का परिचय दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : सवाई माधोपुर में तेलशोधक कारखाने की स्थापना।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री झाबरमल।

**श्री झाबरमल सूंडा** (फतहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विवाद खड़ा हुआ था वह समाप्त हो गया, लेकिन सरकार का जो रुख रहा है वह ऐसा रहा है कि निंदनीय है। हर एक को इसकी निन्दा करनी चाहिए और कैसा भी क्यों न हो, मैं तो करूंगा। क्योंकि हमने जो यहां हमारे प्रजातंत्र की रचना की है उसमें धर्मनिरपेक्षता के सवाल को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। इसमें हम हर जगह गलती करते हैं। व्यक्ति क्या है और उसका पद क्या है? जब कोई आदमी गलती कर लेता है तो उसको यह कह कर टाल दिया जाता है कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार था, मेरे अमुक धर्म का विचार था। मैं स्वयं जुदा हूं और मेरा पद जुदा है। लेकिन हम उस संस्कृति से हैं जिसमें सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र हुए जिन्होंने अपनी औरत को नहीं बख्शा, अपने बच्चे को नहीं बख्शा और बिना कर लिए चिता पर जलाने की इजाजत तक नहीं दी। आज हमारी सरकार में बैठे वित्त मंत्री, एक सम्प्रदाय विशेष का, जबकि झगड़ा हो और उसमें, जाकर नेतृत्व करें, शहर में जाकर लगातार वहां बैठे रहे......

**श्री दीपंकर** : ये गलत आक्षेप मत लगाइए।

( व्यवधान )

**श्री झाबरमल सूंडा** : यह सत्यता है, आक्षेप नहीं है। मैं यह कहता हूं कि जिस व्यक्ति पर सब धर्मों की रक्षा करने का दायित्व है, जिसने सारे धर्मों की रक्षा करने का व्रत लिया, सरकार का नुमाइन्दा होने की वजह से, उन्होंने अपना सही अंजाम नहीं दिया। उन्होंने जैन सम्प्रदाय के लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन दिया और उनकी वजह से यह ज्यादा झगड़ा भड़का। न आर०ए०सी०

(श्री झाबरमल सूडा)

और बी०एस०एफ० के दो हजार की तादाद में आदमी जाते, न हजारों के वजट का खर्चा होता। जो बात कल की गई वही बात पहले भी, शुरू में भी की जा सकती थी। जो समझौता अब किया गया वही समझौता पहले भी किया जा सकता था। वहां जैन सम्प्रदाय के बड़े बड़े पूंजीपति रहते हैं, वही सारी बातों के लिए हावी रहते हैं, वे ही इम्पीचमेंट कर रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार की गलती रही है, सरकार के नुमाइन्दों की गलती रही है। उन्होंने एक सम्प्रदाय विशेष का पक्ष लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन मंत्रीजी की वजह से ही सारे समुदाय में कटुवाद के हेतु हुए केबिनेट में रहते हुए प्रोटेक्ट किया है, एक अमुक जैन धर्म को प्रोटेक्ट किया है। इनको इस्तीफा देना चाहिये और विधान सभा में नहीं बैठना चाहिये।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनिट बोलना चाहता हूं। इस कटु विवाद को लेकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जैसा कि पहले से ही अपना एक प्रस्ताव रखा था, मैं समझता था कि उसके बाद शान्त वातावरण में यह बात शान्त हो जानी चाहिये थी। आश्चर्य है कि कुछ कांग्रेसियों ने, कुछ भूतपूर्व कांग्रेसियों ने और कुछ अभूतपूर्व कांग्रेसियों की यह आपसी लडाई है और मेरी राय में उनको यहां पर यह लड़ाई नहीं लड़नी चाहिये। अन्य किसी फोरम पर वे लड़ें लेकिन ऐसा अवसर न ढूंढें जिसमें हम किन्ही सन्त और आचार्य पर लांछन लगावें। मैं कभी यह सुनने को तैयार नहीं हूं किसी भी सम्प्रदाय के लिये......

**श्री शंकर** : शंकराचार्य भी झगड़ा करवाते हैं.....

(शोरगुल)

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : लांछन नहीं लगाना चाहिये.....

(शोरगुल)

**श्री बरकतुल्ला खां** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मैं सदन से माफी चाहता हूं....

(शोरगुल)

**श्री रोशनलाल शर्मा** : माननीय सदस्य अनुशासन में नहीं है....

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, शांत रहें।

**श्री बरकतुल्ला खां** : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन कर रहा हूं।

(शोरगुल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से माफी चाहता हूं। (शोरगुल) कितनी दफा आप मुझसे यह बात कहलवाना चाहते हैं।...... मैं सदन से माफी चाहता हूं। मेरे दल के एक सदस्य ने सारी चीज जब खतम हो गई थी इसको फिर से कन्ट्रोवर्सियल बना दिया। मैं फिर सदन से निवेदन करता हूं, माफी चाहता हूं। भगवान के

(श्री बरकतुल्ला खाँ)

नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो वातावरण शुद्ध हो गया है उसको अब और अशुद्ध न बनाया जाये छोटे-छोटे झगड़े उठाकर उनको बडा न बनावें। व्यक्तिगत रूपसे लड़ाई हो तो हम लड़ सकते हैं। परन्तु इस सदन के अन्दर इस इश्यु को लेकर नहीं लड़ें। हमारे और भी इश्यूज हो सकते हैं और उसके लिये हमारी लड़ाई के लिये तैयारी है। मैं समझता था कि अब शांति होगी किन्तु कुछ बातें कही गई हैं मेरे कलिग के ऊपर। दो चीजें मैं क्लीअर कर देना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई साजिश नहीं की है। एडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल न्यूट्रल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि पूरी फोर्स का इस्तेमाल हो। एडमिनिस्ट्रेशन को यह इन्स्ट्रक्शन्स थीं कि जायज चीज ही की जाय और जो नाजायज चीज हो उसको न करें। वह किसी के दबाव में न आवे, भेदभाव में न पड़े। मेरे साथी फाइनेन्स मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाये गये और आरोप ऐसे थे और उनसे यह मालूम होता था कि यह पोलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं समझता हूं कि किसी जगह पर कोई मिनिस्टर बैठा है और वह वहां से भाग कर आ जाये तो मैं पहला आदमी होऊंगा और कहूंगा कि तुम्हें मिनिस्ट्री में रहने का हक नहीं है। न वह हिन्दू है न वह जैन है और न वह मुसलमान है। वह तो जनता का प्रतिनिधि है। जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सब के साथ एक सा बर्ताव करें, सब के साथ इन्साफ का बर्ताव करे। मैं जैन हूं, भाग जाऊं। यह भाग कर आते तो मैं इनका इस्तीफा लेता। कहता कि आप मिनिस्ट्री के काबिल नहीं हो, गवर्नमेन्ट की नुमाइन्दगी नहीं कर सकते हो। जो आक्षेप लगाये गये हैं उसके न सिर है न पैर है। यह कहा गया कि एक हफ्ते बैठे रहे। 9 दिन बैठे रहे। अरे भाई झूठ बोलो तो कुछ सहारा लेकर बोलो। प्रोग्राम मौजूद है पुलिस की डायरी है फाइलों पर दस्तखत हैं फिर 9 दिन कहां रहे। मुश्किल से 20 की शाम को गये, 21 व 22 को वहां पर रहे और 23 को लौट आये। एक कन्ट्रोवर्सी शुरु हो गई। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कभी कोई मेम्बर अपनी लापरवाही से कोई बात उठा ले और उसकी गलती से और कोई बात उठे तो इस शुद्ध वातावरण को अशुद्ध नहीं बनाना चाहिये। आचार्य तुलसी और संघर्ष समिति को बधाई देता हूं कि उन्होंने सूझबूझ के साथ सारे झगड़े को खतम कर दिया है। हमें यह आशा करनी चाहिये कि आइन्दा हमारे आपस के अन्दर कोई छोटे-मोटे झगड़े हों तो वे बड़े झगड़ों की शक्ल में न आवें और हो तो आपस म भाई-भाई की तरह मिल कर, बैठ कर उनको मिटावें।

**श्री उपाध्यक्ष** : सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर शासकीय वक्तव्य। मंत्री महोदया।

**सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना न खोले जाने सम्बन्धी**

**श्रीमती कमला बेनीवाल** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री निरंजननाथ आचार्य व श्री केदार नाथ द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार से हैं:—

उत्तर-पश्चिमी भारत में 112 करोड़ रुपये की लागत का एक तेल शोधक कारखाना

( श्रीमती कमला बेनीवाल )

जिसकी क्षमता करीब 60 लाख टन प्रति वर्ष, लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन था। भारत सरकार ने इस कारखाने के लिये स्थान निर्धारित करने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया था। समाचार पत्रों के अनुसार इस दल का प्रस्ताव आगरा, हिसार, सवाई मधोपुर के लिये किया गया था। इनमें से चुने गये किसी स्थान पर क्रूड ऑइल कांडला बन्दरगाह से पाइप लाइन द्वारा भेज जाने का सूझाव था। चूंकि सवाई माधोपुर इनमें से सबसे अधिक कान्डला बन्दरगाह से नजदीक है अतः इस स्थान का महत्व अन्य स्थानों से अधिक समझा गया। इस दल का प्रतिवेदन सन् 1970 में भारत सरकार को पेश हुआ, पर यह राज्य सरकार को नहीं भिजवाया गया।

उक्त दल की सिफारिश ज्ञात होने पर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान ने श्री त्रिगुण सेन तत्कालीन केन्द्रीय पेट्रोलियम व रसायन मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि यह कारखना राजस्थान में ही लगाया जावे। इसके उत्तर में श्री सेन ने यह आश्वासन दिया कि राजस्थान की मांग पर पुरा एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा। इसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा जिसके उत्तर में प्रधान मंत्री ने यह लिखा कि पेट्रोल व रसायन मंत्रालय अतिरिक्त तेल शोधक क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है व इसमें कुछ समय लगेगा। तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान के संसद सदस्यों को भी स्थिति से अवगत कराया। इस पर कई संसद सदस्यों ने यह प्रश्न लोकसभा में उठाया। एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय पेट्रोल व रसायन मंत्री ने यह कहा कि स्थान के प्रश्न पर विचार हेतु एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है जिसके प्रतिवेदन के बाद ही भारत सरकार निर्णय लेगी।

तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पुनः 23 दिसम्बर 1970 को प्रधान मंत्री भारत सरकार को विस्तृत पत्र लिखा। इसके बाद वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने फिर प्रधान मंत्री को दिनांक 15 जुलाई, 1971 को एक पत्र लिखा। इसमें निम्न प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया :—

(1) यह उल्लेख किया गया कि अध्ययन दल के अनुसार कान्डला से नजदीक स्थान इस कारखाने के लिये उपयुक्त होगा सवाई माधोपुर इस दृष्टि से पहल में आ जाता था।

(2) सवाई माधोपुर में बड़ी व छोटी लाइनें हैं जिससे सम्पूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में माल आ जा सकता है।

(3) भारत सरकार की नीति जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी अंकित की गई है, उसके अनुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है।

(4) केन्द्रीय उद्योग एवं खनिज योजनाओं पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में 3150.86 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इसमें से राजस्थान में केवल 114.53 करोड़ रुपये खर्च होगा। यह समस्त योजना में औद्योगिक एवं खनिज योजनाओं पर अनुमानित खर्च का केवल 3 प्रतिशत है, जो स्पष्टतया बहुत ही कम है। यह भी अंकित

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

किया गया कि 114.53 करोड़ में भी अधिकांश खर्चा गत पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये रखा गया है। ऐसी स्थिति में तेल शोधक कारखाने के लगने से क्षेत्रीय असन्तुलन की स्थिति में कुछ सुधार होगा।

(5) आर्थिक कारणों से राज्य सरकार स्वयं ज्यादा उद्योग राजस्थान में नहीं लगा सकती। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण उद्योगपति अन्य दूसरे क्षेत्रों की तुलना में राजस्थान में उद्योग कम लगाना पसन्द करते हैं। अत: भारत सरकार को अपनी नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्र का औद्योगिक विकास, ऐसा कारखाना लगा कर करना चाहिये।

(6) इस पत्र में यह भी अंकित किया गया था कि दिल्ली के पास फरीदाबाद जैसे स्थानों में ऐसा कारखाना लगाना उपयुक्त नहीं होगा। चौथी योजना में यह स्पष्टतया अंकित किया गया था कि मेट्रोपोलिटिन क्षेत्रों के निकट ऐसे कारखाने नहीं लगाये जावें।

(7) इसके अतिरिक्त इस पत्र में यह कहा गया कि पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को देखते हुए यह कारखाना भारत सरकार अलवर जिले में लगा सकती है क्योंकि यह जिला दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा इत्यादि से बहुत नजदीक है एवं राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर को अध्ययन दल की सिफारिश पर ही प्राथमिकता दी गई थी।

(8) राज्य सरकार बहुत उत्सुक थी कि यह कारखाना राजस्थान में ही लगे। राजस्थान में किस स्थान पर लगे इस पर राज्य सरकार का अपना कोई मत नहीं था। यह तकनीकी विचारों से तय होना था। वर्तमान मुख्य मंत्री ने तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री पी०सी० सेठी को तथा प्रधान मंत्री को दिनांक 16-12-71 को पुन: अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखे थे।

तत्पश्चात् मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान राज्य के समस्त लोकसभा के सदस्यों को पुन: एक नोट भेजा जिसमें कि इस विषय की सम्पूर्णताधियक स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया और यह निवेदन किया गया कि वे अपने स्तर पर प्रयत्न करें।

भारत सरकार ने मथुरा में रिफाइनरी लगाने के निर्णय के उपरान्त भी मुख्य मंत्री महोदय प्रधान मंत्री तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में अनेक बार मिले और उन्होंने यह जाहिर किया कि केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय से राजस्थान राज्य के प्रति अन्याय हुआ है। उन्होंने प्रधान मंत्री से यह निवेदन किया है कि यदि यह निर्णय अब किसी भी प्रकार नहीं बदला जा सकता हो तो राज्य सरकार को कोई अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाई मिलनी चाहिए, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार केन्द्र से पत्र व्यवहार भी कर रही है।

अत: यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पैरवी में कोई भी कमी नहीं रखी गई और यह कहना सही नहीं है कि सरकार की पैरवी की कमी होने से तेल शोधक कारखाना राजस्थान में नहीं लग सका।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मीठालाल।

# Page No 59



**श्री मीठालाल (लालसोट) :** माननीय उपाध्यक्षजी, देश का सबसे बड़ा तेलशोधक कारखाना जिसकी लागत 170 करोड़ रुपया और उत्पादन क्षमता 60 लाख टन की थी वह राजस्थान में नहीं लगकर उत्तरप्रदेश के मथुरा शहर में लगने से राजस्थान वासियों का अफसोस जाहिर करना और उनको दुःख होना स्वभाविक बात है। माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब मुख्य मंत्री का आसन ग्रहण किया था तो जगह जगह मीटिंगों में भाषण दिये थे तो उनमें उन्होंने कहा था कि तेलशोधक कारखाना राजस्थान में ही स्थापित किया जायगा। जब चुनावों के दिन आये तो दोनों चुनावों में भी सवाई माधोपुर जिले में जो जो मीटिंगें हुई उनमें घोषणा की गई कि सवाई माधोपुर में ही स्थापित किया जायगा और राजस्थान के अन्य जगहों की मीटिंगों में यह घोषणाएं की गई कि राजस्थान में निश्चित रूप से तेलशोधक कारखाना लगाया जायगा। उन्होंने लोगों को सान्त्वना दी और एक तरह से उन लोगों को बहुत बड़े रूप में गुमराह किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा वोट लेने के लिए था, और दम दिलासा देकर वोट हासिल किये, वह बड़े शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो 170 करोड़ की लागत का कारखाना स्थापित होने को था उसके विनियोजन के लिए राजस्थान सरकार को 50 प्रतिशत यानी 85 करोड़ का विनियोजन करना था जो कि राजस्थान की दिवालिया सरकार के लिए असम्भव था, इसलिए कारखाना नहीं लगने का यह पहला कारण था कि राजस्थान सरकार 85 करोड़ का विनियोजन नहीं कर सकी जिससे कि उतरप्रदेश में वह लगाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सार्वजनिक कारखानें इस ढंग से लगाये गये हैं कि जैसे राजस्थान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में सार्वजनिक रूप से केन्द्र की 5 इकाइयां चल रही हैं जिनमें जब कि सारे हिन्दुस्तान की लागत है 4,682 करोड़ तो इन 5 इकाइयों में 4311 करोड़ ही हैं जो कि औसतन हिसाब से 0.93 प्रतिशत ही आता है जब कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश में दूसरा प्रदेश है और जनसंख्या के हिसाब से दसवां। सार्वजनिक उद्योगों में जब इस तरह से केन्द्र के द्वारा भेदभाव किया जाता है तो यह राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान राज्य के लिए वह अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, देश में 97 सार्वजनिक इकाइयां चल रही हैं जिनमें से राजस्थान में केवल 5 हैं, और 5 में यह है कि अगर राजस्थान में ताम्बा, जस्ता, जिंक और नमक के भंडार नहीं होते तो केन्द्रीय ताम्बा प्रोजेक्ट नहीं होता, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड नहीं होता, नमक नहीं होता तो हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड नहीं होता। अगर यह मान लें कि कॉपर नहीं होता तो जिंक नहीं होता और नमक नहीं होता तो हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड ये तीन कम्पनियां सार्वजनिक रूप में, मैं निश्चित् रूप में और दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में नहीं होतीं और देश के किसी अन्य भाग में होतीं। राजस्थान में विनियोजन के हिसाब से जब

( श्री मीठालाल )

कि देश में हर प्रति व्यक्ति की औसत 85 रुपये होती है तब राजस्थान में हर प्रत्येक व्यक्ति की 17 रुपये है जो कि देश के औसत के हिसाब से 5:1 आती है। यह राजस्थान के लिए शर्म की बात है कि वहां पर विनियोजन का अनुपात 5:1 का है।

उपाध्यक्ष महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के लिए 474 करोड़ 47 लाख का प्रावधान किया गया है उसमें से 9.41 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्थान के लिए है जो कि औसतन 1.16 प्रतिशत है। उपाध्यक्ष महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना में नये उद्योग स्थापित किये जायेंगे उनके लिए 1218 करोड़ नई इकाइयों की स्थापना के लिए और जो निर्माणाधीन कारखाने हैं उनके लिए 1688 करोड़ का प्रावधान किया गया है उसमें से 27 करोड़ राजस्थान के लिए है यानि 2.22 आता है। 1688 करोड़, जो कि निर्माणाधीन कारखानों के लिए है और 1218 करोड़ जो कि नई योजना के लिए उनमें से कुल 115 करोड़ राजस्थान के लिए रखा है जो कि कुल का 4 पर्सेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से केन्द्र ने राजस्थान के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव कर रखा है। जब तक राजस्थान सरकार पूरे जोर से इस बात का प्रयत्न नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूं राजस्थान के साथ केन्द्र के द्वारा न्याय नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के साथ मेरे यह समझ में नहीं आता है कि राजस्थान सरकार चुप क्यों कर रही है। जो सर्वेक्षण करने वाले थे उन्होंने सब तरह से सवाई माधोपुर के लिए कहा था कि वही एक ऐसी जगह है जो कि इस कारखाने के लिए उपयुक्त है। मथुरा, ग्वालियर और सवाई माधोपुर में कौनसा फर्क पड़ गया है। नये उद्योग लगाने के लिए आगरा औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से सवाई माधोपुर उपयुक्त था, लेकिन सवाई माधोपुर को इसलिए छोड़ दिया गया कि सवाई माधोपुर का जन-प्रतिनिधि अच्छा नहीं था, जनता द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता था। चुनावों के समय में दिलासा दे दी गई। राजबहादुरजी ने भी ताकत लगाई और नये जन-प्रतिनिधि ने भी ताकत लगाई, लेकिन आज हमारी राजस्थान सरकार पर जो 99 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है और जो पैसे-पैसे के लिए मोहताज है, तनख्वाहें देने के लिए जिसके पास में पैसा नहीं है, और जिस प्रकार से किसी आदमी को दीवालिया समझा जाता है और जो पैसे-पैसे के लिए मोहताज होता है और वह बोहरे के सामने आता है तो उसके सामने जो उसकी पोजीशन हो जाती है कि वह अपनी गर्दन नहीं उठा सकता है, उसी प्रकार से क्या हमारी राज्य सरकार वह चीज मांग सकती है जो कि दूसरे राज्य मांग सकते हैं? क्या वह करोड़ों की लागत वाले कारखाने के लिए मांग कर सकती है? मैं समझता हूं कि यह असम्भव है। इसलिए सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि यह कारखाना तो गया ही, लेकिन भविष्य में जो बड़े बड़े सार्वजनिक कारखानें, उद्योग खुलते हैं या अब तो बड़े कारखाने क्या

(श्री मीठालाल)

डवल रोटी के कारखाने भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनने लग गए हैं—उनके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन आगे के लिए स्थिति को सम्भालें। सवाई माधोपुर में हड़ताल करने का और वहां के लोगों का रोष प्रकट करने का निर्णय है उसको उन्होंने वापिस नहीं लिया है, वह निर्णय कायम है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के साथ न्याय किया जाय और दृढ़-प्रतिज्ञ होकर भविष्य के लिये जो मांग केन्द्र से की जाय वह मजबूती के साथ की जाय। इसमें सबसे ज्यादा जो शर्म की बात है वह यह है कि जब लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने उद्योग मंत्री से यह पूछा था कि मथुरा में कारखाना लगाने के बारे में राजस्थान सरकार की ओर से क्या रोष प्रकट किया गया है, तो उद्योग मंत्रीजी ने जबाब दिया था कि राजस्थान सरकार ने मथुरा में कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई तरह की; किसी तरीके की नाराजगी जाहिर नहीं की। या तो यह हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्री झूठ बोल रहे हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण करना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं या केन्द्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं:

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बारबार इस बात को कह चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार प्राप्त कराया जायेगा। लेकिन ऐसी योजना, जो कि 170 करोड़ की योजना है, इसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। अगर सवाई माधोपुर जिले में तेल का कारखाना स्थापित हो जाता तो वहां सैंकड़ों और छोटे छोटे उद्योग स्थापित हो जाते, सवाई माधोपुर, भरतपुर या अलवर में कारखाना स्थापित हो जाता तो उसका कितना प्रभाव होता। इसलिए जनता के साथ जो झूठा वादा करते हैं उसके बजाय वास्तव में ठोस और वजनदार मांग रखें। आप डरते हैं कि अगर हम अन्य सब के साथ मांग कर देंगे तो हमारी कुर्सी नहीं रहेगी। इसके बारे में आप ध्यान दें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

**अनेक माननीय सदस्य :** उपाध्यक्ष महोदय:... ..

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री राजेन्द्र भारतीया।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अपने रिकार्ड के आधार पर जवाब सदन के सामने रखा था। जिसको कि पूर्व वक्ता माननीय सदस्य राजनैतिक तरीके से बनाना चाहते हैं। जब जब माननीय मुख्यमन्त्री जी ने भाषण दिया है, मुझे अच्छी तरह से याद है उन्होंने साफ कहा है कि हमारी इस स्टेज पर बात चल रही है। इस तरह से राजनीतिक बात करना इस सदन के अन्दर ठीक नहीं है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** यह कहना कि चुनाव के मौके पर कहा होगा।

**श्री बरकतुल्ला खां :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह साफ कर देना चाहता हूं

# Page No 62



( श्री बरकतुल्ला खां )
कि यह कहना कि मैंने चुनाव के मौके पर वादा किया है, मैं इसको डिस्प्यूट करता हूं । मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है । चुनाव हार जायें उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन यह झूठ है । यह तो झूठ बात बोलने की जिनको हमेशा आदत है, वह बोलेंगे । मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष को शर्म के साथ अपनी बात को वापिस लेना चाहिए ।

(शोरगुल-व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ।

**एक माननीय सदस्य** : इनकी भावना की कद्र करिये ।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : काम करना और बात होती है और बात करना और बात होती है । हमें मालूम है कि हमारे सदन के नेता सेण्ट्रल से किस प्रकार से चीजों को लेकर आये हैं । खास तौर से जो पोलिटिकल कलर आप दे रहे हैं । अगर माननीय सदस्य सदन के अन्दर इस प्रकार की बात कर सकते हैं तो जनता के अन्दर किस प्रकार की और कैसी कैसी बात कर सकते हैं ।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : ऑन ए पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : ऑन ए प्वाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन । माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य के बजाय माननीय अध्यक्ष कहा है । माननीय अध्यक्ष अपनी बात को वापिस लें, इसका सुधार कर लिया जाये ।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : सवाल यह है कि हम एक कर्जदार के रूप में किसके सामने जाते हैं उसका नकशा रखने की माननीय सदस्य कोशिश ने की है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : ऑन ए प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह स्पष्ट करने का तो मेरा अधिकार है । मैंने प्रस्ताव रखा है । माननीय भारती याको स्पष्टीकरण का अधिकार नहीं है ।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : जब दूसरों को समय मिला तो मुझे भी बोलने का अधिकार है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : कण्टीन्यू रखें । प्लीज कण्टीन्यू ।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : मेरा यह निवेदन है, मैं माननीय निरंजननाथ आचार्य से अर्ज करूंगा कि वह भी जिस समय सरकार में थे तो उनको भी कभी कभी कठिनाई महसूस होती थी ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अभी मैं बोला ही नहीं हूं । मैंने तो स्थगन प्रस्ताव रखा है । इसलिए आप मुझ पर आखिर क्यों उग्र हो रहे हैं या आप भूमिका बांध रहे हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : बातचीत समाप्त की जाय ।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया** : मैं आपके बारे में इसलिए कह रहा हूं......

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं इस प्रश्न पर बोलूंगा ही नहीं। खत्म कीजिये। हंसी

**श्री मीठालाल** : मैंने जो आकड़े दिये हैं, उनके लिए मैं सरकार को चैलेंज देता हूं। सरकार उनको गलत बताये। दूसरे जो पार्लियामेण्ट में मन्त्री ने जवाब दिया है........

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया** : आप किस आंकड़े के लिए बोल रहे हैं ?

**श्री मीठालाल** : सदन पटल पर आप रख सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री केदारनाथजी।

**श्री केदारनाथ** : हमारे प्रस्ताव की यह मंशा नहीं है। अगर केन्द्रीय सरकार मेरिट से फैसला करती है। लेकिन हम देखते हैं कि पोलिटिकल रीजन्स पर सवाई माधोपुर में न लगाकर मथुरा में लगाया गया है तो अफ़सोस होता है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का हैडक्वार्टर कलकत्ता चला गया। प्रोडक्शन यहां हो। बिजिनेस का सेण्टर वहां है। हमने प्रोटेस्ट किया पर उसका क्या नतीजा निकला ? इसी तरह से बिजली के बारे में 35 मेगावाट के लिए हमने कहा है। भाखड़ा नांगल की 35 मेगावाट में बिजली का हमारा शेयर है। वह फैसला भी रद्द हो गया है। सीकर के आसपास वहां पर कॉपर प्रोजेक्ट होने के बाद वहां की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है। नर्बदा वाटर का सवाल आया तो उसका सेंट्रल ने हमारे साथ क्या फैसला किया है ? यह ठीक है, आप मिले होंगे। आगे भी मिलेंगे। आगे भी गवर्नमेण्ट के मामले सामने आयेंगे। हम यह देखें कि हमारा कितना असर है। आज क्या हम ऐसे हैं कि हमारी इकोनॉमी को री-जेनरेट कर सकें। सेण्ट्रल से हम कितना लड़ पायेंगे ? तो मैं यह कहता हूं कि यह फैसला हो गया है, फर्टिलाइजर प्लाण्ट कहां होगा। रॉक फॉसफेट पब्लिक सेक्टर में होता तो कुछ फायदा होता। लेकिन वह हमने जामसर कम्पनी को दे दिया है। आज के वक्त में जो कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का है, इसमें हमारे यहां ऐसा क्या लाया जाये यह एश्योरेंस हमारे मुख्यमन्त्री जी दे दें, ऐसा मैं चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गुमानमल लोढ़ा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में सभी पक्षों ने इस भावना को व्यक्त किया था और तेल-शोधक कारखाने के बारे में राजस्थान के लिए एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश हो गई थी। राजस्थान का नौजवान इन्जीनियर इस स्वर्णिम दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि राजस्थान में तेल-शोधक कारखाना लगेगा। लाखों व्यक्तियों को काम मिलेगा। राजस्थान की भयानक स्थिति, यहां का जो इतिहास, जो पिछड़ेपन के कारण है, वह दूर होगा। उस समय मुख्यमन्त्री ने कहा था कि मैं जागरूक हूं मैं तेल-शोधक कारखाना लगवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। हमने इस बारे में दलीय मतभेदों से ऊपर उठकर सारे प्रान्तवासियों की ओर से इसका समर्थन किया था। हमने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश

(श्री गुमानमल लोढा)

के बाद राजनैतिक कारणों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रभात के लिए हम आतुर हो रहे थे, एक दिन हमने सुना कि राजस्थान की धरती के बिलकुल नजदीक मथुरा में वह तेल-शोधक कारखाना लगेगा। मैं जानना चाहूंगा कि भरतपुर और मथुरा में क्या अन्तर है ? वह कौन से कारण हैं, जिनके कारण राजस्थान को तेलशोधक कारखाने से वंचित रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि हम प्रान्तीयता को फैलाना नहीं चाहते हैं। हम सारे एक होकर लेना चाहते हैं। जिस प्रकार से एकबार सारा आसाम खड़ा हो गया था। एक दिन के अन्दर दस दस हजार व्यक्ति गिरफ्तार हुये। उनमें कम्युनिस्ट पार्टी और सारे दलों के लोग थे। उसमें कम्युनिष्ट पार्टी के और सभी दलों के लोगों ने बेरोजगारी को हटाने के लिये समय समय पर प्रयास किया है। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा सदन के सभी माननीय सदस्यों को कि सभी दलों के लोगों को चाहिये कि दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी लोग राजस्थान के विकास के लिये प्रयास करें। जब सभी राजनैतिक दल प्रयास करेंगे तभी राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का विकास हो सकेगा। नहीं तो जिस प्रकार तेलशोधक कारखाना जो कि राजस्थान में खुलने वाला था वह मथुरा में खुलने का निर्णय ले लिया गया है।

**एक माननीय सदस्य :** उसमें जनसंघ नहीं होगा।

**श्री गुमानमल लोढा :** आप शान्त रहिये, जनसंघ तो राजस्थान के विकास के लिये हर वक्त तयार है। ये तो आपके दल के नेता हैं जो कि घोषणा करते हैं पहले और बाद में कारखाना कहीं दूसरी जगह ही खुलने का निर्णय ले लिया जाता है। आज अगर मुख्य मंत्री से पूछेंगे कि जो तेलशोधक कारखाना राजस्थान में खुलने वाला था वह मथुरा में क्यों खुला तो वह राजस्थान की जनता से कहेंगे कि मैंने बहुत ही प्रयास किये हैं। मैंने तो केन्द्रीय सरकार से इस बारे में खतो-कितबत किये हैं। इसके अलावा मैं खुद प्रधानमन्त्री से मिला हूं, लेकिन मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि सिर्फ खतो-किताबत से काम नहीं चलता। आपको चाहिये कि भारत सरकार पर दबाव डालें और राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के लिये भारत सरकार और भारत की प्रधान मन्त्री से घबरायें नहीं और आप अपने प्रान्त की जनता के विकास के लिये यहां कारखाने खोलने के लिये भारत सरकार को बाध्य करें ऐसा नहीं कि प्रधान मंत्री जो डिक्टेशन दे उसी के अनुसार कार्य करें। अगर मुख्यमन्त्री शक्तिशाली हों तो प्रधान मन्त्री उसे डिक्टेशन नहीं दे सकती। आज जो तेल-शोधक कारखाना राजस्थान में खुलने वाला था वह यू० पी० में खुला है उसका कारण है कि राजस्थान की सरकार भारत सरकार के सामने अपना मामला अच्छी तरह से पेश नहीं कर सकी। आज यू० पी० के देखते हुए राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुवा प्रान्त है। वहां की जनता के अन्दर भयंकर बेरोजगारी है और राजस्थान की जनता मोहताज है। अगर यही हाल रहा तो मथुरा में तेल-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

शोषक कारखाना खोला जायगा। और स्कूटर की फैक्ट्री जो कभी जोधपुर में खुलने वाली थी वह आज अलवर के तिजारा में खुलने जा रही है। वह कहीं और खुलेगी, इसी प्रकार ट्रैक्टर फक्ट्री कहीं और खुलेगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज हमारी सभी की कलेक्टिव रेसपॉन्सिबिलिटी है कि सभी सदन के माननीय सदस्य मिलकर इस पर पुन: विचार करें और ऐसे प्रयास किये जायं जिससे भारत सरकार पर जोर डाला जाय। मैं मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह आगे आयें। हम उनके कन्धे से कन्धा मिला कर उनका साथ देंगे। दलगत भावना से ऊपर उठकर इसके लिये प्रयास किया जाये। इसके लिये खतो-किताबत से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। आगे मैं एक बात और जो निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी कई बार इस सदन में घोषणायें की जा चुकी हैं कि राजस्थान में स्कूटर फैक्ट्री जोधपुर में खुलेगी, ट्रैक्टर की फक्ट्री अमुक जगह पर खुलेगी कई मुख्य मन्त्री आये, चाहे बरकतुल्ला खां साहब, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया साहब हों, चाहे जयनारायण व्यास हों सभी मुख्य मन्त्रियों ने इस सदन में और बाहर घोषणायें कीं। पर, उपाध्यक्ष महोदय, उन घोषणाओं की क्रियान्विति राजनैतिक कारणों के कारण नहीं की गईं, और इस प्रकार सदन के अन्दर जो घोषणायें की जाती हैं जो वायदे किये जाते हैं, जो आश्वासन दिये जाते हैं उन्हें निभाना चाहिये। नहीं तो परम्पराओं की गरिमा की हत्या होती है। जो स्कूटर की फैक्ट्री जोधपुर में खुलने वाली थी जिसके लिये भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी वह जोधपुर में न खुलकर आज तिजारा में खुल रही है, और इस प्रकार आज जो कारखाना जोधपुर में खुलने से वहां के बेरोजगार लोगों को काम मिलता वह नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार की घोषणायें, उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के दिनों में समय-समय पर की जाती हैं। वे पूरी नहीं होती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये आवाज उठायी जाय। राज्य सरकार को बाध्य करे कि जो वायदा किया उसे निभायें। इसके लिये सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि वह उसके लिये प्रधान मन्त्री से बातचीत करें, और संघर्ष की जरुरत पड़े तो वह भी करें। हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मन्त्री इसका जबाब देंगे तो यही कहेंगे कि मैंने बड़े बड़े पत्र भारत सरकार को लिखे, मैं प्रधान मंत्री से मिला, मैं दिल्ली गया था, पर इन चीजों से कुछ नहीं होना है। उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास बताता है कि अमावस्या की रात होती है तब अन्धेरा होता है और उसके बाद पूर्णिमा जब आती है तब पहले सूर्य का प्रकाश आता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जो ढाई करोड़ जनता है वह सभी मिलकर इसके लिये सूर्य रूपी प्रकाश बनकर संघर्ष करे तब ही पूर्णिमा का प्रकाश हो सकेगा, तब ही राजस्थान में कारखाने खुलेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज राजस्थान में कहीं अकाल पड़ा हुआ है, कहीं बाढ़ से जनता परेशान है, तो इसके लिये सभी मिलकर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
प्रयास करने चाहिये। और आज जो असफलता हमारे मुख्य मन्त्री को तेल-शोधक कारखाना राजस्थान में नहीं खुलने के लिये मिली उसे सफलता में बदलना होगा। इसके लिये मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी आप अलख जगाइये, मेरी बजाइये, इसके लिये भारत सरकार के सामने बिगुल बजाइये, आज आप इस काम के लिये 145 ही सदस्य नहीं समझें हम सभी आपके साथ हैं····

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** अगर आप अलख जगायेंगे तो मैं आपको लाकर चिमटा दूंगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** राजस्थान की जनता में आज, उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों बेरोजगार इन्जीनियर बैठे हैं। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, तेलशोधक कारखाना यहां खुल जाता है तो हजारों लोगों को काम मिलेगा, इसके लिये अगर संघर्ष करने के लिये मुख्य मन्त्रीजी के पैर लड़खड़ा गये हैं तो हम उनका साथ देंगे, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता आपके साथ है······हमारे साथ है·····

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** जनता आपके साथ नहीं है, जनता ने इन्हें मुख्य मन्त्री बनाया है········

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह सारे राजस्थान की समस्या है हम आपके साथ हैं, मुख्य मन्त्रीजी आगे आइये······

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया :** आप मुख्य मन्त्रीजी को डाइरेक्शन नहीं दे सकते।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** डाइरेक्शन या डिक्टेशन तो आपके यहां से हुआ है। भारत के प्रधान मन्त्री ने दिया है यह निर्णय कि तेलशोधक कारखाना मथुरा में खुलेगा।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रधान मन्त्री के बारे में इस तरह कह रहे हैं······

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** आपके मुख्य मंत्रीजी को ही निर्णय दिया गया है··

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां पर इस सदन में दो नेता हैं, इस सदन में दो आसन। एक आसन तो आपका है दूसरा आसन नीचे है। यहां नीचे बैठकर सदन की गरिमाओं की हत्या की जा रही है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)।

**श्री उपाध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मुख्य मन्त्रीजी से इस बारे में अपील करना चाहूंगा कि वह इसके लिये भारत सरकार से संघर्ष करें, जनता के प्रतिनिधि आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है, हम आपके हाथ मजबूत करने को तैयार हैं···

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** हमारे हाथ आपसे ज्यादा मजबूत हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** आप मुख्य मन्त्रीजी, जो घोषणायें करते हैं, चाहे सदन

(श्री गुमानमल लोढा)

के बाहर या सदन के अन्दर, उनका पालन कीजिये ताकि उनकी गरिमाओं की हत्या न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति से राजस्थान एक तरह से सारे भारतवर्ष में ही पिछड़ी हुई स्थिति के अन्दर है। जब कभी अकाल का प्रश्न होता है तो सेन्टर का जो रुख है वह राजस्थान के प्रति कोई मित्रता का रुख नहीं समझा जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि एक नेशनल पूल होना चाहिये जिससे अकाल जैसी भयंकर केलेमिटी, जो कि राजस्थान पर आये दिन मंडराये रहती है, को मीट विथ किया जा सके। दूसरे क्षेत्रों में भी देखा जाय तो भारत सरकार के द्वारा जो कारखाने खोले गये हैं उनमें भी राजस्थान की स्थिति बहुत ही दुर्लक्ष्यपूर्ण रही है। आज मथुरा में तेलशोधक कारखाना खोला जा सकता है लेकिन राजस्थान को आश्वासन देकर राजस्थान में तेलशोधक कारखाना न खोला जाय यह मेरे दृष्टिकोण से बिलकुल उचित नहीं है। एन्टीबायोटिक्स का कारखाना हो, हैवी मशीनरी और दूसरे कारखाने हों, स्टील प्लान्ट्स हों और अन्य तेलशोधक कारखाने हों, जो कि फॉरेन एड से या भारत सरकार के यत्नों से खोले जा रहे हैं, तो ऐसा कहीं भी राजस्थान के लिये दृष्टिगोचर नहीं होता है। मैं राजस्थान के राज्य करने वाले और राज्य करने वाले दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही अदब से कि आसाम में जब तेलशोधक कारखाने का प्रश्न आया तो सारे मंत्रिमंडल ने और सारी कैबिनेट ने स्तीफा दे दिया। भारत सरकार को लेजाकर। हैदराबाद में हैवी कैमिकल्स, हिन्दुस्तान टूल्स के बारे में कई पेचीदगियां पैदा हो गई या यू०पी० में तेलशोधक कारखाना या एंटीबायोटिक्स का कारखाना लगाने की बात उपस्थित हुई तो वहां के एम०पीज० और पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने अपने स्तीफे भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये और इस मांग को, एक जन-मांग बना कर प्रस्तुत किया। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनका शासन बिलकुल दृढ़ है, कोई आंच नहीं है, 145 सदस्य उनके अपने दल के हैं और इस प्रश्न पर सारा सदन एक मत है, सब आपके साथ हैं आपको भारत सरकार के सामने अपने मामले को मजबूती के साथ प्रस्तुत करना चाहिये। और प्रचण्ड वेग से रखना चाहिये। मंत्रि-मण्डल का और कैबिनेट का स्तीफा भी सामने प्रस्तुत कर देना चाहिये और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सदन का एक-एक सदस्य आपके पीछे है और स्तीफा देने के लिये तैयार है। आखिर यह मजबूती तो मुख्य मंत्रीजी को पकड़नी है और इस सम्बन्ध में मजबूती से मुख्य मंत्रीजी को कदम उठाना पड़ेगा।

आज हमारे ऊपर जितना कर्ज का भार है और जितना ड्राफ्ट है उसके नगाड़े तो जोर-शोर से बजाये जाते हैं लेकिन राजस्थान की मूलभूत मांगों को दरगुजर किया जाता रहा है। तेलशोधक कारखाने के प्रश्न को ही लगातार इस सदन

**(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)**

के माननीय सदस्य पिछले 15 वर्षों से एक आवाज से उठाते आ रहे हैं और यह भी मांग रखते आ रहे हैं कि राजस्थान नहर को राष्ट्रीय योजना के रूप में लिया जाय और भारत सरकार ही इस पर सारा पैसा व्यय करे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है। आज हम आलोचना करते हैं राजस्थान नहर की, उसकी गति की आलोचना करते हैं। हम यह कहते हैं कि इसके ओरीजनल प्लान फ्रस्ट्रेट कर दिये गये हैं, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी तथ्य है कि सदन ने लगातार भारत सरकार को नगाड़े बजा बजा कर कहा कि राष्ट्रीय योजना के रूप में इस प्लान को लें। पी० एल० 480 से सारा देश दबा हुआ है, 3600 करोड़ रुपये का हमारे ऊपर कर्जा है, और 500-600 करोड़ रुपया हम सालाना ब्याज के देते हैं। बार-बार कहा कि राजस्थान नहर को वार फुटिंग पर बनाइये तो पी० एल० 480 की गुलामी से इसकी जहनीयत से हमेशा के लिये मुक्ति मिल सकती है और हम आत्म निर्भर हो सकते हैं और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तक भारत सरकार ने इतनी गम्भीर और तथ्य-पूर्ण बात पर गौर नहीं किया।

तेलशोधक कारखाना सवाई माधोपुर से उठाकर मथुरा में लगा दिया। इसके लिये बराबर कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह फसला किया। इसमें संकीर्णता और भेदभाव की नीति दृष्टिगोचर होती है। मथुरा कितने फासले पर है भरतपुर से? क्यों नहीं इसको वहां लगाया जाता? लेकिन एक कारखाना एक प्रान्त से उठकर दूसरे प्रान्त में चला गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अनेक प्रश्न हैं। इनके सम्बन्ध में भारत सरकार का राजस्थान के सम्बन्ध में हमेशा से उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा है। आखिर में यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर को भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। 300 करोड़ रुपया अकाल पर खर्च होता है। बार-बार कह रहे हैं कि भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति के लिये राजस्थान जिम्मेदार नहीं है। इतिहास और भूगोल जिम्मेदार हो सकती है। इसलिये नेशनल केलेमिटी फन्ड होना चाहिये। बंगाल में सूखा पड़ता है, बिहार में सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, राजस्थान में अकाल पड़ता है और बाढ़ आती है तो नेशनल केलेमिटी फंड से मीट आउट करना चाहिये।

ज्यादा न कहते हुए अन्त में यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार ढिलाई से हमारा नेतृत्व न करें, किन्तु मजबूती से नेतृत्व करें और राजस्थान की आवाज को बुलन्द करें। राजस्थान आपके पीछे है।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री अमृतलाल गहलोत।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था और जो कारण बताये थे कि तेल-शोधक कारखाना नहीं लग सका वह काफी संतोषप्रद लगते थे। पेट्रोलियम इन्डस्ट्री काफी कम्पलेक्सेज लिये हुए है। कारखाने की क्षमता 4 लाख टन भी होती है और 40 लाख टन भी होती है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** मथुरा में क्या सहूलियतें हैं ?

**श्री अमृतलाल गहलोत :** तेलशोधक कारखाना सबसे बड़ा कारखाना है। इससे कई कारखाने लगाये जा सकते हैं। आप खयाल कीजिये, पेट्रोकेमिकल कम्पलेक्सेज होते हैं, काम करने की क्षमता और टर्न ओवर काफी होता है। टेरिन और नाइलोन के कपड़े हैं पेट्रोलियम से बनते हैं, सिन्थेटिक रबर है यह भी पेट्रोलियम से बनता है। पांच हजार प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम से बनते हैं। मध्य एशिया की और ईरान की सारी इकोनॉमी इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर है। भरतपुर में गैस है, पाइप से ले जायी जा सकती है यदि लाना चाहें। और कम्पलेक्सेज लगाये जा सकते हैं। जोधपुर में एक फ्रेन्च कम्पनी थी फेरोसोल। उन्होंने जैसलमेर के इलाके में काफी कुए खोदे थे। फ्रेंच कम्पनी यहां सफल नहीं हो पाई। चली गई। पर जिस वक्त जॉनसन चेयरमैन वहां टीबों में आये और जब उन्होंने यह पता लगाया कि पाकिस्तान में जिस तरह की गैस है उसी तरह की गैस की सम्भावना बहुत बड़ी मात्रा में यहां भी है। पहले जो काम शुरू हुआ और बन्द किया गया उसका कारण यह था कि वह पैटर्न पर नहीं था। तो आप इस मसले की तरफ ध्यान दें और इसकी सूचना भारत सरकार के पट्रोलियम कमीशन को दें। इसके प्रोस्पेक्टिंग के काम को इन्टेन्सिफाई करें। इसकी कई कम्पलेक्स इन्डस्ट्रीज और उसके आस पास लग सकती ह।

तो एक तो भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में पेट्रोलियम का कम्पलेक्स हो। उसकी बुनियाद इसी समय से लगनी चाहिये चाहे फिर वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में हो या किसी के कालोबोरेशन में हो। दूसरा वह कि पश्चिमी क्षेत्र में गैस के जितने प्रोस्पेक्टिंग हैं उनको आप इन्टेन्सिफाई करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** शासकीय संकल्प पर विचार।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको अवसर दूंगा बोलने का।

### शासकीय संकल्प
### संविधान (28वें संशोधन) विधेयक, 1972 का अनुसमर्थन

**श्री परसराम मदेरणा** (अकाल राहत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं: "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (28वां संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा भारत के संविधान में, उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्रान्तर्गत किये जाने हेतु प्रस्थापित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।"

**श्री उपाध्यक्ष :** संकल्प प्रस्तुत हुआ।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान का 28वां संशोधन है। उसके सम्बन्ध में सैद्धान्तिक रूप से मैं कुछ निवेदन करने का प्रयास करूंगा। सर्व प्रथम मैं यह समझता हूं कि यह 28वां संशोधन जो है अनावश्यक है और इतनी बड़ी सरकार सच माइटी गवर्नमेंट के लिये अशोभनीय है।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

आज से 25 वर्ष पहले इस देश के अन्दर 1,200 आई० सी० एस० अफसर थे। तब देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। तब विभाजन के पश्चात् उनमें से लगभग 400 आई० सी० एस० अफसर रिटायर होकर इंगलिस्तान चले गये। चार सौ के लगभग ऑप्ट करके पाकिस्तान गये और 400 अब शेष जो थे वे भारत की सेवा के अन्दर रहे।

मैं बहुत लम्बे-चौड़े इसके इतिहास को इस अवसर पर दोहराना पसन्द नहीं करता, किन्तु यहां ग्रेजुअल प्रोसेस आफ इलीमिनेशन के प्रोसेस को देखें तो धीरे-धीरे आज परिस्थिति यह है कि आई० सी० एस० अफसर की संख्या पचास रह गई है। अगर इस महान् देश में इस महान सरकार ने इन आई० सी० एस० अफसरों को 25 साल तक बरदाश्त किया तो अब एक पचास-पचपन करोड़ के देश में सिर्फ पचास आई० सी० एस० अफसरों को चार वर्ष के लिये भी बर्दाश्त नहीं किया जावे यह एक आश्चर्यमय बात है।

जो आपने संविधान में इनको आश्वासन दिये उनको 25 वर्ष तक आपने निभाया और इस ग्रेजुअल इलीमिनेशन के सिद्धान्त के अनुसार 6 वर्ष के अन्दर इस देश की सेवा के अन्दर एक भी आई० सी० एस० अफसर नहीं रहेगा।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, कौनसी इतनी आतुरता थी, कौनसी इतनी जल्दी थी, कौनसी ऐसी मितव्ययिता का सिद्धान्त था कि, जिसको अपना कर एकाएक इन आश्वासनों को भंग किया जा रहा है। एक सबल और महान सरकार जो जनसंख्या के अनुपात से दुनियां की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके लिये समाजवाद को लाने के लिये चाहे गरीबी हटाने के सिद्धान्त की खातिर एक मात्र पचास आई० सी० एस० अफसरों की छुट्टी के सम्बन्ध में नियमों में परिवर्तन किया जावे, उनके वेतनमान में परिवर्तन किया जावे और खेद के साथ कहना पड़ेगा कि उनकी पेंशन के अन्दर भी परिवर्तन किया जावे। यह सब एक माइटी गवर्नमेन्ट के लिये अशोभनीय है।

आपकी यह हठधर्मी है। आप इसको पूरा कर सकते हैं पर जब तक इस देश के अन्दर व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने की आजादी रहेगी मैं बिल्कुल बिना पशोपेश यह निवेदन करूंगा और अवश्य करूंगा कि एक सहृदयता के नाते एक इन्सानियत के नाते और जम्हूरियत के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए उनकी पेंशन में छेड़छाड़ करना उनकी सर्विस कण्डीशन में एक पचास आदमियों की सर्विस कण्डीशन में छेड़छाड़ करना पचास पचपन करोड़ जनता के देश की एक जबर्दस्त हुकूमत के लिये क्या शोभनीय है।

यह मैं यहां राजस्थान सरकार से तो नहीं, लेकिन भारत सरकार को और हमारी एक माननीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी को भी इन पुरजोर शब्दों में ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रह सकता।

मैं यह और निवेदन कर दूं कि विशेषाधिकार किसके नहीं हुए? क्या प्रधानमन्त्री के नहीं हैं? क्या एम० एल० एज० के नहीं हैं? क्या मन्त्रियों के नहीं हैं? मंत्री आज किस आन-बान-शान और ठाठ-बाट से रहते हैं? पर इस पचड़े में भी मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं कहता हूं कि क्या ये सभी आई० सी०

(श्री लक्ष्मण सिंह)

एस० खराब थे। इनमें बहुत से विद्वान थे। नाम उनके मैं यहां नहीं लेना चाहता। इनमें से एक विधान निर्मात्री परिषद् के सेक्रेट्री थे। बहुत से अफसर ऐसे थे जिन्होंने देश की सेवा की है जिन्होंने ऐसे समय देश की सेवा की है जब कि भाई भाई का गला काटने के लिये खड़ा हो गया था। जब बरबरता का बिगुल फूंका गया था हजारों आदमियों की लाशें कुओं में और रास्तों में पटक दी जाती थीं। उस समय भी ये अफसर देश की सेवा से अन्दर तत्पर थे।

अगर आई० सी० एस० में चन्द बुरे थे तो यह तो स्वाभाविक है कि ब्लेक-शीप तो समाज में सब जगह है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से और इज्जत के साथ में निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्रियों में मुझ में खुद में खामियां हैं। हमारे मन्त्रियों में क्या ब्लेक शीप नहीं है। हमारे मन्त्रियों में आप आपाधापी करने वाले नहीं पाते ? क्या आई० सी० एस० वाले आपाधापी करते हैं तो क्या वे नहीं करें, उन्हीं को सजा दी जावे। इन मंत्रियों को ही अकेले की इसमें मोनोपोली है। उनको सजा नहीं मिल सकती ?

यह विधेयक 28वां संशोधन मैं समझता हूं कि एक अहसान फरामोशी की पराकाष्टा है। एक कृतघ्नता की पराकाष्ठा है और मेरे खयाल से एक जल्दबाजी की भी पराकाष्ठा है कि जब छ साल, 5 साल में आई० सी० एस० का बीज तक नहीं रहता तो आज हम प्रगतिशीलता किसके सामने दिखाने को जा रहे हो ऐसा विधेयक पारित करने के हेतु। मैं समझता हूं इसमें पेटीनेस है, इसमें ओछापन है।

मैं यह जरूर उत्सुक हूं वह दिन देखने के लिये कि गरीबी इस देश से हटे लेकिन अगर गरीबी का हटना निरा कागजों पर ही एक नारे के रूप में रहता है और खास कर इस दिवालिया राजस्थान के अन्दर जो बिलकुल एक संक्रामक रोग अकाल से ग्रस्त है वहां के गरीबों की गरीबी कौनसे स्वर्ण मय दिन को हटेगी इसको भी प्रतीक्षा करते करते 25 वर्ष तो हो गये। अभी और कितने वर्ष लगेंगे, किसको पता ? भगवान ही मालिक है इस स्टेट का।

एक तरफ मितव्ययिता के नाम से आप इन आई० सी० एस० अधिकारियों की पेंशन में भी कमी करना चाहते हैं और उनकी सर्विस कन्डीशन्स में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई अनाप शनाप हो रही है। आज दाने दाने के लिये लोग कराह रहे हैं मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता, अकाल के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा पर महंगाई भत्ते के करोड़ों रुपये एक तरफ आप दे रहे हैं अपने लोगों को और दूसरी तरफ एक अल्पसंख्यक माइनोरिटी को किस प्रकार कुचलना चाहते हैं। यह अन्याय की पराकाष्ठा है। कोई भी सभ्य सरकार को यह भी शोभनीय नहीं है कि अदालत के दरवाजे बन्द कर दिये जायं। अगर कोई मामला, कोई समस्या समायते अदालत हो तो उसके लिए भी उसको महरूम कर दिया

(श्री लक्ष्मण सिंह)

जाय। दरवाजा अदालत का बन्द कर दिया जाय। चौदहवां या 29वां जितने संशोधन है कोई भी कोर्ट ऑफ ला के अन्दर अदालत में नहीं जा सकता है। यह क्या नागरिक स्वतन्त्रता है यह क्या नागरिक गरिमा है, नागरिक महिमा लोक शाही के सम्मान के विपरीत नहीं है। इसको भी गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। इन सब समस्याओं को लेकर मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करते हुये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दिल से सिद्धान्त रूप से मैं 28वें संविधान संशोधन का समर्थन करने से सर्वथा विवश हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री निरंजननाथ आचार्य।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न व्यक्तियों का नहीं है। यह एक सिस्टम का प्रश्न है और इस डवलपिंग इकोनोमी में इस सिस्टम को, चूंकि अब स्थान नहीं रहा इसलिए आवश्यक हो गया है कि इस सिस्टम को समाप्त किया जाय। मैं इसको एक इम्पीरिलिस्टिक प्रिविलेजेज सिस्टम समझता हूं। इस सन्दर्भ में जब राष्ट्र की एक आवाज इम्पीरिलिस्टिक सिस्टम को हटाने की है उस सन्दर्भ में इस सिस्टम को जिसने बहुत ही आघात पहुंचाया है—हटाना एक सामयिक कदम है। यह कदम बहुत पूर्व लिया जाना चाहिए था। सन् 1965 में जब श्री विश्वनाथ पाण्डे ने पार्लियामेन्ट में एक बिल रखा, वह नहीं लिया जा सका, ततपश्चात् सन् 1967 में श्री मधुलिमये ने इस विषय को प्रायरटीज के रूप में रखा, तब भी वह नहीं लिया जा सका और पुन: उन्होंने 1970 में प्रायरटीज की लिस्ट के रूप में इस बिल को रखा वह भी नहीं लिया जा सका। मुझे खेद है दो वर्ष अनावश्यक रूप से इस बिल को लाने में लग गये। यदि दो वर्ष पूर्व यह बिल आता तो राष्ट्रीय चेतना को बल मिलता। इसलिए मैं इस सिस्टम को हटाने में केवल व्यक्तियों का नहीं, इम्पीरिलिस्टिक सिस्टम को हटाने का जो प्रश्न है उसे मानता हूं। देश में आई० सी० एस० 111 हैं या कम हैं उस समस्या का प्रश्न नहीं है। समस्या का प्रश्न इससे कोई मेल जोल नहीं खाता। इसलिए जो प्रस्ताव आया है, मैं इसका समर्थन, इस सामयिक दिशा और सामयिक प्रगति के लिए, देश के विकास और देश की पालिटिकल सिचुएशन और समाजवाद के समर्थन में जो यह आवश्यक कदम है करता हूं। व्यक्ति विशेषों के यह प्रश्न नहीं हैं, प्रश्न है जनमत का। जो एक सन्देश है कि हमारा प्रशासन इस जनतांत्रिक युग में इस समाजवाद में कमिटेड है उसके समर्थन में हमारे प्रशासन का जो विश्वास और आस्था होनी चाहिए इसको निर्मूल करने में यह कदम मेरा विश्वास है सहायक होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे आगे आने वाले कर्मचारियों को सतर्क करने में, सजग करने में एक सहयोग होगा। इसलिए मैं समर्थन करता हूं। कुछ व्यक्तियों के प्रिविलेजेज जायेंगे यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि प्रिविलेजेज को हटाना एक महत्वपूर्ण है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अमेण्डमेन्ट अपने आप में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार माननीय महारावल साहब ने फरमाया कि आई०सी०एस० के प्रिविलेजेज खत्म कर रहे हैं यह केवल आई०सी०एस० के प्रिविलेजेज खतम करने का प्रश्न नहीं है यह पार्लियामेन्ट की पावर्स का प्रश्न है। इन सर्विस कन्डीशन्स को कन्ट्रोल करने के लिए पार्लियामेन्ट कुछ कर सकती है या नहीं, यह नीति का एक अहम प्रश्न जुड़ा हुआ है और उपाध्यक्ष महोदय, आज इस जनतन्त्र के अन्दर कोई भी बात, हमारा जिस समय कान्स्टीट्यूशन बना था, उस समय कान्स्टीट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने कहा पार्लियामेन्ट इन्टरफियर नहीं करेगी तो मैं समझता हूं जनतन्त्र के तरीके से सब लोग जीतकर आते हैं और जीतकर उस पार्लियामेन्ट को बनाते हैं तो पार्लियामेन्ट एक सोवरिन होती है वह उसको बदल सकती है। बदली हुई परिस्थितियों में यह अनुभव करते हैं कि अमुक चीज आवश्यक है या नहीं तो उसमें परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिए, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट निहायत जरूरी था। तो मैं दूसरी दृष्टि से समझता हूं इस अमेन्डमेन्ट के हो जाने से ही पूरा मकसद नहीं हो जाता है। उसको लाया जाय और उन आई० सी० एस० के प्रिविलेजेज को खत्म किया जाय। 25 साल तक इन आई० सी० एस० के प्रिविलेजेज को टालरेट किया है बर्दाश्त किया है तो मैं समझता हूं भारत सरकार ने भूल की है और उसकी प्रशंसा कोई प्रगतिशील आदमी नहीं कर सकता है। जो लोग ब्रिटिश शासक के लायल थे उन लोगों के प्रिविलेजेज ब्रिटिश सरकार ने हमारे कान्स्टीट्यूशन में इनकारपोरेट करवाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज में यह कहूं हमारे भारत के अन्दर जो कुछ कांग्रेस का प्रोग्राम था वह इन्हीं लोगों के कारण इम्पलीमेंट नहीं हो सका। समाजवाद की व्यवस्था इन्हीं लोगों के कारण नहीं हो सकी जो उसके अन्दर सबसे बड़ी रुकावट थी, अड़चन थी और जो व्यवधान था वह इन्ही आई० सी० एस० आफिसरों का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब कोई क्रान्ति होती है—चीन में ऐसा हुआ जब क्रान्ति हुई तो पुराने आफिसर्स को सबको सेट-असाइड कर दिया। ब्रिटिश इम्पीरियलिस्टिक जमाने में और इन्डिपेन्डेन्स मूवमेंट के समय इन लोगों ने हुकूमत करी और उन मशीनों के भू ही अगर आज के हमारे सोशलिस्टिक प्रोग्राम को इम्पलीमेंट कराया तो मैं समझता हूं 25 साल कांग्रेस गवर्नमेंट को अपनी भूल का अहसास हो गया। आज तक भी इन आई० सी० एस० की वजह से हमारा प्रोग्राम इम्पलीमेंट नहीं हो सका। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह आज हमारे लिये बड़े हर्ष का विषय है लेकिन उसके बाद हम यह अपेक्षा करते हैं कि उसका फालो-अप एक्शन होना चाहिये। आई० सी० एस० के सारे अधिकारों को समाप्त किया जाय और उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय महारावल साहब ने कहा किस प्रकार के प्रिविलेजेज इन आई० सी० एस० आफिसर्स को हैं मैं निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन....

**श्री लक्ष्मणसिंह** : माननीय सदस्य को बड़ी व्यग्रता है। मैं बताना चाहता हूं

(श्री लक्ष्मणसिंह)
पार्लियामेंट को ओवर राइट अधिकार है कि इन प्रिविलेजेज को समाप्त करे प्रश्न है इन 50 आदमियों के लिये....

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** प्रश्न 50 आदमियों का नहीं है प्रश्न सिद्धान्त का है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** विशेषाधिकार समाप्त हो गये तो इनको थोड़ी तकलीफ हो गई।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** मेरे लिये तो कुछ भी कहें, आपको अधिकार है। यह तो सर्विस क्लास का सम्बन्ध है। आप मेरे विशेषाधिकार को कहते हैं तो आपको पूर्ण अधिकार है। यह तो मतमतान्तर का अधिकार है....

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** तो आप मुझे अपना मत व्यक्त करने दीजिये आपको क्या तकलीफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आई० सी० एस० ऑफिसर्स न केवल इम्पीरियेलिस्ट ही थे बल्कि कैपेटिलिस्ट भी थे। आज इस डेमोक्रेसी के अन्दर यह कहें कि पिछले 25 वर्षों में इन आई०सी०एस० और आई०ए०एस० ऑफिसर्स ने हुकूमत की है तो गलत नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज वही स्थिति आई०ए०एस० ऑफिसर्स की बन गयी है। आज आई०सी०एस० ऑफिसर्स के प्रिविलेज को खत्म करने जा रहे हैं और हम आशा करके चलते हैं भारत सरकार से कि इस अमेन्डमेन्ट का फालो-अप एक्शन आयेगा और इनके प्रिविलेज खत्म कर दिये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज आई० सी० एस० ऑफिसर्स जैसा मिनियेचर आई० ए० एस० ऑफिसर्स का बन रहा है, उनका जैसा ट्रेण्ड हो गया है......

**श्री लक्ष्मणसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह तो मतमतान्तर का प्रश्न है फिर आई०ए०एस० के प्रश्न के बाद हाई कोर्ट के जजेज का प्रश्न आ जायेगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला:** समय की गति के अनुसार सारे प्रश्न चले और आपने सारे समय देखे हैं इसलिए यह सब आयेंगे।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की सुनने की बरदास्त होनी चाहिये। मेरा मत जानना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इन्डिपेन्डेन्स स्ट्रगल में आपने जनता पर अत्याचार किये और आपको इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं होना चाहिये था। यह डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये थी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय......

**श्री लक्ष्मण सिंह:** डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया तो यह भारत सरकार की भूल है मैं तो एक शब्द भी नहीं कहूंगा आप जो कहना चाहें कहें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आई०सी०एस० ऑफिसर्स का मिनियेचर इन आई०ए०एस० ऑफिसर्स के बराबर है मेरी कोई इनसे व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अन्दर मौजूद है......

**श्री उपाध्यक्ष :** This is not the subject here.

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** बिलकुल सबजेक्ट है। यहां पर प्रिविलेजेज की बात हो रही है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इसलिए वह भी अपने आपके अन्दर खास है और उनको भी प्रिविलेजेज मिले हुए हैं इसलिए यही माध्यम है कि सदन के माननीय सदस्य भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आई०ए०एस० ऑफिसर्स को जो प्रिविलेजेज मिले ए हैं......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बीच में डिस्टर्बेन्स बहुत हुआ है इसलिए दो-चार मिनट और दे दें।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन आई०सी०एस० ऑफिसर्स ने स्टेट के अन्दर रूल किया है, देश के अन्दर रूल किया है और उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र के अन्दर भी, मैं आपसे निवेदन करूं कि इस लोकतंत्रीय प्रणाली, विधान सभा, मंत्रिमण्डल, मंत्रिपरिषद् और लोकसभा, राज्यसभा सबके अन्दर इनका अपना महत्व होने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी हावी रही है। इन्होंने पॉलिसी मेकिंग के अन्दर ही प्रभाव नहीं डाला बल्कि उसकी क्रियान्विति में भी निश्चित रूप से प्रभावशाली अड़चन पैदा की है और कैपेटिलिस्ट क्लास को बनाये रखने में मदद की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं छींटा कसी में नहीं जाना चाहूंगा कि आई०ए०एस० ऑफिसर्स किस प्रकार से मिनिस्टर्स के ऑर्डर्स को इवेड करते हैं और रूल्स के नाम से रेड-टेपेजिम को पनाह देते हैं और टेक्निकल नोट बनाकर सेक्रेटेरियट से पूरे राजस्थान को कन्ट्रोल करते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है कि आज राजस्थान के अन्दर 25 साल हो गये ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो क्लासीफिकेशन है, जो टेक्निकल आदमी हैं इन्जीनियर्स हैं, चीफ इन्जीनियर्स हैं, डाक्टर्स हैं उनकी सर्विसेज में कोई ऐसी खास बात नहीं होगी, लेकिन आई०ए०एस० वालों के लिए निश्चित रूप से एक क्लास अपने आप में क्रियेट हो गयी है जिसको स्पेशल प्रिविलेजेज हैं। उनको भी आई० सी० एस० के माफिक छुट्टी में इधर उधर जायें तो खर्चा सरकार दे इस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गयी हैं जिससे ब्यूरोक्रेसी स्टेट के अन्दर और देश के अन्दर हावी हो रही है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि रेटिफिकेशन करते समय हम भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राजा-महाराजाओं के प्रिवीपर्सेज और प्रिविलेजेज को और उसके बाद फालो-अप एक्शन नहीं हुआ उस तरह से अगर रेटिफिकेशन कराके अमेन्डमेन्ट के द्वारा पार्लियामेन्ट पॉवर्स लेलें और कोल्ड स्टोरेज में डाल दें और आई० सी० एस० ऑफिसर्स को 5 साल बरदाश्त करें, उनको प्रिविलेजेज देती रहे और यह सोचे कि 5 साल में बड़ा भारी फर्क पड़ने वाला नहीं है तो यह गलत नजरिया होगा और इस वर्तमान स्थिति के अन्दर, इस ढांचे के अन्दर परिवर्तनशील परिस्थिति में हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते और तुरन्त इनकी सुविधाओं को समाप्त करना चाहिए और

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एक्ट बनाकर आई० सी० एस० ऑफिसर्स की सुविधाओं को समाप्त करके चलने की स्थिति है और स्पेशल क्लासिफिकेशन की प्रवृत्ति है, इसको त्याग देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान के 28वें अमेन्डमेन्ट का स्वागत करता हूं जिसमें कि विधान की 312 (ए) धारा के तहत, 314 धारा के अन्दर आई० सी० एस० और आई० पी० एस० ऑफिसर्स के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के संबंध में है। यह ठीक है कि जिस समय देश गुलाम था इस देश के अन्दर 1084 आई० सी० एस० ऑफिसर्स थे और पार्टीशन के बाद इस देश के अन्दर केवल 451 आई० सी० एस० ऑफिसर्स रह गये और आज जबकि हम यह अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं और शीघ्र ही इसके फोलो-अप बिल को भी लाने वाले हैं जिसके तहत हम सारे प्रिविलेजेज को डेस्क्राइब करके समाप्त करेंगे, देश के अन्दर केवल 56 आई० सी० एस० ऑफिसर्स और 26 आई० पी० एस० ऑफिसर्स हैं जिसमें से 14 दिसम्बर के माह म रिटायर हो जायेंगे केवल 42 आई० सी० एस० ऑफिसर्स रह जायेंगे । लेकिन प्रश्न आई० सी० एस० ऑफिसर्स को समाप्त करने का नहीं है, प्रश्न एक सिस्टम को समाप्त करने का है । एक सिस्टम, जो इम्पीरियेलिज्म का प्रतीक है, एक सिस्टम जो टाइरेनी का प्रतीक है, एक सिस्टम जो कि री-एक्शन का प्रतीक है, एक सिस्टम जो कि एन्टीपिपुल का प्रतीक है ऐसे सिटस्म को समाप्त करने के बाद में किसी आई०सी०एस० के अच्छे या बुरे होने की बहस नहीं है, हमने सामंतशाही के अवशेषों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया और कदम उठा रहे हैं । प्रश्न यह नहीं कि एक राजा अच्छा है या बुरा है । मैं इसका स्वागत् करता हूं इस देश में बेनिवोलेन्ट किंग्स भी हुए है, अच्छे राजा भी हुए हैं और इस देश में बुरे राजा भी हुए हैं, लेकिन राजाओं की अच्छाइयों और बुराइयों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है सामन्तवाद के अवशेषों को समाप्त करके देश की आर्थिक व्यवस्था को डाइनेमिक चाल दें, देश को सोशियेलिस्टिक डवलपमेन्ट की दिशा में चाल दें । अगर हम अपने राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ देखें तो आई० सी०एस० ऑफिसर्स ने भयंकर से भयंकर जुल्म किये हैं । आई० सी० एस० ऑफिसर्स ने ही कलकत्ता के अन्दर चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दो वर्ष की कैद की सजा दी। इन्हीं आई० सी० एस० ऑफिसर्स ने महात्मा गांधी के साथ सेवेज तरीके से इम्प्रिजनमेन्ट किया, लोकमान्य तिलक को बर्मा में भेजा और भयंकर जुल्म किये। न्हीं आई० सी० एस० ऑफिसर्स ने गोखले के ऊपर जुल्म किये । ये आई० सी० एस० ऑफिसर थे जिनके द्वारा इम्पीरियलिज्म ने देश के दीवानों पर बंदूकें चलवाईं, गोलियां चलवाईं और सैकड़ों लोगों को फांसी पर चढ़ाया। यह हमारा दुर्भाग्य है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक ए० पी० मेनन दिल्ली में बैठे हुए थे । इस आई० सी० एस० के क्लिक ने, भारतवर्ष के आई० सी० एस० ऑफिसरों के क्लिक ने वल्लभ भाई पटेल पर अपना प्रभाव डाला और धीरे 2 जिस तरह कि एक मदारी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सांप को कील लेता है, उसी तरह से हमारे शासन तंत्र, हमारी डेमोक्रेसी को इस आई०सी०एस० ऑफिसरों की जमात ने कील लिया। उपाध्यक्ष महोदय, वह पं० जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अपनी आटोग्राफी में इनको कान्टेक्ट मैन की संज्ञा दी, उन्होंने ही बाद में इन आई० सी० एसों० की एक जगह प्रशंसा की। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज देश की परिस्थिति के अन्दर यह रियलाइजेशन होता जा रहा है और तथ्यों ने रियलिटि की तरफ लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी एस्टीमेट्स कमेटी एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट हैं। भारत सरकार को समय-समय पर सक्यूलर इश्यू करना पड़ा। क्या करते रहे ये आई०सी०एस० ऑफिसर, क्या इनका पब्लिक से इम्पेक्ट रहा, क्या कान्टेक्ट रहा है। यह एस्टैब्लिश फेक्ट है। आई० सी० एस० के जो टॉप के लोग हैं। जो बड़े 2 इण्डस्ट्रियलिस्ट थे, जो जागीरदार थे, वे उनके इन्ट्रस्ट को सर्व करते रहे। आई० सी० एस० ऑफिसर अपनी कुर्सियों पर बैठ कर बड़े 2 बिजनेसमैन से कान्ट्रेक्ट करते रहे कि उनके लड़कों को, उनके जवाईयों को जगह दी जाय। भारत सरकार को यह सक्यूलर जारी करना पड़ा और आई०सी०एस० के जितने लोग थे उनको इस किस्म के नेगोसियेशन्स करने से डिबार किया गया। आप जाकर देखिए, पालम हवाई अड्डे के पास बनी हुई आई०सी०एस० आफिसरों की कॉलोनी को, उनके घरों के अन्दर बिछे हुए ईरानी कारपेट्स को, बड़े 2 लान्स जो इन आई० सी० एस० ऑफिसरों ने सरकार से लिए हैं और उनके द्वारा बड़े 2 मेंशन्स खड़े किए गए हैं और जो उनको किराये पर अलाट किया गया है।

आज का आई०ए०एस० ऑफिसर भी क्या है। उसी आई०सी०एस० का एक नया इमेजिनेशन है। और दूर मत जाइए। अभी थोड़े दिन पहले इसी राज्य के अन्दर एक मंत्री का विभाग इसलिए छीन लिया गया क्योंकि उनकी एक आई०ए०एस० अफसर से टक्कर हो गई। नारायणसिंह मसूदा जो कि जाने हुए सीधे-सादे व्यक्ति हैं, जिनका प्रभाव सारे राजस्थान के हर एक व्यक्ति के दिमाग पर है। उनकी सज्जनता और शालीनता का प्रभाव है। सेक्रेट्री दो-दो महिने तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करें और बार-बार प्रार्थना करने पर भी उनकी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाय और उसके बाद एक आई० ए० एस० आफिसर से टकराव होने पर नारायणसिंहजी से शिक्षा विभाग छीन लिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीगण लेजी थे, जो मंत्रीगण प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते थे उनकी एक डिपेन्डेंसी है इन आई० ए० एस० ऑफिसर्स पर, वे लगातार इन पर छाते चले गए और उस डिपेंडेंसी के कारण यह जो आई०ए०एस० और आई०सी०एस० ऑफिसर हैं इनका ग्रुप शासनतंत्र पर हावी होता चला गया, इनकी जकड़ ज्यादा गहरी होती चली गई और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड अगर किसी से कण्ट्रोल होता है कि इन आई० सी० एस० ऑफिसरों से कण्ट्रोल होता है। सरकारी बोर्ड अगर कण्ट्रोल होते हैं तो इन आई०सी०एस० आफिसरों से कण्ट्रोल होते हैं। अदर बोर्ड्स अगर कण्ट्रोल होते हैं तो आई० सी० एस०

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
ऑफिसरों से कण्ट्रोल होते हैं। अगर किसी की कॉन्फिडेंशियल बुक लिखी जाती है तो वह आई० सी० एस० अफसरों के द्वारा लिखी जाती है और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसीज का फार्मेशन होता है वह देश के इन आई० सी० एस० ऑफिसरों के द्वारा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस सारे शासनतंत्र को डेमोक्रेटेलाईज, प्रजातांत्रिक बनाने का है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जिस तरह की देश की परिस्थितियां हैं और समाज की परिस्थितियां हैं और सामाजिक फोर्सेज जिस प्रकार से हमको आगे ले जा रही हैं यह ब्यूरोक्रेसी उसके सामने टिकने वाली चीज नहीं है। आज केवल 42 आई० सी० एस० ऑफिसरों के विशेषाधिकारों को खत्म करने की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे यह जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का सेटअप है उसको देखने की बात है। मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं राजस्थान की जो कि अभी घटित हुई है। अभी मई-जून के महिने के अन्दर वाणिज्यिक के द्वितीय श्रेणी के इन्सपेक्टर्स का चुनाव हुआ और उसके अन्दर 32 इंस्पेक्टर्स चुने गए। उपाध्यक्ष महोदय, इनमें से 25 इंस्पेक्टर्स सवर्ण जाति के और 7 हरिजनों के थ। इसके सलेक्शन की लिस्ट आप देख लीजिए। इसमें कमेटी, जो थी उस कमेटी का स्वरूप यह है कि उस कमेटी के अन्दर भीमसिंह, आई.ए.एस. कमिश्नर हैं जो एक्साईज और टेक्सेशन के, वे इसके चेयरमैन हैं। एस०एल० जोशी, आई० ए० एस० ऑफिसर जो डिप्टी सेक्रेट्री फाइनेंस हैं और वी० के० बिज्जू यह सीनियर आई०ए०एस० ऑफिसर हैं, इन तीनों की कमेटी है। जो कैंडीडेट्स चुने गए हैं उसमें से 90 प्रतिशत, उपाध्यक्ष महोदय, इनके रिश्तेदार हैं या राजस्थान के दूसरे आई०ए०एस० ऑफिसरों के रिश्तदार हैं। 600 कैंडीडेट्स का इण्टरव्यू इन ऑफिसरों ने किया और आधे 2 मिनिट में सबको डिस्पोज-ऑफ कर दिया। 25 कैंडीडेट इसमें चुने गए वे सारे के सारे आई०ए०एसों० के रिश्तेदार हैं, कोई चेयरमैन का साला है, कोई चेयरमैन के साले का लड़का है, कोई चेयरमैन के चाचा का लड़का है या दूसरे पूंजीपतियों के लड़के हैं। राजस्थान में इस प्रकार 25-25 कैंडीडेट इस प्रकार के चुने गए हैं जिसकी राज्य सरकार जांच कराए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अंत में यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आन्दोलन में जो शक्तियां थीं और जो प्राप्तियां थीं, यह तो जब देश के अन्दर राज बदला उस समय तकाजा था कि इस नौकरशाही को समाप्त कर दिया जावे लेकिन राज एक समझौते के द्वारा बदला। सन् 49 में चीन के अन्दर क्रांति हुई और 20 साल तक, 25 साल तक उस क्रांति के लिए चीन का आदमी लड़ा। जो बच्चे गोलियों की गड़गड़ाहट में पैदा हुए और गोलियों की गड़गड़ाहट में ही जवान हुए और सन् 50 के अन्दर सबसे पहला कदम जो चीन ने उठाया वह यह था कि वहां सारी की सारी नौकरशाही को खत्म करके वहां पिपुल्स कोर्ट कायम कर दी। रिवोल्यूशनरी क्रांति हुई थी। रूस के अन्दर क्रांति हुई। एतवारा की घटना हुई और उससे पहले जो लोग यह कहा करते थे कि जार बहुत अच्छा है, जार के अधिकारी

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

बहुत अच्छे हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस ? एतवारा की घटना के बाद सबसे पहला कदम वहां यह उठाया गया कि ब्यूरोक्रेसी को समाप्त किया गया । आज अगर हम, देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें इन अनपोपुलर रेजीमेंट्स को, इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेज को, इन सामन्तवाद के अवशेषों को समाप्त करना पड़ेगा और हमको कामन वाद को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा । इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है । बहुत बहुत धन्यवाद ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भानुकुमार शास्त्री ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 28वां अमडमेंट बिल जो आई०सी०एस० के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं कि आज के इस युग में प्रिविलेज क्लासेज नहीं रह सकती । किसी को भी इस बिल का समर्थन करने में मैं समझता हूं कि पीछे नहीं रहना चाहिए । लेकिन एक बात जरूर है कि आज जो 25 वर्ष भारत की स्वाधीनता के बाद हमारी भारत सरकार और सत्ताधारी दल केवल अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे बिल प्राप्त कर रहा है, भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद आज जो देश का नक्शा बना है, बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं । टेक्निशियनों को काम नहीं मिलता है । एक काम करने के लिए जो सक्षम व्यक्ति है वह अधिकार रखता है कि उसको संवैधानिक आश्वासन मिले कि मैं एक पढ़-लिख कर आदमी बनता हूं तो मुझे उसी ढंग की, जो मैंने डिग्री प्राप्त की है, उसके अनुसार ही मुझे संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगा कि मु उसके अनुसार काम मिलेगा । मैं सरकार से पूछ सकूंगा कि मैंने अपने जीवन के अन्दर इतनी शिक्षा प्राप्त की तो मुझे काम कराने के लिए सरकार बाध्य है। लेकिन सरकार इस प्रकार का कानन पास करने में झिझकती है क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो काम देना पड़ेगा । इस प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी । लेकिन इस प्रकार की जैसी कहावत है कि खोदा पहाड़ और मिला चूहा - वैसी स्थिति है । आज प्रिविलेज क्लासेज को खत्म करने की बात है, मैं तो कहता हूं कि आप इनको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें और साथ ही जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर । इम्प्लीमेंट के साथ-साथ विचार करें । आज देश के अन्दर बेकारी है । इन बेकारों के लिए हम संविधान में इस प्रकार का क्या संशोधन करें कि उनको काम करने की गारण्टी मिलेगी जिससे यह सत्ताधारी कांग्रेस दल और सत्ताधारी दल इस बात के लिए बाध्य होगा और उसे इस प्रकार की योजना तैयार करनी होगी । लेकिन ये प्रिविलेजेज, राजनीतिज्ञों को दिये गए हैं । राजनीतिज्ञों की जो प्रिविलेज्ड क्लास है, मैं समझता हूं कि समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं कि जब गडरा रोड में आन्दोलन चल रहा था मैंने जयपुर में मुख्य मंत्री महोदय से सम्पर्क स्थापित करना चाहा था । रात्रि के डेढ़ बजे के करीब दिल्ली से ट्रंक आया, बताइये वाजपेयीजी की स्थिति क्या है ? मुझे पता नहीं था, मैंने इसके लिये मुख्य मंत्रीजी से कान्टेक्ट करने की कोशिश की, सन्तरी कहने लगा बात नहीं हो सकती । मैंने कहा उनके पी० ए० से

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

बात करवाइये। इन प्रिविलेज्ड क्लास को देखिये। कहा गया कि बात नहीं हो सकती। यह सरकार समाजवाद का नारा लगाती है और उसके मुख्य मंत्री को बात करने की फुरसत नहीं है। रात्रि को सो रहे हैं चाहे दुनियां के लोग मर जायें। मैंने उनके पी० ए० से बात की। सिचुएशन की गंभीरता उनको बताई। परन्तु उन्होंने कहा मुख्य मंत्री महोदय को उठाया नहीं जा सकता। आप मुख्य सचिव से बात कर लें। वहां फोन किया। मुख्य सचिव के सन्तरी ने कहा वे उठ नहीं सकते। आप होम सेक्रेटरी से बात कर लीजिये। जब होम सेक्रेटरी से बात की जाती है तो वह जवाब देते हैं मैं आपको इस प्रकार का जवाब देन के लिये उत्तरदायी नहीं हूं। तो यह कौनसी क्लासेज हैं? आप इसको भी समाप्त करिये। क्या मख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा हो जाय, रात्रि को कोई उनसे मिलना चाहे, तो क्या उन्होंने अपन पी० ए० को ऐसी इन्स्ट्रक्शन दे रखी है कि उनको उठाया नहीं जा सकता। बात करने के लिये मुख्य सचिव नहीं उठे और होम सेक्रेटरी से बात की जाये तो उनका जवाब कितना गैर जिम्मेदाराना था— मैं आपको जवाब देने के लिये उत्तरदायी नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि आप इस प्रिविलेज्ड क्लास को समाप्त करने के लिये क्यों नहीं आगे आते हैं। समाजवाद का ढिंढोरा पीटने का क्या मतलब है? जनता के प्रतिनिधि के नाते हम मिनिस्टर से भी नहीं मिल सकते हैं जबकि दिल्ली से एम० पीज० पूछते हैं कि बाजपेयी जी की स्थिति बताओ। मेरा निवेदन है कि इस स्थान पर भी सुधार आना चाहिये और यह प्रिविलेज समाप्त होना चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि प्रिविलेज्ड क्लासेज चलें। प्रदेश में इस तरह की स्कूलें चलें जहां पर गरीब बालक नहीं पढ़ सके, उसके पास बस में बैठने के लिये पैसे नहीं हों। गरीब बच्चों को ऐसे स्कूल्स के अन्दर एडमिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि बसों के पैसे देकर वे वहां पर नहीं जा सकते। तब यह कौनसी सोशियलिस्टिक कन्ट्री है। 25 वर्ष की आजादी के बाद भी देश के बच्चे चिथड़े पहने हुए हैं। गरीबों के बच्चे शिक्षा से महरूम महज इसलिए रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है तब यह कौनसा समाजवाद है। मैं इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं जिससे सही बात को इम्प्लीमेन्ट करें ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। देश के गरीब के बेटे को, देश के शिक्षित व्यक्ति को, देश के सक्षम व्यक्ति को, यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि, यह अमेन्डमेन्ट संविधान में किया जाना चाहिये, और राजस्थान को इसके लिये पहल करनी चाहिये कि वह संसद को, देश की प्रधानमंत्री को इस प्रकार का एक प्रतिनिवेदन दे कि देश के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को काम करने का मौलिक अधिकार है। संविधान में यह संशोधन हो तो बढ़िया हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। हां, एक बात और कहना चाहता हूं। यह आरोप लगाना कि हमारी पोलिसीज को इम्प्लीमेन्ट करने के लिये वर्ग विशेष उत्तरदायी है। यह हमारी असफलताओं पर पर्दा डालना है। आज बागडोर मेरे हाथ में है तो एक व्यक्ति, एक कर्मचारी उसका इम्प्लीमेन्ट कैसे नहीं कर सकता है। संसार में कई

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

अन्य प्रजातंत्रीय देश हैं। इंग्लैन्ड में कन्जर-वेटिव गवर्नमेन्ट हो, चाहे लेबर गवर्नमेन्ट हो, वहां पर भी सर्विसेज पोलिसीज को इम्प्लीमेन्ट करती है जो कि कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिये जाते हैं। ऐसे डिसीजन सदा से होते रहते हैं। अमेरीका में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेन्ट हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी की, उनकी पालिसीज को अधिकारी ही इम्प्लीमेन्ट करते हैं परन्तु भारत में क्रियान्वित नहीं होती है तो यह हमारे मंत्री मण्डल के ऐसे व्यक्तियों का ढीलापन होगा जो कि उनसे क्रियान्वित नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि वे हमारे आदेशों का पालन नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का दोषारोपण कर हम अपने दोषों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करें और ऐसी क्लासेज को भी समाप्त करने के लिये अमेन्डमेन्ट लावें, कानून बनावें और जरूरत हो तो संविधान में भी संशोधन करें।

## व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

### मुख्य मंत्री, श्री बरकतुल्ला खां द्वारा रात के समय टेलीफोन न सुनने सम्बन्धी स्पष्टीकरण

**श्री बरकतुल्ला खां** : दो मिनिट····एक परसनल एक्स्प्लेशन देना चाहूंगा।

एक बात यहां पर कही गयी है। इनका टेलीफोन रात को दो-ढाई बजे के करीब आया था। यकीनी बात है। कोई एमरजेन्सी होती तो मैं जागता रहता इमरजेन्सी की सीचुएशन नहीं थी। रात को ढाई-तीन बजे टेलीफोन आये और मुख्य मंत्री उसको सुनने के लिये तैयार रहे तो इस प्रकार कोई भी आदमी इफीशियेन्टली वर्क नहीं कर सकता है। मैं जो कह रहा था यह कह रहा था कि कुछ वक्त तो इनसान को सोने के लिये मिलना चाहिये। मैंने ऐसा गुनाह नहीं किया है। लड़ाई के वक्त बाकायदा जागता रहा हूं। उस वक्त मैं सोता मिलता तो आप कहते। उपाध्यक्षजी, उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी। एवरीथिंग वाज नार्मल। तब ऐसे समय में आदमी को रात को सोने का मौका मिलना चाहिये।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मैं यह कहना चाहता हूं। एक बात यह कहना चाहता हूं, मैंने एक बात यह पूछना चाही थी, बाजपेयीजी को उड़ाने का षड्यन्त्र है···

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : यह आरोप गलत है।

**श्री बरकतुल्ला खां** : आप जो बात कहना चाहें वह कहिये। बाजपेयीजी को जो वी० आई० पी० ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन मैंने दिया है, वह किसी ने भी नहीं दिया है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : रात को एमरजेन्सी का प्रश्न हो तब ही मिल सकते हैं वरना नहीं मिल सकते हैं।

### संविधान (28वां संशोधन) विधेयक, 1972 के अनुसमर्थन प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री केदारनाथ।

**श्री खेतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प पर काफी विचार-विमर्श हो गया है। अकाल पर बहस होना है। मैं समझता

(श्री खेतसिंह)

हूं कि इसमें काफी समय लगेगा इसलिये इसको कुछ ही समय में समाप्त करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कल भी सदन चल सकता है।

श्री केदारनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, 28वां अमेन्डमेन्ट काबिले स्वागत है। रेटीफिकेशन की रस्म अदा कर रहे हैं। इस अमेन्डमेन्ट के आबजेक्टस् और रीजन्स हैं कि हम इण्डियन सर्विसेज में एक कन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटि पैदा करना चाहते हैं। यह उसूल मान लें तो क्या मौजूदा सरकार इस कन्सेप्ट आफ इक्वेलिटि को स्टेट सर्विसेज और इण्डियन सर्विसेज में इन टोटो लागू करना चाहती हैं। दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि क्लास को जैसा उसको इवोल्व करना था, केडर का निर्माण करना था वह यह होना चाहिये था कि सर्विसेज और मासेज के अन्दर फर्क नहीं हो। जिस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, सरकारी मशीनरी के तहत अंग्रेज राज्य करते थे वह सर्विस मासेज से अलग रहती थी। 25 साल में एक तरफ तो एक सिस्टम को लिक्विडेट कर रहे हैं जो कि काबिले स्वागत है, परन्तु इसके साथ ही जो केडर हम तैयार कर रहे हैं वह वैसा का वैसा ही है। मोड ऑफ सेलेक्शन, मोड आफ ट्रेनिंग, उनका एप्रोच, प्रोस्पेक्टिव जो आई० पी० एस०, आई० ए० एस० लोग हैं अगर उनको देखा जाये तो उनका आई० सी० एस० से कोई फर्क नहीं है। कभी हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जितने व्यक्ति आते हैं उनमें 95 प्रतिशत लोग कौनसी स्कूलों में एज्युकेशन प्राप्त करते हैं। यह कौनसी क्लास है, कौनसी कम्यूनिटी है, कौनसी फैमिलिज हैं। इसकी ओर आज तक हमने ध्यान नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सर्विसेज और मासेज में फर्क नहीं हो, हमारी सर्विसेज कमीटेड हो, तो यह बात किसको कहें जब तक कि हमारी मौजूदा लीडरशिप है, साल नहीं डेढ़ साल की बात तो मैं कहना चाहता हूं 25 साल से हमारी लीडरशिप कभी भी पॉलिसीज के बारे में कमिटेड नहीं रही, उनके दिमाग स्पष्ट नहीं रहे कि वे क्या इन्स्टीट्यूशनल चेन्जेज लाना चाहते हैं, कौनसा सोशियल ऑर्डर हिन्दुस्तान में लाना चाहते हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान के सोशियल लेवल पर उस सोशियल ऑर्डर के बारे में विश्वास पैदा करने की कोशिश नहीं की। क्या कभी पॉलिसीज पर विश्वास पैदा करने का प्रयत्न किया तो उसका रिफ्लेक्शन सर्विसेज पर क्या आ सकता है? कभी प्रयत्न नहीं किया गया। इसलिए मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट सर्विसेज में आई० ए० एस० हमारे हाथ में नहीं हैं, उनका कन्ट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जब सिंगल लाइन ऑफ कन्ट्रोल की बात चल रही है, कन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी की बात चल रही है वहां यह मौजूदा आई० सी० एस० की इन्स्टीट्यूशन खराब है तो जो हम केडर तैयार कर रहे हैं? वह किस तरह की है? मौजूदा स्टेट सर्विस के ऑफिसर, हमारे मौजूदा कम्पनी एक्जीक्यूटिव्ज, मौजूदा पार्लियामेन्टेरियन्स, मौजूदा पोलिटिशियन्स, मौजूदा कन्डक्ट इस सारे के सारे सिस्टम को

( श्री केदार नाथ )

बदलना चाहिए जो केडर आई० सी० एस० की है और जो मौजूदा केडर आई० ए० एस० की है उनमें हमने फर्क नहीं किया है, उनकी ट्रेनिंग, उनके दिमाग के दृष्टिकोण, उनके काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं डाला है । इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर हम यह चाहते हैं कि मौजूदा चेन्ज ऑफ सोशियल आर्डर में जो मौजूदा सर्विसेज की सेलेरीज और कन्डीशन्स ऑफ सर्विस वह इन्कम्पेटिबल बन जाये तो आपका मोड ऑफ सलेक्शन, मोड़ ऑफ ट्रेनिंग कौनसा है, कौनसी फैमिलीज से वे लोग आते हैं ? जिन लोगों से राज्य करना चाहते हैं और एक सोशियल ऑर्डर लाना चाहते हैं वे किस कम्युनिटी के लोग हैं वे कैसे डाउन ट्रोडन लोगों को सर्विस में ले आयेंगे ? आज एक मिशिनरी कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है और दूर गांव का रहने वाला बाड़मेर के किसी कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है वह उसके कम्पीटिशन में स्टेंड नहीं कर सकता है। एक गरीब लड़का है जो कि फीस नहीं दे सकता है, जो कि अच्छी तरह से भोजन नहीं कर सकता है उसके अन्दर शुरू से ही एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स पैदा होगा वह कम्पीटिशन में उसके साथ स्टेण्ड नहीं कर सकता है। आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह डिस्पेरिटी कैसे दूर हो ? कैसे इस सिस्टम को बदलें, एज्युकेशन के मोड को बदलें और मोड ऑफ सलेक्शन में चेन्ज नहीं लायेंगे, उस ओर अपने दिमाग को नहीं कर पायेंगे तो केवल इस एमेंडमेंट के लाने से 25 साल की अपनी गलतियों का दोष उनको देना चाहते हैं, उनको दूर नहीं कर पायेंगे। इसलिए आपकी मारफत यह निवेदन है कि दरअसल आपकी मौजूदा लीडरशिप सोशियलिज्म को लाना चाहती है तो आप अपने आपकी एलिजियेन्स को देखें कि क्या आपने अपने मन में ठीक तरह से अपने व्यवहार में क्या आपने समाजवादी व्यवस्था को एडाप्ट कर लिया है, क्या आपके व्यवहार में या वे ऑफ लाइफ में इसको आपने एडाप्ट कर लिया है ? अगर मिनिस्टर उसको एडाप्ट नहीं कर पाते हैं तो मिनिस्टर कैसे सेक्रेटरी को कहे कि सोशियल रिफार्म्स लाये, इन्स्टीट्यूशनल चेन्ज लाये, दोनों का मेल नहीं खाता है। पोलिटिकल लीडर्स और मास में बड़ा फर्क है, एम० एल० एज० और एम० पीज में बड़ा फर्क है, मिनिस्टर और एम० एल० ए० में बड़ा फर्क है । एम० एल० एज० का वेतन और फैसिलिटी आई० ए० एस० से भी ज्यादा है, फिर आप चाहते हैं समाजवाद की बात होगी या कन्सेप्ट ऑफ इक्वोलिटी की बात होगी ? इन्डियन सिविल सर्विस को आप खत्म करना चाहते हैं और जो मौजूदा केडर आप ले रहे हैं उसकी ट्रेनिंग, उसका सलेक्शन और उसके मोड पर सोचना पड़ेगा । अगर आप स्टेट की इकोनामी को बढ़ाना चाहते हैं तो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पर आपका कन्ट्रोल होना चाहिए । अगर उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लेना चाहें तो सेन्ट्रल को रेफर करेंगे, उनको सस्पेण्ड करेंगे तो सेन्ट्रल को रेफर करेगें, और हर बात के लिए सेन्ट्रल को रेफर करेंगे, और फिर कहते हैं कि स्टेट इकोनामी ठीक रहे तो यह कैसे हो सकता है ? यह एमेंडमेंट स्वागत के लायक है । अगर यह 10 साल पहले होता तो कुछ और तब्दीली

(श्री केदार नाथ)

आती, और अब भी नये पैटर्न पर ले आये तो मैं आपका स्वागत करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : दो शब्द में कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : काफी टाइम हो गया है और आप बोल चुके हैं।

**श्री खेतसिंह** : सिर्फ दो ही शब्द बोलना है।

**एक माननीय सदस्य** : दो तो बोल दिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के 28वें संशोधन का मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में जैसा कि अन्य सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है यह संशोधन केवल संविधान के अन्दर जो पहले आई० सी० एस० ऑफिसर्स थे उनके प्रिविलेजेज सुरक्षित थे, उनको हटाने में केन्द्रीय सरकार को बाधा न पड़े इसके लिए किया जा रहा है। इसके बारे में जो विवाद उठाया गया और यह बताने का प्रयास किया गया कि 25 वर्षों के अन्दर भारत की जो प्रगति नहीं हुई है, गरीबी नहीं मिटी है, बेरोजगारी नहीं हटाई जा सकी है, साक्षरता नहीं बढ़ी है, नेशनल वैल्थ, नेशनल इनकम में अभी तक तरक्की नहीं हुई, इन सबका कारण आई० सी० एस० ऑफिसर्स हैं। मैं समझता हूं कि वास्तव में हमें इसके बारे में विचार करना होगा। आई० सी० एस० ऑफिसर्स संविधान के लागू होने के बाद 54 में ही समाप्त कर दिये गये। आज भारत में एक भी आई० सी० एस० ऑफिसर नहीं है। सारे के सारे आई० सी० एस० ऑफिसर को आई० ए० एस० के अन्दर ले लिया गया, और उसके बाद में वे रिटायर हो गये। कुछ उनमें से आज हैं उनको समाप्त करने का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है और न वे समाप्त ही किये जा रहे हैं, केवल उनके प्रिविलेजेज को समाप्त करने की बात है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस एमडमेंट को पास करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि शासन-व्यवस्था से आई० सी० एस० या आई० पी० एस० को समाप्त कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी को यह कह कर कि जो भी कमियां रहीं, जो भी असफलताएं रहीं, जो प्रगति के चरण आगे नहीं बढ़ सके, जो योजनाएं लागू नहीं की गई, राजस्थान नहर नहीं बन सकी और कल-कारखाने नहीं बन सके, उत्पादन नहीं हुआ या देश को अगर आगे नहीं बढ़ा सके तो उसका कारण यह ब्यूरोक्रसी, यह नौकरशाही है, तो यह वास्तव में बहुत बड़ी भूल है। नौकरशाही शासनतन्त्र का अंग होती है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में आई० सी० एस० की कड़ी ने लोगों को फांसी के फन्दों पर लटकाया है उनका जितना अधिक से अधिक कन्डेमनेशन किया जाय वह कम है, लेकिन आज के युग में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जेलों के अन्दर लाठी चार्ज, बालक, स्टूडेन्टस, बच्चे या अन्य व्यक्ति, जो बेरोजगारी की समस्या को लेकर आयें, उन पर लाठी चार्ज, गोली

( श्री गुमानमल लोढ़ा )

चलाई जा रही है। पिछले 25 सालों में राजस्थान में जितने गोली काण्ड इस सम्बन्ध में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। क्या आई० ए० एस० ऑफिसर्स गोली चलवाते हैं? क्या आई० ए० एस० ऑफिसर्स यहां पर विद्यमान हैं? हम शासन-व्यवस्था को समझें। इसमें जितनी कमियां, अभाव-अभियोग या जितने भी प्रकार के हमारे ओमीशन्स, कमीशन्स हुए हैं उन ओमीशन्स और कमीशन्स के लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए। नौकरशाही का कह कर या ब्यूरोक्रेसी को उसका दोष देकर उससे अलग नहीं हो सकते या उन लोगों के सिर पर चढ़ कर जिनके लिए यहां पर कहने वाला नहीं है, जिनकी तरफ से कोई बोल नहीं सकता, हम चल नहीं सकते। क्या कोई ऑफिसर मंत्री के कहने के खिलाफ कार्य करता है? गड़रा रोड में 8 घन्टों तक कड़कती गर्मी के अन्दर राजस्थान के लोग नहीं दिल्ली के लोग श्री लालचन्द अडवानी, भानुकुमार जी को और मेरे को पुलिस ने खड़ा रखा और किसी प्रकार का आश्रय नहीं दिया गया, क्या यह ब्यूरोक्रेसी के कारण था? क्या इसकी राजस्थान सरकार पर जिम्मेवारी नहीं है? क्या राजस्थान के मंत्री-मण्डल के लोग इतने अक्षम थे? माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह कर नहीं बच सकते कि हमें गिरफ्तार नहीं किया गया था। यदि गिरफ्तारी नहीं की गई थी तो एक हजार व्यक्तियों को वहां पर दफा 63 क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत रिहा क्यों किया गया। गिरफ्तार करके ही तो दफा 63 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर रिहा करते हैं। 8-10 घण्टों तक बराबर गिरफ्तार रखा गया। क्या इसका दोष ऑफिसर्स को है। यह हम जानते है कि ऑफिसर्स को इस प्रकार की इन्स्ट्रक्शन्स मिली है। यहां पर केबिनेट में मंत्री-मण्डल बैठा हुआ विचार करता है कि ये वायलेशन करने जा रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) गड़रा रोड पर सत्याग्रह हो रहा है और वहां पर यह होता है तो मंत्री-मंडल ही इस प्रकार की कार्यवाही के लिए जिम्मेवार हो सकता है या आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर ?

दूसरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आई० सी० एस० को समाप्त कर दें, आप आई० ए० एस० को समाप्त कर दें या आर० ए० एस० को समाप्त कर दें तो क्या हम चुन कर........

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** एक तरफ तो आप एमेंडमेंट का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ उनकी वकालात करते हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** आई० ए० एस० और आई० पी० एस० जनतन्त्रीय, लोकतन्त्रीय तरीके से हमारे साथ में चलें यह देखना मंत्री-मण्डल का कार्य है। मंत्री मण्डल सुपीरियर आथोरिटी है, उसके पास में अधिकार हैं, उनको वे रोक सकते हैं। पॉलिसी डिसीजन के खिलाफ कोई कार्यवाही करे तो उनको सेक किया जा सकता है। सेक किया क्यों नहीं जाता है? मैं यह पूछना चाहता हूं। मंत्री-मंडल के लोग अपने मातहत ऑफिसरों से अपने अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करवाते हैं और 5 कार्य वे करवाते हैं तो दो कार्य ऑफिसर अपने स्वार्थ के अनुसार करवाते हैं। आई० ए० एस० ऑफिसर की ही बात नहीं करता लेकिन जो कनिष्ठ लिपिक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और दीर्घ लिपिक हैं वे भी कहते हैं कि मंत्री महोदय यह आपका काम हो गया अब एक काम मेरा भी करवा दें। देश का व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए सर्विस में कम्पीटिशन चाहता है..

आप उस प्रणाली को दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आई० ए० एस० के विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाये। केन्द्रीय शासन द्वारा इसके लिए एक एक्ट भी बनाया जाये। क्योंकि केवल एक्ट बनाने से ही काम नहीं हो सकता है। और न यह शासन प्रणाली को दोष देने से हो सकता है। जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, कनिष्ठ लिपिक हैं, पटवारी हैं, जब तक वह काम करें। जो काम प्रेम से हो सकता है, वह गाली देने से नहीं हो सकता है। जहां मैं 28वें संशोधन का समर्थन करता हूं वहां दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने मुंह को गले में डाल कर देखें, किस का दोष आता है। क्या नौकरशाही में कार्य करने की क्षमता नहीं है? हम एक ट्रान्सफर करते हैं फिर उसको कैंसिल करते ह। चार महीनों में हजारों ट्रांसफर हुये हैं और केन्सल हुए हैं। इसी प्रकार से आई० पी० एस० हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आर० ए० एस० हैं, आई० ए० एस० हैं। कोई भी हो, सबसे पहले हम अपने ऊपर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ में समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मुझे समय दिये जाने के लिए कहा गया था। मुझे वक्त दिया जाये। मैं नम्र निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 28वें अमेंडमेंट का प्रश्न आज भारत के अन्दर 50 व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है। यह हमारे देश की प्रगतिशील नीतियों का प्रश्न है। उनके इम्प्लीमेण्टेशन का प्रश्न है। आप देखेंगे कि हमने भारत के अन्दर कई प्रगतिशील कदम उठाये हैं। उन्हीं का यह भी एक अंग है। आज आई० ए० एस० के प्रिविलेज का प्रश्न चलता आ रहा है। जिन्होंने जनता के अधिकारों को कुचला है, वहीं अमेण्डमेण्ड का समर्थन करते हैं। हम इसको समाप्त कर अपने उद्देश्य को हल करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप समर्थन करते हैं तो पूर्ण रूप से कीजिये। पूर्णरूप से समर्थन करना चाहिए। आज जो नौकरशाही है, वह आन्दोलन करने को हावी होती है। तो उस नौकरशाही को हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। वह शासन को फ्ल्युअर करने वाली नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी है। जैसा कि अभी मने कहा है, इन्होंने जनता के बड़े-बड़े आन्दोलनों को कुचला है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। पूर्णरूप से इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को हमेशा के लिए समाप्त किया जाये। उनके वकीलों से भी निवेदन करूंगा कि वक्त के साथ बदलने की कोशिश कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

**श्री परसराम मवेरणा :** माननीय उपाध्यक्षजी, इस समय सदन में जो संकल्प लाये हैं, इसका संसद के दोनों सदनों ने समर्थन किया है। यह संशोधन विधेयक पारित किया गया है। यह सदन उसका रेटीफिकेशन करता है। आर्टिकल 14 में, इण्डियन सिविल सर्विस रूल सन्, 1924 में बनाये गये थे। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो यह प्रश्न सामने आया कि आई० सी० एस० के जो विशेषाधिकार हैं, उनको रखा जाये या नहीं। तो 1947 में यह हुआ था कि संविधान के 314 आर्टिकल लगाकर उनकी सर्विसेज को प्रोटक्टेड किया गया है। इसका मतलब यह है कि 314 में हिन्दुस्तान की पार्लियामेण्ट द्वारा यह रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि उनके हाथ नहीं लगा सकते हैं। वह अमेण्डमेंट रिमूव करने के लिए यह 28वां संशोधन लाया गया है। यह 28वां संशोधन भारी बहुमत से, 3/4 बहुमत से पारित किया गया है और वही रेटीफिकेशन के लिये सदन के सामने है।

**श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) :** यहां पर तो मैं एक ही हूं।

**श्री परसराम मवेरणा :** मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस सदन में आपने अपने विचार रखे हैं। जो संशोधन रखा गया है, उस का सभी स्वागत् कर रहे हैं। इसीलिए यह अमेण्डिंग बिल राजस्थान विधान सभा के सामने है। कुछ माननीय सदस्यों ने स्वागत् करते हुये यह कहा है कि इसे इतनी देर से क्यों लाया गया है। मेरा निवेदन है कि जिस समय यह चर्चा हुई थी तो अनन्ता स्वामी आयंगर और कई माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि इस प्रकार का आर्टिकल नहीं बनाया जाये। उस वक्त गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदन को कनवीन्स किया था कि हम सदन के जरिये से रख रहे हैं। पार्लियामेन्ट इसको चेंज कर सकती है। इसलिए इस बारे में यह सोचा जाये कि उस वक्त जो ऐश्योरेन्स दिया गया था उसका उलंघन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा इनको भी आई०ए०एस० ऑफिसर कहते हैं। ये 1972 में 111 थे। आखिरी आदमी इस सर्विस का जो रिटायर होगा, वह होगा 1979 में। यह प्रश्न लम्बा नहीं है। यह कहा जाये कि एक पर्टिक्युलर क्लास के साथ में यह भेदभाव क्यों? यह तो—

Concept of equality ho····

इसको ही बिल में लाने का है। वह यह है, इसमें साफ लिखा गया है:—The concept of a class of officers with immutable conditions of service is incompatible with the changed social order.

तो देश के समाज में जो हम रद्दोबदल करना चाहते हैं, उसमें सर्विस क्लास में एक 'ए' क्लास रहे और एक दूसरी क्लास रहे, तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं रहेगा। इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है। यह बात सही है कि जो बिल पार्लियामेन्ट ने पास किया है उसको दूसरे स्टेट्स भी रेक्टीफाई करे ताकि उस लेजिस्लेशन को पावर मिले। इस बिल के पास होने से पार्लियामेन्ट को पावर मिलेगी और इसके अलावा पार्लियामेन्ट में एक दूसरा और बिल आ रहा है उसकी क्या कन्डीशन्स होंगी, क्या उसके मेरिट

(श्री परशराम मवेरणा)

होंगें यह तो राज्य सभा और लोक सभा के सोचने का प्रश्न है। हमारे सोचने का प्रश्न नहीं है क्यों कि यह संविधान में संशोधन का प्रश्न है। इसमें इतना जरूर है कि इस बिल के पार्लियामेण्ट के अन्दर पास हो जाने से स्पेशियल सर्विस कन्डीशन्स की जो सर्विसेज थी वह अब समाप्त हो गई। उसमें तब्दीली की जा सकती है। अभी इस संबंध में राज्य सभा में डिबेट चल रही थी तो हमारे हिन्दुस्तान के स्टेट मिनिस्टर फोर होम ऐफेअर्स ने कहा कि जो एश्योरेन्स की बात जो कहते हैं वह गलत है। मैं उसके कुछ रिलेवेन्ट पोरशन पढ़ना चाहता हूं।

"It was under these circumstances that the special guarantees as provided in Article 314 were incorporated in the Constitution. Sardar Vallabhbhai Patel never meant them to be eternal or immutable. So, there is no question of any breach of faith or breach of promise. The behaviour of some members of the ICS fraternity has not strengthened Government's hands in resisting a demand for removal of the special conditions of service. Some ICS officers have behaved like Shylock demanding his pound of Flesh. They have fought bitter legal battles over wholly proposterous demands like the home leave in England, payment of pension in sterling and so on. A class of officers that still has elements in it that think in such antiquated manner naturally would not command much sympathy in this House. To make such demands which are completely out of tune with national ethos is one of the most objectionable aspects of some members of this service, which happily, has many members who have comletely got over this mentality. There are officers who have adapted them selves to the changed circumstances admirably and have helped the Government in the formulation and implementation of progressive policies and I would take this opportunity of placing on record our sense of appreciation for their work.

I would therefore request hon, members not to indulge in a wholesale condemnation of officers or a particular class. There are exceptions and we are very happy to remember them on this occasion.

So there is no question of any pledges that were given or any promises that were made. Actually, this change was envisaged even during the debates that took place then. So to bring in this thing

(श्री परसराम मदेरणा)
now at this state that what we are doing is not a proper thing, does not stand to reason."
तो मेरा निवेदन है कि जो यह कहा जा रहा है कि कोई एन्स्योरेन्स दिया गया था उसका उल्लंघन किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और भारत सरकार उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है यह गलत। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है उसका अनुसमर्थन किया जाय।

**श्री लक्ष्मणसिंह महारावल** : इसमें पेन्शन की दर में परिवर्तन जो किया है उससे यह मालूम होता है कि जो एश्योरेंस उनको उनकी पेन्शन वगैरहा के बारे में दिये गये थे वह पूरे नहीं किये गये।

**श्री परसराम मदेरणा** : The concept of a class of officers with immutable conditions of service is incompatible with the changed social order. Regarding conditions of service as respects scales of pay leave, pensionary rights etc. उनकी पेन्शन वगैरहा के बारें में कुछ भी कहना मैं वाजिब नहीं मानता। क्योंकि वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के लेजिस्लेशन के ऊपर निर्भर करती है। मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरे आज के समय को देखते हुए जो चेन्ज आज के समाज में आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की सर्विसेज को स्पेशियल गारन्टी देना संविधान के खिलाफ है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्त हैं, आज का जो सामाजिक न्याय है, और आज का जो सामाजिक ढांचा है उसके खिलाफ है। इसलिए मैं यह इस सदन में निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसका अनुसमर्थन किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा-पारित संविधान (अठाइसवां संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा भारत के संविधान में, उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्रान्तर्गत किये जाने हेतु प्रस्थापित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है। क्या इसको पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

अनुसमर्थन संकल्प पारित किया गया।

**शासकीय संकल्प राज्य की बाढ़ एवं अकाल स्थिति सम्बन्धी**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसराम मदेरणा।

**श्री परसराम मदेरणा** (अकाल राहत मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य के बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार किया जाय। इससे पूर्व कि इस सदन मे इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। राजस्थान राज्य में कृषि लगभग पूर्णतया मानसून की वर्षा पर ही निर्भर है। परिणामस्वरूप राज्य में लगभग प्रतिवर्ष कहीं न कहीं सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1971 में जबकि देश में सब जगह स्थिति सामान्य थी राज्य

**(श्री परसराम मदेरणा)**

के 12 जिलों के लगभग 4500 गांवों में खरीफ व रबी की फसल में खराबी होने के कारण अभाव स्थिति घोषित की गई थी। अलवर एवं भरतपुर जिलों में 2135 गांवों में अभावस्थिति घोषित की गई थी। अलवर एवं भरतपुर जिलों में न केवल भू-राजस्व की वसूली रोकी गई थी। अभावग्रस्त घोषित गांवों में समस्त सहायता व्यवस्था का पूर्ण प्रबन्ध किया गया था।

जून 1972 के अन्तिम सप्ताह में मानसून की वर्षा प्रारम्भ हुई। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून की वर्षा लगातार होती रही और उससे यह आशा बन चली कि इस साल अच्छी फसल हो जावेगी। जुलाई के पहले सप्ताह के बाद मानसून राज्य से गायब हो गया और लगातार 4-5 सप्ताह तक मौसम सूखा रहा। नतीजा यह हुआ कि सारे राज्य में खरीफ की फसल की हालत खराब हो गई। मोटे तौर पर यह पाया गया कि लगभग 50 प्रतिशत रकबा बोया ही नहीं गया। और बोये गये रकब में भी 50 प्रतिशत खराबी हो गई। अगस्त के पहले हफ्ते में हालत इतनी नाजुक थी कि सारे राज्य में अकाल के आसार दिखाई देने लग गये थे। मगर अगस्त के दूसरे सप्ताह में राज्य में मानसून की वर्षा फिर शुरू हो गई और राज्य के पूर्वी हिस्सों में हफ्ता भर से लगातार वर्षा हो रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बून्दी, झालावाड़, झुन्झुनूं, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, नागौर तथा चूरू जिलों के हिस्सों में अब सूखे की स्थिति नहीं रही है और खरीफ की फसलें ठीक हो जाने के आसार नजर आने लगे हैं। वर्षा अच्छी हो जाने से से तालाबों में पानी आ गया है और अगली रबी की फसल इन क्षेत्रों में अच्छी होने की उम्मीद की जा सकती है। सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में तो इतनी वर्षा हुई है कि कई जगह बाढ़ की स्थिति हो गई है। 10 अगस्त से 12 अगस्त, 72 तक सवाई-माधोपुर व भरतपुर जिलों में लगातार वर्षा होने से गम्भीर बाढ़ आ गई। तालाबों और बांधों में भी काफी पानी आ गया जिससे कहीं कहीं तालाबों में दरारें पड़ गईं व कई छोटे व बड़े बांध टूटे भी हैं। अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण फसलों व कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। सैंकड़ों गांवों में लोग पानी से घिर गये। कच्चे पक्के मकानों को काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। सड़कें भी कई जगहों पर कटी हैं। इन बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन हर सम्भव राहत दे रहा है। जिला सवाई माधोपुर में 7 अगस्त, 72 से लगातार वर्षा होने के कारण कई जगह रेल्वे लाइन पानी में डूब गई एवं कुछ जगह टूट भी गई हैं। बाढ़ ग्रस्त लोगों को सहायता देने के लिए सेना से सहायता मांगी गई है। सेना द्वारा पानी को रोकने का कार्य किया गया और लोगों को हेलीकोप्टर से खाने के पैकेट गिराये गये हैं जिसमें पका हुआ खाना होता था।

दूसरी ओर राज्य का पश्चिमी व दक्षिणी भाग है, जहां वर्षा के अभाव से जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली,

**(श्री परसराम मदेरणा)**

बीकानेर, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, चूरू एवं नागौर जिलों के कुछ हिस्सों की सोचनीय-स्थिति बनती जा रही है। इन क्षेत्रों की खरीफ फसल करीब करीब समाप्त सी होना प्रतीत होता है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली व अजमेर में पेयजल व्यवस्था भी गम्भीर है। संवत् 2028 में करीब 500 गांवों को पेय जल उपलब्ध कराया गया। अभी भी काफी गांवों म पेयजल व्यवस्था जारी है। उनके पशुधन को सुरक्षित रखने हेतु राज्य के पूर्वी जिलो में राज्य के बाहर पशुओं का निष्क्रमण करना होगा। काफी मात्रा में चारे का प्रबन्ध भी उनके लिये करना होगा तथा पेयजल व्यवस्था भी सुचारु रूप से चालू रखनी होगी। लोगों को व्यवसाय देने के लिये वहां राहत कार्य भी चालु रखने होंगे। प्रोफेसर शेरसिंह, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार के जयपुर आगमन पर उन्हे 10 अगस्त, 1972 को राज्य सरकार ने एक ज्ञापन दिया है। और तुरन्त केन्द्रीय सहायता हेतु निवेदन किया गया है। केन्द्रीय अध्ययन दल की ओर से भी श्री मानचन्दा आज से राज्य के दौरे पर आगये हैं और उनसे विचार विमर्श करके विस्तृत व्यवस्था की जावेगी।

राज्य के पूर्वी व दक्षिणी जिलों में वर्षा होने से खरीफ की फसल में जहां पहली बुवाई से जो फसलें खड़ी रह गयी उनको जान मिल गई। मगर पैदावार में अन्तर जरूर आवेगा व मक्का, बाजरा, ज्वार को देरी हो जाने से काश्तकार बोना पसन्द न कर जोखिम उठाने की स्थिती में नहीं हैं सिर्फ मूंग, मोठ व ज्वार की बुवाई हो सकेगी। राज्य सरकार ने 1 अगस्त, 1972 को सम्पूर्ण राज्य में बनी अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान केटलफीडर ऑर्डर 1972 दिनांक 5-8-72 से लागू कर राज्य के बाहर चारा भेजने पर भारत सरकार की अनुमति से नियन्त्रण लगा दिया है।

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य व पेयजल व्यवस्था बदस्तूर चालू रखने को जिलाधीशों को दिनांक 1-8-72 को आदेश प्रसारित कर दिये हैं।

खाद्यान्न के सम्बन्ध में लोगों को ठीक दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध करने हेतु जिलाधिशों को सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के आदेश दिये जा चुके हैं और खाद्यान्न खाद्य निगम के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार इस स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग है और अपने साधनों के आधार पर समस्त आवश्यक व्यवस्था कर रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भोपालसिंह।

**श्री भोपालसिंह** (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले करीब पन्द्रह दिनों में पहले हिन्दुस्तान और पूरे उत्तर भारत में यह चिन्ता का विषय था कि सूखा पड़ने वाला है लेकिन काफी जिलों में वर्षा हो गयी। और कहीं

(3.32 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

कहीं बाढ़ भी आगयी है जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया। यह भी समस्या का विषय है।

जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया और उल्लेख किया कि हमारे प्रान्त के पश्चिमी जिले में खास तौर से जैसलमेर,

( श्री भोपाल सिंह )

बीकानेर और बाड़मेर में बहुत ही भयंकर स्थिति बनी हुई है और जैसलमेर की स्थिति तो विशेषतौर से भयंकर है और उसके कुछ कारण हैं । जैसलमेर का एक पांचवा हिस्सा ऐसा है जहां पिछले 11 वर्ष से बराबर अकाल पड़ता आ रहा है और कुछ कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पिछले दस वर्ष से अकाल है और कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पिछले 9 साल से अकाल है और कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पिछले 12 वर्ष में 8 वर्ष से अकाल न पड़ा हो । सन् 1958-59 के बाद में वहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति अस्तव्यस्त हो गई है और उनका जीवन का आधार भी टूट चुका है । जो कुछ भी उनके पास में गहने थे और कोई चीज भी थी उस पर और कर्ज लेकर पैसा बटोरना शुरू किया और जो कुछ बचा या बचा कर रखा था और ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि जो कुछ भी है वह भी नाश होने वाला है, वह भी खत्म होने वाला है। और जीवन का एक आधार ही उनका चला जाता है । शायद इस वर्ष बारिश न होने से फेमिन डिक्लेयर होकर फेमीन कोड के नीचे हमें राहत भी मिल जावेगी लेकिन पशुओं के मरने के बाद अगला वर्ष भी फेमीन डिक्लेयर हो गया फिर भी उनका आर्थिक आधार और जीवन का सहारा तो नष्ट हो जावेगा। पूरे जिले के लिये कोई उपाय नहीं सूझ रहा है । ऐसी स्थिति क्यों आती है ? क्या कोई सुधार नहीं हो सकता था ऐसा लगता है कि पिछले काफी अर्से से जब से राजस्थान बना है, उससे हमारी स्थिति अलग थी क्यों कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान जब एक थे जसे ही अकाल पड़ता सिन्धु घाटी में घुस जाते थे। पशुओं के लिये फीडर मिल जाता और मनुष्यों के लिये काम मिल जाता । अब जब अकाल पड़ता है और ऐसी स्थिति बनती है तो पशु वहां से पूर्वी राजस्थान में पहुंचने में असमर्थ होते हैं । बीच में फसलें खड़ी हैं या तो पशु बचगें या फसलें बचेंगी । पिछला तजुर्बा है । पशुओं के ले जाने में बड़ी मुश्किलात है ।

राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसके आस पास की तहसीलें हैं, बीकानेर जिला और जोधपुर जिले का योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं हुआ है और पूर्वी राजस्थान यह महसूस किया करता है कि एक बड़ा हिस्सा इस ओर आ रहा है वित्त मंत्रीजी के भाषण में एक संकेत दिया गया था कि पश्चिमी म स्थल और अमरुस्थलीय स्थानों में कसी गतिविधि है । डेयरी के लिये 120 करोड़ का प्रावधान था लेकिन अब मालूम हुआ कि पश्चिमी मरुस्थल में एक पैसा भी नहीं लगाया जा रहा है और उसको पूर्वी राजस्थान म लगाया जावेगा । कोटा और भरतपुर में लगायेंगे । मेरी उनसे कोई खिलाफत नहीं है । सही आधार तो यह होना चाहिये कि पशु कहां का अच्छा है । लैंड रेशियो, एनिमल रेशियो क्या है और पशुओं की क्वालिटी और यील्ड क्या है, डेरी फार्मिंग का बेस क्या है उसको देखें तो पश्चिमी राजस्थान में राठी और थारपारकर गायें ऐसी हैं, यदि वे बच जांय और उनको प्रोजेक्ट में रख कर डयरी फार्मिंग करें तो राजस्थान सरकार की तरफ मदद के लिये नहीं पहुंचेंगे और नहीं राजस्थान सरकार से सहायता मांगेंगे । उनका यह धन्धा ही काफी उनको मदद पहुंचाने वाला है । उनकी काफी क्रय

( श्री भोपाल सिंह )

शक्ति हो जावेगी। लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने से आज पशुओं की देश की अच्छी नस्ल खत्म होने जा रही है। भेड़ों की सबसे उत्तम नस्ल केवल राजस्थान में ही नहीं किन्तु भारत वर्ष में है, वह भी खत्म होने जा रही है। उसके लिये कहीं चारा नहीं दिखता है। 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, लैंड रेशियो, लैंड एनिमल रेशियो और ईल्डिंग केपेसिटी को देखते हुए 120 करोड़ रुपये पूर्वी राजस्थान में खर्च करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इट विल नोट बी सक्सेसफुल। पश्चिमी राजस्थान में यह पैसा लगे तो पूर्वी राजस्थान पर हम भार स्वरूप नहीं होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम दूसरों पर भार हों और वे हमारा भार सहें। हम बराबर के सहयोगी होना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रान्त की प्रगति में हम सहयोग दे सकें। इसलिये यह जो नीति रही है इसको करेक्ट किया जाय और मैं आप के जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे जो मवेशी हैं और हमारा जो जीवन आधार और आर्थिक जीवन का आधार है उसको किसी प्रकार बचाया जाय।

माइग्रेशन की बात कही जा रही है। अजमेर, पाली जिले की मवेशी का माइग्रेशन हो सकता है लेकिन जैसलमेर की मवेशियों को पूर्वी राजस्थान में पहुंचने में बड़ी मुश्किलात है। पहले पचास हजार बतायीं। अब एक लाख हो गयी हैं और भेड़ 1½ लाख हैं। उसके लिये फोडर का इन्तजाम होना चाहिये।

चीप ग्रेन्स की आपने व्यवस्था की है। सब जगह काम हो रहा है। दूसरा, जहां तक पेय जल का सवाल है जहां पेय जल की कमी है वहा आप ट्रकों के जरिये पानी पहुंचा रहे हैं। पर इसके अलावा मेरा निवेदन है कि जो रीजनल पाइप लाइन्स हैं जिनकी संख्या 17 है और जिनके बारे में रूरल डवलपमेन्ट में बजट भी है उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करके उन पाइप लाइन्स को इन जगहों से मिलाया जाय।

दूसरे जो फेमीन के काम चलेंगे उनके बारे में मेरा सुझाव है कि जैसे पहले प्रायरिटी के काम आपने तै किये थे वे स्ट्रिक्टली जैसलमेर में करी आउट नहीं हो पावेंगे।

अब सोइल स्टेबिलाइजेशन का काम है यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि वहां सोइल ब्रेकर लगाये जावें। इसके लिये पहले पानी की आवश्यकता है। बरसात की कुछ बूंदें भी अगर हो जाय तो यह सोइल स्टैबिलाइजेशन का काम कर सकते हैं। इसके अभाव में इस लैंड ड्यून्स में स्टेबिलाइजेशन का काम सक्सेसफुल्ली हो नहीं पावेगा।

स्थायी कामों में सड़कें हैं, नाडियां हैं। ये काम आप हरेक पंचायत समिति म खोलें।

अब लोगों का अपने पशुओं को छोड़कर किसी एक ही जगह पर कन्सेन्ट्रेट होना मश्किल है। वसे पिछले दो बड़े अकालों के अन्दर जैसलमेर जिले में आठ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। पर अगर इस पसे को ठीक तरह से खर्च किया जाता या अगर यह रकम ट्यूब वैल खोदने में लगाई जाती तो 1600 ट्यूब वैल पचास

(श्री भोपाल सिंह)
हजार के हिसाब से खोले जा सकते थ और अगर एक ट्यूब वैल में बीस कुटम्बों को भी सहारा दे तो बहुत बड़ी संख्या में लगभग 30 हजार कुटम्बों को सहारा मिल सकता है।

लेकिन वह पैसा भी गया। आज हमारी लाचारी इतनी ही है कि जो आठ करोड़ रुपया आपने पहले व्यय किया वह व्यर्थ चला गया। उसको ठीक तरह से ट्यूब वैल में ही खर्च करते तो बड़ा सहारा लगता।

राजस्थान कैनाल को भी शुरू किया जा सकता है जैसलमेर की तरफ। इसमें यह कहा जा सकता है कि सैंड ड्यून्स के कारण आंधी में वह फिर से भर जावेगी तो ऐसी सूरत में जहां कठोर पठार भूमि है वहां अभी से वह खोदी जा सकती है। वैसे काफी नजदीक आ गया है इसका काम। सड़कें भी बननी शुरू हो गई हैं। तो टेल की तरफ से राजस्थान कैनाल को खोदने का काम शुरू हो जाना चाहिये। इससे पैसे का वेस्टेज नहीं होगा। जैसा पहले सड़कों में हुआ था। जो सड़कें अधूरी है वे भी पूरी करना जरूरी हैं।

यह भी पाया गया है कि सड़कों के बिना ट्यूब वैल का काम भी नहीं हो सकता। इसके बिना ट्यूब वैल की भारी मशीनरी इधर उधर आ जा नहीं सकती। इसी तरह से सौइल स्टेबिलाइजेशन का काम भी हाथ में लिया जा सकता है। ये सब काम अगर हो जाते हैं तो हमारे लिये एक इन्फो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है।

**श्री सभापति :** श्रीमती कान्ता खतूरिया।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** ऐसा है कि सीरियल नम्बर से आप चलें तो हम सबका नम्बर भी आ सकेगा।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** मेरा नाम भी आपकी लिस्ट में है कि नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सदन की कार्यवाही आज ही तक चलेगी या कल भी चलेगी।

**श्री सभापति :** यह सदन पर है। सदन निर्णय करे कि कल तक चलेगी तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** फेमीन पर जो जितना बोलना चाहे तो उनको बोलने की छूट होनी चाहिये।

**श्री सभापति :** मेरी तरफ से तो ऐतराज नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** ये तो सारे ही कांग्रेस पार्टी के नाम हैं।

दूसरी पार्टी का भी एक एक लीजिये।

सदन में शिड्यूल के अनुसार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया कि नहीं चलेगी कल। कल के प्रश्न भी हमें मिल चुके हैं। मैं ऐसी स्थिति में जानना चाहूंगा कि आज ही सदन समाप्त होगा या कल तक चलेगा। अगर कल तक चलेगा तो यह महत्वपूर्ण विषय है। सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिये नहीं तो स्पष्टतया यह सब एकेडेमिकल यूजलैस डिसकसन है। अगर 12 बजे तक भी चले तो इसे चलाना चाहिये।

**श्री भीमसेन :** समय की पाबन्दी रख दी जावे।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : समय हमें भी मिलना चाहिये ।

**श्री सभापति** : पर यह तो माननीय सदस्य ही तै कर सकते हैं ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : सदस्य ही तो कह कह रहे हैं ।

**श्री प्रद्युम्नकुमार** : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने तै कर लिया है और उसको सदन ने एप्रूव किया है तो अगर अब कुछ रद्दोबदल करना है तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में ही किया जा सकता है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने क्या यह लिमिट तै कर दी है कि सदन 17 को ही समाप्त हो जावे । सदन एक्सटेण्ड हो सकता है और चेयर कर सकता है ।

( 3.47 म. प. )

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : यह अकाल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । सबको अवसर मिलना चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आसन की ओर से सबको अवसर दिया जावेगा । बोलने का । आज का काम चलने दीजिये । समय पर आवश्यक निर्णय कर लिया जावेगा ।

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद** : एक दो घंटे के अन्दर डिबेट समाप्त होगी नहीं । फ्लड और सूखा जैसी महत्वपूर्ण समस्या पर सभी बोलने को आतुर हैं । इससे राजस्थान सरकार को सभी माननीय सदस्यों की राय मिलेगी और इससे उनको बल मिलेगा । बिजनैस एडवाइजरी कमेटी तो है फिर भी ऐसे मौकों पर सदन भी अपवाद रूप में निर्णय कर सकती है और सदन को कल भी चलाया जा सकता है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : उपयुक्त समय आने दीजिये ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : उपाध्यक्ष महोदय, जितने समय आप आज बोल सकते हैं बोल लें । आज आप रात तक बैठ सकते हैं । आज आप लोग थके हुए भी नहीं है । रात तक बैठकर भी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं । फिलहाल बहस शुरू की जावे । मूल मुद्दों पर रोशनी डाली जावे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर जरूरत पड़ेगी इसके लिये तो मैं रात को देर तक भी बैठ सकता हूं । श्रीमती कान्ता खतूरिया ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा निवेदन यह है कि रात जरूर काली की जावे । यह इतना गम्भीर मसला है कि इसके लिये कल का समय दिया जाना जरूरी है । कल का बिजनैस और प्रश्न भी हमें मिल गये हैं । तो कल चलाने में कोई कठिनाई नहीं महसूस होती ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आसन की ओर से सबको बोलने का अवसर दिया जावेगा ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आज पांच बजे इसे समाप्त करके कल के सारे दिन इसके लिये रखा जावे । यह मेरा प्रस्ताव है ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं इसका समर्थन करता हूं ।

**श्रीमती कान्ता खतूरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह अकाल पिछले अकाल से बहुत ज्यादा भयंकर है। यह कहा गया कि अगस्त के पहले सप्ताह में जगह जगह पर सूखे की स्थिति रहेगी लेकिन बाद में वर्षा होने के बाद कई गुना ज्यादा अच्छा जमाना होगा।

मैं यह निश्चित् तौर से कह सकती हूं कि इस बार जो वर्षा हुई है वह सब जगह लेट हुई है। न सिर्फ राजस्थान में ही, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में। इसका नतीजा यह हुआ कि जो पैदावार होनी चाहिये उसमें निश्चित् रूप से इस साल कमी आवेगी और इसका असर हमारे देश पर पड़ेगा। इसलिये अकाल के बारे में पिछली बार भी बार बार इस सदन में कहा गया था कि अकाल की गंभीर विषमता जो हमारे सामने है उसको योजना बद्ध तरीके से खतम करना चाहिये था। उस वक्त भी यह जवाब मिला था कि अकाल अचानक आया है। पिछले वर्षों में ऐसा अकाल नहीं पड़ा इसलिये जल्दी में कलेक्टर को कहा गया और जल्दबाजी में क्रियान्विति नहीं कर सके इसलिये ऐसा एक्शन लेना पड़ा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमने बार बार कहा राजस्थान का पश्चिमी इलाका जो बार बार अकाल ग्रस्त होता है उसके लिये कोई परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक अकाल की समस्या का हल नहीं हो पायेगा। यह भी कहा गया कि इस समस्या के समाधान के लिये एक डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है और उसको यह कहा गया था जो बार बार अकाल पड़ता है उसको हमेशा के लिये खतम किया जाय लेकिन वह डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड बनाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक भी ऐसा कदम नहीं लिया गया है जिससे अकाल पर कुछ असर आ सका हो। मैं निवेदन करना चाहूंगी राजस्थान का एक बहुत लम्बा चौड़ा हिस्सा है, इसमें बहुत लम्बी चौड़ी एरिया आती है, बोर्डर का एरिया है। डेजर्ट को एक साथ खतम नहीं किया जा सकता है यह भी कहा जाता है लेकिन हमारे सामने मिसाल है इजरायल की। इस छोटे से देश ने जहां भयानक डेजर्ट था उसमें क्या प्रगति की है वह भी हमारे सामने मौजद है फिर क्या कारण है कि हमारे यहां अकाल ग्रस्त क्षेत्र का सुधार नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। यह बहुत ही खेद जनक बात है। अभी 10,11 और 12 अगस्त को ही मैंने अपने क्षेत्र का दौरा किया है और वहां की हालत को देखा है। बहुत बदतर लोगों की हालत हो गई है वहां पर लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। आज वहां के लोगों के सामने 25 के अकाल का भी एक दृश्य है लेकिन उस समय कहीं कहीं जमाना हुआ था— आस पास में जमाना हुआ था और लोगों को आशा थी कि कहीं से सहारा मिल जायेगा। एक बार अकाल पड़ जाता है तो कई साल उसको जमाना लाने में लग जाते हैं। दूसरी साल पैदावार में उसको नहीं ले सकते है लेकिन जहां निरन्तर अकाल पड़ता है वहां की स्थिति को अनुभव किया जाय। अगर वहां अकल दो साल भी नहीं पड़े तो कोई असर नहीं पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी और खास तौर से मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी की तरफ ध्यान आकर्षित

(श्रीमती कान्ता खतूरिया)
करना चाहूंगी हवा तो कुदरत देती है इसलिये इन्सान जिन्दा रहता है लेकिन राज्य सरकार आज 25 वर्ष बाद भी पीने का पानी नहीं दे सके तो यह बहुत बड़े दुःख की बात है ।

आज बहुत बड़े-बड़े कारखाने भी खुले हैं । मैं मानती हूं कि प्रगति हुई है, डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उसके साथ-साथ हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे भी हिस्से हैं जहां लोग पानी पीते हैं । वह इन्सान तो क्या जानवर तक भी नहीं पी सकते हैं । कोलायत तहसील जिसमें पानी एकदम खतम होने वाला है और जहां के पानी का रंग एकदम काला और जहर का सा है वह भी पीते हैं । वह पानी भी दो दिन से अधिक अब चलने वाला नहीं है । इस तहसील में ही एक कुआं है । इन्सान अगर उस कुये के पानी को पी ले तो दो दिन में मर जायगा ऐसी बदतर हालत वहां की हो रही है । आज दूसरे मुल्क इतनी तरक्की पर जा रहे हैं और हम लोगों को 25 साल में पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं । पानी एक आवश्यक वस्तु है । मेटेरियेलिस्टिक प्रगति के लिये आप कहते हैं किन्तु वह कोई कन्डीशन नही रखती हैं । बार-बार मैंने सदन में ध्यान दिलाया है कि ब्लेकिश वाटर को हटाकर मीठे पानी की नल योजनायें बनाकर पानी पहुंचाया जाय । आप और विकास के काम को रोक दीजिये, कारखाने मत खोलिये, लेकिन इन्सान को जिन्दा रखने के लिये जो पानी की जरूरत है उसको तो कम से कम अवश्य पहुंचाइये ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि खासतौर से सबसे पहले इस वक्त जो स्थिति खराब है मेरी तहसील में वह पानी की है, भयंकर स्थिति है । बहुत से गांव मेरी तहसील के हैं जिनके नाम म बताऊं बज्जू, मीठड़िया, हुलसी खारी, मन्डार और गड़ियाला जिनमें तालाब और कुण्ड हैं । बरसात का पानी इक्ट्ठा होता था और वह भी ब्लेकिश वाटर । वह पानी भी आज लोगों के पीने के लिये नहीं है । अगर शीघ्र ही कोई व्यवस्था नहीं की गई, कलेक्टर को ऑर्डर दिया होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि 12 तारीख की रात को मैंने घूमकर देखा है कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं है । एक गांव में जरूर टैंकर से पानी भेजा गया है, लेकिन आस-पास के गांवों में बिलकुल पानी नहीं है । अगर दो-चार रोज में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो पशु तो मरेंगे ही इन्सान भी मरेंगे । इसलिय यह बड़ा अहम प्रश्न है । जिन गांवों में पानी टैंकर से भेजने की व्यवस्था है वहां टैंकर द्वारा पानी भेजिये । आपने जो व्यवस्था 10 तारीख तक पहुंचाने की की थी वह अभी तक नहीं हो पाई है । जो कुए पिछले अकाल में खोदे गये थे उनको चालू किया जाय । ब्लेकिश वाटर के लिये मैंने लिखकर दिया है, उसके सर्वे कराने के लिये कहा गया है । गड़ियाला एक गांव है वहां मीठा पानी मिला है । उस स्कीम को बनाकर जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाय ताकि बार-बार ट्रैक्टर और टैंकरों से जो पानी पहुंचता है, उससे मुक्ति मिले । पिछले अकाल में 53 करोड़ खर्च किये गये थे उससे भी भयंकर अकाल है । बार-बार टैंकर से पानी पहुंचाने के बजाय नल योजना बना देते हैं तो इस खर्च से बचते हैं ।

(श्रीमती कान्ता खतूरिया)

मैं निवेदन करना चाहूंगी इसके साथ-साथ कि सस्ते अनाज की दुकानों के बारे में कहा गया था, ऑर्डर हो चुके होंगे, लेकिन 12 तारीख तक कोलायत में एक भी सस्ते अनाज की दुकान नहीं खुली है। यह बहुत ही पिछड़ी हुई तहसील है, वहां लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लोगों के पास पैसा नहीं है जो दूर दूर जाकर महंगा अनाज लायें। इसलिये इस व्यवस्था को भी जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये। उनकी जिन्दगी को बचाने के लिये यह व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक है और सस्ते अनाज की दूकान किसी तरह से भी खुलाई जाय। मैं इस पिछड़ी ई तहसील के बारे में निवेदन करूंगी कि जो खांड का कोटा मिलता है वह भी बीकानेर के पास में जाकर बिक जाता है, क्योंकि गांवों की स्थिति ऐसी नहीं है कि चार-पांच हजार रुपया लगाकर वहां ले लिया जाय, और नतीजा यह भी होता है कि नीचे के कर्मचारी उसको ब्लेक मार्केट में बेच देते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी तो साहब हमारी तहसील का जिक्र किया है। पश्चिमी इलाके में अकाल है इसलिये मुझे समय तो मिलना ही चाहिये। मेरे से ज्यादा समय तो लोगों ने डिसकशन में ले लिया है। मैंने तो अभी पांच मिनिट लिये हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ ट्यूब वैल जो कि हमने पिछले अकाल के समय खुदवाये थे उनको भी अगर हम काम में लें तो कुछ सहारा हो जावे। वहां सारे के सारे ट्यूब वैल आज भी बन्द हैं। कुछ जरूर चालू किये गये, लेकिन आज भी बहुत से ट्यूब वैल हैं जो कोई तो मशीन की कमी से और कोई पैसे की कमी से बन्द पड़े हैं और उन्हें नहीं चलाया जाता है। बारबार मैंने इस और तवज्जोह दिलाई है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। एक गांव रानेदी है कोलायत तहसील में वहां से कुएं में से मशीन उठा दी गयी और आसपास के जंगल में कई गांव मन्डाला, फलादे हैं तो जब कुण्डों में पानी नहीं होता है तो पशुधन को ले जाकर वहां पर पानी पिलाया करते थे, लेकिन आज वह स्थिति भी बन्द हो गयी। रानेदी गांव का ट्यूब वैल है उसको चालू कराया जाये। इसी तरह से बीकानेर के केसरदेसर, किलचू, में ट्यूब वैल खुदवाये थे, लेकिन वह चालू नहीं हुए। इस तरफ सरकार को निश्चित ध्यान देना चाहिए और इस मुसीबत को हल करने के लिए नये ट्यूब वैल खोदे जाने चाहिए। मण्डार, कोटड़ी, फूलासर, गागरियावाड़ा में नये ट्यूब वैल खोदे जा सकते हैं और निश्चित रूप से वहां पर पानी उपलब्ध हो सकता है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पाताल में से भी पानी निकाला जा सकता है—लोग चन्द्रमा तक पहुंच गये हैं और वहां पानी दो हजार फुट पर भी दिखाई देता है तो वहां से क्या पानी नहीं ला सकते। मैं निवेदन करूंगी कि नये ट्यूब वैल खोदकर हमेशा के रेकरिंग एक्सपेन्डीचर को खतम किया जाये और इसका परमानेन्ट सॅल्यूशन निकाला जाये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहती हूं कि राजस्थान नहर के बारे में न मालूम क्यों बारबार कहने के बावजूद भी ऐसी नीति अपनाई जा रही है कि राजस्थान की सरकार आज भारत सरकार को जोर देकर नहीं कहती कि यह एक राष्ट्रीय योजना है और भारत सरकार को इसे अपने

(श्रीमती कान्ता खतूरिया)

हाथ में लेना चाहिए। अकाल जो जैसलमेर, बीकानेर में पड़ता है वह हमेशा के लिए राजस्थान केनाल खतम कर सकती है बल्कि उसके आसपास के इलाके हैं जोधपुर और बाड़मेर के ऊपर भी इसका असर आयेगा। इसलिए इसको युद्धस्तर पर लेकर बनवाया जाये। राजस्थान केनाल में धन का काफी दुरुपयोग होता है कि बारबार खुदाई कराते हैं और फिर मिट्टी से वह जगह भर जाती है, और उसके पैसे का पेमेन्ट होता है और जितना खर्चा मिलता है उसका आधा पैसा भी सही तरीके से खर्च नहीं होता। इसकी तरफ राज्य सरकार पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देती? मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस राजस्थान केनाल को युद्धस्तर पर लेना पड़ेगा और इस इलाके से अकाल की समस्या को सुलझाने की बस यही योजना है और यह एशिया की सबसे बड़ी योजना है और पूरी ताकत लगाकर इसको भारत सरकार को सौंप देना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पर्टीक्यूलर विलेजेज के लिए कहना चाहूंगी। मेरी तहसील में कुछ जैसलमेर जिले के 45 गांव शामिल हैं। जैसलमेर जिले में पहले सेटेलमेन्ट नहीं हुआ करता था और उन लोगों के पास वह जमीन रही उसका कोई रेकार्ड नहीं मिला। हालांकि बाद में समरी सेटलमेन्ट हुआ और लोगों ने जबान से कह दिया उसके हिसाब से एन्ट्री हो गयी और आज लोगों के एक्चुअल पजेशन में ज्यादा है तो उसके ऊपर तावान लगता है और जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है वह तावान कैसे दे सकते हैं। बीच में नहर आने की वजह से इन गांवों में नहर आयेगी तो मालकाना वसूल करने कि प्रथा थी इस मालकाना वसूल करने को सरकार ने बन्द तो कर दिया लेकिन वह सरकार ने उस दिन से बन्द किया जब से कि आॅर्डर्स हुए। लेकिन उन पिछले 6-7 साल जो आॅर्डर्स नहीं हुए तो नहर के नाम पर मालकाना वसूल किया जाना था तो वह नहर नहीं आई और अब बन्द कर दिया तो पहले वह बुनियाद ही नहीं रही। मैं निवेदन करूंगी कि यह मालकाना की वसूली रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बन्द कर देनी चाहिए। जो आपके पटवारी गांवों में हाकिम हैं। वे उनको हेरेसमेन्ट करके उनसे वसूल करना चाहते हैं। जिन लोगों में आज कोई ताकत नहीं है, दम नहीं है वह कैसे तावान दे सकते हैं मैं सही तौर से कह सकती हूं कि मेरे साथ कोई चले तो उसके आंखों से आंसू न निकल जायें तो मैं निश्चित रूप से कहती हूं कि जो कुछ मैं कहूंगी वह दोहराऊंगी नहीं। इसलिए विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है और पटवारियों का हुक्म चलता है, तहसीलदार के पास आया और पटवारी को दे दिया और पटवारी वसूली करता रहे। उन लोगों के अटेचमेन्ट्स होते हैं। पुराने जागीदार तो कानून से तो खतम हो चुके लेकिन बहुत दूर-दूर गांव हैं वहां पर सरकार की छोटी सी पुलिस चौकी होती है और वहां पर पुराने जागीरदार हैं वह पुलिस वालों से करा लेते हैं। किसी की भेड़, किसी की बकरी और किसी की औरत ले जाते हैं। और उनकी कोई सुनाई नहीं होती है।

(श्रीमती कान्ता खतूरिया)

बीकानेर से 100 मील दूरी पर वह व्यवस्था है इसलिए इन गांवों की तरफ तवज्जोह देने की आवश्यकता है। यदि इस क्षेत्र में सड़कें बनवाई जायें तो कम्युनिकेशन सुलभ हो जाय तो यह लोग अपनी फरियाद भी कर सकें। आज कम्युनिकेशन की कमी से वह लोग नहीं पहुंच सकते और उनके ऊपर आज भी वही हुकूमत जारी है, जिनके लिए हम कहते हैं कि हम तो आजाद करा चुके, लेकिन वह आज भी उसी तरह से हुकूमत के नीचे दबे हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने मेरी आखों से वहां पर कम से कम दस ऊंटों की लाश देखी है, और मैं बता सकती हूं और कोई मेरे साथ जाय तो यह निश्चित बात है कि ऊंट ऐसा जानवर है जो कि आखिर में मरता है।

**श्री परसराम मदेरणा** : इस समय तो चारे की कमी है फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। गाय की उम्र दस साल की होती है और मैं मानता हूं कि ऊंट सबसे आखिर में मरता है, लेकिन वह नेचुरल कोर्स में मरे होंगे।

**श्रीमती कान्ता खतूरिया** : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगी कि नॉर्मल कोर्स में कोई मरा हो तो उसकी कोई बात नहीं है। आज अकाल की स्थिति है और वह चारे की कमी से मरे हैं। उनको नीरा नहीं मिली है इसलिए मरे हैं ऐसा वहां के लोगों का कहना है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। मैं नेचुरल कोर्स में मरने की शिकायत नहीं करती और इसकी जांच कर ली जाय। मैं दाव के साथ नहीं कहती कि वह नचुरल कोर्स में मरे हैं लेकिन वहां के लोगों ने जो महसूस किया है वह यह है कि उनको नीरा नहीं मिली इस कारण से मर गये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : राजस्थान नहर तो ऊंटों का कब्रिस्तान बन रहा है। एक क्या अनेक मर रहे हैं।

**श्रीमती कान्ता खतूरिया** : दौरा तो मैंने कई बार किया होगा लेकिन जंगल में जो लाशें पड़ी हैं उनकी जांच कर ली जाये। लोगों का कहना है कि नीरा नहीं मिली इसलिए मरे हैं। चारे और नीरे की जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो ताकि वहां मवेशी बच सकें। आज अगर पशु मरते हैं तो हमारे नेशन की वेल्थ जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि जब 25 का अकाल पड़ा था उस समय जो गायें मरी थीं हम आज तक भी उसकी कमी पूरी नहीं कर पाये हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अकाल राहत मंत्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करूंगी कि यह छोटी-छोटी बातें मैंने अपनी तहसील की तरफ से कही हैं। वह विशेष तौर से उनकी तरफ ध्यान दें और वहां पर राहत कार्य खोलने आवश्यक हैं क्योंकि अगर वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायेंगी उससे भी उनको राहत मिल नहीं सकती, क्योंकि जब उनकी परचेजिंग पॉवर ही नहीं होगी तो कहां से खरीदेंगे? लोग वहां पर दो-दो दिन से भूखे हैं इसलि उनको जिन्दा रखने के लिए बहुत जरूरी बात है कि आप वहां पर राहत कार्य खोलें। वह राहत का

(श्रीमती कान्ता खतूरिया)
चाहे सड़कों के रूप में हो सकते हैं, तलाई के खोदने के हो सकते हैं या और भी दूसरे काम हो सकते हैं ।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सिर्फ, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके मार्फत माननीय अकाल सहायता मंत्री जी से कहूंगी कि वह यह कह सकते हैं कि एक बोर्डर सड़क बन रही है और एक क्रैश प्रोग्राम के तहत तलाई खुद रही है । मैं मानती हूं कि बोर्डर रोड बन रही है लेकिन यह बोर्डर रोड ठेके से बन रही है और ठेकेदार बहुत लिमिटेड नम्बर में मजदूर लगा रहा है, और एक मजदूर बेचारा घर भी छोड़कर जाये और घर में एक रुपया नहीं ला सके तो वह किस तरह से जिन्दा रह सकता है । आज ठेकेदार एक फेमिली से एक आदमी से अधिक को नहीं लगाता । क्रैश प्रोग्राम में भी एक फेमिली से एक आदमी को रखना चाहते हैं । यह कहा जाता है कि क्रैश प्रोग्राम में काम चल रहे हैं या बोर्डर पर सड़क बन रही है । यह एक ऐसा एरिया है जो बोर्डर एरिया है । इस तरफ हमारे देश की हिफाजत करने के लिए लोग बैठे है । आज अगर बोडर को खाली करवा दिया जाय तो निश्चित रूप से अराष्ट्रीय तत्व हैं वे पनपेंगे । वहां पर स्मगलिंग हो सकेगा । इसलिए बोर्डर के एरिया को हमें महफूज रखना है तो लोगों को वहां बचा सकें और उनको हिम्मत से रख सकें तो हमारे बोर्डर की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा का सवाल भी उससे हल होगा । इसलिए मैं यह खास तौर से अकाल सहायता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इन सब बातों को देखना होगा और वहां की जनता के लिए, उनकी जिन्दगी को बचाने के लिए खास तौर से सारी व्यवस्था करनी होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मोहनलाल छंगाणी।
(अनुपस्थित)

श्रीमती मदन कौर ।

**श्रीमती मदन कौर** : मैं तो बोलना ही नहीं चाहती ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री पूनमचन्द विश्नोई ।

**एक माननीय सदस्य** : आप भी नहीं बोलना चाहते ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : नाम पुकार ही लिया तो फिर बोल ही लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भी राजस्थान में 1925-26 के समय में जो अकाल की स्थिति जैसी पड़ी थी वैसी ही है । दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में इस साल मानसून कोई 15 दिन देरी से आया है और इस विज्ञान के युग में भी 15 दिन मानसून देरी से आने के कारण ही ऐसी खलबली मची कि हम यह सोचने लगे कि शायद अनाज बाहर से मंगाना पड़े, क्रैश प्रोग्राम चलाने पड़ें, क्या करना पड़े और क्या नहीं करना पड़े । इसका मतलब यह है कि आज भी हम दुनियां में पिछड़े हुए हैं । सब कुछ वैज्ञानिक साधन होते हुए और भारत जैसा देश, जो कृषि प्रधान है, मैं समझता हूं कि कुदरत ने संसार के किसी देश को अन्न उत्पादन के लिए ऐसा जलवायु नहीं दिया जैसा हमारे देश को दिया है इस तरह काल पड़े

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जितने किस्म की फसलें, फलफूल, साग सब्जियां हमारे देश में होती हैं और किसी देश में नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां पर छः ऋतुएं हैं। दुनियां में किसी देश में छः ऋतुएं नहीं हैं, छः ऋतु होने के कारण छः तरह की फसल हो सकती हैं और साल भर हो सकती हैं। कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं उनमें गेहूं वगैरह उत्पादन की बहुत अच्छी जलवायु है लेकिन तीन, चार, पांच, छः महीने तक वहां पर बर्फ जमा रहती है। इसलिए छः महीने ही पैदावार होती है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश ऐसे हैं जहां साल भर फसल हो सकती है।

खैर, यह तो हिन्दुस्तान की बात रही। लम्बी-चौडी बातें हैं। आज तो यह मान कर चलते हैं - मान लीजिए बरसात नहीं होती है तो हमारे देश की क्या हालत होगी हम अन्दाजा नहीं लगा सकते। हमारे उद्योग-धन्धे, आमदनी के श्रोत, कल-कारखाने सब एक दिन में रुक जायेंगे और एकदम कारोबार बन्द हो जाएगा। आज हमारी यह स्थिति है। राजस्थान की स्थिति सारे देश के मुकाबले और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अकाल तो हमारे यहां पर रोज पड़ते हैं और पिछले वर्षों में बहुत पड़े हैं। लेकिन अभी तक हम अकाल से मुक्ति पा सकें इसकी कोई योजना नहीं है। क्या योजना है ? कोई आपके पास ऐसा कार्यक्रम है जो यह कहते हों कि यह काम हम कर लेंगे और इतनी अवधि के बाद में वर्षा का अभाव हो सकता है, लेकिन अकाल की स्थिति और भूखों मरने की स्थिति या पशु मर जायें ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। इस ओर कम से कम ध्यान दें। इस तरह की योजना होनी चाहिए। जब कभी अकाल आता है सरकार कुछ काम हाथ में लेती है जिससे लोगों को मजदूरी दी जा सके, पशुओं को चारा दिया जा सके, पीने के पानी का प्रबन्ध किया जा सके, लेकिन यह उसी वक्त के लिए होता है, आगे के लिए नहीं होता है। मेरे सामने कोई योजना नहीं है न भारत सरकार के पास कोई योजना है और न राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार की है कि हम इस तरीके से अकाल की स्थिति का मुकाबला करना चाहते हैं और ये काम आगे करेंगे। कुछ योजनाएं अकाल के साथ जोड़ दी हैं, पशुपालन की योजना है, राजस्थान केनाल की योजना है, भू-संरक्षण का कार्य करेंगे, वन भी लगायेंगे, लेकिन न तो वर्षा के न आने से क्षेत्र के अन्दर क्या काम होगा यह जानकारी है और हमारी उपलब्धियां क्या हैं इसकी भी हमको जानकारी नहीं है। एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे जैसा पशुधन हिन्दुस्तान के किसी सूबे के पास नहीं है। चाहे कांकरेजी हों, चाहे राठी हों, चाहे नागौरी हों, झील हों, अनाप-शनाप पशुओं की, दुधारू पशुओं की नस्लें कायम हैं। भैंसें बहुत अच्छी होती हैं। भेड़ें पूरे हिन्दुस्तान में से आधी हमारे यहां होती हैं। इतना पशुधन होते हुए आज के इस युग में हम इस कदर गरीबी में हैं और हमारे लोग इस तरह की गरीबी में रहें यह एक विचारणीय विषय है। मुख्य चीज यह है कि जो हमारी समस्यायें हैं उन समस्याओं को हम समझ नहीं सके। दुनियां

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में सबसे धनी देश अमेरिका है, उसके यहां प्रतिव्यक्ति आय भी सबसे अधिक हो सकती है। आर्थिक समृद्धि भी हो सकती है। लोग उन देशों में अधिक कल-कारखाने खोलने के आदि होते हैं। चाहे आस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो और चाहे और कोई देश हो, वहां का आम आदमी बहुत अच्छी हालत में हो सकता है। अमेरिका में कुछ लोग अरबपति हैं तो कुछ कंगाल भी मिलेंगे, लेकिन जहां दूध का धन्धा होता है वहां पर ऐसा नहीं होता पशुधन ऐसी चीज है, एक ऐसा सीदा सादा सा धन्धा है जो कुछ सौ, कुछ हजार रुपयों के अन्दर ही, जिस आदमी की शैक्षणिक योग्यता कुछ भी न हो, उसको भी यह धन्धा मिल सकता है। बाकी कोई भी मशीन, कल कारखाना लगायेंगे तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, पूंजी चाहिए, पॉवर चाहिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वह धन्धा ऐसा है जिसको आम मामूली आदमी भी अच्छी तरह से कर सकता है। फिर यह धन्धा पशुपालन का ऐसा है कि यह जो चीजें देता है उनको कोई सब्स्टीट्यूट भी नहीं कर सकता। मोनोपोली की तरह का धन्धा है। मांस है, दूध है, हड्डी है, चमड़ा है, दूसरी इसी दूध से बनने वाली चीजें हैं, विज्ञान इनको सस्ता नहीं कर सकता। विज्ञान इनका सब्स्टीट्यूट नहीं निकाल सकता। आपने देखा, घड़ी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, दूसरे इलेक्ट्रिक के उपकरण बहुत सस्ते विदेशियों ने दिए लेकिन दूध का, चमड़े का वे भाव सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि उन देशों के अन्दर पशुपालन के लिए जलवायु उपयुक्त नहीं है। एक सूअर को भी पालना चाहें तो उसको भी एयर कण्डीशन मकान में रखना पड़ता है, बाहर रह जाय तो मर जाय, लेकिन हमारी जलवायु अच्छी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कि स्वयं भी पशुपालक हैं, स्वयं अच्छी तरह से जानवरों का, पशुओं का पालन करते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं ने कहा कि फेमिन में ऐसा है कि फेमिन में सड़कों पर भी काम होंगे और दूसरे काम भी होंगे, मैं नहीं कह सकता हूं कि इसका क्या हल हो सकता है, यह तो सोचने-समझने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि जो सरकार का काम है वह सरकार करेगी, मैं तो लॉग टर्म में क्या हल हो सकता है उसकी बात कर रहा हूं।

हमारे यहां घास का सवाल है, हमारे क्षेत्र के पेड़ पौधों का सवाल है। जोधपुर में एक अनुसंधान केन्द्र बना हुआ है मरुस्थल के विकास के लिए। उसके अन्दर दुनिया भर के घास, पेड़ पौधे लगा रखे हैं और ऐसे ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं और उन पर किताबें लिखी जा रही हैं। मुझे एक दफा ले गए वहां पर, मेरे मित्र हैं वे। मैंने उनकी किताबें भी देखीं और उनका कार्य भी देखा। मैंने कहा विदेशों में अगर आपकी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी बड़ी सराहना करेंगे। बड़े जानकार हैं, बड़े पंडित हैं, ज्ञानी लोग हैं, बड़ा अनुसंधान किया है। और आज से दो सौ साल बाद में पढ़ेंगे तो आपकी किताबों के लिए आपकी पूजा करेंगे। लेकिन मैंने कहा, अफसोस की बात है कि हमारी समस्याओं का हल इसके अन्दर नहीं है। हमारे यहां पर पेड़ पौधे पैदा होते हैं,

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हमारे यहां पर घास जो पैदा होती है वह आसानी से हो सकती हो इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, न इसके बारे में आपने कोई मार्गदर्शन दिया है, न कोई रास्ता दिखाया है । तो हमारी समस्याओं का हल बाहर कहीं नहीं है। विज्ञान की सहायता से हम हमारे क्षेत्र को किसी तरह से विकास तो कर सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक योजनाओं से कैसे विकास कर सकते हैं यह सोचने की बात है । लेकिन आज तो सवाल यह है कि कल रोटी कैसे मिले ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है कि क्या काम चलाए जाने चाहिये, वे तो चलाए जायेंगे । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इसकी लॉग टर्म उपलब्धि क्या है, उस समस्या का कैसे हल निकल सकता है इसके बारे में है । पशुपालन एक है । हमारे यहां पर पेड़, पौधे बनस्पति, फसलें आदि होती हैं । हमारी फसलें ठीक हैं। बाजरा, जौ, गेहूं खाने वाले हैं, चावल खाने वाले हैं उनको पसन्द नहीं आता है परन्तु बाजरा जैसी कोई दूसरी फसल नहीं है । कहावत है अगर नक्षत्र के अन्दर बाजरा बो दिया जाये तो वह बहुत दिनों तक जिन्दा रहता है । मक्का 20/25 दिन में ही समाप्त हो जाती है । चावल बिना पानी के नहीं होता है, परन्तु बाजरा खड़ा रह सकता है । तो हमारी जितनी भी चीजें हैं उनकी खासियत का अध्ययन करना चाहिये ।

तीसरा प्रश्न है वाटर कन्जर्वेशन का । मैं समझता हूं कि सदन के समक्ष मैंने पहले भी निवेदन किया है । यह जो छोटे-मोटे बांध बनाये जा रहे हैं ये गलत बनाये जा रहे ह । मेरा कहना यह नहीं है कि बांध नहीं बनने चाहियें । बेशक बनने चाहियें । राजस्थान से बाहर पानी जाता है उसको रोकने की कोशिश करें। पानी सही काम में आवे। यह योजना-बद्ध तरीके से होना चाहिये और पूरे इलाके का ध्यान रख कर बांध बनना चाहिये । केवल छोटे लाभ के लिए ही बांध को न बनावें । बिना योजना के बांध के निर्माण का परिणाम नहीं होगा । सिंचाई के बांध पाली डिस्ट्रिक्ट में बने हैं। उसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया था, लाखों करोड़ों का खर्चा किया गया और इतना खर्चा करने के बाद भी 45 हैक्टर में सिंचाई की गई। इसके नीचे का इलाका, जोधपुर का क्षेत्र, पाली के नीचे का इलाका, जालौर का इलाका, भीनमाल तहसील का इलाका, सांचौर का इलाका इस तमाम इलाके को बर्बाद कर दिया गया है । बारानी गेहूं होते थे वे सब खतम हो गये। कुओं के अन्दर पानी नहीं रहा । पीने के पानी की कमी रह गई। इन समस्याओं पर विचार करने के लिये, वाटर कन्जर्वेशन के लिये जिलास्तर पर मीटिंग्स बुलावें और क्या क्या प्रस्ताव है और उनमें से क्या क्या ठीक है, विचार किया जाये । आपके एक्सपर्ट्स को उनमें लावें, और दूसरे जो जानकार हैं उनको भी उस मीटिंग में बिठावें और साइल कन्जर्वेशन की तरह वाटर कन्जरवेशन की समस्या पर विचार किया जाये । इसके लिये दीर्घकालीन योजना बनावें । आज के युग में हम अकाल का मुकाबला नहीं कर सकते हों, ऐसी बात नहीं है । राजस्थान का डेजर्ट इजरायल, मध्य एशिया का गोबी डेजर्ट है वैसा नहीं है। यह मरुस्थल उपजाऊ है और इसको बना सकते हैं उपजाऊ ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसके उपजाऊपन को आप बढ़ा सकते हैं। हम को, जितनी योजनाएं हैं, उनको दीर्घ-कालीन बनाना चाहिये। इस साल भी मौका है। एक बड़ी योजना बनावें और उसके अनुसार काम करें। आप जानते हो कि पानी की दृष्टि से हिन्दुस्तान एक खुशकिस्मत देश है। बदकिस्मती तो यह है कि मानसून आने में देर कर देता है, या बेजा समय में बरस जाता है लेकिन हमारे यहां पर पानी के स्रोतों की कमी नहीं है। हम केवल पानी के स्रोतों को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि राजस्थान प्रदेश ऐसा है कि जहां जल का स्रोत नहीं है। पंजाब पर, हरियाणा पर, गुजरात पर, महाराष्ट्र पर या मध्य प्रदेश पर, वहां की नदियों पर हमें आश्रित रहना पड़ता है। राजस्थान कैनाल का प्रश्न है। राजस्थान कैनाल शुरू हुई उसके बाद हमने करीब डेढ़ अरब रुपया फैमिन पर खर्च कर दिया इसमें ज्यादातर अर्थ-वर्क का काम था। अर्थ-वर्क गांव के अन्दर चलाये गये और स्थानीय काम कराये गये। साथ ही साथ हमेशा यह प्रश्न आता है कि इस साल भारत सरकार इतने करोड़ का अनुदान दे रही है। कभी भारत सरकार 6 करोड़ का अनुदान दे रही है तो कभी कितना। जब पैसा केन्द्रीय सरकार से आता है तो राजस्थान कैनाल के लिये वह ज्यादा क्यों नहीं देती है, यह समझ में नहीं आता है। या तो अपनी तरफ से इसकी पैरवी नहीं हो रही है और या सरकार, भारत सरकार, इसके महत्व को नहीं समझ पा रही है। राजस्थान नहर का क्षेत्र अकाल से प्रभावित है और उसमें पैसा नहीं लग रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह एक मौका है जब राजस्थान नहर के निर्माण के कार्य को हाथ में लिया जाये और इस कार्य को हाथ में लेते हैं तो अकाल की आधी भी विभिषिका दूर हो जायेगी। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर का इलाका, जैसलमेर का इलाका अकाल की छाया से दूर हो सकेगा। नर्बदा के पानी का सवाल था। उसके अन्दर कुछ अर्से पहले यह फैसला कर लिया था कि राजस्थान का उसमें कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद में आपस में वार्ता के फलस्वरूप हमारा हक माना गया है। ढाई लाख एकड़ फीट पानी देने की बात हुई है। यह एक दूरगामी योजना है और यह पहले मध्य प्रदेश, गुजरात पर निर्भर करता है, वहां पर इसके पहले वर्क्स होंगे लेकिन वहां पर भी इस साल सूखे की स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस काम को सभी राज्यों को मिलकर के हाथ में लेना चाहिये ताकि हमें भी काफी मात्रा में पानी मिल सके। और पानी समय पर मिलता है तो मैं समझता हूं कि 5-7 साल इसमें लग सकते हैं। तो 5-7 साल में कम से कम इस अकाल का मुकाबला करने की स्थिति में हम रहेंगे। बस यही कुछ सुझाव थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं और मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार इन मसलों पर, राजस्थान नहर और नर्बदा योजना, इन पर अपना पूरा जोर लगावे।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी।

**श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी** (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने भरतपुर जिले में बाढ़ के कारण जो स्थिति बन गई है उसको रख कर माननीय सदस्यों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)

हूं । इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि वहां की स्थिति क्या है । इससे पूर्व कि स्थिति का अवलोकन करवाऊं, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तारीख 13 को बाढ़ की सूचना मिली । 13 को मदेरणा साहब भरतपुर पहुंचे और उन्होंने स्थिति की पूरी जानकारी ली । उन्होंने जहां तक राहत कार्य का सवाल था, आश्वासन दिलाया कि मिलिट्री आथोरिटीज को आगरा में इन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है । दूसरा उन्होंने यह आश्वासन दिलाया कि जिले की आथोरिटीज को पूरी हिदायत दे दी है कि राहत कार्य के अन्दर जितने राशन वगैरह की जरूरत हो बाढ़ पीड़ितों को दिया जाये । तारीख 15 को मुख्य मंत्री ने एयर सर्वे किया, हेलीकोप्टर से । वे सवाई माधोपुर, भरतपुर जिले का पूरा निरीक्षण करके तारीख 15 को भरतपुर पधारे और सारी स्थिति को देखकर आये । कल ही, हां 16 तारीख को ।

जहां तक बाढ़ पीड़ितों का सवाल है, भरतपुर का सवाल है, सवाई माधोपुर का सवाल है, यह सवाल केवल इन दो जिलों का नहीं है बल्कि वह पूरे राजस्थान का सवाल है, इसलिये सवाल है कि जब-जब भी पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा पूर्वी राजस्थान के इन जिलों ने, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर ने, पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त जिलों को गल्ला सप्लाई किया है, फोडर दिया है, वहां की मवेशियां उधर आती हैं, चरती हैं। इस तरह से पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त जिलों को ये जिले हमेशा से मदद करते आये हैं और मदद करते रहेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बाढ़ की समस्या है यह केवल राजस्थान के पूर्वी जिलों की ही नहीं है बल्कि तमाम राजस्थान की समस्या है और ये जिले अकाल की समस्या पर कई मायनों में सहयोग करते आये हैं। जहां तक इनमें फ्लड आने का सवाल है, अखबारों में सबने पढ़ा है कि वहां पर स्थिति गम्भीर है । लेकिन एक निवेदन में यह करना चाहूंगा कि यह जो बाढ़ आई है वह करीब तीन-चार वर्ग किलोमीटर के अन्दर आई है, इतना एरिया इसने कवर किया है । अखबारों की फ्रन्ट लाइन में भरतपुर टाउन की गम्भीर स्थिति पर टिप्पणी की गई है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, अगर सबसे ज्यादा गंभीर समस्या पैदा हुई है तो वह सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है बयाना सब-डिविजन में, जिसमें रूपबास तहसील, बयाना तहसील, वैर तहसील, इसके बाद नदबई और भरतपुर के आस-पास के गांव और नगर । इनमें बाढ़ की समस्या खास तौर से पैदा हुई है । यह समस्या खास तौर से पैदा हुई है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीरी नदी और बाण गंगा, इन दोनों में गंम्भीर बाढ़ आई । गंभीरी नदी का वेग साढ़े बाईस फीट के करीब था जो कि इस शताब्दी में आज से पहले कभी नहीं हुआ । बाण गंगा के किनारे करीब 12½-13 फीट चौड़े हो गये । दोनों नदियों में बाढ़ आने के कारण नदियों के आस-पास के किनारों के गांव कई मीलों तक जल मग्न हो गये। यह बाढ़ बड़ी तेजी के साथ आई । कई आस-पास के गांवों में कच्चे मकानात व वे सब मकानात बिल्कुल तहस-नहस हो गये यानी डेस्ट्राय हो गये।

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)

पक्के मकानों की छत पर चढ़कर, पेड़ों पर चढ़कर या टीबों पर चढ़कर लोगों ने शरण ली। इसके साथ-साथ जहां पर बाढ़ ने भीषण रूप धारण किया इन दोनों नदियों में वहां पर एक और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई कि जिले में जितने बड़े बड़े बांध थे वे सब के सब बांध टूट गये। बांध पारचा जिसमें आज तक उसके इतिहास में जब से बांध बना था एक भी ब्रीच नहीं हुई थी उसके वेस्ट वेयर में ब्रीच होकर उसमें 3-4 फीट पानी रह गया और उसका पानी गम्भीरी और बाणगंगा के पानी में मिलकर जिन गांवों में पहले से ही बाढ़ आई हुई थी उस बाढ़ को और भी भीषण बना दिया। बांध थानवा में कई जगहें ब्रीचेज हो गई और आस-पास के नीचे के गांव सारे के सारे बरबाद हो गये। कसराना बांध और जीन बांध इनमें बहुत सी ब्रीचेज हो गई हैं। इन बांधों के जरिये नीचे के गांवों की क्या हालत हुई होगी यह आप समझ सकते हैं। कई छोटी कौमों के नगले जिनमें कच्चे घर थे वे बिल्कुल टीलों के रूप में हो गये हैं। वहां पर यह नहीं कह सकते हैं कि यहां पर कभी कोई गांव थे। इस तरह की कई गांवों की हालत हुई है।

इस बाढ़ से जो सब से ज्यादा इफेक्टेड हुई हैं वे गरीब कौमें हुई हैं, जाटव हुए हैं और भूमिहीन किसान और मजदूर सबसे ज्यादा हुए हैं, इफेक्टेड। सबसे बड़ी जो क्षति हुई है वह यह हुई है कि जहां एक तरफ खरीफ की फसलें खराब हुई हैं, इस इलाके में जहां बाढ़ आई है वहां उसके साथ-साथ जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कई जगह पर इन नदियों ने खेतों में रेत के टीबे बना दिये हैं जिससे कि यह कहा जा सके कि यहां पर कौनसा गांव था। अभी तो कई जगहों पर अच्छी तरह से पहुंचा ही नहीं जा सकता है। जो काश्त के काबिल जमीन थी उसको नाकाबिले काश्त कर दी है। गंभीरी नदी का विस्तार तो कई जगहों पर आधा-आधा मील चौड़ा हो गया है और आधा आधा मील तक ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे स्थान ने नदी का रूप धारण कर लिया हो। जहां पर फसलें बरबाद हुई हैं उसके साथ-साथ चल और अचल सम्पत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है, घरों का सब सामान बर्बाद हो गया है। कैटल्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैटल्स बहुत बड़ी तादाद में मर गये हैं। यह कल जिस समय मुख्य मंत्री महोदय पधारे थे उस समय कलेक्टर साहब ने इस बात को स्वीकार किया था कि अभी तक हम कई गांवों में नहीं जा सके हैं, 50-60 गांव तो इस तरह के हैं कि जिनमें पहुंचा ही नहीं जा सकता है और पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे।

इस सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई कि शुरू शुरू के दिनों में यानी 10-11 तारीख से आज 17 तारीख तक जो एयर ड्रॉप राशन का हुआ, इन 7-8 दिनों में जो हेलिकोप्टर से राशन डाला गया है वह भी कई गांवों में नहीं पहुंचा है। कई गांवों में पहुंचाने की कोशिश की गई है लेकिन 60-70 गांवों में तो अभी पहुंचा ही नहीं जा सका है। वहां पर पहुंचे बगैर यह मालूम नहीं हो सकता है कि वहां के गरीब लोगों की क्या हालत है, लोगों की क्षति

# Page No 108



**(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)**

हुई या नहीं। लेकिन उन तक भी अभी नहीं पहुंचा जा सकता है। पानी इतना फैला था कि कई जगहों पर तो 3-4 फीट, 6-7 फीट पानी यानी एक एक मन्जिल पक्के मकानों की बाढ़ के अन्दर आगई हैं।

मिलिट्री का काम एप्रिशियेबल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एयर ड्रॉप की तादाद पहले दिन यानी 13 तारीख को 6 हजार और कुछ पौण्ड थी और 14 तारीख को 10 हजार पौण्ड एयर ड्रॉप किये गये और 15 तारीख को कुछ कम था, पूरी तरह से नहीं कह सकता....

**श्री परसराम मदेरणा :** 15 तारीख को 10 हजार पौण्ड था।

**श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी :** 15 तारीख को 10 हजार पौण्ड राशन की तादाद गिराई गई। माननीय मुख्य मंत्रीजी गये तो यह बड़ी ही खुशी की बात है और हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उनकी यहां की व्यवस्था के कारण कुछ राहत मिली। लेकिन उसमें एक नुकसान हुआ कि उनका पूरा फायदा नहीं हो सका। जहां पर एयर ड्रॉप से पैकेट पड़ा और जिसके हाथ में पैकेट पड़ गया वही उसको खा गया और गांवों के अधिक लोगों को खाना नहीं मिल सका। जहां तक फ्यूअल का सवाल है, लकड़ी का सवाल है तो सूखी लकड़ी मिलने का सवाल ही नहीं था इसलिए अभी तक कोई भी नहीं कह सकता है कि उन गांवों के पूरे के पूरे आदमियों में से कितनों को खाना मिल सका। खाना पका नहीं सकते। सूखी लकड़ी नहीं होने की वजह से पकाने की स्थिति में नहीं होंगे। क्या स्थिति हुई होगी यह मैं नहीं कह सकता।

मकानों का जहां तक सवाल है वहां पर मैं इस कदर तक कहने को तैयार हूं कि यह हमारे सामने हमारे विधायक भाई नत्थासिंहजी पहले गरीब थे तो इनके दो कोठे का मकान बयाना कस्बे में था तो एक कोठे की दीवार गिर गई और एक कोठे की पट्टियां जो हैं वे टूट गई हैं, और इनके बच्चे आसमान के सहारे में रह रहे हैं या अपने नाते रिश्तेदारों के साथ में रहते हैं। एक बेघरबार एम० एल० ए० यहां पर मौजूद हैं।

मैं इस बात की कोशिश में हूं कि जो ज्यादा फ्लड इफैक्टेड एरिया हैं जहां कि कोई भी नहीं पहुंच सका है इसमें, ज्यादा इफैक्टेड गम्भीरी के दोनों बैंकों के गांव हैं जिनमें बयाना और रूपबास तहसीलें, जो आगरा के बोर्डर से लगी हुई हैं, और इधर भरतपुर से लगी हुई हैं, उनमें 60-70 गांव तो इस तरह के हैं कि जिनमें आज तक कोई नहीं जा सका है। सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि मिलिट्री ने काम तो बहुत अच्छा किया लेकिन उनके पास में बोट्स लान्च थे वे बोट्स ऐसे थे कि उनको ट्रकों पर रख कर उसी प्वाइंट पर ले जा सकते थे जहां कि रोड ठीक थी। वे इस बात की तलाश में थे कि जहां पर पानी 3 फीट या 3 फीट से ज्यादा हो तो वहां पर इनको डाला जाय। तो यह इलाका पूरा पानी से भरा हुआ था और जहां नहीं जा सकते थे वहां पर पहुंचने की आवश्यकता थी, लेकिन उनको इस तरह का स्थान नहीं मिल सका जहां से इन बोट्स को ले जा सकें। अगर मिलिट्री केनवास की बोट्स या रबर की बोट्स जिनमें हवा भरी जा सकती थी लाती और वे पोर्टेबल होतीं तो अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी बोट्स मिलिट्री

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)
नहीं ला सकी। इससे नुकसान हुआ। मैं तो यह कहूंगा कि 7-8 दिन से जिन गांवों में पानी भरा हुआ है और जिनमें अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है वहां के लोग आह भरकर क्या कहते होंगे कि सरकार से हमें क्या राहत मिली है सिवाय एयर ड्रॉप्स के। इस तरह की बोटें होतीं तो पैदल ही उन्हें उठाकर ले जाकर डाला जा सकता था ताकि उनकी राशन की समस्या तो हल हो सकती थी क्योंकि राशन बोटों में ले जाते। उससे पता लग जाता कि इफैक्टेड लोगों की तादाद क्या है और कितने लोग मरे हैं या बचे हैं वह मालूम हो जाता। यह सबसे बड़ी कमी इसमें रही है।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज का सवाल है वे इस दरम्यान में बड़े चिन्तित रहे हैं और रात-दिन काम करके उन्होंने राहत पहुंचाई है। एक दिक्कत सबसे अधिक यह रही कि भरतपुर खास कस्बे में कोट के भीतर कहीं पानी विशेष नहीं आया लेकिन मडवाल के बाहर जो रिंग रोड है उस रिंग रोड के चारों तरफ पानी का प्रेशर कुछ दिनों से बढ़ा है लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यह रही कि भरतपुर शहर के लोग रात-दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घेरे रहे कि यह करो, वहां पानी आ गया, यहां आ गया, इस कारण जितनी चिन्ता, जितना डाइवर्शन बयाना सब-डिवीजन को देना चाहिए था उतना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा नहीं दिया गया। जहां तक पेपर्स का सवाल है चूंकि वहां के लोग पैसे वाले होते हैं, होशियार होते हैं और अखबार वहां के आते हैं इस कारण से सबसे ज्यादा प्रोपेगेण्डा भरतपुर का दिया गया। भरतपुर के साथ में मैं मानता हूं कि मेरी सिम्पेथी है क्योंकि मेरे बच्चे वहां पर रहते हैं और मैं खुद भी वहां रहता हूं लेकिन जहां तक चिन्ता का सवाल बयाना, रूपबास तहसील का है, रूपबास तहसील में 80% गांव अफैक्टेड हैं। बयाना में 50% अफैक्टेड हैं। 30% गांव अभी तक ऐसे हैं, जहां कोई नहीं पहुंच सका है। कुछ गांव ऐसे हैं कि कमर तक पानी में चलकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। बैर का बांध टूटने से गांव बाढ़ में आ गये। नदबई का बांध टूटने से गांव ज्यादा बाढ़ में आ गये। उषाजी उसके बारे में बतायेंगी। बयाना में मि० बिरमानी ने रातदिन लगकर काम किया है। बयाना और उस क्षेत्र के गांवों की बाढ़ की हालत की जो पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। कई गांव अब भी पानी में डूबे हुये हैं। वह कराह रहे हैं। चिल्ला नहीं सकते हैं। पुकार नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब भी सरकार से निवेदन करूंगा, जो राहत कार्य किये जायें, जो सब-डिवीजन अफैक्टेड हुये हैं, जिस तहसील में ज्यादा अफैक्टेड हुये हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा राहत के काम किये जायें। राहत के लिए सबसे पहले आटा और भुना हुआ चना देना चाहिए। आटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि गल्ले को पीसने के लिए कोई साधन नहीं हैं। लकड़ियां गीली होंगी अगर वह खाना नहीं बना सकेंगे तो भुना हुआ चना खाकर ही काम चला सकते हैं। बयाना से चलकर एक आदमी तीन दिन से भरतपुर पहुंचा। उसने बताया कई छोटे-छोटे नगले तो बह गये हैं। उसने बताया कि तीन दिन में बड़ी मुश्किल में हम चल कर

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)

आये हैं। जहां तक राहत का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आटा या गल्ला और दूसरे कपड़े की व्यवस्था करवाना आवश्यक है। क्योंकि अभी तो कोई बात नहीं लेकिन थोड़े ही दिनों में जाड़ा आने वाला है। कच्चे मकान हैं। सामान और जो कुछ गूदड़े आदि थे वह बह गये हैं। उनके मकान नहीं हैं। उनके लिए मैं निवेदन करूंगा ऐसे लोगों को टीन का स्ट्रक्चर बनाकर व्यक्तिगत या सामूहिक या अलग अलग दे दिये जायें। जहां इसके लिए ठीक समझा जाये तो सामूहिक दे दिया जाये। या जो बेलर नुमा होते हैं, उनको सप्लाई करने की व्यवस्था की जाये या जो उनके कच्चे मकानों के लिए, मुझे बताया गया है, मकान के लिए 300,200 और 100 रु० की सबसीडी दी जाती है। तो सबसीडी का ज्यादा प्रबन्ध मकान बनाने के लिए किया जाये। आगे फसल आ रही है, उसके लिए बीज की व्यवस्था की जाये। बैलों के लिए तकावी का माकूल इन्तजाम किया जाये। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उनमें जो घास थी उसके ऊपर मिट्टी जम गई है। उसको मवेशी खा नहीं सकते हैं। अगर खा लें तो बीमार हो जायेंगे। इस तरह की घास खाने से बीमारियां फैलेंगी। इसलिए पशुओं की दवाइयों का इन्तजाम किया जाये। चारे का या कुट्टी का पूरा इन्तजाम किया जाये। जो अच्छी जमीन थी उसको नदी नें साफ कर दिया है। नदी ने रास्ता चेंज कर दिया है। जो कुएे थे, वह मिट्टी से भर गये हैं। इसलिए कुवों की मिट्टी निकला कर पीने के पानी का इन्तजाम करें। एक बात में और निवेदन करना चाहता हूं। अकाल और फ्लड दोनों ही समस्याएं हैं। लेकिन फ्लड की समस्या ज्यादा गहरी है। अकाल में एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंच सकते हैं। फ्लड अचानक आता है। अकाल में प्रापर्टी का नुकसान नहीं होता है। लेकिन फ्लड म मकान, सामान के साथ-साथ आदमियों का भी नुकसान हुआ है। फसलों का, चल अचल सम्पत्ति सब का नुकसान हुआ है। मैं कहूं कि फ्लड में लोगों का नुकसान हुआ है तो मैं अभी उसके लिए कुछ अंकित नहीं करा सकता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी हैं, उनको मैंने कहा है। फ्लड से डैथ भी हुई हैं, मुझे कुछ नामजद समाचार मिले हैं। मलिकपुरा में रामस्वरूप, कालू, इसी तरफ से बाईखेड़ी में। इसी तरह से जब इन गांवों का पानी कम होगा, वहां जाकर पहुंचेंगे तब पता लगेगा। केटिल का मैं यह मानकर चलता हूं कि हजारों कैटिल बह गये हैं या एक्सचेंज हो गये हैं। नदियों का सवाल जहां तक है, सब कुछ बहाती हुई चल रही हैं। छप्पर बहते हुये जा रहे हैं। मुझे यह भी कहा गया है, लाशें बहती हुई आई हैं। एक गांव में कहा गया कि 3 लाशें बहती हुई आई हैं। उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। वह बह गईं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

रोड्स बिल्कुल खराब हो गई हैं। पुल टूट गये हैं। ब्रीच हो गये हैं। बांधों की और रोड्स की रिपेयरिंग के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ब्रेक हो गई हैं। उनके मैण्टेनेंस के लिए पैसे चाहिएं।

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)

इस प्रकार में यह भी निवेदन करूंगा कि एण्टीडकैती कार्यक्रम के अन्तर्गत भरतपुर में वायरलैस सैट लगाया गया था। अब यह कहा जा रहा है कि उसको हटा दिया जाये। मैं यह निवेदन करूं कि इन दिनों में जबकि बाढ़ के कारण सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई थीं। टेलीफोन व्यवस्था भी भंग हो गई थी। केवल वायरलैस ही था जिसने कि कम्युनीकेशन का काम किया है। यह काम वायरलैस ने ही किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वायरलैस को वहां से न हटाया जाये। बाढ़ के कारण वहां भारी नुकसान हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर मेडिसनस का ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम किया जाये। चूंकि समय कम दिया गया है, इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा। फ्लड अफैक्टेड एरिया में लोग पानी से घिरे हुए हुये हैं। लोग चीख रहे हैं। चाहे ह्यूमैन प्वाइण्ट ऑफ व्यू से, चाहे अकाल राहत के प्वाइण्ट ऑफ व्यू से, मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मदद उस इलाके को देने की कृपा करें। जहां तक हमारा सवाल है, जब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अकाल पड़ा तो भरतपुर ने ज्यादा से ज्यादा दिया। किसानों ने पूरा गल्ला यों ही दे दिया। मैं निवेदन करूंगा कि इस सेन्चुरी की यह सबसे भारी मुसीबत आई है। जो 70-70 साल के आदमी हैं, उनका कहना है कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। भरतपुर में बाढ़ आई है तो कोई यह नहीं सोचे कि भरतपुर में बरसात हो गई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में तो मामूली वर्षा हुई है लेकिन फ्लड आजाने से फसल नष्ट हो गई है। गम्भीरी नदी और बाणगंगा के आस-पास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है। उस क्षेत्र में एक हैवोक मच गया है। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर लोग इससे यह समझते हों कि जिन इलाकों में हैवी रेनफाल हुआ है उससे रबी की फसल बहुत अच्छी हो जायेगी। यह सोचना गलत है। क्योंकि पानी बहुत बहने के कारण वहां पर वाटर लोगिंग हो जायेगा बहुत सी जगह रेत इकट्ठी हो जाने से भी रबी की फसल पर असर पड़ेगा इसके अलावा किसानों के पास, उस क्षेत्र के लोगों के पास जुताई और बुवाई के कोई साधन नहीं हैं। इसके लिये मैं गवर्नमेन्ट से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसी व्यवस्था वहां के किसानों के लिये करे कि जिससे वहां के किसान अपने खेतों की बुवाई व जुताई का प्रबन्ध कर सकें। इसके अलावा जहां तक राहत देने का सवाल है वहां पर फ्लड की वजह से अभी चार महीने तक तो खेती नहीं हो सकेगा इसके अलावा वहां के लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलेगी। आज स्थिति यह है कि वहां के लोगों के जो कच्चे मकान थे या झोंपड़ियां थीं वह अब बह गई हैं जिससे उनके रहने को मकान नहीं हैं उनके बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को चाहिए उनके लिये तुरन्त व्यवस्था करे। आज सरकार यह कह सकती है कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)

गम्भीर है पर इन सबके बावजूद मैं सरकार व सभी विधायकों से निवेदन करूंगा कि वे सभी दलगत मतभेदों को भुलाकर इस जिले की मदद करें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिना काम किये हम राहत नहीं लेंगे। और अगर राजस्थान सरकार ने मदद नहीं करी तो हम खुद वहां के लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। मैं वहां के किसानों को जागृत करूंगा कि वह रात-दिन काम करके अपने इलाके के लोगों का पेट पालें। लेकिन किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलायेंगे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आज वहां की जनता को आपकी मदद की जरूरत है इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि वहां के लोगों की मदद करे। यह राज्य सरकार का फर्ज और कर्तव्य भी है कि वहां की जनता जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं उसके लिये राज्य सरकार व राजस्थान के दूसरे इलाकों की पब्लिक से कोपरेशन मिले यही मेरा नम्र निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थासिंह।**

**श्री नत्थासिंह (नदबई) :** उपाध्यक्ष महोदय, 10 तारीख से भरतपुर जिले में भयंकर बाढ़ आई है। इधर सवाई माधोपुर जिले में पानी की ज्यादा वर्षा होने से हिन्डौन में काफी बरबादी हो गई है। हिन्डौन के आस-पास के गांवों में इस बाढ़ से काफी बरबादी हो गई है। इसके अलावा बयाना में बाढ़ से काफी नुकसान हो गया है। इधर पानी गम्भीरी नदी में साढ़े बाईस और तेईस फीट तक आ गया है। गम्भीरी नदी में जब पानी 12 फीट से ऊपर होता है तो यह इलाका डेन्जर एरिया डिक्लेयर हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद इस इलाके में जो कि बयाना के आस-पास के गांव हैं वहां पर गया हूं। मैंने खुद ने देखा, है कि वहां कैसी खराब हालत हो गई है। आज वहां लोग बेघर बार हो गये हैं, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मंत्री महोदय को और इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

बयाना से आगरा रेल्वे लाईन है, वह सकड़ों सालों से बहुत मजबूत रेल्वे लाईन बनी हुई है, उस पर एक पुल बना हुआ था जो बहुत मजबूत पुल था और बीस फुट की लम्बाई पर था, उस पुल पर 50 फुट लम्बा, 8 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा लोहे का गर्डर लगा हुआ था। लेकिन इस बाढ़ ने गर्डर भी उठाकर फैंक दिया। गम्भीरी नदी पर एक दो खड़ीन बने हुए थे, सीमेन्ट के, उसको भी उखाड़कर फैंक दिया। बयाना से हिन्डौन जो बड़ी लाईन जाती है, अब वह डबल लाईन हो गई है, उसे पर भी दो पुल बने हुए हैं, जिनमें से एक तो नया पुल अभी दो तीन साल पहले बना था। तो वह नया पुल तो अभी बना हुआ खड़ा है लेकिन जो पुराना पुल था सौ साल पहले बना हुआ था वह भी बाढ़ ने तोड़ दिया और उसकी रेल्वे लाईन नीचे पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से भरतपुर और देहली जो बड़ी लाईन जाती है उस पर चार-पांच पुलें बनी हुई हैं, उन पुलों का यह नहीं मालूम कि पत्थर कहां हैं। करीब

# Page No 113



(श्री नत्थासिंह)
सात किलोमीटर रेल्वे लाईन मिट्टी में घुस गई है ।

मैं बयाना में रहता हूं । मेरे मोहल्ले में तकरीबन 15 फीट पानी था । मेरे ही मकान में दस फीट की पहली स्टोरी को पार करके, पानी दूसरी मंजिल पर पहुंच गया । अब मैं नये मकान में रहता हूं पर मेरे पुराने मकान का यह हाल हुआ जो मैंने बताया । जैसा तिवाड़ीजी ने बताया, मैं उन गरीब किसानों के साथ हूं जिनका नुकसान हुआ है । वहां छोटे-छोटे गांव हैं और वहां पर ऐसी हालत हो रही है कि दो-तीन फीट मिट्टी पड़ी हुई है और गांवों का पता नहीं । कहीं-कहीं, जहां कुछ बड़े लोगों के, कुछ पैसे वालों के पक्के मकान बने हुए हैं, वह ही बच पाये हैं । पांच-दस घर, और वहां पर गरीब लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है । केलादेवी की पहाड़ी पर से मैंने देखा तो भरतपुर केलादेवी रेल्वे लाईन से लेकर रूपवास तक पानी ही पानी मिला । सैकड़ों की तादाद में मवेशी बह गई हैं । गांवों में चोरी के डर से बैलों की जोड़ी को गले में सांखल डालते हैं । इस बाढ़ में वे बैलों की जोड़ियां सांखल बन्धे हुए ही बह गईं और मरी हुई पाई गईं । कई जानवर मरे पड़े हैं ।

**श्री परसराम मदेरणा :** माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि जब तक बाढ़ और अकाल की स्थिति पर चर्चा समाप्त न हो जाये, सदन का समय बढ़ाया जाये ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** मैं इस प्रस्ताव पर ऐतराज करता हूं । मेरा अर्ज करना है कि इतनी गम्भीर समस्या को जल्दी से पास नहीं किया जाये । कल के लिए समय रखें ।

**श्री परसराम मदेरणा :** पास क्या करना है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को कल तक रखा जाये ताकि हरेक सदस्य अपने विचार सदन के सामने रख सके ।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाये ।

( स्वीकृत )

समय बढ़ाया गया सदन का

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीता ।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप विचार कर लीजिये ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** हां पक्ष की तो एक भी आवाज नहीं सुनी । आई क्लेम डिवीजन ।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या आप इसको प्रेस करना चाहते हैं ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** (मौन रहे) ।

**श्री रोशनलाल शर्मा :** नहीं साहब ।

**श्री उपाध्यक्ष :** If you press it.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** आचार्य तुलसी मान गये तो आपको मानने में क्या ऐतराज है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न तो आपके और सदन के मानने का है।

**श्री रोशनलाल :** जब तक चर्चा समाप्त न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं समझता हूं डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस। श्री नत्थासिंह।

**श्री नत्थासिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, उस इलाके में बयाना तहसील भरतपुर का कुछ हिस्सा, उसमें ऐसी भयंकर बाढ़ आई है कि अब तक सही रूप में जो नुकसान हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं है।

मैं थोड़े से में बताना चाहता हूं। कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें कच्चे घर थे, बिल्कुल नष्ट हो गये और एक चबूतरा बन गए। हमारे मिनिस्टर साहब मदेरणाजी 13 तारीख को हैलीकोप्टर से पहुंचे। जो भी व्यवस्था हो सकी उन्होंने व्यवस्था करायी। लेकिन 60-70 गांवों की स्थिति ऐसी है कि कोई आदमी नहीं पहुंच सका। चार छः दिन से उन गरीबों के खान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जिनके पास लकड़ी थी, लकड़ी बह गई, अनाज था, बह गया और यदि किसी के पास अनाज है भी तो उसकी वह रोटी बनाकर नहीं खा सकता। हवाई जहाज और हैलीकोप्टर से थैले गिराये गये। हो सकता है कि सही निशाने पर पहुंचे हों, न भी पहुंचे हों। 25 थैले तो निशाना चूक कर पानी में गिर सकते हैं। भरतपुर जिले का इलाका बाढ़ से ग्रस्त है। 25-50 गांव तो ऐसे हैं कि जहां पर खाना ही नहीं पहुंचा। मैं यह बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों एकड़ जमीन को बाढ़ ने अपने में समेट रखा है। बाढ़ की वजह से दिशा ही पलट दी गई। पश्चिम की तरफ जो थे वे पूर्व की तरफ आ गये। पांच-पांच, छः-छः फीट रेत ही रेत हो गई है। एक चबूतरा हो वैसा हो गया है। आदमियों का कोई पता नहीं। रूपा क्षेत्र में बाढ़ ने नुकसान किया उसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। हम बिल्कुल पहुंच नहीं सके।

उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि यह बाढ़ आयी कैसे ? इसकी व्यवस्था पहले कैसे नहीं हुई ? मैं बताना चाहता हूं। इससे पूर्व भी भरतपुर जिले में बाढ़ आयी और उसको रोकने की व्यवस्था की गई। बाढ़ को रोकने के लिये जहां करोड़ों रुपये खर्च किये, जितने भी बांध हैं वे सब टूट गये। इसका कारण क्या है ? भरतपुर के लिये जानकारी देना चाहता हूं। करोड़ों रुपये भरतपुर में खर्च हुए। सिंचाई विभाग के इन्जीनियर ने सुखाड़ियाजी के सामने स्पष्ट कहा था कि यदि आप यहां पर एक करोड़ रुपया लगा देंगे तो बाढ़ कभी नहीं आवेगी। करोड़-डेढ़ करोड़ रुपया लगाया लेकिन पचास-साठ लाख रुपया ऐसी जगह लगाया जहां बिड़ला की बेगत फैक्टरी है और उसको बचाने के लिये लगाया इसका नतीजा यह हुआ कि बाढ़ का पानी आया वह भरतपुर को डुबाने के लिये आया। जिन अधिकारियों ने करोड़ों रुपया खर्च किया और कहा बाढ़ नहीं आयेगी यह ऐलान किया उनकी इन्क्वायरी करके, उनको

(श्री नत्थीसिंह)
सजा देनी चाहिये। सिंचाई विभाग के काम हैं, रिपेयरिंग में खर्च हो जाते हैं और यह दुर्दशा है कि लाखों की तादाद में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। बुरी तरह मुसीबत हो गयी है। जिन भाइयों की जानें चली गयीं, जिन माताओं की गोद सूनी हो गयी, जिनके मवेशी नष्ट हो गये, जिनके घर नष्ट हो गये और जिनके मकान हमेशा के लिये नष्ट हो गये उनकी ओर तो देखिये भरतपुर में पचास-चालीस गांव तो ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण चबूतरे बन गये हैं। उनके लिये भोजन और कपड़े की व्यवस्था कीजिये। खाने की व्यवस्था नहीं है, न छाया में बैठने की व्यवस्था है। पेड़ भी गिर गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके लिये सरकार की ओर से जल्दी से जल्दी छाया में बिठाने का प्रबन्ध किया जाय। खाने और पीने की व्यवस्था की जाय। और बाढ़ के कारण गांवों में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की व्यवस्था की जाय। जैसा तिवाड़ीजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर ऐसे इन्जीनियर और ओवरसीयर लगाये जायें जिससे पैसा ठीक ढंग से लगे। इतना ही कह कर आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं। मैंने वहां के हालात देखे हैं। एक गांव में दस परिवार हैं जिनके पक्के मकान हैं, 150 परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं और जिनके कच्चे मकान हैं। माली, कुम्हार, धोबी, नाई, रेगर, मोची, चमार ये सब लोग हैं जिनके पक्के मकान नहीं हैं। उनके मकान बिलकुल नष्ट हो गये हैं। इतना ही कह कर मैं आप से क्षमा चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती उषा प्रकाश।

**श्रीमती उषा प्रकाश (वैरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, यहां से जब 9 तारीख को राजस्थान ने मानसून से बहुत दिनों से छुट्टी मनाई तब, मैं भरतपुर पहुंची तो दिल में एक उमंग थी, आशा थी कि 9 तारीख से रजत जयन्ती महोत्सव शुरू करना है और महोत्सव के कार्य-क्रम को हम मिलकर किस प्रकार पूरा सम्पन्न करें जिससे कि सुन्दर तरीके से महोत्सव को मनाया जा सके। 9 तारीख की रात्रि को जिलाधीश और हम दो-तीन साथी बैठे हुए थे और हम यह सोच रहे थे कि अब चूंकि भरतपुर में मानसून आ चुका है और पश्चिमी राजस्थान से पूर्व राजस्थान की मानसून पन्द्रह दिन में पहुंच जाता है… पूर्वी राजस्थान में भी आठ-दस रोज में मानसून पहुंच ही जाता है तो हमें एक आशा बन्धी थी कि राजस्थान के सामने अकाल की विभीषिका मुंह फाड़ कर जो खड़ी है उसमें कुछ कमी आवेगी। परन्तु हम में से किसी को भी यह पता नहीं था कि दस तारीख की शाम को या दस तारीख की शाम से हमारे सामने एक के बाद एक गांव के बाढ़ में घिरते जाने के समाचार आने शुरू हो जावेंगे।

हमें बहुत खुशी थी बरसात की। जब भरतपुर से बयाना की तरफ हम जा रहे थे तो नदी की जो कैनाल्स थीं उनके पानी को बन्ध की तरफ दौड़ते जाते देखा तो हमारी आत्मा और भी अधिक खुश हुई थी। परन्तु हमें यह पता नहीं था कि इस नदी के प्रवाह के पीछे एक फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है जो कुछ घंटों के बाद ही तबाही मचाने वाला है।

राजस्थान की एक खास स्थिति है।

(श्रीमती उषा प्रकाश)

आज हमारे सामने भी दो भिन्न प्रकार की बिलकुल विपरीत कोण की विषमताएं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ कम वर्षा ने अकाल उपस्थित किया तो दूसरी तरफ अधिक वर्षा और बाढ़ ने अकाल की तबाही में लोगों को ला पटका।

इस बाढ़ के प्रकोप का चित्रण जैसे मेरे पहले किया गया उस को मैं दोहराऊंगी नहीं। पर कुछ नसीब से कहूं या बदनसीब से कहूं मैंने मेरी लाखों से टायर के अन्दर रस्सी बान्ध बान्ध कर पानी के बीच घिरे गांवों से एक-एक करके आदमियों को उनके सहारे निकालते देखा है। यह मैं बयाना कस्बे की बात कर रही हूं। वहां उन लोगों को धीरज बन्धाना हमें कितना मुश्किल पड़ा था इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। जो आदमी 24 घंटों तक पानी से घिरा रहे और जिसको यह पता नहीं कि जिन्दा भी रह पाऊंगा या नहीं या मेरे बाल-बच्चे जीवित बचे रहेंगे या नहीं उनको पानी के किनारे लाने के बाद उनकी क्या मानसिक स्थिति होती है यह एक बहुत विचित्र अनुभव है जो ऐसे अवसरों पर ही होता है। वह दृष्य बड़ा ही कारुणिक होता है।

इस तरह से इस इलाके में गम्भीरी और बाणगंगा ने प्रलय मचा दिया। इस तरह की बाढ़, वहां के बड़े-बूढ़े लोग कहते हैं, उन्होंने अपनी जिन्दगी में नहीं देखी। एक मिडिल स्कूल के भवन की छत पर कुछ आदमी अपनी जिन्दगी बचाने के लिये बैठे थे। जब छत पर भी दो-तीन फीट पानी चढ़ जाता है तो कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई होगी और कैसे लोगों ने, बचाने वालों ने उनको धीरज बन्धाया होगा। यह कहना भी मुश्किल है।

बदनसीबी से जैसी कि लोग बात करते हैं बयाना की सड़क 1954 के आस-पास किसी के पास मन्जूर हुई थी परन्तु पता नहीं अलग-अलग कारणों से आज तक वह सड़क नहीं बन पाई जिसका फल यह हुआ कि उस इलाके तक पहुंचने का कोई साधन हमारे पास नहीं था। न कोई पटवारी वहां पहुंच सका, न तहसीलदार या अन्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पहुंच सका इस पर हमारा यह खयाल रहा कि उस क्षेत्र में कोई पहुंच नहीं सकेगा और न वहां से आ सकेगा। पर मुश्किल से एक व्यक्ति किसी तरह हिम्मत करके वहां से आया और जब उसने वहां की स्थिति का वर्णन किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गये। हमारी परेशानी और भी बढ़ गई कि इस सड़क के अभाव में वहां जाने का और कोई साधन ही नहीं था।

इस तरह से बयाना और भुसावर कस्बे में भी बाढ़ के पानी ने त्राही-त्राही मचा दी। भुसावर में करीब एक मील तक बान्ध के टूटने से जो दौड़कर आया उसने तो ऐसा भीषण ताण्डव मचाया कि 14 तारीख तक बयाना सब-डिवीजन या डिविजन हैडक्वार्टर कहीं से भी कोई वहां मदद करने के लिये नहीं पहुंच पाया। जो पानी बह रहा था उसमें सैकड़ों बिच्छू और सांप बहे जा रहे थे और बहुत से बहकर किनारे आ रहे थे। इस तरह से इस बाढ़ ने और इन सांप बिच्छुओं ने मिलकर भुसावर कस्बे में आस-पास के गांवों में और नगर में तबाही मचा दी और जब हम वहां गये तो औरतों

(श्रीमती उषा प्रकाश)

ने हाथ में सड़ी हुई अनाज निकाल कर हमें दिखाया जिसमें से बदबू आ रही थी, जो सड़ गया था, मिट्टी सनी हुई थी जिसे जानवर भी नहीं खा सकता था। यह हालत उनके खाने-पीने के सामान की घर-बार की हुई। मकान उनके गिर गये। ओढ़ने बिछाने के लिये कुछ नहीं। सिर छिपाने की जगह नहीं बची। खाने का अनाज समाप्त हो गया। यह स्थिति कमो बेश सब जगह है जहां-जहां बाढ़ का पानी आया है. वहां या तो अनाज बिलकुल ही बह गया है या बुरी तरह से सड़ गल गया है। उनमें से अंकुर तक फूट गये हैं। पशुओं के लिये खाने योग्य भी नहीं रह गया है।

वैर और बयाना तहसील के बीच में 24 घंटे तक आवागमन का कोई साधन नहीं रहा। संचार व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से भंग हो गई। वहां सब साधन जब फेल हो गये तो डिपार्टमेन्ट के वायरलैस की मार्फत दुनिया से सम्पर्क कायम किया तब मालूम हुआ कि वर तहसील भी बाढ़ के भयंकर प्रकोप से बच नहीं पाई है।

आप इस सारी तबाही का इससे ही अन्दाज लगा सकेंगे कि इस जिले की कुल 31 छोटे-मोटे बान्धों में से 30 टूट चुके हैं। इसकी सरकार के पास सूचना है कि नहीं, मैं नहीं जानती। केवल एक बान्ध जो दूर था और ऊंचाई पर था वह बच गया।

बाढ़ का पानी उतरेगा तब किसान के सामने टू-फोल्ड समस्या आवेगी। यह काश्त तो बरबाद हो चुकी। अगली फसल के लिये जो इन बान्धों से मिलने वाला पानी था वह भी नहीं होने से अगली फसल की भी उम्मीद नहीं रह गई। सबसे बड़े बान्ध में भी पानी नहीं रहा। उससे अभी हमारे किसान न तो यह फसल ले सकेंगे न आगामी फसल ले सकेंगे।

अभी मुख्य मन्त्रीजी ने सदन के सामने एक बात रखी। वे भी भरतपुर तक आये थे और उन्हें यह भी पता है कि चाहते हुए भी बयाना सब-डिविजन का वे दौरा नहीं कर सके। तो उन्होंने यह कहा कि सरकार ने पिछले फसल की वसूली भरतपुर जिले में स्थगित कर दी है। मैं यह बताना चाहूंगी कि यह वसूली स्थगित करने के आदेश सरकार के वहां तब पहुंचे थे जब सरकार के कर्मचारी आलरेडी उन लोगों से वह वसूली कर ली थी। वैर तहसील की बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं। यही नहीं उनकी बदकिस्मती यह भी रही कि तीन-चार वर्ष पहले जो बाढ़ आई थी उस वक्त लोगों को जो ऋण आदि दिया गया था उस ऋण की वसूली भी सरकार के आदेश से इस वर्ष बहुत कठोरता के साथ कर ली गई है क्योंकि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। उस बदनसीबी से निकले नहीं कि यह दूसरा बाढ़ का प्रकोप उन पर आ गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्थिति में राज्य सरकार उस किसान को मदद के लिये पहुंच जावेगी।

जैसा कि अकाल मंत्रीजी ने कहा कि सरकार और उसका प्रशासन भरतपुर जिले की इस बाढ़ से जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति से वहां के लोगों को राहत देने के लिये तैयार हो रही है।

कुछ समस्याएं तत्काल निवारण हेतु हमारे सामने हैं। सब कस्बों में आटा

(श्रीमती उषा प्रकाश)

पीसने की चक्की और दूसरा कोई प्रबन्ध नहीं है। बिजली पांच दिन तक गायब रही। भरतपुर से आटा मंगा कर उनको दिया गया। शेल्टर कैम्पों में जो लोग पड़े हैं उनको आटा दिया गया। एक-एक दिन का राशन हमने अभी तक उनको दिया है। सात दिन का देने का आदेश और हो गया था। परन्तु सात दिन के भीतर भी वहां की जनता खड़ी होती नजर नहीं आ रही है। तब तक तो शायद वहां का पानी भी नहीं सूखेगा। सिर ढकने की व्यवस्था भी नहीं हो पावेगी जिससे वे आगे चलकर मजदूरी करके अपनी रोजी-रोटी का प्रबन्ध कर सकें। तो निवेदन करूंगी कि सात दिन के आदेश को और आगे बढ़ावें ताकि वहां की जनता को पानी न सूखे तब तक भूखों मरने की नौबत न आवे। आज हमारे सामने कई सवाल पैदा हो गये हैं। सड़कें सारी टूट चुकी हैं, बान्ध सारे टूट चुके हैं, जमीन बरबाद हो गई है। जहां कहीं कुआं था जिसमें पम्प लगाकर किसान निजी सिंचाई करता था उसका बहुत कुछ कुआ दब चका है या मिट्टी से भर चुका है। इन सब परिस्थितियों में मैं सरकार से निवेदन करूंगी, सबसे पहले जनता को राशन दें और कम्यूनिकेशन के जो मीन्स हैं सड़कें, उनको भी स्पेशल बजट से चाहे देना पड़े उनको पूरा करवायें ताकि असल में जो हानि हुई है उसका अन्दाज लगा सकें। मैं सरकार से एक यह भी निवेदन करूंगी हमारे यहां खास तौर से नदी के विस्तार में भू-जल उपलब्ध है। मैं बहुत नम्रता से और आग्रहपूर्वक यह कहूंगी ट्यूब-वैल की जो स्कीम है उसको प्रायोरिटी दीजिये। जो बान्ध टूटने से किसान का जीवन अन्धकारमय हो रहा है उसमें रोशनी दिखे और कोई अपने जीवन का साधन बना सके। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगी कई गांव हमारे यहां ऐसे हैं जिनके ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं। एक किलोमीटर, सवा किलोमीटर से बिजली गुजर रही है। इन सब गांवों को सरकार कनेक्शन दे तो किसान की दुखी हालत में बड़ी राहत होगी और वे अपने निजी साधन से कुछ कर सकेंगे।

आज दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था की जरूरत है सिर पर छत्र की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर से निकल कर खड़े हो गये हैं। उनके सिर के ऊपर आसमान है और नीचे धरती है। उनके ऊपर छाया की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं तो इसके लिये भी मैं चाहूंगी सरकार जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे ताकि बरसात और धूप से तथा आने वाली सर्दी से बच सकें। दो चार मोटी बातें बाढ़ के लिए तो होंगी परन्तु आगे की दृष्टि से बड़ी लाभप्रद होंगी। पूरे क्षेत्र को देखते हुये एक बात बहुत साफ आई है हमारे सामने वह यह है कि नत्थासिंहजी ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहती हूं। एक बात तो हम चाहते हैं ग्रामीण पिछड़े हुये वर्ग को हम बसायेंगे, ऋण व तकावी देकर परन्तु कुदरत ने और ही चाहा है। आज सबसे पहले इस प्रकृति के प्रकोप से कोई प्रभावित हुआ है तो वह है दलित वर्ग और पिछड़ा हुआ वर्ग। हम चाहते हैं और हमारा प्रोग्राम भी है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी हाऊसिंग फाइनेन्शियल कारपोरेशन, सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन सबका एक कोर्डिनेशन बिठा कर इन

(श्रीमती उषा प्रकाश)

लोगों के लिये एक कायमी हल इनके विवास के लिये निकालना पड़ेगा। यह रजत जयन्ति के उपलक्ष में करना चाहते हैं और अभी कुदरत ने उनको घर भी बैठा दिया है तो 100-100, 200-200 रुपये के बजाय सोशियल वेलफेयर और हाउसिंग कॉरपोरेशन का ताल-मेल बिठा कर किसी तरह गरीबों की मदद कर सकें ताकि हमेशा जो बाढ़ से बरबाद हो जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऊंची नहीं हो पा रही है उनको इस तरह मदद करे तो मेरा खयाल है हम बहुत बड़ा प्रश्न हल कर पायेंगे। दूसरा प्रश्न है अक्सर जो नीची बस्ती में बसे हुये हैं उनको ही सबसे पहले पानी पहुंचता है। जहां-जहां सरकार के पास ऊंची जगह जमीन अवेलेबिल है, ऊंची जगह पर उनको बसा सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगी उन बस्तियों को जो नीचे बसी हुई है आगे के लिये उनको वहां नहीं बसने दिया जाय और इसमें एक सवाल आयेगा जो आदमी वहां बस रहे है अमूमन वहां से हटने को तैयार नहीं होते क्योंकि वर्षों से वे लोग वहीं रहते आये हैं लेकिन अभी जब वहां बाढ़ से पीड़ित हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी के लिये उनको यह समझाना मुश्किल नहीं होगा कि नीची जमीन छोड़ कर ऊंची जमीन में बस जावो, तुम्हारे हमेशा के लिए झगड़ा निपट जायगा। इसके लिये एक कोर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिये और मैं यह भी कहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसी कोर्डिनेशन कमेटी बनाई जाय कि इस तरह की समस्या का समाधान निकाल सकें। एक कोर्डिनेशन कमेटी और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनानी पड़ेगी। बहुत रूटीन सा वर्क है। सरकार जानती भी है कि क्या क्या करना पड़ेगा। सोशियल वर्कर और कोर्डिनेटिंग कमेटी बनी तो फन्ड्स की जो बरबादी होती है वह भी रुक जायगी और हम शायद इस रीलीफ वर्क को कर पायेंगे।

एक दूसरा पहलू हमारे सामने इन दिनों आया वह यह है कि आप ऐसे स्थान की कल्पना कीजिये जहां केवल एक रोड है और उस सब-डिविजन में तीन तहसील हैं। तीनों तहसीलों के लिये एक ही आवागमन की रोड है। वहां सरकार का एक ओवरसीयर रहता है। उस सड़क पर। किसी वजह से बाढ़ में कटाव आता है मैं चाहती हूं और जब देखती हूं सावन के महीने में पीहर आया जाया करती हूं वो उत्सुकता में देखती हूं दल दल में या पानी में से लोग गुजर रहे हैं परन्तु सरकार का वह छोटा सा अफसर जो वहां बैठा है उसको इतनी फुर्सत नहीं है या इतनी सूझ-बूझ नहीं है जो नाला पड़ता है उसमें कुछ लगा दें ताकि आदमी आरपार हो जावे वह 7-8 फीट का कटाव है। मैं मानती हूं जिला प्रशासन अपने लेवल पर अच्छा काम न किया है परन्तु एक बात जो आड़ी आती है वह नीचे के लेवल पर है। नीचे के लेवल पर ऐफिशियेन्सी नहीं ला पाते हैं जो सेन्स ऑफ रेस्पान्सबिलिटी नीचे के लेवल पर होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है हमारी तहसील में नदबई को सड़क जा रही है उसमें एक बार मैं जा रही थी अच्छा था तकदीर कि हमारी जीप उलटी नहीं परन्तु उस कटाव को दो दिन हो गये थे वहां के ओवरसीयर ने या सुपरवाईजर ने इतनी तकलीफ नहीं की कि सड़क कट रही है उस पर कोई साईन बोर्ड लगा दें कि संभल कर जायें, रोड

(श्रीमती उषा प्रकाश)

कट रही है जिससे आने-जाने वाला आदमी कम से कम संभल तो जाये। हम तो जीप में थे लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग उस गड्ढे में गिरते थे। बहुत ही कटु दृश्य था। मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहती परन्तु यह सोचना पड़ेगा कि सरकारी स्तर पर सेन्स ऑफ रेस्पॉन्सबिलिटि बढ़े ताकि जो छोटे-छोटे सवाल हैं वे हल कर सकें।

मैं आपको एक मिसाल यह भी दूं कि बयाना दो दिन तक टेलीफोन से कटा रहा और कहीं भी संचार व्यवस्था नहीं रही। जब डी० ई० टी० जयपुर से पहुंचे तो कहा गया कि नदी में जो बाढ़ आई उससे पोल गिर गया है इसलिए बयाना टेलीफोन और दूसरे संचार साधनों से कटा हुआ है। अब डी० ई० टी० के जाने पर चैकिंग हुई तो मालूम हुआ कि जो पोल था उसका बाढ़ से कोई सम्बन्ध नहीं था बल्कि तेज हवा के मारे नदी में कहीं खम्भा गिर गया था और उसी से संचार व्यवस्था खराब हो रही थी। तो मैंने यह दो मिसालें छोटी सी ऐसी दी हैं कि कितना ही आप ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन को गियर-अप करो जब तक हर लेवल पर सेन्स ऑफ रेस्पान्सीबिलिटी नहीं आयेगी तब तक इन बड़ी-बड़ी बाधाओं से लड़ना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

अभी तक हमारे सामने एक ही गवर्नमेंट की मशीनरी है जो असेसमेंट करेगी कि कितना लास हुआ है और वह है पटवारी। इस कौम के लिए सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पटवारी बनने के लिए लोग कितना तरसते हैं। और क्यों तरसते हैं मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रही हूं, मैं सरकार से विनती करना चाहती हूं कि लोगों के ऊपर पहले ही बहुत दुख आ चुका है और ऐसी कोई व्यवस्था सरकार बैठाये–लोकल कोऑर्डीनेशन कमेटी या लोकल असेसमेंट कमेटी ऐसी बनाये ताकि जो आम जनता में भावना है कि पटवारी अपने पटवार घर में बैठकर रिपोर्ट लिख लेता है और कहीं मौके पर मुआयना नहीं करता है–मैं साफ-साफ कहना चाहती हूं कि अगर आप जनता को इस बात की रिपोर्ट करने का मौका नहीं देते हैं तो मैं सरकार की बहुत आभारी होऊंगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

पिछले चने की फसल में दस बारह आना खराबा देखा लेकिन पटवारी रेकर्ड में पता नहीं क्यों वह खराबा दो आना ही बताया गया है। यह किसान के साथ ज्यादती है। एक तो पहले ही वह बाढ़ से पीड़ित है और दुबारा उसके साथ ऐसी चोट नहीं हो, उसको दिक्कत नहीं आये इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इस तन्त्र को जिस के ऊपर हमारे रिलीफ वर्क्स डिपेण्ड करते हैं, जिस तन्त्र के ऊपर लोगों को सहायता देने की जिम्मेदारी है, जो आज मैदानों में पड़े हुए हैं, उस तन्त्र को ज्यादा सक्रिय और ज्यादा ईमानदार करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे यही बात मैंने अलवर एस० डी० एम० और कलेक्टर से भी कही थी और उन्होंने एग्री किया भी है और मैं यह भी जानती हूं कि वह दोनों बहुत मेहनती हैं और शायद इसको चैक करवायेंगे। लेकिन मैं यहां सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर आप अधिक से अधिक ध्यान दें ताकि जो

(श्रीमती उषा प्रकाश)

खराबा है वह असली हमारे सामने आये। सही-सही मालूम पड़े कि कितना लॉस हुआ है।

रिहैबीलिटेशन के साथ ही साथ हमें कोई न कोई काम जिनके खेत बरबाद हो चुके हैं उनको देना पड़ेगा। उनके पास रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं। इसके अलावा हमारे इलाके में कैश प्रोग्राम की भी विशेष सेंक्शन नहीं है तो उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कोई न कोई रिलीफ वर्क्स ऐसे इमीडियेटली चालु किये जायें ताकि इज्जत से जो अपनी कमाई का खाना चाहते हैं अब उनको मौका मिले कि पसीना बहाकर, कमाकर शाम को अपने पेट भरने के लिए आटा जुटा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आखिरी निवेदन मैं सरकार से करना चाहती हूं कि भरतपुर की एक विशेष परिस्थिति है। जैसा बहुतों ने आपसी चर्चा में माना है कि सारे सवाई माधोपुर और अलवर जिले का पानी भरतपुर में जाकर डम्प होता है। आजादी के 25 वर्ष बाद और विज्ञान की टेक्नॉलॉजी के इतने डवलप होने के बाद भी आज हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा साधन कोई नहीं है कि जिससे वहां के किसानों को वहां की जनता को वार्निंग मिल जाये कि सावधान ! फ्लड आ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगी कि ऐसी योजना बनाई जाये कि जिससे कि वार्निंग सिस्टम फ्लड के बारे में पूरे जिले में कायम हो सके और कम से कम आदमियों को इतना तो मौका मिल जाये कि अपने चार टाइम का आटा उठाकर ऊंचे स्थान पर पहुंच जायें। तो मैं यह निवेदन करूंगी कि इस तरह की कोई वार्निंग सिस्टम वहां पर लागू करना बहुत ही आवश्यक है।

दूसरे मैं एक निवेदन करूंगी कि भरतपुर में इनन्डेटेड इर्रीगेशन ऑफ सिस्टम है। उसमें कच्ची कैनाल में नदी हैं जो भी पानी आता है वह बहकर छोटे-छोटे बांधों में आता है। आज तक उन कैनाल में पक्के रेगुलेटर्स नहीं लग पाये हैं। मैं नहीं जानती कि क्या प्रेक्टिकल दिक्कत आई होंगी परन्तु इस तबाही के बाद सरकार की जो एक विशेष परिस्थिति है इर्रीगेशन की उसको साइन्टिफिक बेस देना चाहिए और जहां-जहां भी रेगुलेटर्स की जरूरत है वहां वहां पक्के रेगुलेटर्स, जिनको चाहें जब बन्द कर दें और चाहें जब खोल दें ऐसे इन्सटाल करने की योजना बनानी चाहिए क्योंकि आज यह स्थिति है कि जब नहर में पानी आया तो उफान लेकर आया लेकिन हम बान्धों को ठीक करवा दें तो यह समस्या थोड़ी हल हो सकती है और यह बाढ़ का प्रकोप जहां से शुरू होता है वहां रेती जम गयी है, इससे नदी का बहाव बन्द हो गया तो उसको साफ करवाया जाये। मैं इसी निवेदन के साथ समाप्त करती हूं कि उस जिले की स्थिति को देखते हुए परमानेन्ट व्यवस्था कर दी जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री लक्ष्मणसिंह !

**श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व वक्ताओं के हृदयविदारक व्याख्यान सुने। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता किन्तु मैं जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य इस अकाल और बाढ़ की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने चाहेंगे।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं अधिक आशा रखता हूं खास कर उन क्षेत्रों में कि जहां बरसात नहीं हो रही है वहां सितम्बर के महीने में कुछ वर्षा हो और मैंने यही अक्सर देखा भी है कि जहां वर्षा अगस्त में नहीं होती है वहां अनिवार्य रूप से सितम्बर में वर्षा हुई है और मैं आशा करता हूं और दृढ़ विश्वास के साथ चलता हूं कि वर्षा सितम्बर में होगी। मैं उस क्षेत्र से आया हूं कि जहां सूखा पड़ा है, बाढ़ नहीं है और मैं लम्बी चौड़ी बातें सारे राजस्थान की नहीं करना चाहता। मैं तो केवल दो जिलों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और दक्षिणी भाग उदयपुर जिले का जो है उसके संबंध में ही मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं, जो कि भील क्षेत्र हैं, उदयपुर जिले का वह अत्यधिक गरीब क्षेत्र है। वहां के आदिवासी अधिकांश लोग। खेद के साथ कहना पड़ेगा यह रजत जयन्ति महोत्सव के शुभ अवसर पर कि 25 वर्ष की आजादी के पश्चात् आज भी उस क्षेत्र के बहुत सारे हजारों हजारों आदिवासी ऐसे हैं जिन्हें 25 पैसे प्रति दिन के अगर उनको मिलते हैं तो उसके अन्दर भी संतोष करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं। ऐसी स्थिति इस क्षेत्र की है। मैं सरकार से यह सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार सबसे बड़ा थोक बन्द अनाज का व्यापारी है और उसको बनना चाहिए किन्तु हजारों की संख्या के अन्दर, मेरा निवेदन है कि, सस्ते अनाज की दुकानों की स्थापना की जाय और ईमानदार व्यक्तियों को वितरण की व्यवस्था दी जाय। अगर वितरण की व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला तो सरकार का जो कुछ भी खर्चा किया हुआ है वह अकारथ जाएगा। अगर बारिश हो भी जाती है इस क्षेत्र के अन्दर, तब भी जो मक्का वहां का स्टेपल फुड है, जो खास करके खाद्यान्न का मुख्य स्रोत है गरीबों के लिए, वहां पर मक्का अब होना दुश्वार है अगर कुछ दिनों में, 10–12 दिनों में बारिश हो जाती है तो मुझे लगता है कि 25-30 फी सदी मक्का हो सकती है। सरकार को मक्का के सम्बन्ध में भी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर मक्का नहीं हो तो ज्वार के सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिए।

अभी जिला स्तरीय कमेटी हुई, मुझे वहां के डूंगरपुर के जिला प्रशासन के खिलाफ कुछ कहने को नहीं है। वहां सब लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक सेवा करें। सेवारत जिलाधीश के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहने को नहीं है। लेकिन अगर वहां पर आटा भेजेंगे तो सड़ा हुआ आटा जिसके अन्दर जानवर पड़े हों, उसे आदिवासी लोग नहीं खायेंगे। मैंने जिला स्तरीय कमेटी के अन्दर भी यह कहा, आप मक्का भेजिए। मक्का नहीं तो ज्वार, ज्वार नहीं तो माईलो, कुछ भी भेजिए लेकिन यह सड़ा आटा भेजेंगे तो आपकी यह आपाधापी होगी भ्रष्टाचार होगा। आटा ऐसा होता है कि आटा फौरन सड़ जाता है और इससे आदिवासियों का पेट नहीं भर सकता और जब मेरा जैसा व्यक्ति माईलो खाना पसन्द करेगा लेकिन यह सड़ा आटा नहीं खा सकता। तो मैं मंत्री महोदय को पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सस्ते अनाज की दुकानों के जरिए आप भाव निर्धारित करिए। आप मोनो पोली ट्रेड इन फूड ग्रेन्स

(श्री लक्ष्मणसिंह)

को अपने हाथ में हस्तगत करिए और सस्ते भाव जो निर्धारित करते हैं उनको आप कम से कम चार छः महीने तक लगातार निभाइए। मंत्री महोदय ने अभी कहा और उदाहरण दिया, उसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि आप चीजों को सब्सिडाइज्ड करिए। पहले के जमाने में भी दुष्काल पड़ते थे। खैर, वह तो रावणों का राज्य था, राक्षसों का राज्य था, कुछ भी था, आप जो चाहें सो कह सकते हैं लेकिन शासनतंत्र और व्यवस्था थी और लाखों रुपयों का नुकसान भुगत करके भी सस्ता अनाज गरीबों को दिया जाता था। सरकार यह नहीं कर सकती है तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ यह आरोप सरकार पर लगाऊंगा कि सरकार ही सबसे बड़ा कालाबाजारी अनाज का करती है। अगर सरकार को सब्सिडाइज करना है तो लाखों रुपयों का नुकसान भुगते। मेरी सरकार से सहानुभूति एक हद तक है। सरकार बेचारी क्या करे। अब तो मेरे ख्याल में करीब एक हजार करोड़ का तो कर्जा हो गया होगा। कर्मचारियों को तनख्वाह भी चुकाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आपका एक सबल केन्द्र है। केन्द्र अगर सबल है तो आपको सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार वह देगा और अनाज लायेंगे। यह काफी संतोष का विषय है कि बारिश हुई है और बारिश हो रही है। अगर वर्षा हुई तो अन्य पड़ौसी राज्यों से भी हम अनाज मंगवा सकेंगे। आप सब्सिडाइज्ड ग्रेन शोप्स की व्यवस्था करें।

मैं इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से यह खाण्ड, शक्कर के अन्दर आपाधापी हो रही है, अगर उसी तरह से अनाज की दुकानों में भी आपाधापी करेंगे तो फिर एक जुल्म हो जाएगा। मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूं, क्या हो रहा है शक्कर में। हमारे जिले में शक्कर आ ही नहीं पाती। शक्कर को उदयपुर में ही भ्रष्टाचार करके बेच देते हैं और बिलकुल फर्जी व्यवस्था है और फर्जी हिसाब बनाते हैं और कर्मचारी जो निगरानी करने वाले हैं, वे यह कहते हैं इन शूगर डीलर्स से, शक्कर वितरण के व्यापारियों से कि लाओ अमुक नजराना। दो सौ या तीन सौ रुपये दो तो मुकदमा नहीं करते वरना मुकदमा करते हैं। तो यह उभय पक्ष में भ्रष्टाचार है। इस तरह का होगा तो, मेरे ख्याल में, फिर राजस्थान की जनता का भगवान ही मालिक है। मैं आपको यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि जिला स्तरीय कमेटी को भी मजबूत बनाइए। आखिर कोई कितना काम करे एक कलेक्टर। चाहे जितना भी अच्छा आदमी हो लेकिन वह ओवर बर्डन्ड है, लोडेड टंकी है। तो आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जिला स्तर के ऊपर एक कमेटी होनी चाहिए। पब्लिक के लोग हों, पब्लिक स्पिरिटेड लोग हों चाहे विरोधी पक्ष के एक आदमी को इसमें मत लीजिए। अरे बाबा, सब ही कांग्रेस वाले हों, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन यह आम जनता का सवाल है। आम जनता के हित का प्रश्न है। अगर आप भ्रष्टाचारी लोगों को, अवसरवादी लोगों को यह वितरण की व्यवस्था देंगे तो, मेरे ख्याल में, आप सफलता प्राप्त नहीं कर पायेंगे। सब्सिडाइज्ड प्राईज, आप भाव मुकर्रर करें, और तीन चार महीने उन भावों को निभावें यह मेरी आप से पुरजोर शब्दों में अपील है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

घास के सम्बन्ध में भी एक भयंकर परिस्थिति है। सम्माननीय सदस्य जो जैसलमेर से आए हैं उन्होंने घास के सम्बन्ध में प्रकाश डाला था। मेरा तो छोटा सा जिला है, वहां पर आदिवासी हैं। आप कितनों को फर्टीलाइजर देंगे और फर्टीलाइजर भी दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। फर्टीलाइजर के वितरण में भी भ्रष्टाचार है और अगर मवेशी सब मर गईं और यदि आए साल बारिश अच्छी भी हुई तो भी बिना खाद के क्या पकेगा। तो घास के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग के सिद्धान्त के अनुसार जो माही नदी है, सोम नदी है, और ऐसी जो दूसरी नदियां हैं जहां हजारों वर्षों से खादरे पड़े हुए हैं, उसके आस-पास के किनारों की जमीनों को साफ करवा कर ट्रेक्टर भिजवा कर उनको समतल बनावें। अगर काश्तकार वहां पर नहीं जायें तो सरकार की तरफ से मजदूर रख कर खेती करावें। अगर वहां रबी की फसल की व्यवस्था हो जाय तो गेहूं, चना, जौ पकेगा। गेहूं, चना, जौ वितरण में काम आएगा। उसका घास मवेशियों के काम आएगा, जो फरसान, रजका वगैरा की घास है उसकी व्यवस्था कर सकेंगे। मेरी यह आप से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि घास के सम्बन्ध में भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

( समय 5 49 म० प० )

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, रिलीफ वर्क्स के सम्बन्ध में निवेदन है कि आपको हमारे यहां हर हफ्ते मजदूरी का चुकारा कराना चाहिए और मस्टर रोल फार्म्स को भरने की व्यवस्था इस ढंग से होनी चाहिए कि कम से कम दो तीन आदमियों की मौजूदगियों में मजदूरी जो है वह चुकाई जावे। इसके साथ साथ जो रिलीफ वर्क्स आप खोलें वे रिलीफ वर्क्स ऐसे हों जो रेमुनरेटिव हों। पहले दुष्काल पड़ा, राहत कार्य खुले। लोगों से आपने मिट्टी की टोकरियां भरा भरा कर सड़कें बनवाईं और बारिश आई और वह सब सड़कों पर पड़े ढेले शरबत बन कर समुद्र में चले गए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो यह तो जनहित का काम नहीं होगा। अगर छोटे से छोटे गांव में तालाब बनाएंगे, और कुओं को गहरा बनायेंगे और अगर सड़कें बनाते हैं तो जहां पर सड़कों की आवश्यकता है वहां पर सड़कें बनाइए और रेमुनरेटिव वर्क्स कराइये यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी एक महत्वपूर्ण विषय समझता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बी० डी० ओ० कर्मचारी एक जिले में आठ दस साल तक रह चुके हैं, जिन्होंने दो, तीन, चार दुष्काल भी देखे हैं... और आज कोई राजाशाही नहीं है, नादिरशाही नहीं है; न जागीरदारी ही है, वहां रह कर कोई अपने वेस्टेड इन्टरेस्ट पैदा नहीं करे। आज ज्यादातर आपाधापी करके मौज-मजे उड़ा रहे हैं। राजस्थान की सरकार जनहित की सरकार है, जनता की सरकार है, अगर यह लोकतंत्रात्मक सरकार है तो उसका यह पुनीत कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों का तबादला करें। चार-पांच वर्ष हो गये हैं। मेरे पास उनका नाम भी है लेकिन मैं नाम किसी का यहां पर लेना नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कर

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहता हूं। सरकार ही इस पर कार्यवाही करे।

एक माननीय सदस्य : आप उसका तबादला करा सकते हैं....

श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन ये राहू केतु मेरे यहां से हट कर दूसरी जगह चले जायेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उनसे लोगों को छुटकारा मिल जाये। सरकार उनको निकालने का साहस करे तो मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मेरे मुंह से क्यों बार बार कहलवाना चाहते हैं। एक साथ ही सरकार उनको हटा दे, सरकार इस मामले में हिम्मत और हौसले से काम ले...

एक माननीय सदस्य : यह राहू केतु दूसरी जगह लग जायेंगे....

एक माननीय सदस्य : ये राहू केतु 8 वर्ष आपको लगे रहे हैं अब तो आप इनका नाम लेने का साहस दिखाइये तभी तो सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : कोई एम० एल० ए० निष्पक्षता के साथ कोई तथ्य सदन के अन्दर रखता है तो उसकी निष्पक्ष रूप से छानबीन होनी चाहिये और उसको सक्रिय भाग लेने का मौका देना चाहिये अगर वे सदस्य निकम्मे हैं और मेरे जैसे हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर सच्ची बात कहने हैं तो उनकी बात को मानना चाहिये। उसके ऊपर आप आचरण करेंगे, यह कोई पार्टी बाजी का सवाल नहीं है। जनता को राहत देने का सवाल है। राजस्थान का सवाल है, राजस्थान की जनता का सवाल है। इस जनता के अन्दर में भी हूं और आप भी हैं। इस जनता को खुशहाल रखना है और अगर जनता खुशहाल नहीं रहेगी तो फिर, मेरे ख्याल में, क्या होगा यह आप भी अनुमान लगा सकते हैं। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा मेरे स्वयं के क्षेत्र के सम्बन्ध में कि डूंगरपुर जिले के बारे में हो, और चाहे बांसवाड़ा जिला हो, और चाहे उदयपुर का दक्षिणी क्षेत्र हो, यह सारा ही इलाका ऊबड़ खाबड़ है, यह मैदानी इलाका नहीं है, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पर नाले हैं। तो मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर गांवाई तालाब आप बनावें। छोटे छोटे तालाब आप बनायेंगे तो वह प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स होंगे। मैं आपको पुराने दो तालाबों का उदाहरण देना चाहता हूं। एक बेजासागर है, यह डूंगरपुर तहसील के अन्दर है। एक सागवाड़ा तहसील में मंडावा गांव है, वहां पर तालाब है। वह क्षेत्र बिल्कुल ही सूखा हुआ है। तालाब बने 6-7 साल हो गये। मैंने स्वयं देखा है, वहां पर हजारों कुए खुद गये हैं और कई जगह मवेशियों के लिये बारहमासी पानी रहना शुरू हो गया है। ऐसे प्रोडक्टिव वर्क्स आप बनायेंगे तो उससे अधिक से अधिक आदिवासियों को लाभ होगा। उनके छोटे छोटे खेतों में खेती हो सकती है, कुए बना सकते हैं और सिंचाई पहले से अधिक होगी, एक हद तक नहरों से वह सिंचाई हो सकती है। इस प्रकार जहां पर तालाब होंगे उससे आदिवासियों के घरों में खुशहाली आयेगी? मेरे ख्याल में कुओं की व्यवस्था करने के साथ प्रोटेक्टिव डेम्स भी बनाना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही क्षेत्र के अन्दर एक आसपुर तहसील में कमला

(श्री लक्ष्मणसिंह)

लाम्बा नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां पर सोम नदी के किनारे पर कमला आमा बांध बना हुआ है। सलूम्बर तहसील, आसपुर तहसील सोम नदी के दोनों किनारों के पास है और इस नदी के किनारे के ऊपर बांध होने से कम से कम 50 गांवों को फायदा होता है। इस बांध के होने से हजारों कुए इस क्षेत्र के अन्दर खुद जायेंगे और उससे जनता में खुशहाली आयेगी यह कमला आमा बांध और जिस तरह से बेजासागर का उदाहरण दिया है तो इस तरीके से योजना बद्ध तरीके काम करेंगे तो विकास होगा। इसको मितव्ययता के साथ और तत्परता के साथ और हिम्मत तथा हौसले के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आदिवासी क्षेत्र का अधिक से अधिक हित होगा। मैं कमला आमा बांध के सम्बन्ध में सरकार को पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरतापूर्वक शीघ्रातिशीघ्र विचार करें। मेरे क्षेत्र के अन्दर, यह कहे बिना नहीं रह सकता कि, पहले का जो जंगल क्षेत्र था वह बिल्कुल ही साफ कर दिया गया है। वहां का जंगल मेरी हथेली के माफिक हो गया है। चारों ओर आप देखिये कहीं पर भी पेड़ और हरियाली सावन मास के अन्दर नजर नहीं आती है। यह कहा जाता है कि पहले राजा जागीरदार शिकार करते थे लेकिन उनके बाप दादा तो जंगलों को अपने साथ नहीं ले गये हैं। लेकिन आपकी यह सरकार आई। वह तो हमेशा के लिये जंगल को चारकोल, कोयला बना कर उस को उदयपुर और अहमदाबाद को भेज दिया और हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर अब बिलकुल ही जंगल का नाम मात्र नहीं है। इसके उपरान्त आप क्या करना चाहते हैं? करोड़ों रुपया खर्च कर के इन पहाड़ों को आपने दीवारें बना कर घेर लिया है और इनके अन्दर कुछ नहीं है। तब दीवार बना कर घेरने से क्या फायदा होगा? दीवार आप बनाते हैं तो उसके अन्दर मवेशी को कम से कम बारिश के मौसम में मत जाने दीजिये। बारिश के मौसम में मवेशी को अन्दर नहीं जाने देंगे तो घास होगी। इससे कुछ नहीं होगा तो कम से कम 50 प्रतिशत पशु जी सकते हैं। उनके अन्दर, दीवारों के अन्दर न तो घास है और न बांस हैं, न सेम है और न कोई लकड़ी है। इस तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्टेशन लांग टर्म प्लानिंग के बेसिस के ऊपर बनावें। इलेक्ट्रिफिकेशन इरिगेशन और इन्डिस्ट्रीलाइजेशन की चर्चा आप करते हैं। इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में आज ही चर्चा हुई है सवाई माधोपुर के सम्बन्ध में। अगर इस तरह की योजनाएं हमारे राजस्थान के बाहर से चली जाती हैं तो फिर हमारा गरीब राजस्थान का क्या बनेगा। सरकार को कहना चाहिये, और मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे माननीया प्रधान मंत्री महोदया को निवेदन करें। उत्तर प्रदेश महान समृद्ध राज्य है। वहां से तो तीन, लगातार आजादी के बाद भारत के प्रधान मंत्री आये हैं–जवाहरलाल जी नेहरू, लाल बहादुर जी शास्त्री और इंदिरा जी। सब से बड़ा प्रदेश भारत के अन्दर उत्तर प्रदेश है। कानपुर जैसी बड़ी बड़ी औद्योगिक बस्तियां वहां पर हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं और वहां हिमांचल से पानी आता है। अगर उत्तर प्रदेश को छोड़कर सवाई माधोपुर में इन्डस्ट्री आ जाती है तो उत्तर प्रदेश का विशेष

(श्री लक्ष्मणसिंह)

नुकसान नहीं होता है । इस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा । इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान एक अकाल ग्रस्त क्षेत्र है। यह क्रॉनीकली अफेक्टेड बाइ फैमीन है । इसके लिये कोई न कोई सेन्ट्रल फण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये । यह सरकार अगर सोशलिस्ट सरकार अपने आपको कहती है तो इस सरकार को चाहिये कि आप फैमीन या फ्लड को सुधारें और इसके लिये कोई स्थायी फण्ड बनावे । इसके अन्दर अमुक धनराशि हर साल हर बजट के समय इनवेस्ट करें और अगर यह व्यवस्था होती है तो यह लॉग टर्म प्लानिंग के बेसिस के ऊपर 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष के अन्दर हजार करोड़ रुपया खर्च करके उसके अन्दर हो सकता है, और वह एक स्टेबिलिटी देश के अन्दर ला सकते हैं, राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण और ठोस कदम हमारी सुरक्षा के लिए हो सकता है ।

सभापति महोदय, बारबार इस सदन के अन्दर विचार हुआ राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में । राजस्थान कैनाल एक ही प्रयोजना राजस्थान के अन्दर ऐसी है कि जो प्रॉडक्टिव सिद्ध हो सकती है । राजस्थान कैनाल बनने पर मैं यह समझता हूं कि गंगा नगर जिला, जैसलमेर और बीकानेर के आधे आधे जिले सारे राजस्थान की ही नहीं भारतवर्ष की जो क्रानिक डिसीज है उस क्रानिक डिसीज के लिए ये क्रॉनिक इम्प्यूटेशन हो सकते हैं । पहले भी मैंने निवेदन किया था और मेरे सुझाव को आप चाहे मूर्खतापूर्ण समझें जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के छोटे छोटे प्रान्तिक राज्य हैं उसी तरह से यह पश्चिमी सीमा के जिले–जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर वगैरह इनका अलग प्रान्त बना दें तो शीघ्रता से केन्द्र सोचने लगेगा कि राजस्थान कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट मानकर उसको सैन्ट्रली बेस्ड प्रोजेक्ट करार दिया जाय। अगर यह होता है तो मेरे खयाल से पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान दोनों के हित में है। मैं यह चाहूंगा कि केन्द्र सुदृढ़ हो, मैं यह चाहूंगा कि केन्द्र स्ट्रान्ग हो, समृद्ध हो, पावरफुल हो लेकिन मैं यह निश्चित रूप से विश्वास की धारणा से निवेदन करता हूं कि छोटे राज्य की सरवाइवल वैल्यू है, छोटे राज्य एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशियन्ट होते हैं । मैं हरियाणे का उदाहरण आपको दे दूं । हरियाणे के गांव गांव में बिजली आ गई, लेकिन राजस्थान में जहां बिजली पैदा होती है वहां घन घड़ी धन भाग बिजली माता पधारेगी । हमारे यहां हरियाणे का छोटा राज्य समृद्ध है । हमारा राज्य अन्वील्डी, ह्यूज, इसका महान् विस्तृत क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल नहीं है । मैं यह समझता हूं कि अगर केन्द्र सशक्त है तो इसका दो राज्यों में विभाजन होना राजस्थान का, मेरे ख्याल से, राजस्थान की जनता के लिए अहितकर नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के अपने खास प्रॉब्लम्स हैं । वहां पर पशु-धन का प्राबल्य है तो प्राथमिकता पशु धन की ओर है । वहां पर इर्रिगेशन वगैरह का सीमित दायरा है। यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं आप पसन्द करें या ठुकरा दें । आपका अधिकार है। सदन में मतमतान्तर को स्थान है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हरेक व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, और मैं समझता हूं कि यह राजस्थान और भारतवर्ष के लिये ज्यादा हितकर है। अहितकर नहीं है। राजस्थान का कोई टुकड़ा होकर कोई पाकिस्तान नहीं बन जायगा या अकेला नहीं रह जायगा, वह हमारा अविभाज्य अंग होगा। अगर वह अविभाज्य अंग सुशासित होता है और उसका एडमिनिट्रेशन अलग ढंग से उसके प्राब्लम को टेकल करता है तो, मेरे खयाल से, कोई बुरी बात नहीं है, कोई लज्जास्पद बात नहीं है। मेरे इस सुझाव को आप मूर्खतापूर्ण कहें चाहे एक दफा कहें चाहे चार दफा कहें।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी चाहते हैं ?

**श्री लक्ष्मणसिंह** : आपकी इच्छा है आप कहें। मैंने सुना नहीं कि आपने क्या कहा ? तो मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी हमारी है।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : डिवाइड एण्ड रूल का सवाल नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा का कोई सवाल नहीं है। इसमें डिवीजन का सवाल ही कहां है ? सभी क्षेत्र भारतवर्ष केन्द्र के अन्दर सुशासित होंगें। इसमें कौन सा सवाल है डिवाइड एन्ड रूल का ? अगर आप इस भावना को इस ओर ले जाते हैं तो आपका इन्टरप्रिटेशन मैं इज्जत के साथ निवेदन करूंगा कि अवास्तविक है, ठीक नहीं है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हम भावनात्मक एकता के साथ एक कड़ी में जुड़कर रहें। हम एक देश के नागरिक हैं और देश के लिए तन-मन-धन न्योछावर करें। देश को सब से प्रमुखता दी है और उसके बाद व्यक्ति की गरिमा आती है। देश के हित के अन्दर कोई सुझाव देता हूं तो डिवाइड एड रूल की पालिसी नहीं आती है। डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी तो सम्भवत: आपके दिल के अन्दर दलगत भावना लेकर पैदा हो गई है। इसके अलावा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस सम्बध में चर्चा आये तो विचार करेंगें और कहेंगे। दलगत भावना नहीं है, डिवाइड एण्ड रूल की भावना नहीं है।

मैं अपना वक्तव्य इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करना चाहूंगा कि चीप ग्रेन शाॅप्स के थ्रू ही आप प्राइसेज का नियन्त्रण करें।

बिना सरकार के कन्ट्रोल में वितरण के और चीप ग्रेन शाप्स के बिना आप कभी प्राइसेज को कन्ट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप प्राइसेज पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो आप गरीबों का भला भी नहीं कर सकते। मेरा इतना ही निवेदन है, और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर तुरन्त जल्दी से जल्दी ध्यान देगी। मैं फिर भी आशा करता हूं कि अगर सितम्बर में वर्षा हो गई तो आपका यह वजन, यह भार कम हो जायगा। मैं इसी भावना के साथ में मेरे इन शब्दों को समाप्त करता हूं कि सितम्बर में वर्षा हो।

**श्री सभापति** : श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : सभापति जी, पहले नम्बर पर केसरीमलजी का नाम दिया था।

**श्री सभापति** : वह वापिस चैन्ज करके दे दी गई थी जिसमें आपका नाम है। दोनों में से कोई बोल लें।

**श्री केसरीमल (ब्यावर)** : सभापति महोदय, यह राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कुछ इलाकों में लगातार अकाल की स्थिति रहती है और कुछ इलाकों में कभी कभी बाढ़ की स्थिति है। इस भौगोलिक स्थिति को अगर नहीं लेते हैं तो यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम यह कहें कि हमारे प्रान्त में कुदरत ने ऐसी कुछ स्थिति पैदा की है तो कुदरत के भरोसे चलने वाली सरकार या उस पर भरोसा करने वाले लोग हमारे प्रान्त में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि कुदरत की तरफ से कोई चीज ऐसी है तो समाज का हर आदमी अपनी ताकत से उसको बदल सकता है और तभी राजस्थान की स्थिति बदल सकती है। आज कुछ इलाकों में बिलकुल सूखा है, लेकिन अगर इस मामले में ठीक से व्यवस्था की जाय तो पानी पहुंचा सकते हैं। राजस्थान नहर का जो प्रश्न है वह बहुत बड़ा है। वह अगर हल किया जाय तो बहुत बड़े इलाके में पानी की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि यह योजना इस ओर मन्थर गति से चल रही है कि जैसे किसी योजना को पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर इस योजना पर पूरा ध्यान दें तो राजस्थान में पानी की कमी बहुत बड़े इलाके की दूर हो सकती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें कभी कभी फ्लड आते रहते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, अजमेर जिले के आस-पास का इलाका है वह दूसरे प्रकार का इलाका है। लेकिन अजमेर और जवाजा का इलाका पथरीला है जहां पानी नहीं है। अगर वहां पर पानी की व्यवस्था की जाये तो वह इलाका काफी अच्छा साबित हो सकता है। खासतौर से अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार से यहां पर भरतपुर की बाढ़ के बारे में चर्चा हुई। इस प्रकार के मामलों में टेक्निशियन्स की राय ली जाये। यह किस प्रकार से हो। इसका कोई स्थायी हल खोजा जाये। यों तो अजमेर का इलाका काफी ऊंचा है। सैंकड़ों फुट ऊंचा है। लेकिन यह आज के जमाने में कहा जाये तो यह 18वीं शताब्दी की बात हो सकती है। आज वह लिफ्ट के जरिये से हो सकता है अगर हमारे टेक्निशियन्स चाहें तो वहां लिफ्ट के जरिये से, सुरंग के जरिये से पानी लाया जा सकता है। अगर यह किया जाय तो सभापति महोदय, जो अकाल पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और स्थिति जैसी की तैसी है। जिस इलाके से मैं आया हूं उस इलाके में हर वर्ष पैसा लगाया जाता है लेकिन वहां भी स्थिति ज्यों की त्यों है। वहां जो काम होते हैं, उनमें या तो तालाबों की मिट्टी खोदकर पाल पर डलवाई जाती है। उसमें भी एक रहस्य यह छुपा हुआ होता है कि उसका यह पता लगाना कठिन है कि कितनी मिट्टी खोदी गई है। वर्षा आयी तो वह मिट्टी वापिस बहकर तालाब में चली जाती है। इस प्रकार कुछ भी काम नहीं होता है। अधिकारी और दूसरे लोग आज किस तरह से काम करवाते हैं। आज भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार बन गया है। हमारे मंत्री लोग या सारे लोग स्वीकार करें या नहीं, लेकिन दिल में तो समझते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप फेमिन के समय ऐसे पक्के और स्थायी काम करें जिससे पैसे का इस्तेमाल ठीक ढंग से हो। सरकार इस पर ध्यान दे और

(श्री केसरीमल)

ऐसे काम करायें जो स्थायी रूप के हों। कई जगह अकाल और फैमिन में काम हुआ है। बड़े ताज्जुब की बात है कि एक नहर को खोद खोद कर कई मील तक ले आये। फिर उसको छोड़ दिया। जवाजा के पास खोदते खोदते एक नहर ले आये लेकिन अब कहते हैं कि नहीं खोदेंगे। अब राय पलट दी है। उसे पूरा करने में सिर्फ दो मील का एक टुकड़ा रह गया है। ऐसी बातों में या तो राजनैतिक पुट है या यह कहा जाये कि इंजीनियरों ने पहले कुछ और राय दी थी। अगर उस इलाके में पानी हो जाता है तो पूरे इलाके को बहुत फायदा हो जायगा। ब्यावर में पेयजल की व्यवस्था के लिए वर्षों से जनता की मांग चल रही है। आप को ताज्जुब होगा कि गर्मी के दिनों में दस दस और पन्द्रह पन्द्रह मील से लोग पानी लाये हैं। लोगों को वहां चाय नहीं मिल सकी। क्योंकि पानी इस प्रकार का था कि दूध में डालते ही दूध फट गया। ऐसी स्थिति है, वहां की। अगर वहां पर पानी की नहर ले जायी जाये तो वहां की समस्या हल हो जायेगी। वहां जो नहर खोदी गई उसमें लाखों रुपयों का खर्च करने के बाद अब उसे बन्द कर दिया गया। चुनाव के पहले पहले दिनों में तो बड़े जोर शोर से प्रचार होता है। बहुत से वादे होते हैं। लेकिन चुनाव के बाद वह कहां चले जाते हैं, पता नहीं। हम यह नहीं कहते हैं कि वहां कोई बड़ी नदी या गंगा ले आयी जाये। मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर नहर ले आयी जाये तब भी वहां की समस्या हल हो सकती है। उस इलाके में पानी पहुंचना चाहिए। यह सोचा जाये कि इस साल फैमिन चलेगा। तो हम उसके लिए अभी से उसके लिए यह करें कि पेय जल की व्यवस्था कर दें। इस प्रकार से हमेशा के लिए व्यवस्था हो जायेगी।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कुंओं को गहरा कराइये। पर पता नहीं हमारे अधिकारियों और सरकार को इस बारे में चिन्ता ही नहीं है। हमें ताज्जुब है, वैसे तो वर्षा नहीं होने से फसल नष्ट होती है। हमारे यहां शीत लहर के कारण फसल नष्ट हुई है। हमने बराबर अधिकारियों का इस ओर ध्यान दिलवाया। वह कहते रहे कि हम कार्यवाही कर रहे हैं कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की। जब मंत्री महोदय, से कहा कि वहां पर हालत खराब हो रही है, लोग बाहर भाग रहे हैं। और लोग भी बाहर चले जायेंगे। तो मंत्री महोदय का जवाब है कि वह बाहर चले जायेंगे तो अच्छा है। तो यह आप हिन्दुस्तान की गरीबी मिटाने के बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम गरीब हिन्दुस्तान छोड़कर चले जाओ। वह आज मिट्टी खोद रहे हैं। उनके बालबच्चे हैं। उनके जानवर हैं। उनके बालबच्चों के बारे में सरकार का नजरिया इतना दकियानूसी है। मैं यह कहूंगा, सभापति महोदय, सरकार को इस के बारे में सोचना चाहिए। भूखा नंगा आदमी क्या कर सकता है। कल आप ने सुना होगा सिरोही के पास कुछ आदमियों ने भूख से बेताब होकर एक अनाज के ट्रक को लूट लिया है। यहां पर कहा जाता है कि हमने अनाज की सप्लाई कर

(श्री केसरीमल)

दी है। लेकिन जो सप्लाई ऑफिसर है, उन्होंने छोड़ा नहीं। जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने 70-75 रु० में अनाज बेचा है। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कि बड़े-बड़े व्यापारी हैं। उनको भाव बढ़ाने का वह अवसर देते हैं। नहीं तो क्या कारण है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? मेरा निवेदन है कि सरकार तुरन्त अनाज भेजने की व्यवस्था करे। इसके साथ ही साथ सस्ते चारे की भी व्यवस्था करें। 17-18 रुपये मन चारा हो गया है। मेरा निवेदन है कि तेल, शक्कर, कपड़ा और अनाज ये चारों चीजें गांवों में दुकानों पर मिलनी चाहियें। इसलिए ताकि क गरीब आदमी भी खरीद सके। ऐसे मौके पर जो इनके व्यापारी हैं वह बहुत दाम बढ़ा देते हैं। इसलिए सरकार इनकी व्यवस्था करे। फैमिन के जरिये जो काम है, उनकी मैंने चर्चा की है। मैंने अपने इलाके के गोमोद के खुर्रे के बांध की भी चर्चा की है। सरकार उस बांध के काम को पूरा कराये। मैं, सभापति महोदय, एक यह भी निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ किसानों से कर्जा वसूल किया जा रहा है। पिछले तीन-चार साल से अकाल की स्थिति है। वहां पर उन लोगों का लगान माफ किया जाना चाहिए। और, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस कर्ज की वसूली जो हो रही है वह रोकी जाय। इसके अलावा जो एक बात निवेदन करना चाहता हूं वह है जंगलों के बारे में। सभापति महोदय, आज हमारे इलाके के आस-पास के जितने भी जंगल थे वह धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। आज हमारे यहां पर जो कभी अच्छी मात्रा में जंगल थे वह काटे जा रहे हैं। जंगलों के ठेके दे दिये गये हैं और इसका फायदा दो ही लोगों को हो रहा है। पहला तो ठेकेदारों को जिन्होंने कि जंगल के ठेके ले रखे हैं, दूसरे उनको जो कि फोरेस्ट ऑफिसर हैं। अब तो वहां पर पहाड़ ही है लेकिन जंगल नहीं हैं। और सभापति महोदय, बरसात नहीं होने का कारण एक यह भी है कि वहां के जंगल नष्ट हो गये हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर विशेष तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि इसलिये जंगलों को काटने और उन्हें बेचने की मनादी कर दी जाय। आज होता यह है कि जिस किसी ठेकेदार ने किसी जंगल का ठेका लिया वह अपने ठेके के लिये हुए जंगल के पेड़ों को न काट कर आस-पास के जंगलों को काटते रहते हैं और अपने जंगलों को यों ही कायम रखते हैं, दूसरे आस-पास के पेड़ों को काटकर ट्रकों में भरकर ले जाते रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे तुरन्त बन्द कराया जाय।

सभापति महोदय, इसके अलावा बात मैं आपके मारफत मन्त्री महोदयजी को निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि हमारे इलाके में लोगों के पास काम-धन्धा नहीं है और इधर खेती भी नहीं हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर चूंकि खनिज पदार्थ की बहुतायत है उन्हें निकाल कर फैक्ट्रियां कायम की जायं ताकि लोगों को काम धन्धा मिल सके। सभापति महोदय, वहां पर हालांकि खनिज पदार्थ बहुत है पर आज तक उसका पूरा सर्वे नहीं हो पाया है जिसका सर्वे होना

(श्री केसरीमल)
बहुत जरूरी है। वहां पर लाइम स्टोन बहुत अधिक मात्रा में है उससे वहां पर सीमेन्ट की फैक्ट्री खुल सकती है......

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : आपके वहां पर एक लाइसेन्स सी और बी का दिया हुआ है ना।

**श्री केसरीमल** : वहां पर अभी काम-धन्धा शुरू नहीं हुआ है।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : पर लोगों को एपाइन्टमेन्ट तो दिया हुआ है इन्जीनियर्स वगैरा को उस फैक्ट्री के नाम पर।

**श्री केसरीमल** : सिर्फ एपाइन्टमेन्ट ही दिया हुआ है। 500 रुपये, 700 रुपये, जिसमें बड़े-बड़े नेताओं और बड़े ऑफिसर लोगों के रिश्तेदार लोग लगे हुए हैं वो मजे कर रहे हैं। मगर फैक्ट्री अभी तक शुरू नहीं हुई है। आप कहते हैं उसका मुझे पता है बृज मोहनलाल के रिश्तेदार वगैरह हैं। पर अभी तक फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है। उसके शुरू हुए बगैर गरीब जनता को काम नहीं मिल सकता। अगर वह फैक्ट्री शुरू हो जाय तो कुछ लोगों को काम धन्धा मिले। इसके अलावा वहां पर मारबल बहुत अच्छी किस्म का निकलता है। उसकी फैक्ट्री भी लगे तो काफी लोगों को काम मिल सकता है। पर जिस तरह से सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिये जिस तरह से वहां पर साहु जन वहीं पहुंच गये हैं। वहां पर स्थिति उन्होंने ऐसी पैदा कर दी है कि जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उस तरह की हालत पैदा हो गई है। इसलिये मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कि वहां जल्दी से जल्दी फैक्ट्रीज व दूसरे उद्योग लगाकर लोगों को काम दिलाया जाय। इसी तरह से वहां पर तांबे का जखीरा भी बहुत है। उसके भी छोटे मोटे उद्योग लगने की गुन्जायश बहुत है। मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां उद्योग लगाकर लोगों को काम दिलाने की व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, आज जिनको लाइसेन्स दे रखा है फैक्ट्री लगाने का, उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगायी है। तो मेरा निवेदन है कि ब्यावर में चार पांच फैक्ट्रीज लगायी जावे ताकि लोगों को काम धन्धा मिले। ब्यावर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई की कोई बात नहीं है, बिजली वहां पर अभी तक पहुंची नहीं है

( 6.24 सायं )

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार को चाहिये उपाध्यक्ष महोदय, कि लोगों को वहां पर काम दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, वहां की हालत यह है कि लोगों के अन्दर बहुत भूखमरी है। इसलिये मैं आपके मारफत उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर छोटे बड़े उद्योगों की व्यवस्था की जाय। और जो आज राज्य सरकार अकाल राहत के कार्य चलाती है कि कहीं सड़क बनादी कहीं छोटे छोटे तालाब बना दिया जिससे कोई काम चलने वाला नहीं है राज्य सरकार को चाहिये कि इसके लिये कोई स्थायी हल निकाला जाय। पर आज राज्य सरकार कोई लोगों को काम धन्धे देने की बात तो है नहीं, पता नहीं राज्य सरकार क्या ठीक समझकर काम कर रही है। कि कहीं सड़क बना रही है कहीं मिट्टी डाल रहे हैं पर कोई जहां तक पक्का काम, कोई स्थायी हल नहीं निकले तब तक सिर्फ सड़क बनाने से

(श्री केसरीमल)

क्या फायदा। मैं यह नहीं कहता कि सड़क नहीं बनायी जाय पर मेरा निवेदन तो यह है कि कोई फैक्ट्रीज या काम धन्धे खोले जायें जिससे कि लोगों को काम मिल सके। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर व उसके आस-पास के क्षेत्र में अनाज की सस्ते दूकाने खोली जाय, पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था की जाय तथा लोगों को कन्ट्रोल रेट पर कपड़ा दिया जाय। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

## याचिकाओं का उपस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा ने कतिपय याचिकायें सदन में उपस्थित करने हेतु सूचना दी है। ये याचिकायें विलम्ब से प्राप्त हुई थीं। अत: इन्हें कार्य-सूचि में सम्मिलित नहीं किया जा सका। परन्तु अध्यक्ष महोदय ने प्रक्रिया के नियम 28 (2) के अन्तर्गत इन याचिकाओं को सदन में आज ही उपस्थित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अतः मैं माननीय सदस्य को अनुमति देता हूं कि वे याचिकायें उपस्थित करदें :—

**श्री मीठालाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील लालसोट, जिला जयपुर में विद्युत प्रसार के संबंध में 5 याचिकायें देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(2) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम डीडवाना तहसील लालसोट में कन्या पाठशाला का भवन निर्माण कराने के संबंध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(3) उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले के लालसोट नगर में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में 4 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(4) उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्यामपुरा बान्ध, तहसील चाकसू के बांध को शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में 6 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** उपाध्यक्ष महोदय,

**श्री उपाध्यक्ष :** याचिकाएं प्रस्तुत हुईं। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

## राज्य की बाढ़ एवं अकाल स्थिति पर अग्रेतर चर्चा

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** उपाध्यक्ष महोदय, अकाल व बाढ़ के बारे में जो स्टेटमेन्ट अकाल सहायता मन्त्री ने जो सदन में दिया उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से राजस्थान के कई हिस्सों में और विशेष तौर से राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में लगातार अकाल पड़ता रहा है, जिसम खास तौर से बाड़मेर और जैसलमेर जिले के गांवों में आज पिछले लगातार 12 साल में से 8 साल तक अकाल पड़ रहा है केवल जैसलमेर जिले में और बाड़मेर जिले में पिछले 12 सालों में से 6 साल तक लगातार अकाल पड़ रहा है। वैसे भी यह जैसलमेर और बाड़मेर जिले सीमान्त जिले होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण हैं। उनकी स्ट्रेटेजी देखते हुए

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

राज्य सरकार का व केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इन जिलों का पूर्णतया विकास करें। और जो पिछले कई वर्षों से वहां लगातार अकाल पड़ रहा है वहां पर जल्दी से जल्दी सभी जगहों पर अकाल राहत कार्य खोलें। वैसे तो कुछ स्थानों पर तालाब व कुछ नाडियें बनाने का कार्य चल रहा है। सड़क भी भीमाड़ा से लेकर न्यायतु तक बन रही है। पर इन जिलों के महत्व को देखते हुए तथा अकाल की भीषण स्थिति को देखते हुए बहुत कम जगह काम चल रहा है। क्योंकि आज लगभग 400 गांव 'ल पीड़ित हैं। और राजस्थान सरकार ने जो तालाब बनाने के, सड़क निर्माण आदि के जो कार्य शुरू किये हैं वह बहुत ही कम हैं। जो खर्च आज राजस्थान सरकार उन अकाल ग्रस्त क्षेत्र में कर रही है और जो किया है वह नगण्य ही है। अभी तो बहुत खर्च किया जाना है। अभी करीब 40 दिन पहले और कहीं कहीं पर 45 दिन पहले बाड़मेर जिले में अच्छी वर्षा हुई थी। 852 गांवों में से 45 गांवों को छोड़कर काफी अच्छी वर्षा हुई थी लेकिन इन पिछले 45 दिनों में वर्षा नहीं होने से जो जमीन बोई गयी थी वह बेकार हो गई और अब फसल की स्थिति बहुत ही खराब होगई है। कुछ आदमियों का कहना है कि फसल बिलकुल ही नहीं होगी कुछ कहते हैं कि 50 प्रतिशत तो फसल नष्ट हो चुकी है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बाड़मेर जिले की करीब 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है और 50 परसेन्ट फसल अभी भी मौजूद है। मुझे जैसी कि इतला मिली है, कल और परसों बाड़मेर टाउन में वर्षा हुई है। 13 मिलीमिटर और 9 मिलीमिटर। यह वर्षा न्यूनतम है। दूसरे हिस्सों में कहां कहां बारिश हुई इसकी जानकारी नहीं मिली। अभी भी जो स्थिति है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चार पांच दिन में यदि वर्षा नहीं हुई तो सन् 38 में जो भयंकर अकाल आया था उससे भी भयंकरतम अकाल आवेगा। राजस्थान सरकार लोगों के लिये तो रोजी की व्यवस्था कर लेगी लेकिन मवेशियों के लिये क्या करेंगे? संवत् 25-26 में राजस्थान सरकार ने कोशिश की लेकिन 70 प्रतिशत केटल बाड़मेर की मर गयी। 30 परसेन्ट बची है। एक दो साल में और बढी है, सिंध के इलाके से जो शरणार्थी आये हैं उससे भी केटल बढी है। इस वर्ष बारिश नहीं हुई और अकाल का सामना करना पड़ा और गुजरात ने पहले ही मवेशियों की आने की मना ही कर दी है और मध्य प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं है, मवेशियों के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी, उस पर अकाल सहायता मंत्रीजी कृपा करके प्रकाश डालें। सबसे बड़ी मुसीबत मवेशियों की हो रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति भी उसी पर निर्भर है इसलिये मवेशी को बचाना भी बहुत ही जरूरी है। राज्य सरकार उसको बचाने के लिये क्या करेगी? गुजरात सरकार से आशा नहीं। पहले भी उन्होंने मदद दी नहीं। मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हैं तो उसको देखते हुए वह भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मजबूर होगी हमारी मवेशियों को लेने के लिये, इसलिये राज्य सरकार को यह देखना है और सोचना है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर जिले के मवेशियों के लिये क्या प्रबन्ध करेंगे और इसके लिये जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को सोचना चाहिये ।

पहले इतना अकाल नहीं था । 452 गांवों में अकाल था । अब अकाल की स्थिति भयंकर रूप धारण कर रही है उसको देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा अधिक से अधिक काम शुरू कर देना चाहिये । केवल सड़कों पर से रेत हटाने से काम नहीं चलेगा । कोई ठोस काम होना चाहिये । हम तो यही चाहते हैं कि अकाल न पड़े और बारिश हो जाय । तीन चार दिनों में बारिश हो जाती है तो बाड़मेर जिले में अकाल न भी हो । कुछ गांवों में हो सकता है । बाड़मेर, जैसलमेर और किसी भी हिस्से में अकाल की स्थिति होती है तो पहले अकाल राहत की धन राशि का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ वैसा अब दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये और जो भी कार्य किये जांय वे कन्स्ट्रक्टिव और ठोस कार्य होने चाहिये जिससे कि जनता को पूरा लाभ मिल सके । सड़कें ली जायें तो मेटल्ड रोड़ लेनी चाहिये । स्माल इर्रीगेशन के वर्क्स लिये जाने चाहिये । प्रोडक्टिव और लाभ के काम लिये जाने चाहिये । बांध बांधे जाने चाहिये । इसके लिये अधिकारियों को अभी से इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर देने चाहिये कि ये काम लिये जायेंगे और प्रायोरिटी से लिये जावेंगे । कभी कोई काम ले लिया और कभी कोई काम ले लिया इससे कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा और काम अधरे रह जावेंगे । जैसा कि पहले रहे हुए हैं । मेरा कहना यह है कि जो भी काम हाथ में लिये जायं उनको सोच समझ कर प्लान्ड वे में हाथ में लेना चाहिये और उसके लिये उसी प्रकार की इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर देना चाहिये । इसलिये जो जो भी काम हैं उनके लिये शीघ्र योजना बनायें । क्या पी० डब्ल्यू० डी० और क्या इर्रीगेशन । सब योजना बद्ध तरीके से लेना चाहिये ताकि काम भी सुचारु रूप से हो सके और जनता को भी लाभ मिल सके ।

70-71 की जन-लेखा समिति की रिपोर्ट पढ़ी है अकाल सहायता के बारे में तो मुझे बहुत दुख हुआ और जो बातें हम महसूस कर रहे थे उनका ही उस रिपोर्ट में जिक्र है । जन-लेखा समिति ने यह रिपोर्ट दी है :

"अकाल सहायता कार्यो पर हुए अत्यधिक खर्चे के बारे में समिति ने शासन सचिव का ध्यान एडिशनल कमिश्नर की उस निरीक्षण रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार की इतनी बड़ी राशि के खर्च हो जाने के अनुपात में कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है । "टास्क बेसिस" प्रणाली की अनुपालना नहीं की जा रही है और बिना किसी उचित काम के लिये ही श्रमिकों को भुगतान हो रहा है इसलिये एक कमेटी बना कर इसकी पूर्ण जांच कराई जावे ।"

मैं भी यही चाहता हूं । जन-लेखा समिति ने जो रिपोर्ट दी है और जिन समितियों ने भी अपनी रिपोर्ट स दी है, चाहे विधान सभा की जन-लेखा समिति हो,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चाहे उपक्रम समिति हो, चाहे प्रावकलन समिति हो, या और कोई समिति हो, उन समितियों की रिपोर्ट्स पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये और उनका पूरा इम्प्लीमेन्टेशन करना चाहिये। पूरा इम्प्लीमेन्टेशन करते हैं तो इन समितियों का भी महत्व है। इतनी मेहनत के बाद जांच करके रिपोर्ट देती हैं उनका इम्पलीमेन्टेशन करना चाहिये। और एडिशनल रिलीफ कमिश्नर ने जो यह रिपोर्ट दी है कि 67-68 में कोई सौलिड कार्य नहीं हुए और कार्य एन्टीसिपेटरी हुए तो उन कार्यों की जांच होनी चाहिये। गवर्नमेंट करप्शन को रोकना चाहती है और मुख्य मंत्रीजी बार बार ऐलान करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। जब भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और गवर्नमेंट के ओफिसर्स और कमेटी की यह रिपोर्ट है कि अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारियों का कमेटी की रिपोर्ट में उल्लेख भी किया गया है तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से जांच कराके कमेटी बिठा कर या यह जांच किसी भी लेवल पर हो, उस कमेटी में रिलीफ विभाग के सैक्रेट्री हो, चैयरमेन हो और एम० एल० एज० को भी लिया जाना चाहिये और इसकी जांच करानी चाहिये। जब जांच करने का उल्लेख करते हैं तो पूरा ध्यान नहीं दिया गया। पहले भी सदन के अन्दर पूरी तरह जिक्र किया था और ध्यान आकृष्ट किया था, अपोजिशन ने भी किया था और हमने भी किया था कि कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता हो और कार्यकर्त्ता हो और कोई हो वह भ्रष्टाचार करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिये और भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलेगी तो हमारा राज्य और देश तरक्की नहीं कर सकता। 18 करोड़ बाड़मेर में, 8 करोड़ जैसलमेर में और सारे राजस्थान में 100 करोड़ रुपया खर्च किया। किन्तु दस करोड़ रुपयों का भी वास्तविक काम नहीं हुआ। तो वास्तविक रूप से काम हो उसको देखना चाहिये। काम होने के बाद भी सड़क पर जो भी काम किये गये अधूरे हैं और सामान वगैर पड़ा हुआ है। इस समिति ने सामान के बारे में जानकारी चाही तो कोई उत्तर नहीं दिया गया। न रिलीफ विभाग ने और न ही पी० डब्ल्यू० डी० ने जिम्मेदारी ली। गवर्नमेंट को रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स कर देनी चाहिये। लाखों रुपयों का सामान पड़ा हुआ है।

हमारे बाड़मेर जिले में जगह जगह लाखों की कीमत की कंक्रीट ग्रेवल पड़ी है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कोई चुरा कर ले जावे तो इसका क्या प्रबन्ध है? तो कोई विभाग इसकी जिम्मेदारी ले इसका प्रबन्ध करना चाहिये।

राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिये राजस्थान सरकार को प्रयत्न करना चाहिये ताकि अकाल का स्थायी हल निकाला जा सके। यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत करके उस स्तर पर काम करना चाहिये। इसके लिये हमें अपने एम० पीज० को बराबर जानकारी देते रहना चाहिये और प्रेरित करते रहना चाहिये कि वे इस मामले में केन्द्रीय सरकार को सजग रखें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अभी जो जानकारी इस नहर के बारे में मिली है उसके अनुसार छतरगढ़ से इसे आगे नहीं लाया जा रहा है। जब प्रारम्भ में यह नहर बनी थी तो इसे बाड़मेर से निकाल कर कच्छ की खाड़ी में मिलाने की योजना थी। पर अब तो जैसलमेर भी कवर नहीं होगा, बाड़मेर की तो बात ही नहीं रही।

यह स्थिति अगर है तो राजस्थान सरकार को इसकी पूरी जानकारी करके इस स्थिति के निराकरण का प्रयत्न करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार अगर ऐसा कोई निर्णय लेती है तो हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि यह नहर रेगिस्तानी इलाकों को सरसब्ज बनावे। पर ऐसा लगता है कि गंगानगर के इलाके को जहां पहले से ही अधिक पानी मिला हुआ है छतरगढ़ तक इस नहर को लाकर और अधिक पानी उसी को देने का यह एक षड्यन्त्र दिखता है। यह अत्यन्त भयानक स्थिति है। राजस्थान सरकार को अभी से सावधान होकर इस षड्यन्त्र को नष्ट कर देना चाहिये।

दूसरी चीज जो विशेष तौर से मेरे जिले को प्रभावित करती है वह है नर्मदा नहर। बात चल रही है कि इस नहर से बाड़मेर का इलाका सिंचित होगा। पर कब होगा, कैसे होगा यह अभी तो एक डिस्प्यूटेड मामला है। कितने वर्ष इसमें लगेंगे राजस्थान का कितना हिस्सा इसमें होगा। गुजरात और महाराष्ट्र कितना-कितना क्या लेंगे यह अभी सभी चीजें कन्ट्रोवर्सी में हैं। हालां कि इन्दिराजी ने इस बारे में निर्णय दिया है, पर हम शंकित हैं कि इसका पानी हमारे इलाके में आवेगा कि नहीं।

फिर बांसवाड़ा के सदस्य बार-बार कहते हैं कि यह जो है ऊंचाई पर बांध नहीं बनना चाहिये। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें अभी। तो यह अभी पता नहीं लग सकता कि हमारे क्षेत्र में कब आवेगा और कैसे और कितना आवेगा। यह अनिश्चित है।

मैंने सदन में बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि लूनी नदी पर बांध बन रहा है उसको रोका जाय। इसके लिये बन मैन कमीशन मोतीराम की अध्यक्षता में बना भी था उसने भी ताईद की थी कि यह बांध पाली जिले में नहीं बनना चाहिये। इसके बन जाने से बाड़मेर जिले में और इसके आस-पास जितने इलाकों में जो कुंए हैं वे सब बेकार हो जावेंगे। उनका पानी का स्रोत सूख जावेगा। इस बांध को, चाहे पाली में बने या जोधपुर में बने, नहीं बनने देना चाहिये नहीं तो नीचे का सारा इलाका वीरान हो जावेगा। इस पर रिपोर्ट को भी अभी इम्पलीमेन्ट नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट का इम्पलीमेन्टेशन हो। नहीं तो वैसे ही यह इलाका अकाल पीड़ित रहता आया है अगर वहां के कुओं का जल स्रोत इस तरह के बांध बनने से सूख गया तो बिलकुल ही वीरान हो जावेगा। और यह बाड़मेर जिले का और थोड़ा सा आस-पास का एरिया सरकार के लिये एक पूरी तरह से लाइबिलिटी वाला एरिया हो जावेगा।

दूसरी चीज निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अभी तक पंचवर्षीय

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

योजना नहीं बनाई है अकाल के स्थायी हल के लिये। इसके लिये आप स्पेशल स्कीम बनाइये और इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से या वर्ल्ड बैंक से मदद लीजिये और इस एरिया के रेगिस्तान को मिटाने की दिशा में कुछ प्रयत्न करिये।

डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड आपने बनाया। पर वह भी कुछ नहीं कर सका है। उसे भी आप पुनः सक्रिय करिये।

पशुधन के बारे में निवेदन करूं कि जैसलमेर से और भीनमाल से आने वालों ने इस बारे में काफी स्पष्ट और विस्तृत विवेचन किया है। मैं भी थोड़ा इस बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जब तक पशुधन तरक्की नहीं करेगा यह एरिया अकाल के चंगुल से पूरी तरह से नहीं छूट पावेगा। राजस्थान नहर के साथ-साथ पशुधन को सुरक्षित करने और इस पर आधारित उद्योग आदि इस एरिया में स्थापित करने से अकाल को हम स्थायी रूप से इस एरिया से बाहर निकाल सकते हैं। तो इन पर हमें गहराई से ध्यान देना है। डेयरी फार्म आप वहां खोलिये अगर सरकारें स्वयं न खोले तो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करें। उसको मदद दें, जमीन दें, ऋण आदि दें। साथ ही इस पशुधन के पोषण के लिये, उसकी नस्ल सुधार के लिये उसकी वृद्धि के लिये भी प्रयत्न करें। राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में पश्चिमी क्षेत्र में योजना बना कर चले और उधर उन्नति करे इस पशुधन की इसकी हमें पूरी खुशी है पर साथ ही इस अकालग्रस्त एरिया में भी इस पशुधन की रक्षा और इसकी वृद्धि के लिये प्रयत्न करें ताकि अकाल का स्थायी हल इससे निकाला जा सके। इनके बिना अकालग्रस्त इस एरिया की प्रगति नहीं हो सकेगी और यह एरिया बाकी के राजस्थान के लिये भी एक लाइबिलिटी बनी रहेगी। इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिये पहले तो प्रयत्न करने ही होंगे। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री भानुकुमार शास्त्री।

**श्री शंकरलाल (जैतारण):** जिनके जिलों में अकाल है उनको पहले बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

**एक माननीय सदस्य:** कम से कम हमें यह विश्वास दिला दीजिये कि हमें भी बोलने का समय अवश्य मिलेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:** मैं फिर निवेदन करूंगा कि बोलने वाले बहुत लोग हैं और इस अकाल की परिस्थिति पर सभी लोग बोलना पसन्द करेंगे और बोलना चाहते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि सदन कल भी चलाया जावे और मेम्बरों को बोलने का अवसर दिया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष:** सब बोलिये। मैं तो सुबह सात बजे तक आपके साथ बैठने को तैयार हूं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करने को आतुर हैं इसलिये मैं आपका समय अधिक नहीं लूंगा। अपने विचार पांच सात मिनिट में ही रख दूंगा।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

आज 25 वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद रजत-जयन्ती उत्सव मनाने के बाद हम इस समस्या पर विचार करने के लिये बैठे हैं कि हमारे प्रदेश में से अकाल स्थायी रूप से किस तरह से निकाला जा सकता है। पेय जल की भी हमारे यहां समस्या है, इसको कैसे हल किया जावे। यह निर्विवाद है कि राजस्थान की प्रारम्भ से दो ही प्रमुख समस्याएं रही हैं एक अकाल और दूसरा पेयजल की उपलब्धि और इन दोनों ही समस्याओं को आज तक हल करने में यह सरकार, यह कांग्रेस की सरकार निरन्तर असफल रही है और इन अर्थों में यह स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती ही नहीं है बल्कि इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इन दोनों मोर्चों पर असफलताओं की उपलब्धियों की यह रजत जयन्ती भी है। हम तो यहां के निवासियों को अब तक पेयजल की उपलब्धि भी नहीं करा सके हैं अपने इन 25 साल की अवधि में। आज हमें आश्चर्य तो यह है कि इन नामों की आड़ में इन समस्याओं को हल करने के नाम पर करोड़ों रुपया भी खर्च कर दिया है। पर परिणाम में हम वहां के वहां हैं।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया :** आप विषयान्तर हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** भारतीयाजी, आपको भी समय मिलेगा। तब आप कह लीजियेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** भारतीयाजी, की वफादारी में किसी को आशंका नहीं है। आपका नम्बर भी जरूर मिनिस्टरी में आ जावेगा। आप चिन्ता न करें।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया :** आप विषय पर रहें तो अच्छा है।

**श्री उपाध्यक्ष :** विषयान्तर होने पर मैं स्वयं ध्यान रख लूंगा। आप कृपया इनको बोलने दें।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** तो उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार यदि प्रारम्भ से आज तक ऐसी योजना बनाकर चलती कि फिर से हम अगले वर्षों में आने वाले अकालों का आसानी से सामना कर सकते तो, यह उसकी बड़ी उपलब्धि होती। साहित्य और पुराणों में और पुराने जमाने से यह एक ऐसा इलाका माना जाता रहा है जो अकाल से ग्रस्त रहा है। पर आज तो वैज्ञानिक युग है।

वह प्रदेश देव मात्रिक कहा जाता है जिसका सारा भरोसा इन्द्र भगवान पर रहता है, प्रकृति पर रहता है। वर्षा हुई तो ठीक और नहीं तो अकाल। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में बहुत सारी उपलब्धियों के बाद हम पेयजल की उपलब्धि नहीं कर सके। योजना बनाई जाती है, सब अदूरदर्शिता के साथ बनाई जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं बान्ध बनाये जाते हैं हमेशा, ताकि कठिनाई के समय उनके पानी का उपयोग किया जाय। इसी दृष्टि से बान्ध बनाये जाते हैं। उदयपुर में एक बान्ध बनाया, घोटसिर उसमें एक करोड़ रुपया खर्च किया गया और खर्चा करने के बाद अब शायद 5-7 लाख का खर्चा और करना बाकी था क्योंकि जो नाला था उसका नहीं ढका था! ऊपर का जो कवर बनना था वह बना नहीं और जो बान्ध बना है उसमें

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

कितना भ्रष्टाचार है मैं अभी उसकी गिनती करने नहीं आया, मैंने उदाहरण दिया है। कोई चलकर देख ले मंत्री महोदय को बताने को तैयार हूं। जहां जीरो पॉइन्ट है वहां ढाई फीट खुदाई बताई गई है। उस रॉक की एक इन्च भी खुदाई नहीं हुई है। ढाई फीट के बजाय एक इन्च भी खुदाई नहीं है और कई बार मंत्री महोदय को कहा गया। मंत्री महोदय ने कहा ऐसा होगा तो जरूर देखूंगा। लेकिन अगर मगर में ही रह गये। ऐसी अदूरदर्शिता का यह परिणाम हुआ कि देवास योजना के अन्तर्गत गोर्धन विलास के पास सर्वे पर 5-6 लाख खर्च कर लिये, बोरिंग करा दिया और उसके बाद यह कहकर कि पैसा नहीं है और तीसरी योजना में कहीं जाकर कर ली। वैसे तो सारा राजस्थान अपना है, कहीं जाकर करे लेकिन अधूरी योजनायें बनाकर दूसरी योजनायें बनाने से क्या फायदा सरकार को होने वाला है।

आज उदयपुर की परिस्थिति यह है कि जब मैं यहां आया था तब तक वहां वर्षा नहीं थी, पानी की एक बून्द नहीं थी और आज उदयपुर में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि चारा 30 रु० क्विन्टल मिलता है और जो कुट्टी एक रुपये की दो किलो मिलती थी वह धान के भाव शहर में बिक रही है। शहर के लोग अपने मवेशियों को आस-पास के पत्ते काटकर खिलाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है राज्य सरकार पहले आस-पास के जितने पहाड़ी स्थान थे, उनके ऊपर जंगलों की घास को स्टोर करती थी लेकिन वह भी 3-4 साल से घास का स्टोरेज नहीं कर रही है। संकट के समय जब मवेशियों को घास चाहिये तो घास नहीं मिलता है। आदमियों के लिये तो आप फेयर प्राइस शॉप खोल रहे हैं लेकिन मवेशियों को खाने के लिये आप क्या देंगे। उदयपुर के आस-पास के जंगलों की जो घास है उसका स्टोरेज नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, मुझे पता नहीं। अगर यह व्यवस्था करते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता।

मैं एक चीज कहकर समाप्त कर दूंगा–फेयर प्राइस शॉप जो खोली गई हैं। कम से कम उसमें ऐसा धान दिलायें जिसे इन्सान खा सके मैं अभी जल्दी में नमूना लाया नहीं, समय नहीं मिला। ऐसा सड़ा हुआ धान है जो लोग ले गये होंगे मेरे ख्याल से वे अवश्य बीमार पड़ गये होंगे। तो कृपया फेयर प्राइस शॉप पर ठीक राशन दिलाने की व्यवस्था करें। तीसरी बात राज्य सरकार सारी शक्ति लगाकर यदि न अकाल के राहत के नाम पर छोटे-छोटे अन्य कामों के बजाय जल प्रदाय की योजना को लेकर चलती और छोटे-मोटे कुएं बनायेगी तो उससे हम अधिक लाभान्वित होंगे। अकाल में कितना भ्रष्टाचार होता है, यह सब जानते हैं। मैं अधिक गहराई में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं राजस्थान केनाल को अधिक सतर्क होकर बढ़ाया जाय तो इससे राजस्थान के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। राज्य सरकार इसमें अधिक शक्ति लगाये तो कोई ऐसी शक्ति नहीं कि केन्द्र इसके लिये पैसा न दे। केन्द्र सरकार ने दो वर्ष में जम्मू कश्मीर में 46 करोड़ रुपया सब्सीडी के रूप में दिया है। जब जम्मू कश्मीर में 46 करोड़ रुपया दिया जा सकता है तो हमने राजस्थान के लिये आग्रह किया तो सारी शक्ति लगा-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

कर युद्ध स्तर पर और चाहे किसी भी स्तर पर अगर यह योजना ली होती तो हमें भी सफलता मिलती और इस योजना को शक्ति लगा कर जैसलमेर तक ले आये तो यह कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : यह 46 करोड़ कब दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं । एक ही वर्ष में दिया गया है क्या ?

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मिलिट्री का खर्च शामिल है उसमें ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : नहीं है। अब मैं अपने विचारों को समाप्त करते हुये राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं जिला उदयपुर के अन्दर, हमारे जिला प्रमुख भी यहां बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा पहले भी एक प्रश्न रखा था रेवदर एक कुआ है वहां तो हो सकता है या नहीं हो सकता लेकिन पंचोली के पास एक बड़ा कुआ है जो पाताल-तोड़ कुआ है । वहां प्राइवेट पम्प लगा हुआ है यदि राज्य सरकार अपने पैसे से वहां 70-80 हॉर्स पावर की मोटर लगा दे तो काफी ऐरिया में सिंचाई की जा सकती है ।

**श्री रोशनलाल शर्मा** : मैंने आपको बता दिया उस कुए में मशीन लगी हुई है एक सोसायटी की और उसमें पानी ज्यादा नहीं है । पाताल-तोड़ कुआ देखा नहीं, कोई गांव के लोग आकर कह देते हैं और ये यहां आकर भाषण ठोक देते हैं..

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : हमारे जिला प्रमुख महोदय, क्या इस प्रकार कह सकते हैं....

**श्री रोशनलाल शर्मा**: एक सोसायटी का पम्प लगा हुआ है । चार रोज पहले ही आपने मेरे से बात की है और मैंने सारी स्थिति बताई है । उसके बाद भी आप बार-बार कह रहे हैं ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : बात की होगी अब तो मैं देख आया हूं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : मैं कहता हूं आपको तो गौरवान्वित होना चाहिये कि पाताल टूट गया ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, यदि सारी व्यवस्थायें ठीक ढंग से की जातीं तो आज इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मोहनलाल छंगानी ।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : उपाध्यक्ष महोदय अकाल का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह ऐसा विषय है जिस तरह इन्डस्ट्री के बारे में बहस करते हैं और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है सदियों से......

**एक माननीय सदस्य** : एक छोटी सी अर्ज है मेरी, उपाध्यक्ष, महोदय,......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तशरीफ रखिये, (माननीय सदस्यों की ओर मुखापेक्ष होकर) आप भी तशरीफ रखिये । एक बार में एक माननीय सदस्य बोलें ।

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से खास तौर से प्रार्थना करना चाहूंगा, अकाल के बारे में हमारी ठोस नीति होनी चाहिये। हमें पता लग चुका है जब भी अकाल होता है हमें दिल्ली की ओर देखना पड़ता है। जब तक दिल्ली न देखें तब तक काम शुरू नहीं कर सकते हैं। आज फलौदी, मूपालगढ़, शेरगढ़ आदि में भयंकर अकाल है तो जहां अकाल पड़ता है वहां फेमिन कोड या जो कोई भी अकाल की नीति हो अपने आप लागू हो जानी चाहिये। अब हमारी स्थिति यह है कि अनाप-शनाप तो कर्जा हो चुका है और जब भी अकाल यहां पड़ता है, बड़ा क्षेत्र 60 पर्सेन्ट टोटल एरिया 60 पर्सेन्ट में से भी बहुत बड़ा हिस्सा अकालग्रस्त हमेशा रहता है उसके बारे में निवेदन है कि कोई ठोस नीति होनी चाहिए और जब भी अकाल पड़े पीने के पानी तक की समस्या पर भी फौरन हमारी नीति लागू हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि हम चिल्लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और चिट्ठियां लिखते हैं तब कहीं जाकर अकाल के काम खुलते हैं। मैं मानता हूं कि आज सरकार की मजबूरी है और जिस वित्तीय स्थिति से हमारी सरकार गुजर रही है उससे नीति निर्धारित हो नहीं पाती है फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि या तो सख्ती के साथ कोई न कोई ऐसा लियेजन हो कि जब भी अकाल पड़े और हम इत्तला दें तो या तो धान भिजवायें या ऐसी व्यवस्था करें कि अकाल राहत कार्य खुल जायें। आज फलौदी क्षेत्र अकालग्रस्त है और वहां पर सारी की सारी आबादी बेकार बैठी हुई है क्योंकि वहां एक बूंद भी बरसात नहीं पड़ी। हां, कल 2 मिलीमीटर बरसात हुई है ऐसी स्थिति में हम शीघ्रातिशीघ्र काम नहीं खुलवा सके तो हम अपनी रेस्पॉन्सीबिलिटी से भाग रहे हैं। इसके बावजूद मैं तो यह कहूंगा कि हमारी आशा की किरण थी राजस्थान कैनाल। हमारा ख्याल था कि राजस्थान कनाल जब उस क्षेत्र में आयेगी तो सारी की सारी जो भी व्यवस्था है वह बदल जायेगी, वहां का अर्थतंत्र बदल जायगा, रहन सहन बदल जायेगा लेकिन मुझे पता चला है कि राजस्थान कैनाल को छतरगढ़ तक ही ब्रीच करने की साजिश चल रही है। उसको हमें फौरन रोकना है और वह चाहते हैं कि भाखरा की 70 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई कर दी जाये और गंगानगर में दो सौ परसेन्ट इन्टेन्सिटी डवलप करली जाये और वहां पर लिफ्ट इरीगेशन से पानी दिया जाये और रामगढ़ तक राजस्थान कैनाल जाने वाली थी उसको वहां पर बन्द कर दिया जाये इस तरह की साजिश हो रही है। मैं मानता हूं कि मेरे पूर्वी राजस्थान के भाई यह समझते हैं कि लगातार हमारी जो आमदनी होती है वह पश्चिमी राजस्थान पर खर्च होती है. इसलिए पश्चिमी राजस्थान हमेशा सतत अकाल का क्षेत्र है और हमारे जो घाटे की व्यवस्था है इसको जल्दी से जल्दी मुनाफे में कन्वर्ट किया जाये तो बहुत ही अच्छा। यह उनको सोचना है और वाजिब भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे नहीं कि हमारे यहां पशुधन बहुत बड़ा है फिर भी पशुधन में, भेड़ों में, ऊन में और उन चीजों में बड़ा होने के बाद भी वहां पशुधन के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और एनीमल हस्बेन्डरी में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं वहां पर जहां कि

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

गायें पाव-पाव भर दूध देती हैं। मैं मानता हूं कि भरतपुर और अलवर भी हमारे ही अंग हैं ठीक उसी तरह जैसे कि फलोदी है लेकिन आप मानेंगे कि हमारी तरफ काफी अच्छा पशुधन है जो कि इस बात के लिए मशहूर है इसलिए डेरी डवलपमेन्ट का जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र में कार्य शुरू किया जाये ताकि हमारा जो भी पशुधन है उसका उपयोग हो सके और हम भी अर्थव्यवस्था के अन्दर सबसे बड़ा योगदान दे पायें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो अकाल के क्राइटेरिया बनते हैं–मैं खास तौर से इस एरिया के लिए कहूंगा कि हमने जो क्राइ-टेरिया बनाये हैं वह तीन बनाये हैं। पहला क्राइटेरिया इर्रीगेशन का है। जहां भी इर्रीगेशन काम हो वहां इर्रीगेशन पर पैसा लगायें, दूसरा क्राइटेरिया है सॉइल कन्जर्वेशन का और तीसरा है पास्चर डवलपमेन्ट का। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से और हमारे अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां सॉइल कन्जर्वेशन का काम नहीं हो सकता इसलिए कि वहां पर हमेशा ही आंधियां आती हैं और इस कारण जो वहां की सॉइल है वह जम नहीं पाती है। अब पास्चर डवलपमेन्ट का जहां तक सवाल है उसके लिए मेरा निवेदन है कि हमारे यहां वर्षा का अभाव रहता है जिससे घास पैदा नहीं होती और फिर हमारे यहां कुए भी नहीं हैं जिससे हम घास पैदा कर सकें। इसलिए जब तक कोआर्डीनेटेड प्रोग्राम डेजर्ट का नहीं लें तब तक यह काम नहीं हो सकता और हमारी स्थिति यह होने वाली है कि अगर इसी क्राइटेरिया से काम किया जाय तो न तो लोगों को एम्पलायमेन्ट मिल पायेगा और न काम ही कोई हो पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वहां पर किस तरह से लोगों को रोजी मिल सकती है, वहां के काम किस तरह से विकास के साथ चलाये जा सकते हैं यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और इसलिए वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जायें। वहां हमारे एरिया में न तो इर्रीगेशन के काम ले सकते, सॉइल कन्जर्वेशन के काम नहीं ले सकते और पास्चर डवलपमेन्ट को भी बड़े पैमाने पर नहीं ले सकते। आज लाखों आदमी वहां बेकार हैं और वहां काम नहीं है इसलिए योजनाबद्ध वहां काम करना चाहिए। वहां पहली समस्या तो एम्पलॉयमेन्ट की हल होनी चाहिए दूसरी समस्या अगर हम एम्पलॉयमेन्ट को विकास के साथ जोड़ें तो बहुत अच्छा हो। अगर नहीं जोड़ा तो प्राथमिकता एम्पलाय-मेन्ट को देनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि अगर आप इन क्राइटेरिया के अन्दर काम नहीं खुला पाये तो खास तौर से उस एरिया में साढे बारह रुपया मासिक जो पिछले अकाल में दिया गया था उसी तरह से उस एरिया में चालू किया जाये और उनको राहत पहुंचाई जाये।

अब जो अकाल में होता है वह अक्सर ग्रेवल रोड का होता है। मेरा कहना है कि ग्रेवल रोड तो बेकार होती है क्योंकि उससे हमारा पैसा ही खराब जाता है और वह दूसरी बरसात तक खत्म हो जाती है इसलिए यह ग्रेवल रोड उस एरिया के लिए न तो उपयोग होती है और न कम्यु-निकेशन के लिए उपयोगी होती है, आज

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

कमी और कल टूट जाती है। मस्टर रोल गलत बनते हैं और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वे उस हिसाब से ही अपना मस्टर रोल बनाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक गांव की आबादी जहां 500 की है वहां पर मस्टर रोल में काम करने वालों की संख्या 1,500 है। ऐसे-ऐसे किस्से अकाल के अन्दर हुए हैं। आप कहते हैं कि 200 करोड़ रुपये वहां पर खर्च हो चुके इसलिए मैं खास तौर से कहूंगा कि जो अकाल के अन्दर काम होता है ग्रेवल रोड का इसको बन्द किया जाये। मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में पक्की रोड बनाई जाये जिससे कि सड़कों का विकास हो सके और वह क्षेत्र आगे बढ़ सके। पक्की रोड्स के अलावा वहां पर नाडियां भी बनाई जा सकती हैं।

अब मैं चीप ग्रेन शोप्स के बारे में कहूंगा। हमारे यहां एफ० सी० आई० केन्द्रीय सरकार का बना हुआ है। फलौदी के गोदाम से यहां के अधिकारियों ने जब बाजार म बाजरे का 60 रुपये का भाव था उस समय 42 रुपये क्वि० के भाव से बेचा। यह बात बहुत ही ध्यान देने की है क्योंकि फूड कारपोरेशन के अधिकारियों के ऊपर चार्जेज लगा रहा हूं। उन्होंने 42 से लेकर 70 रुपये तक का सारा का सारा बाजरा बेच दिया। जिस समय उन्होंने 42 के भाव बाजरा बेचा उस समय बाजार में उसके भाव थे 60 रुपये और जब 70 रुपये के भाव से बेचा तो उस समय बाजार में उसके भाव 95 रुपये थे। इस तरह से बाजरा उन्होंने खतम कर दिया। इस ढंग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। चीप ग्रेन शोप्स आप आप खोलने जा रहे हैं। मैं जब गया पिछली बार तो एक दो दिन का अनाज था, यहां तक कि नाचना में अनाज लेने गये तो वहां पर जवार सड़ी-गली पड़ी थी और वह भी बिक चुकी थी। इस तरह की अन्न की स्थिति है। अन्न के भाव बराबर चढ़ रहे हैं। आज 100 और 105 के करीब बाजरा बिक रहा है। इस स्थिति में हम कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे। अगर हम सही ध्यान नहीं दे पायेंगे तो जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं, जो अनाज के लिए तरस रहे हैं उनके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है यह तो उन्हें ही उत्तर देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, फूड कारपोरेशन के साथ मुझे यह पता नहीं है कि हमारी राजस्थान सरकार का किस तरह का लायजन है और किस तरह से फूड कारपोरेशन गोडाउन्स रख रहा है और उससे किस प्रकार गोदामों से सप्लाई करेंगे, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। क्योंकि फूड कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार का है इसलिए हमारा भी उससे लगातार लायजन मेंटेन होना चाहिए। मैं हो नहीं, राजस्थान सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को दबाव देना चाहिए कि जब भी चीजों के भाव बढ़ें और गरीबों को अनाज नहीं मिल सके उसी वक्त फूड कारपोरेशन को सामने आना चाहिए। अगर वह नहीं आता है तो अपनी जिम्मेदारी से मुड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह है कि लगातार अकाल पड़ रहा है, हमारा अधिकांश क्षेत्र अकालग्रस्त है। इसके बारे

**(श्री मोहनलाल छंगाणी)**

में हमारा प्रोस्पेक्टिव प्लान क्या है ? हम इस सारी अकाल की स्थिति को, रेगिस्तान को किस तरह से बदलना चाहते हैं, इसके बारे में हमारी नीति भी है या नहीं मूल में, यह आप बतावें। हम यहां पर कहते हैं कि फैमिन कोड लागू होना चाहिए। हमें इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं लगातार, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कहता आ रहा हूं कि जिस प्रकार आर०एम०डी०आई०सी० मिनिरल्स के है, उसी तरह से फैमिन के लिए और रेगिस्तानी क्षेत्र को उठाने के लिए एक बहुत बड़ा बोर्ड बनना चाहिए। जिस बोर्ड में सेन्ट्रल एरिड जोन को भी साथ रहना चाहिए। उसके जरिए फैमिन की कण्डीशन को, फैमिन के एरिया की इकनोमी को बैलेंस करने की सख्त जरूरत है। उस बोर्ड के पास बहुत बड़ी पूंजी का विनियोजन करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस कार्य को हाथ में लिया जाय ताकि उस क्षेत्र को भी दिशा मिले और हमें उम्मीद है कि अगर इस ओर कार्य किया गया तो हमें अकाल से छुटकारा मिल सकेगा।

हमारे यहां पर ट्यूब वैल्स, नहरी क्षेत्र का साधन उपलब्ध कराने की ओर भी प्रयास किया जाय। इसके अन्दर मथानियां है, ओशियां है, मेरा फलोदी का क्षेत्र हो सकता है जहां पर ट्यूब वैल्स से कोई न कोई प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकरलाल (पाली)।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे – अश्रव्य)

**श्री मनोहर कोठारी** : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले को बिल्कुल नगण्य न छोड़ें।

(कई माननीय सदस्य फिर भी एक साथ बोलते रहे)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको भी समय दूंगा, पहले शंकरलालजी नाम पुकार लिया है।

**श्री शंकरलाल (पाली)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर अकाल और बाढ़ की स्थिति है और कई जिलों के अन्दर भयंकर स्थिति बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बाढ़ से नुकसान होता है, अकाल से भी लोगों को पीड़ा होती है, दुःख होता है। फर्क केवल इतना है कि बाढ़ के कारण एकदम नुकसान होता है। एक झटका लगता है और रिहेबिलिटेशन की प्राब्लम सामने आ जाती है। अकाल के कारण लोग धीरे धीरे तकलीफ में जाते हैं। घास की, चारे की, मजदूरी की और अनाज की, इस प्रकार की प्राब्लम से ग्रस्त होकर वे पीड़ा की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे इसमें नुकसान होता है और पानी में एकसाथ झटका लगता है। केवल इतना ही फर्क है, कोई कहते हैं कि बाढ़ से ज्यादा नुकसान है और कोई कहते हैं कि अकाल से ज्यादा नुकसान है। मैं समझता हूं कि दोनों ही समस्यायें हमारे राजस्थान के लिए गम्भीर हैं। इस सम्बन्ध म हमें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करना, मैं समझता हूं कि व्यर्थ की बात है। राजस्थान एक है, इस-

(श्री शंकर लाल)

लिए मैं कुछ जिलों के सम्बन्ध में जिक्र करूंगा, चाहे वह पूर्वी राजस्थान में हों, चाहे पश्चिमी राजस्थान में हों। हम राजस्थान की एकता को बनाए रख कर हमारी समस्याओं का हल ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्या हल हो सकेगी और हम इनका हल ढूंढ निकाल सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हुआ पाली जिला और इसी के पास के दूसरे जिले जालौर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर का कुछ इलाका, जोधपुर का इलाका, ये कुछ जिले हैं जो कि इस साल अकाल के कारण बहुत ही भयंकर स्थिति में से गुजर रहे हैं और इन जिलों के अन्दर अकाल की स्थिति कई वर्षों से बनी हुई है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि सन् 71 में पाली जिले में कई गांवों में अकाल की स्थिति बनी रही। इस साल वर्षा के पहले तक अकाल के कार्य चल रहे थे। इस साल इतनी विषम स्थिति बनी कि एक महीने से बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। कल कुछ मामूली वर्षा हुई लेकिन उस वर्षा को अकाल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान के पूर्वी भाग का सम्बन्ध है वहां यह बात नहीं है। मैं यहां इसके विश्लेषण में नहीं जाकर जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, राजस्थान नहर को पूरा करने का, जल योजनाएं शुरू करने का और दूसरे कार्यों के जरिए किस प्रकार अकाल का मुकाबला किया जाय, उसके लिए राज्य सरकार को जरूर ही विचार करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर अकाल और बाढ़ से निपटने के लिए जो सुझाव दिए हैं वे बहुत विचारणीय हैं और उनके ऊपर गम्भीरता से विचार करके, उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

प्रश्न यह आता है कि राज्य सरकार को भी उसका मुकाबला करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जहां तक धन का प्रश्न आता है, हम जानते हैं कि राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल कन्डीशन खराब है, वित्तीय स्थिति खराब है, ओवर ड्राफ्ट की पोजीशन है, लेकिन कुछ भी हो, जिस प्रकार की राज्य सरकार ने पहले घोषणा की थी, आज भी घोषणा की और आगे भी करेंगे, हमें इस बात का विश्वास है कि हमारी जो सरकार है, चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, किसी व्यक्ति को भूख से, प्यास से मरने नहीं देगी। यह हम निश्चित रूप से मंत्री महोदय से घोषणा सुनना चाहेंगे। यदि युद्ध स्तर पर भी काम करना पड़े, चाहे हमारी दूसरी योजनाओं को बन्द करना पड़े, हमारी जितनी भी दूसरी दूसरी डवलपमेंट की स्कीमें हैं उनको रोक कर कार्य करना पड़े लेकिन हमें एक वार-लेवल पर, युद्ध स्तर पर इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिससे हमारे राजस्थान के जन-जीवन को राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर धन के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग की जाती है और उनको कारण देते हैं और देंगे भी, लेकिन इस बारे में मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि पहले जो अकाल का पैसा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता था उसमें प्रारम्भ के अन्दर 75 परसेंट सब्सीडी होती

(श्री शंकर लाल)

थी और 25 परसेंट लोन के रूप में होता था। बाद में जाकर 50 प्रतिशत लोन के रूप में माना गया। 50 परसेंट सब्सीडी के रूप में माना गया, लेकिन बाद में हमारे फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की कि 75 परसेंट या उससे भी ज्यादा सब्सीडी होनी चाहिए, उसके बारे में क्या स्थिति है यह मैं जानना चाहूंगा। अभी हमारे कृषि मंत्री प्रो० शेरसिंहजी यहां आए और उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया और इस बात की घोषणा की थी कि हम यहां पर केन्द्र सरकार से मदद करेंगे। तो उस स्थिति को हम जानना चाहेंगे कि केन्द्र सरकार कितनी सब्सीडी देगी और कितना ऋण देगी। इसके बारे में हम पुरजोर शब्दों में केन्द्र सरकार से मांग करना चाहेंगे कि राजस्थान हिन्दुस्तान का एक ऐसा अंग है जो कि हर वक्त के अन्दर देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहता है चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो। हमारे यहां के लोगों के लिए इस वक्त मदद की जरूरत है तो केन्द्र सरकार अवश्य करे, यह हमारी मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन भी करना चाहूं कि राजस्थान के अन्दर सरकार की खुद की वित्तीय स्थिति चाहे कितनी खराब हो लेकिन राजस्थान के अन्दर ऐसे प्रवासी राजस्थानी हैं, राजस्थान के अन्दर भी हैं और राजस्थान के बाहर भी हैं। हमने देखा है कि गत अकाल के समय में जब कभी हमारी राज्य सरकार ने उन लोगों से कुछ मांग की तो उन्होंने राज्य सरकार की मदद की है। मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि जो राजस्थानी भाई, चाहे अपने राजस्थान में हों चाहे राजस्थान से बाहर हों, चाहे बाम्बे में हों, चाहे बंगलोर में हों, चाहे कलकत्ता में हों, चाहे राजस्थान के अन्दर हों, जिनके पास कि कुछ धन की छूट है, अगर राज्य सरकार उनको टटोले और उनसे इस बात को कहे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के ऐसे प्रवासी, ऐसे धनपति लोग हैं कि जिन लोगों के धन से हमारी राज्य सरकार अकाल का मुकाबला काफी कुछ कर सकती है। राजस्थान सरकार इस पर विचार करे और योजना बनाए कि उनसे किस प्रकार धन लिया जा सकता है। वे धन दे सकते हैं, हमको धन लेना चाहिए, यह हमारा फर्ज है उनका भी फर्ज है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में रहने वाले प्रवासियों का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पाली जिले की समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा, सदन के सामने आपके माध्यम से। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि गत साल से पाली जिले के गांव अकाल की चपेट में आए और काफी वर्ष चल रहे थे। इस साल वर्षा न होने से स्थिति खराब है। एक बात और है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दूसरी बड़ी वर्षा के कारण बीज नहीं उग पाया। चूंकि कृषि विभाग हमारे माननीय अकाल सहायता मंत्री महोदय के पास ही है, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इस साल जो पाली तहसील और पाली पंचायत और दूसरी जगहों पर बाजरे का बीज दिया गया, वह बाजरे का बीज सिक्स्टी परसेंट जनरेट नहीं हुआ।

(श्री शंकर लाल)

और यह बात दूसरी है कि बारिश न होने से फसल न हो सके। बारिश होती तो उसका पता हो जाता। पहली बारिश में भी कई जगह वह बीज नहीं उगा है। इस बात को सीड कारपोरेशन के जो लोग आये थे, वे देख गये हैं और उन्हें इसकी जानकारी है। पंचायत समिति की मीटिंग में भी यह प्रश्न आया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ बीज देने वाले, जो सरकार के अधिकारी हैं या ऐजेन्सी है, वह देश के शत्रु हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। जिस किसान को बैंक से लोन लेना पड़ता है, वह अपनी जमीन को गहन रख कर किसी प्रकार से खेती करता है और उसको जो बीज दिया जाये वह जनरेट न हो, उसको इस प्रकार गलत बीज दिया जाये, तो इसके लिये किसी न किसी को लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिये। उसको किसी न किसी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिये और किसानों को ऐसा बीज दिया जाना चाहिये जो कि उगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्राब्लम्स आती हैं वह सबसे पहले आती है पीने के पानी की। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाली जैसे शहर में जहां की आबादी करीब 50 हजार है वहां पर भी एक्स० ई० एन०, पी० एच० ई० डी० को यह घोषणा करनी पड़ी है कि हम गंदा पानी पी रहे हैं इसलिये उसको उबाल करके पीयें। पानी की यह गंभीर समस्या पाली तहसील के कई गांवों में है। वह इलाका जोधपुर के इलाके से मिलता है जहां पर खारा पानी है। वहां पर पीने का पानी बरसात पर ही निर्भर है। बरसात होती है तो वहां के तालाबों में पानी आता है और वह पानी वहां पर पीने के काम में आता है। बरसात नहीं होती है तो पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलाके के, पाली तहसील के 64 गांव, जोधपुर जिले के 7-8 गांव, सुमेरपुर के एक दो गांव, ये कुल मिला कर जो 75 गांव हैं, इन गांवों के लिए 125 लाख की योजना पी० एच० ई० डी० ने बनाई है और जैसा कि कहा गया है इस योजना को भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है। इस योजना को मैं चाहता हूं कि इस समय लिया जाये जिससे परमानेन्ट सोल्युशन पाली तहसील के गांवों का, जोधपुर के गांवों का हो सके और भविष्य के अन्दर पीने के पानी की जो समस्या है वह इस योजना के क्रियान्वित होने से हल हो सकेगी। जवाई का पानी पास के तालाबों और खेतों को नहीं दिया जाता है। वह कच्ची नहरों द्वारा जोधपुर ले जाया जाता है। चार क्यूबिक फीट पानी जोधपुर जाते जाते 1.5 क्यूबिक फीट रह जाता है। कच्ची नहरों के कारण इतना पानी फालतू चला जाता है। अगर यह योजना जो कि 125 लाख की है, बन जायेगी तो इन गांवों को फायदा होगा। जवाई के पास टंकी बनाकर, पाईप लाइन से पानी पहुंचाया जाय ताकि पानी फालतू न जाये और पानी का मिकदार बना रहे और ज्यादा लोगों को

(श्री शंकर लाल)

आप पानी दे सकें और जवाई में भी पानी की कमी नहीं आ सके। इसलिये इस योजना को हाथ में लेना चाहिये। इस बात के लिये मैंने पहले भी इस सदन के अन्दर निवेदन किया है और आज फिर यह बात यहां पर रखना चाहता हूं कि पाली का यह जवाई बांध पाली जिले और जोधपुर जिले को पीने का पानी देता है। जोधपुर के पीने के पानी की समस्या जवाई बांध से हल होगी है। जो पानी जोधपुर जाता है वह नहरों के अन्दर नष्ट हो जाता है, कितना ही पानी नहरें सोख लेती हैं, कितना ही पानी का लॉस हो जाता है। हिसाब लगाने पर यह पाया गया है कि एक चौथाई पानी ही जोधपुर पहुंचता है। यह मांग की गई थी और यह मांग रही है और इसको आप भारत सरकार के सामन रखें कि जवाई बांध से जोधपुर तक पक्की नहर हो, पाईप लाइन हो जिसके जरिये पानी जोधपुर जाये और पानी बेकार नष्ट न हो। इजरायल की सफलता का यही एक कारण है। इजरायल में पौधों को पानी फव्वारे की तरह स्प्रीन्कल किया जाता है, इससे पानी नष्ट नहीं होता है जिस तरह से नहरों से सिंचाई करके पानी हमारे यहां पर नष्ट किया जाता है। वहां पर कच्ची नहरों से पानी नहीं दिया जाता है। पानी का कन्ट्रोल करना है, पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है तो पाइप लाइन लगावें। हमें कच्ची नहरों की जगह पक्की नहरें लगानी होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले की सब से बड़ी योजना है सांई डाइवरशन की। यह योजना वहां पर चल रही है। यह योजना है कि जवाई बांध को सांई डाइवरसन से पानी आयेगा। यह योजना चालू है, इसकी क्रियान्विति हो रही है परन्तु इसका काम धीमी गति से चल रहा है। जोधपुर जिले की, पाली जिले की पेय जल की समस्या को, सिंचाई की समस्या को हल यदि आप करना चाहते हैं तो सांई डाइवरशन की जो स्कीम है उसको जल्दी से जल्दी आप इम्पलीमेन्ट करे, इसके काम में प्रगति लावें। तीन करोड़ की योजना है। इस योजना का काम चालू है। जिस गति से काम चालू है उस गति से तो इसको पूरा होने में वर्ष लग जायेंगे। इस योजना को हाथ में लेगें तो पाली जिले और जोधपुर जिले की समस्याएं हल हो जायेंगी। ड्रिन्किंग वाटर के लिये मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि वे स्वयं जानते हैं, कई जगह इस इलाके में टैंक्स से पानी पहुंचाना पड़ेगा। कई जगह कुओं को खोदने के लिये, कुओं को गहरा करने के लिये पैसा देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से पेय जल की समस्या पाली जिले और जोधपुर जिले की संयुक्त रूप से करने पर हल होगी।

दूसरी जो समस्या है वह अनाज की है। उपाध्यक्ष महोदय, जो अनाज मिल रहा है, कई सदस्यों ने इसके बारे में जो बातें कही हैं, वह सही हैं। पाली शहर के अन्दर, पाली जिले के गांवों के अन्दर जो अनाज दिया जा रहा है, वह वास्तव में मैं समझता हूं, उसके अन्दर कहीं पर मिलावट होती है। वास्तव में वह अनाज खराब है। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनाज की सप्लाई की जो व्यवस्था है उसको वे

(श्री शंकर लाल)

सुधारें वरना लोग कहीं बीमार न हो जायें। उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो अनाज वितरित हो वह खाने के लिये उपयुक्त हो। करीब 350 चीप ग्रेन शाप्स हैं। अभी 50/60 के करीब हैं लेकिन वहां पर हरेक पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर चीप ग्रेन शाप्स की डिमाण्ड रहती है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि पाली जिला ऐसा जिला है जहां पर अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। पाली जिले में शिड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और बेकवर्ड क्लास के लोग, घेवर, मेघवाल, मीणा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)....ऐसी जाति के लोग हैं जिनको मजदूरी की समस्या रहती है। आपको उनको मजदूरी देने के लिये, उनको तकावी देने के लिये और उनको काम पर लगाने के लिये वास्तव में वहां पर काम खोलने पड़ेंगे। अभी रूरल वर्क्स के तहत काम चल रहा है। यह काम वास्तव में काफी नहीं है। कुल मिलाकर इस जिले के अन्दर दस लाख की आबादी है और अभी केवल तीन हजार मजदूर काम कर रहे हैं जो कि अभी के ताजा आंकड़े हैं, जिलाधीश ने बताया कि तीन हजार मजदूर काम कर रहे हैं। आप सोचिये कितने हजार लोग हैं जो बेकार है। इसलिये इनके लिये काम खोलना पड़ेगा। काम खोलने के लिये आप को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कौन से काम पहले खुलें। इस दृष्टि से सर्व प्रथम जो काम अधूरे हैं, उन कामों को आप पहले लीजिये। चाहे वह पी० डब्ल्यू० डी० का हो, चाहे वह इर्रीगेशन का हो। यह कहा जाता है, भारत सरकार यह कहती है कि यूटिलिटी के काम हों। हम भी वह चाहते हैं कि यूटिलिटी का काम होना चाहिये लेकिन जहां पर एक सड़क शुरू कर दी है, वह अधूरी है, उसके लिये मिट्टी पड़ी हुई है, सामान पड़ा हुआ है, जहां पर पास का रास्ता खराब हो चुका है, सड़क के नाम पर आधी जगह पर मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी है, मेटीरियल पड़ा है, उनको पहले राजस्थान सरकार पूरा करने का अपने समक्ष रखे और यह सुझाव भारत सरकार को दे कि ऐसे जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पहले पूरा किया जाये जिससे उनकी उपयोगिता बढ़े। हम यह मानते हैं कि इर्रिगेशन का काम लिया जाये लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह पैसा ऐसे विवादास्पद काम में न लगे जिनको करने से आपस में, लोगों में विवाद हो। पाली जिले में, मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में ऐसे कुछ काम हुए हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। खराड़ा बांध को रेज करने के लिये चार लाख की मन्जूरी हुई है। यह कहा गया कि खराड़ा बांध ज्यादा ऊंचा होने पर उसके आस-पास के गांवों को पानी मिलेगा। मालूम करने पर यह मालूम हुआ कि आस-पास के गांवों की बात छोड़ दें, खराड़ा बांध के कमान्ड ऐरिया को भी इससे पूरा पानी नहीं मिलेगा। सरदारसमन्द कमान्ड के जो निवासी हैं, जहां पर अधिकतर रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी जमीन है और यह चार लाख रुपया इसलिए खर्च किया गया है कि इन लोगों को पानी मिले। कुल 200-250 बीघा जमीन को इससे पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। यह ऑफिसरों की जमीन

(श्री शंकर लाल)
है और इनकी जमीन की पिलाई के लिये यह पैसा खर्च किया जा रहा है । यह धन का दुरुपयोग है ।

मैं इस बात का आरोप लगाता हूं इरिगेशन डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने ऐसी गलत योजना बनाई । वैसे उन्होंने इस योजना को कई दिनों तक छिपाये रखा, लेकिन बड़े बड़े ठेकेदारों से मिलकर उसको कार्यान्वित कर रहे हैं । मैं मंत्रीजी से इस योजना को रोकने के लिए कहना चाहता हूं । मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की योजना जिसमें लाखों रुपयों का खर्चा हो और वह भी केवल कुछ व्यक्तियों के लिए, जो कि जोधपुर के रिटायर्ड आफिसर्स हैं और काश्तकार नहीं हैं और जिन्होंने दूसरों की जमीनें हथियायी हैं, रोका जाय...

एक माननीय सदस्य : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे लोगों को मजदूरी अवश्य मिलेगी ।

श्री शंकरलाल : मजदूरी देनें की इसमें कुछ बात नहीं हैं । उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये इतना खर्चा कर रहे हैं मजदूरी के नाम पर। मजदूरी देनी पड़ेगी लेकिन काम उपयोगिता के लेने पड़ेंगे, गांव वालों को फायदा पहुंचाना पड़ेगा । आप मजदूरी के नाम पर अन्याय नहीं कर सकते । मजदूरी के नाम पर आप पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते । ( समय-समाप्ति-सूचक घंटी ) आप यह कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में रुपया खर्च हुआ है वह कुछ लोगों को तो मिला । ऐसा कहने से कोई तात्पर्य नहीं निकल सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में वहां के मवेशियों के लिए चारे की इतनी गम्भीर समस्या पैदा हो गई है कि वहां से केटल-मूव होने लग गया है, वहां से मवेशी बाहर जाने लग गये हैं । यह समस्या और भी भयंकर हो गई है क्योंकि पहले तो मवेशी गुजरात, मालवा और मध्यप्रदेश में चले जाते थे लेकिन आज तो वहां पर भी सूखे की स्थिति की बात आती है । इस प्रकार वहां के मवेशियों के लिए घास का प्रबन्ध नहीं किया गया समय रहते, तो मैं कहूंगा कि मवेशियों को मरना पड़ेगा । पाली जिले में पंचायत समितियों के हेडक्वार्टर्स पर घास के डिपोज खोलने पड़ेंगे जिससे लोगों को चारा मिल सके । इस विषय में माननीय अकाल मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पाली जिले में जो जोड़ हैं, जो बड़े बड़े सरकारी जोड़ हैं जिसका घास कटकर नीलाम होता है, बिकता है, उस नीलाम को रोका जाय और घास को सुरक्षित रखा जाय इन मवेशियों के लिए जिससे पाली जिले के मवेशी बच सकें, जिससे उनके चारे की समस्या का हल हो सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी) पाली जिले के अन्दर मवेशियों के लिए करीब 41 लाख क्विन्टल घास की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घन्टी बार बार बज रही है । केवल एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

(श्री शंकर लाल)

आप वहां पर अकाल घोषित करें और वहां पर राहत कार्य चालू करें। मेरा निश्चित तौर से विश्वास है कि अकाल मंत्री जी, जैसा कि पहले अकाल पड़ा और उन्होंने काम किया, एक ऐतिहासिक काम किया था, उसी प्रकार का काम इस बार करेंगे। लेकिन आप इस वक्त सबसे पहले यह काम करें कि जो इस वक्त वहां पर वसूलियां हो रही हैं चाहे वे किसी भी प्रकार की हों उन वसूलियों को रोक दें। इस वक्त आप कुर्कियों, के जरिये वसूली की बात करेंगे तो यह उपयुक्त नहीं है। आप फौरन कम से कम यह आर्डर निकालें कि पाली जिले के अन्दर जितने भी अभावग्रस्त गांव हैं उनमें किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होनी चाहिए। इससे कम से कम लोगों को राहत मिलेगी जिनको कि इस वक्त बड़ी परेशानी हो रही है।

सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करते हुए कि राज्य सरकार जो भी जिला एडवाईजरी कमेटीज हैं उनके प्रापोजल्स लेकर जल्दी से जल्दी सारे युद्ध-स्तर पर कार्य करें, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: हाजी जान मोहम्मद साहब।

**श्री जान मोहम्मद (पिड़ावा)**: सदरे मोअत्तरिम..

**श्री जवाहरलाल**: उपाध्यक्ष जी, हमारे जिले में अकाल है..

**श्री जान मोहम्मद**: माननीय सदस्यगण से निवेदन करना चाहता हूं..

**श्री जवाहरलाल**: आप 5 मिनिट दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: बारबार कहने के बावजूद भी आप सुनते नहीं हैं। मेरा निवेदन सुन लें। मैं आपको मौका दूंगा। आप (श्री जानमोहम्मद) बीमार हैं इसलिए आप से निवेदन किया है। हाजी साहब बीमार हैं इसलिए उनको मौका दिया है। मैं सभी को मौका देना चाहता हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सब को मौका दूंगा।

**श्री जान मोहम्मद**: हमारे इलाके में जब बरसात नहीं आ रही थी..

**श्री उम्मेदी लाल**: माननीय उपाध्यक्ष, हमें भी मौका दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं। मेरा निवेदन तो आप सुनें।

**श्री मीठालाल (लालसोट)**: उधर 5–5 मिनिट कर दें और इधर 10-10 मिनिट कर दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: इसमें भी 5 मिनिट का समय लग गया है। इस तरह से समय जाया करेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है।

**श्री मीठालाल**: एक तरफ तो अकाल वाले बोलते जा रहे हैं तो इधर बाढ़ वाले बैठे हैं।

**श्री जान मोहम्मद**: राजस्थान की ढाई करोड़ जनता आसमान की तरफ देख

(श्री जान मोहम्मद)

रही थी कुछ दिन पहले और हम इस तरफ देख रहे थे, क्योंकि बारिस नहीं होने से बड़ी परेशान थी जनता। मैं शुक्रगुजार हूं सरकार का, हुकूमत का कि ऐसे मौके पर उन्होंने विधान सभा बुलाई। जितने भी एम० एल० ए० साहबान मौजूद हैं उन्होंने अपने अपने इलाके के हालात बयान किये हैं। उनको बयान करने का मौका मिला। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बीमार आदमी को मौका दिया पहले बोलने का।

मैं बड़े दुख के साथ अर्ज करता हूं कि मैंने किस्सा यह सुना तो बड़ा दुःख हुआ कि बीकानेर और जोधपुर के इलाकों में सूखा है और इधर के इलाकों में बाढ़ आ रही है। इन हालात में मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहबान कैसे चैन की नींद में सो रहे हैं। उनको फौरन जितने इलाके में पानी नहीं बरसा है और जहां पर बाढ़ आई है वहां जाना चाहिए। क्यों वे जयपुर में बैठे हैं? वे फौरन रवाना हो जायें। मैं यहां तक अर्ज करना चाहता हूं कि लाखों आदमी परेशान हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : हाजी साहब, आपको याद होगा कि आपका और मेरा हाथ एक साथ उठा था ..

**श्री जान मोहम्मद** : हमारी एक बहन ने फरमाया कि बीकानेर में पीने का पानी नहीं मिलता है, और पानी मिलता है तो ऐसा कि जो जहर की तरह है कि लोग पीते ही मर जाते हैं। कितने अफसोस की बात है। एक भाई जैसलमेर वाले ने फरमाया कि वहां पर बुरी हालत है। हमारी एक बहन ने फरमाया था कि बाढ़ में लाखों आदमी घिरे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुसीबत खुदा की तरफ से आई है और मिनिस्टर साहबान क्यों जयपुर में बैठे हुए हैं। उनको चाहिए कि फौरन रवाना हो जायें, और हमें साधन दें, कारें दें तो हम भी रवाना हो जायं। उनको चाहिए कि फौरन रवाना हो जायें • • •

**श्री शंकरलाल** : यह तो आप सब को रवाना कर देंगे।

**श्री जान मोहम्मद** : फसल पूरी नहीं होगी और आठ आना होगी क्योंकि पानी वक्त पर नहीं बरसा है। पहले से जो काश्त की है उसको बड़ा खतरा है। रबी को फसल को भी खतरा है क्योंकि कुओं में पानी नहीं होगा।

मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ बीकानेर और जोधपुर के इलाकों के लोगों की हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हर साल हजारों जानवर, हजारों भेड़ें बेचारे वहां के लोग दूसरी जगह ले जाते हैं। पहले जो अकाल पड़ता था और मवेशी बाहर जाते थे तो जोधपुर के महाराजा बाहर जाकर देखा करते थे कि उनके लोगों के क्या हाल हैं। आज मिनिस्टर साहब से अर्ज है कि अगर ऐसा मौका आ जाय तो वे मध्यप्रदेश जायं और तलाश करें कि क्या हाल हैं उनकी जनता का। मैंने खुद ने देखा है और हमारे वहां भी दो दफे बीकानेर और जोधपुर से गायें और दूसरे मवेशी आये हैं। यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि ऐसे मौकों पर करोड़ों रुपये खर्च करे। लाखों हमारे भाई मुसी•

( श्री जान मोहम्मद )

बत में हैं उनकी मुसीबत को दूर करें। अगर नहीं जा सकते हैं मिनिस्टर साहब तो छोड़ दें। इन्तजाम करना हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास साधन नहीं हैं। हम मदद नहीं कर सकते हैं इसलिए गुजारिश है मिनिस्टर साहब से वे कल ही रवाना हो जायं यहां से।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल।

**श्री रामलाल पहाड़ी (वाड़ी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में वारिश बहुत होने से बहुत से मकान गिर गये हैं। इतनी वारिश हुई है कि पिछले बहुत वर्षों से इतनी वारिश नहीं हुई थी। इतनी बारिश होने के कारण कई लोगों के घर बैठ गये हैं। वहां का प्रबन्ध जल्दी से जल्दी किया जाये। गरीब लोग बहुत मुसीबत में हैं। इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई है जितनी कि इस साल हुई है। पहले तो सूखा पड़ा और उसके बाद में वर्षा हुई है। इसलिए जल्दी से जल्दी गरीब लोगों की मदद करने के लिए इन्तजाम किया जाये। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा।

**श्रीमती निर्मला कुमारी**: उपाध्यक्ष महोदय...

**एक माननीय सदस्य** : हमारे को तो मौका मिल नहीं पाता है।

**श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति पर (विराम) में उदयपुर जिले की और अकाल की स्थिति पर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय ने उदयपुर जिले का हवाला दिया है राजस्थान के कई जिलों में, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कोई न कोई जिला बराबर अकाल में आता रहा है। इस वर्ष राजस्थान में दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर तो अकाल की हालत है और दूसरी ओर जैसा कि अभी हमने सुना है, बाढ़ की हालत है। उदयपुर जिले में 17 तहसीलें हैं। यह एक पहला मौका है कि जब सभी तहसीलों में एक साथ अकाल की स्थिति आई है। पहले तो ऐसा था, जून में कुछ तहसीलों में स्थिति ठीक थी। प्रारम्भ में मानसून आया था। तो सब से पहले दक्षिणी राजस्थान में मानसून आया था। फसल अच्छी हो गई थी। फसल निकल भी आई थी। उग भी गई थी। लेकिन पहली वर्षा के बाद जून और जुलाई का पूरा महीना निकल गया। वर्षा नहीं हुई जो कुछ फसल निकली थी, वह सूख कर साफ हो गई। पीने का पानी भी कम होने लगा। लोगों की आशा धूमिल हो गई। आशा निराशा में बदल गई। सौभाग्य से 8 अगस्त के बाद जिले के कुछ भागों में वर्षा हुई। लेकिन यह इतनी नगण्य हुई कि उससे फसल को किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि जो फसल खड़ी हुई थी, वह डण्डे की तरह से हो गई। इतनी सूख गई है। काश्तकार जब अपनी फसल की ओर देखता तो रोने जैसी सूरत हो जाती। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में इस समय जो स्थिति है, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में हम देख रहे हैं कि वहां बाजरे की फसल हो जाती है। लेकिन उदयपुर जिले में मक्के की ही फसल होती है। जब

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भुट्टे निकल आयें तो उसको लगातार बारिश चाहिये। उसके लिए समय समय पर वर्षा चाहिए। अब तो स्थिति यह है कि उदयपुर जिले में वर्षा हो गई तो भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है। यही फसल ऐसी होती है जिसमें काश्तकार मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली आदि पैदा करता है। अगर वर्षा हो गई तो पीने को पानी हो सकता है। हम यह नहीं कह सकते है कि आगे की स्थिति क्या होने वाली है। उदयपुर जिले में लगभग 18 लाख जनसंख्या है। उनमें 8 लाख हरिजन आदिवासियों की जनसंख्या है। उनके पास पूरी खेती नहीं है तो उनके सामने यह समस्या हो गई है कि अब वह कौन सा कार्य करें। कौन सा काम ढूंढे। अगर हमने वहां कोई कार्य नहीं खोले तो वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि जिसके बारे में मैं अधिक कह नहीं सकता। वहां ऐसी हालत हो जायगी कि उसमें हम फंस जायेंगे। संवत् 1925-26 में हमने भयंकर अकाल देखा था। कहा जाता है उससे भयंकर अकाल अभी तक नहीं आया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालत है, वह सन् 26 से भी ज्यादा भयंकर हालत है। मक्के की फसल ऐसी हो गई है कि काश्तकार उसको देखकर रोता है। वह देखता है कि हमारी फसल को क्या हो गया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस ओर तत्काल ध्यान दे। आज उपाध्यक्ष महोदय, रिलीफ की तात्कालिक आवश्यकता है। पिछली बार उदयपुर जिले के 700 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया था। हमें यह कहा गया था कि अकाल के काम खोले जायगे। उस वक्त गांवों में काम तब शुरू किये गये थे जब कि काश्तकार जमीन जोतने के लिए जा रहा था। उस वक्त खेतों में क्या हो सकता था। वह काम मंजूर किया हुआ नहीं के मानिंद हो गया है। वह काम नहीं हो सका। रबी की फसल वहां की गये साल खराब हो गई थी। आज की परिस्थिति में स्थिति कितनी भयंकर है, इसके बारे में आप सोचें। उदयपुर पहाड़ी इलाका है। वहां से पानी बहकर चला जाता है। इतना भयंकर हाल हो गया है कि पीने के लिए पानी नहीं है। वहां इसके लिए कुओं को गहरा करने के अलावा और कोई आल्टरनेटिव नहीं है। वह ऐसी जगह है जहां टंकी से पानी पहुंचाना भी मुश्किल है। आज उदयपुर जिले में मनुष्यों को जिन्दा रखने के लिए राहत कार्य खोलना है। सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की आवश्यकता है। 704 दूकानें खोलने के लिये कहा गया है। 34 दूकानें खोलना है। हम उदयपुर शहर की बात नहीं करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं। अभी 34 दूकानों में से एक भी चालू नहीं हो पाई है। जहां पर कि सस्ता अनाज दिला रहे हों। मैंने कलेक्टर से बात की है। उदयपुर के उस क्षेत्र के रहने वालों को खासतौर से मक्का चाहिये। वह उसकी राबड़ी बनाकर खा सकते हैं। गेहूं से वहां काम नहीं चलेगा। आज हालत उनकी यह है कि आपने राहत कार्य खोल दिये तो ठीक, नहीं तो उनकी अनाज खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। आज स्थिति यह है वहां जाकर देखें तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां की आबादी ज्यादा भीलों की है। वहां जो लोग हैं, वह आज वहां पर 'महुये' भूनकर खा रहे हैं। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है।

( श्री हीरालाल देवपुरा )

कुभलगढ़ तहसील में मैं गया। वहां हम को एक आदमी ने बताया कि हमारे यहां अनाज नहीं है। महुआ भून कर खा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर आप राहत के कार्य खोलें और सस्ते अनाज की दूकानें कायम करें।

इससे वहां सस्ते अनाज की दूकानें खोली जांय। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ते अनाज में कौनसे अनाज की दुकानें खोली जायें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप वहां पर गेहूं उन दुकानों में लाकर बेचें। इसका कारण यह है कि वहां की जनता जो है सभी मक्का खाने वाली है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक हजार टन मक्का आवंटित की गयी थी। यह मक्का डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा के अन्दर बांटी गयी है लेकिन देहातों में स्थिति विशेष कर कुम्भलगढ़ व उसके आसपास के गांवों की बहुत ही खराब है। इसलिये मैं आपके मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन इलाकों म सस्ते अनाज की दूकानें खोली जांय और वहां की जनता को राहत दी जाय। आज उदयपुर जिले में एक और बात विशेष ध्यान देने योग्य है वह है मवेशियों के लिये घास के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, आज देहातों में मवेशियों के घास बिलकुल चरने को नहीं है और थोड़ा बहुत कहीं पर घास था वो लोग लाकर उदयपुर शहर में बेच दिया। आज उदयपुर शहर में 30 रुपये प्रति क्विन्टल घास मिल रहा है पर गांवों में घास बिलकुल नहीं है। इससे काश्तकारों को बहुत ही भारी परेशानी उनकी मवेशियों के लिये उठानी पड़ रही है

मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सस्ते अनाज की दुकानें जिस प्रकार देहात में खोलें वहां पर मवेशियों के लिये घास की भी व्यवस्था की जावे। आज कुम्भलगढ़ के देहाती गांवों में काश्तकार घास नहीं मिलने के कारण अपने मवेशियों को पेड़ों के पत्ते खिला खिला कर अपनी मवेशी को जिन्दा रख रहे हैं। लेकिन आपके फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो काश्तकारों को उनके मवेशियों को जंगल में पेड़ों के पत्ते खाने नहीं दे रहे हैं इधर घास नहीं होने की वजह से काश्तकार परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करदूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर स्थिति सम्भालो नहीं तो वहां पर ला एण्ड आर्डर मैन्टेन करना बहुत मुश्किल हो जायेगा। वहां पर बड़ी प्रोबलम हो गयी है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट वालों को आदेश दे कि वे गांव वालों के मवेशियों को वहां पर पेड़ों के पत्ते खाने दें। अगर उन्होंने यह नहीं करने दिया तो वहां पर ला एण्ड ओर्डर मेन्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जायेगा। इतना ही कह कर मैं राज्य सरकार का ध्यान उदयपुर जिले के अभाव ग्रस्त इलाकों की तरफ आकर्षित करता हूं।

## याचिका का उपस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गोरधनसिंह।

**श्री गोरधनसिंह (सीकर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम बिठली, जिला सीकर में खेतों के लिये कुओं को बिजली दिलाने के सम्बन्ध में 7 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : याचिका प्रस्तुत हुई। श्री रामचन्द्र।

**राज्य की बाढ़ और अकाल स्थिति पर अग्रेतर चर्चा**

**श्री रामचन्द्र** (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, सोई में बाढ़ आजाने से सिकराय और उसके आसपास के पचासों गांव बरबाद हो गये हैं। वहां के लोगों के कच्चे और पक्के मकान बह गये हैं जिससे कि लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। वहां के काश्तकार, उनके बच्चे सभी भूखे मर रहे हैं। वैसे भी हर साल सोई के पानी से वहां पर फसल बरबाद होती रहती है पर अबकी बार बाढ़ आ-जाने से स्थिति हमेशा से भी ज्यादा खराब हो गयी है। अबकी बार उपाध्यक्ष महोदय, इस सोई के बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, इसका अन्दाजा लगाना बहुत ही कठिन है। सिकराय और उसके आसपास की सड़कें टूट गयी हैं और कुछ छोटे मोटे बान्ध में क्रेक्स आयी हैं और टूट भी गये हैं जिससे स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है कि तारीख 11, 12 और 13 अगस्त को गांवों का आपसी कनेक्शन टूट गया। लोगों का आना जाना बन्द हो गया था। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत अकाल सहायता मन्त्री से पुरजोर निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में पूरी जांच सही तरीके से करायें और वहां पर जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा अकाल ग्रस्त ऐरिया में अकाल सहायता पहुंचायें ताकि लोगों को राहत पहुंचे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है कि सोई के पानी से हर साल सिकराय और उसके आसपास इलाके की फसलें हर साल नष्ट होती रहती है इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसका जल्दी से जल्दी ऐसा इन्तजाम करें जिससे सोई के पानी से फसलें नष्ट नहीं हों। उसका सर्वे कराया जाकर वहां पर बान्ध बनाया जाय। वैसे सर्वे तो पहले राज्य सरकार द्वारा कराया गया था पर उसकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर राज्य सरकार इस कार्य को जल्दी पूरा करले तो सिकराय और उसके आसपास के काश्तकारों को काफी राहत मिल सकती है। इसके अलावा माधोसागर बान्ध भी टूट जाने का खतरा है जिससे भी स्थिति काफी गम्भीर हो गयी है। राज्य सरकार को चाहिये कि इसकी ओर सतर्कता से काम लिया जाय नहीं तो माधोसागर बान्ध जिसमें कि कई जगहों से क्रेक्स पड़ गयी हैं बान्ध टूट जाने से स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जायेगी ........

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सरकार को सतर्क कर रहे हैं क्या बान्धों के बारे में?

**श्री रामचन्द्र** ; उपाध्यक्ष महोदय, कई छोटे छोटे बान्ध टूट गये हैं। बान्धों के टूट जाने से खेती हो नहीं पा रही है। पहले तो वर्षा नहीं होने से परेशानी थी और जहां कहीं भी थोड़ी वर्षा हुई वहां 50 प्रतिशत बुवाई की गयी थी वह भी नष्ट हो गयी। इस प्रकार 50 प्रतिशत में तो बुवाई ही नहीं हुई और बाकी 50 प्रतिशत में बुवाई जो की गयी थी वह बाढ़ की वजह से बरबाद हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के दौसा, लालसोट, जमवा रामगढ़ और सिकराय के सभी गांवों में भयंकर अकाल है। खरीफ की फसल तो बरबाद हो चुकी है। खरीफ की पैदावार तो होनी नहीं और जब तक दूसरी बुवाई का मौका आयेगा तब तक

(श्री रामचन्द्र)

स्थिति बिलकुल ही खराब ही रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन चार साल से लगातार काल पड़ रहा है पर जयपुर जिले में सिकराय, दौसा, लालसोट, जमवारामगढ़ के क्षेत्रों में कोई अकाल राहत कार्य नहीं खुले हैं जबकि दूसरे राजस्थान के जिलों में बहुत से अकाल राहत कार्य खोले हैं। क्योंकि जयपुर जिले को कभी भी राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिला।' काश्तकार बुरी तरह से परेशान हैं वहां पर खेती है नहीं और नहीं बेचारे काश्तकारों को कोई मजदूरी ही मिल रही है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जिनके मकान टूट गये हैं उन्हें राज्य सरकार से मकान बनवाने के लिये राहत दी जाय। सिकराय, दौसा, लालसोट के क्षेत्र में सस्ते अनाज की दुकानें जल्दी से जल्दी खोली जायं ताकि बाढ़ ग्रस्त जनता को राहत मिले। तीसरे राज्य सरकार को मैं अनुरोध करूंगा कि वो काश्तकारों को खेती नहीं होने की वजह से मजदूरी देने की व्यवस्था करे ताकि वो लोग अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी केश प्रोग्राम दूसरे जिलों में खोले जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत लोगों को काम मिलता है पर अभी जब तारीख 11 अगस्त को जब कलेक्टरी में मीटिंग हुई थी मैं भी वहां पर मौजूद था मैंने पता लगाया लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने सिकराय पंचायत समिति और दूसरे क्षेत्र में कोई केश प्रोग्राम नहीं खोले हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जयपुर जिले की उपेक्षा न की जाय और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो सिकराय, लालसोट, जमवारामगढ़ और दौसा है वहां की जनता के लिये केश प्रोग्राम खोले जायं। आज वहां पर लोगों की स्थिति बहुत खराब है काश्तकारों के लिये काश्त होने की गुन्जायश नहीं है, मजदूरों के लिये मजदूरी नहीं है इसलिये राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि बेरोजगारों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जाय और कच्चे और पक्के मकान, जो कि बाढ़ से गिर गये हैं या बह गये हैं, उसके लिये जल्दी से जल्दी राहत दी जाय ताकि वो लोग अपने मकान बना सकें और आज जो उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके लिये भी व्यवस्था की जाय ताकि वो उनके पेट भर सकें। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी सस्ते अनाज की दुकानें खोली जाय, और पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था की जाये ताकि वहां की जनता को राहत मिले।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री जवाहर मल।

**श्री जवाहरमल** (सराडा) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ की स्थिति के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में भीलवाड़े जिले में फसल की स्थिति बहुत ही खराब है। काश्तकार बहुत ही परेशान हैं। फसलें नष्ट हो गयीं। दूसरी स्थिति यह हुई कि एक आम वसूली की गई। तीन लाख रुपया वसूल कर लिया। आदिवासी, भील बलाई, चमार आदि जाति के लोग हैं उनसे इतना तकाजा किया कि कह नहीं सकता। खाद, बीज, तकावी, लगान सब एक साथ वसूल कर लिया। चाहे काश्तकार फसल पैदा नहीं कर सके हैं उन्होंने कोई परवाह नहीं की, और उन लोगों से एकदम वसूली कर ली। आज इतनी तकलीफ में लोग हैं कि मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता। उनके गाय बैल और जो चीज मिली वह कुर्क कर ली। एक साथ सब ले लिया। मैंने कभी ऐसा

( श्री जवाहर मल )

नहीं देखा आज तक। जितनी वसूली की है वह गरीब लोगों से की है। तहसीलदार पटवारी ने किया। मैंने कहा कि वसूली बन्द की जाय, लेकिन माना नहीं। आज लोग बड़े दुखी हैं। उनकी क्रय शक्ति नहीं है। उनके लिये सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाये। छोटे 2 काश्तकार हैं, उनको पंचायत समितियों से बिना ब्याज के ऋण की सहायता दिलायी जाय। लगान के साथ साथ ब्याज भी वसूल कर लिया सरकार ने। यह घोषणा की थी कि पांच बीघे का लगान नहीं लगेगा लेकिन वह भी वसूल कर लिया।

मेरा यही निवेदन है कि सस्ते अनाज की दूकानें खोली जायें और उन लोगों को बिना ब्याज का पंचायत समितियों से ऋण दिलाया जाय ताकि वे लोग अपना गुजारा कर सकें। छोटे 2 लोग हैं, खाद्यान्न की स्थिति भी उनके लिये बहुत खराब है अतः उनको जल्दी से जल्दी राहत दिलायी जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती निर्मला कुमारी।

**श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के पटल पर प्रकृति ने एक व्यंग किया है। राजस्थान के मानचित्र को देखें तो पश्चिमी और दक्षिणी भाग में सूखे की स्थिति नजर आवेगी और यदि पूर्वी भाग पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि यहां पर बहुत अधिक भयंकर बाढ़ आई है। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान की सारी दिशाओं में है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है। यद्यपि मंत्री महोदय के द्वारा यह बता दिया गया है कि वहां अकाल की स्थिति नहीं है किन्तु वास्तव में हीरालालजी देवपुरा ने सही स्थिति प्रकट कर दी है कि उदयपुर डिविजन में वर्षा तो हुई है परन्तु समय पर नहीं होने की वजह से फसल को यूटिलिटी नहीं होगी और पूरी फसल नहीं होगी। इसी तरह की चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी यह स्थिति देखने को मिलती है। खरीफ की फसल थोड़ी बहुत बचेगी। रबी की फसल में भी इस प्रकार की आशंकायें नजर आती हैं। चारे की स्थिति तो भयंकर है ही इस कारण राज्य का पशुधन नष्ट हो जावेगा।

एक तरफ यह स्थिति है राज्य में भयंकर अकाल की छाया दिखायी दे रही है और दूसरी ओर किसानों की फसल राज्य सरकार के आदेश से नष्ट की जा रही है। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचती हूं तो मेरे पास लोग अश्रुपूर्ण नेत्रों से आते हैं और कहते हैं कि फलां गांव में फसल नष्ट कर दी गयी, और फलां दिन दूसरे गांव की फसल नष्ट की जावेगी। मैंने इसकी छानबीन की तो पता चला कि गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को कुछ भूमि अलाट की। परन्तु वह भूमि पथरीली होने से खेती नहीं कर सके। वह इस प्रकार की भूमि थी कि तीस वर्ष भी परिश्रम करे तो उस खेत में फसल नहीं बो सकते थे। उस समय रिश्वत का बाजार गर्म था और भोले भाले किसान इस चंगुल में आये। पटवारी को रिश्वत देकर अच्छी भूमि थी उस पर अपनी फसल करना शुरू कर दिया। रजिस्टर में उनके नाम पथरीली भूमि दर्ज थी वास्तव में खेती दूसरी जगह कर रहे थे। कुछ समय पश्चात् उसको नाजायज कब्जे

( श्रीमती निर्मला कुमारी )

की भूमि करार दे दिया और उनको वहां से हटाया जा रहा है । कैसी विडम्बना है, एक तरफ अकाल की स्थिति है, फिर भी किसान ने फसल बोई, उसको नष्ट किया जा रहा है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि कम से कम इस बात की जांच पड़ताल की जाय कि किन लोगों को गांधी शताब्दी वर्ष में भूमि अलाट की गयी, उनको क्या कब्जा मिला ? कब्जा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला और फसल नष्ट की जा रही है तो क्यों की जा रही है, इस भयंकर अकाल की छाया में समाधान ढूंढ सकेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त चूंकि अकाल की स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत ज्यादा नहीं है, सम्पूर्ण राजस्थान के लिये सुझाव और विचार पेश करना चाहती हूं। हमारा आर्थिक जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का प्रकोप हमारे जन जीवन को अस्तव्यस्त कर देता है । इसका परिणाम यह है कि पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होने के कारण अकाल की भयंकर छाया में आ जाते हैं। कुछ समय पहले ही रजत जयंती मनायी है। स्वतन्त्रता प्राप्त किये 25 वर्ष हो गये परन्तु निरन्तर अकाल हमारे सामने आता है। क्यों आता है? क्या प्रकृति पर निर्भरता हम कम नहीं कर सके ? इसके लिये मैं सुझाव दूंगी । हमें इसके लिये युद्ध स्तर पर काम करना है, वार फुटिंग पर काम करना है और सब मिलकर काम करेंगे तब ही जाकर अकाल की भीषणता को खत्म कर सकते हैं। यह केवल मन्त्रिमण्डल का काम नहीं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री महोदय को खाना छोड़ देना चाहिये । मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं । यह हम सबका काम है, हम सब मिलकर अकाल की भयंकरता को समाप्त कर सकते हैं ।

अकाल के समय बहुत सारे राहत कार्य शुरू किये जाते हैं । पिछला अनुभव यह बताता है कि अकाल के कार्य शुरू होते हैं, पिछली बार अकाल जब पड़ा उस समय राहत कार्य शुरू हुए उसमें भ्रष्टाचार के नये नये प्रतिमान देखने को मिले। उसका प्रतिबिम्ब आज भी जन मानस के हृदय पर अंकित हैं । कहने का मतलब यह है कि आज हम उस पूर्व अनुभव को देखकर उस स्थिति को पुन: नहीं लाने दें। सौभाग्य की बात है कि सरकार, मंत्रिमण्डल और जो भी सरकार चला रहे हैं वे सब ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये पूर्ण प्रयत्नशील हैं । परन्तु मैं निवेदन करूं कि अभी तक सरकारी मशीनरी के पुर्जे वे ही घिसे पिटे और पुराने हैं । जब तक हम इन्हें ठीक तरह से काम करने के लिये मजबूर नहीं करेंगे या इनकी जगह तेज तर्रार नये पुर्जे फिट नहीं करेंगे तब तक इस आज की वर्तमान परिस्थिति को, रिश्वत खोरी, भ्रष्टाचार को समाप्त या कम नहीं कर सकते । जिस तरह से घोर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के नमूने पेश हुए थे पिछली बार अकाल निवारण के सम्बन्ध में, इस बार भी सम्भव है वैसे ही नमूने फिर हमारे सामने आवें अगर हम पूरी तरह से सतर्क नहीं रहे तो ।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

तो मेरा निवेदन है कि सामान्यतया जो पिछले काम अधूरे पड़े हैं उनको हाथ में लेकर पूरा किया जाय, सबसे पहले तो यह जरूरी है। मेरे चित्तौड़ में भी पिछली बार काफी काम यों ही अव्यवस्थित तरीके से प्रारम्भ कर दिये गये थे पर सभी अधूरे पड़े हैं। इसलिये इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये कि पहले तो जो अधूरे काम पड़े हैं वे पूरे किये जायें और इसके बाद वे काम हाथ में लिये जावें जो हाथ में एक बार लेने पर पूरे किये जाने की स्थिति बनती हो। इसलिये मैं सदन को और सरकार को सावधान करना चाहती हूं कि जो कटु अनुभव हमें पहले हुए थ उनकी पुनरावृत्ति न हो इस ओर कृपया ध्यान दें।

इसके साथ ही साथ मैं और भी संक्षेप्त में कुछ सुझाव दूंगी। आज के वैज्ञानिक युग में हमें प्रकृति पर निर्भरता को कम करना चाहिये शनैः शनैः आज का 47 प्रतिशत सिंचित भाग हमारा अकाल ग्रस्त है और कैनाल से हम केवल अभी तक 6 प्रतिशत पर सिंचाई का प्रबन्ध कर पाये हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम सिंचाई के साधन, हर तरह के, प्रचुर मात्रा में नहीं बढ़ा देंगे तब तक स्थायी रूप से हम अकाल का सामना करने में कभी समर्थ नहीं हो सकेंगे। स्थायी सिंचाई के साधनों के लिये हमें कुओं का अधिकाधिक संख्या में निर्माण करना होगा, जहां नदियां नहीं हैं या जहां कैनाल के साधन बन नहीं सकते उन एरियाज में, एनीकट, तालाब, छोटे मोटे बांध हमें जगह जगह बनाने होंगे, ट्यूब वैल भी अत्यधिक संख्या में, जहां कोई साधन नहीं, काम दें तो बनाने होंगे। इससे हम सिंचाई के प्रचुर साधन तैयार कर सकेंगे एनीकट या छोटे छोटे तालाब अगर हम बनावेंगे तो इससे कुओं के लेवल ऊपर आवेंगे। निरन्तर उनका पानी बना रहेगा इससे केवल खरीफ की फसल ही नहीं रबी की फसल भी किसान आसानी से ले सकेगा। जो आज उसके लिये लेना सम्भव नहीं है। इस प्रकार अगर सिंचाई की व्यवस्था आप कर लेंगे तो पूरी सम्भावना है कि अकाल की छाया राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिये समाप्त हो जाय। इसके साथ ही राजस्थान कैनाल भी आप पूरी सीमा तक लावें।

इस तरह से अकाल राहत कामों में भी सिंचाई के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिये। इसके साथ ही जहां जहां नहरें हैं उनको ठीक करना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में गम्भीरी नदी की सिंचाई की नहरें हैं। पर उनकी दशा आज बड़ी शोचनीय है। पानी होते हुए भी पानी नहीं मिल पाता किसानों को। वैज्ञानिक विश्लेषण में अगर कहूं तो रॉक कटिंग वहां ठीक तरह से नहीं किया गया है। इस कारण किसान पानी का ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाता और काफी पानी व्यर्थ में बह कर चला जाता है। इसलिये मेरे इधर इस काम को अकाल राहत कामों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा है कि ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना को पूरे राजस्थान में तेजी से फैलाया जाना चाहिये। इससे भी सिंचाई के साधनों में बहुत अधिक मदद मिलेगी और अगर ये दो काम हमने

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

कर दिये तो हरित-क्रान्ति का जो हमारा उद्देश्य अभी अधूरा पड़ा है वह पूरा हो सकेगा और तब चाहे कैसा भी अकाल आवे उसका भी मुकाबला किया जा सकेगा।

फाउण्टेन इरिगेशन की व्यवस्था भी हम यहां करें जैसी कि जबलपुर में की गई है। इसके लिये ज्यादा किसानों को आप ऋण दे तब भी काम हो सकता है। इस तरह से कम पानी से अधिक सिंचाई की जा सकती है और पानी के सभी सम्भव स्रोतों का ठीक तरह से दोहन किया जा सकता है और उनका अच्छी तरह से उपयोग भी किया जा सकेगा।

इसके साथ साथ सभी भूगर्भ जल के स्रोतों को भी हमें सर्वेक्षण करा कर सारे राजस्थान में इसके काम को भी आगे बढ़ाना चाहिये। इस तरह अभी तक बहुत कम काम हुआ हैं। नगण्य भी कह सकते हैं। तो जहां जहां भूगर्भ में ऐसे जल स्रोत नजर आते हैं वहां पर हमें ट्यूब वैल लगाने की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

एक और सुझाव देना चाहती हूं। सूखी खेती को भी हमें यहां प्रोत्साहन देना चाहिये। पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की खेती की योजना के लिये सरकार ने सोचा भी है। पर अति शीघ्र इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही एक सुझाव और दूंगी। हमें घास, चारा और फल फूल उगाने के काम को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। फल फूल उगाना हमारे लिये बहुत जरूरी है। मैं पहले भी इस बारे में निवेदन कर चुकी थी। आज हमारे किसान जो हैं वे केवल अनाज उगाने पर ही निर्भर हैं, पेड़, पौधे, फल फूल की तरफ ध्यान नहीं देते। यह हमारा कर्तव्य है जन प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि इसके लिये जगह जगह हम किसानों को समझावें और इस ओर उनको प्रेरित करें।

खास कर शहतूत की खेती हमारे यहां की जलवायु के अनुकूल भी है इससे लोगों को और भी रोजगार मिलेगा। रेशम उद्योग को भी हम यहां चला सकेंगे इसके सहारे।

इसके अलावा हमें जंगल तेजी से उगाने की तरफ भी ध्यान देना होगा। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि जंगल तो राजस्थान में हथेली की तरह साफ हो गये हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि जो पेड़ कट गये हैं उनके स्थान पर नये लगावें। हमें जंगल पूरी तरह से फिर व्यवस्थित रीति से, नये सिरे से खड़े करने होंगे। इधर जंगल हों, उधर पेड़ पौधे फल फूल लगाने की तरफ किसान की प्रवृत्ति हो और सिंचाई और बिजली के साधन हम दे सकें, तो सब मिला कर हम एक ऐसी दीवार खड़ी कर सकेंगे कि जिसको देख कर अकाल तो कम से कम राजस्थान में फिर से आने का साहस नहीं कर सकेगा।

इस समय अकाल की स्थिति को देखते हुए निवेदन करूंगा कि राजस्थान नहर का काम लाल फीताशाही के कारण बहुत मन्द गति से चल रहा है। इसको तीव्रता प्रदान की जानी चाहिये। 11 करोड़ की इस वर्ष व्यवस्था की गई है पर लालफीताशाही के नियम उपनियमों के अन्तर्गत इसका काम भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है।

**(श्रीमती निर्मला कुमारी)**
अगर राजस्थान नहर का काम पूरा हो गया तो अकाल को बहुत सीमा तक दूर करने में अकेली यही योजना काफी है ।

इस अत्यावश्यक योजना को दृढता के साथ और तीव्रता के साथ लालफीताशाही से निकाल कर चलाने के लिये मैं राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों से निवेदन करना चाहती हूं कि यही नहीं इस लाल फीताशाही के नियम उपनियमों से दूर होकर अन्य भी विकास के तमाम काम तीव्र गति से किये जावें ।

मेरे से पहले भी माननीय कई सदस्य कह चुके हैं और वही में भी दोहारा देना चाहती हूं कि जिन किसानों ने ऋण आदि ले रक्खे हैं उनके ऋणों की उगाई में सख्ती नहीं बरती जावे । वे पहले ही बाढ़ के प्रकोप से परेशान हैं, अकाल से परेशान हैं, सूखे से परेशान हैं । सख्ती की गई तो सम्भव है वे बड़े निराश हो जावें । साथ ही पश्चिमी राजस्थान में जहां सूखे के कारण अकाल है उनका लगान माफ कर दिया जाना चाहिये ।

मैं बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहती बहुत से भाई बोलना चाहते हैं । मैं इतना कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मनोहरलाल ।

**श्री नाथूलाल बागीडोरा** : मैं भी बोलना चाहूंगा साहब ।

**एक माननीय सदस्य** : कम से कम क्रम से नाम तो सुनादीजिये ताकि हमें पता लग जावे कि हमारे नाम भी हैं कि नहीं उस सूची में ।

**श्री मनोहरलाल** : मुझे तो केवल पांच मिनट चाहिये । मैं पांच मिनट में अपने विचार रख दूंगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : जिनकी सूची मेरे पास हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

श्री मनोहर कोठारी, श्री भीमसेन, श्री वृद्धिचन्द, श्री पी० के० चौधरी, श्री गोविन्दसिंह, श्री प्रद्युम्नसिंह, श्री जगमोहन सिंह, श्री रावतराम, श्री यशवन्त सिंह, श्री जवाहरलाल, श्री गौरीशंकर, श्रीविश्वम्भर नाथ जोशी, श्री बिरदाराम और श्रीनाथूराम ।

**एक माननीय सदस्य** : हमें सभी अधिकार है तो फिर बोलने का अधिकार क्यों नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो भी बोलना चाहेंगे, मैं उन सभी को बोलने का अवसर दूंगा ।

**श्री खेतसिंह** : सबके नाम पढ़ देंगे तो इसमें सभी के नाम हैं ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

**श्री खेतसिंह** : बोला है न । नाथूराम जी का नाम । उस लिस्ट में यशवन्त सिंह जी का नाम है, बी०एन० जोशी जी का भी नाम है । सबके नाम हैं ।

(विराम)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे निवेदन कई बार कर चुका हूं । मैं आपको सबको बोलने का मौका देना चाहता हूं ।

**श्री गौरी शंकर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,......

**श्री मनोहर लाल (कामां)** : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में कृषि विभाग की.....

(व्यवधान)

**श्री यशवन्त सिंह नाहर** : असली बात तो यह है कि सब थक रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है बोलना तो वही है, ज्यादा बोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। पांच पांच मिनट का समय सबको दे दिया जाय ताकि जल्दी समाप्त हो जाय।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये, अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मनोहर लाल।

**श्री मनोहरलाल (कामां)** : उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी निवेदन किया था भरतपुर में बाढ़ का कारण गलत तरीके पर बनाये गये बांध हैं और साथ ही पूर्व में बनाये गये बांधों की मरम्मत नहीं करना है। पहले के बांधों की मरम्मत नहीं होती है। वहां पर केवल गुड़गांवा केपिटल रेन्ज के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है। ये दोनों काम अधरे हैं। इसके बावजद जो छोटी छोटी नालियां घोमेरा और गोपालगढ़ के पास हैं और जो भरतपुर का ड्रेनेज सिस्टम है उसकी भी मरम्मत नहीं होती है। उनकी कोई देख-भाल नहीं होती है और नतीजा यह होता है कि जो कमजोर बान्ध बनाये जाते हैं, तुरन्त-टूट जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 80 परसेन्ट इलाके में खरीफ की फसल सूखे से जल गई है और 20 पर्सेन्ट जो फसल थी वह पानी से गल गई यह भरतपुर की खास तौर से हालत है। पिछले 15 साल से कामा, डीग तहसील में पानी आता है। रबी की फसल नहीं बोई जाती है। मैंने पिछले सत्र में निवेदन किया था बराबर खरीफ की फसल गल जाती है और रबी की फसल बोआई नहीं की जाती है। आसमान की तरफ से बाढ़ फसल को गलाती है और नीचे धरती की तरफ से धरती फसल को जलाती है। फसल गल गई उसके बावजूद भी आबियाना लिया जाय, सिंचाई ली जाय। कुदरत ने जब जुल्म ढहा दिया तो कम से कम उन किसानों से अब आबियाना तो न लिया जाय। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं मंत्री महोदय, आबियाने के लिये अभी से तैयारी कर लें कि आबियाना नहीं लगेगा। जो खड़ी फसलें थीं वे सब सूख गई हैं। हरियाणा को पानी गया है या इधर से पानी गया है--खरीफ की सारी फसल गल चुकी है। मैं सरकारी अधिकारियों का आभारी हूं कि बाद म प्रयास किया लेकिन शुरू में नहीं किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय सदस्य महाराज बृजेन्द्र सिंहजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने अधिकारियों को समझाया लेकिन नीचे के जो अधिकारी ह, उनकी निन्दा भी कर देना चाहता हूं। बिड़ला जी की मील पानी म डूब जाय वे नहीं चाहते थे, बाढ़ का पानी सारे शहर में घुस जायं। पिछड़ी जातियों के मकान ढह गये हैं। बाढ़ के नाम से पिछले साल सहायता दी गई थी। वह सहायता भी 6-7 महीने बाद दी गई थी और बाढ़ की सहायता के रूप में 30-30 रुपये देकर लोगों को जलील किया गया और वह भी दो हिस्सों में बांटे गये। उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है जो कि

(श्री मनोहर लाल)

खरीफ की फसल गल गई है उसके लिये पहले से ही पर्याप्त सहायता दी जाय। दूसरे पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था की जाय और कृषि मजदूरों के लिये सस्ते गल्ले को अनाज की दुकानें खोली जायं। सैंकड़ों मन अनाज सरकार के पास भरा हुआ है। कलेक्टर साहब से अभी हम लोग मिले थे और उन्होंने वायदा किया था लेकिन कलेक्टर साहब ने अभी तक इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया। कृषि मजदूरों के पास गल्ला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। एफ० सी० आई० को गल्ला उसी दाम पर बेचा जाय। दूसरा निवेदन यह कर देना चाहता हूं जिस तरह आज हालत चल रही है अधिकारी-गण बिलकुल देखने नहीं जाते हैं। वहां कौन कौन से बान्ध टूटे हैं। कहां कहां क्या क्या मरम्मत करानी चाहिये इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। छोटी सी मेहनत से बाढ़ में काफी सहायता पहुंचाई जा सकती है। तीन दिन से बाढ़ आ रही है और एक संबलगढ़ माईनर है उसमें पहले खुदाई नहीं की। जब बजट पर विवाद चल रहा था उसी वक्त वहां की नालियां मंजूर थी लेकिन उस सूखे के टाइम तो उसको खोदा नहीं गया और अब पानी में खुदाई कैसे कराई जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय अन्त में, मैं एक निवेदन और करदूं। भरतपुर की बाढ़ की समस्या को सुलझाने के लिये जो पुरानी ड्रेनेज सिस्टम है उसकी मरम्मत की जाय, उसके नाले बन्धवाये जायं और जहां आवश्यकता है वहां बांध भी बांधे जायं। अन्त में, एक बात और निवेदन कर दूं आबियाना पिछले वर्ष भी सरकार ने लिया है और इस वर्ष भी। फसल गल चुकी है और रबी की फसल भरतपुर में बुआई नहीं जा सकती है—बहुत बड़े जिले में और इसका नतीजा यह होगा कि कृषि मजदूर और किसान भूखों रहेगा उसके बाद भी सरकार किसान से आबियाना वसूली करेगी और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करता हूं आप इस कार्यवाही को रोकें और इसी समय से तैयारी कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदी लाल।

श्री उम्मेदी लाल (हिन्डौन): उपाध्यक्ष महोदय वैसे मेरे साथी नत्था सिंह जी ने हिन्डौन की जो बाढ़ से नुकसान हुआ है वह बताया है लेकिन इसके साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पाईन्ट मैं हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। हिन्डौन में बाढ़ का पानी फैलने से पुरानी मण्डी हिन्डौन में करीब 10 फुट पानी भरा हुआ है और करीब करीब हजारों दुकानें डूब में आई हैं और करीबन यह अनुमान लगाया गया है कि करोड़ो रुपयों का नुकसान हुआ है। दुकानों में से कोई माल नहीं निकाल पाये। बहुत से व्यापारी तो अपना ताला भी नहीं लगा पाये। बहुत से लोग जो हैं अपने बच्चों को नहीं सम्भाल पाये। इधर उधर नहीं जा सके। ऐसी सूरत में हिन्डौन का हाल हुआ है। हिन्डौन के जो गरीब लोग हैं उस बाढ़ से हजारों के परिवार ऐसे नष्ट हुये हैं जिनका कोई पता नहीं क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। अपने बचाव के खातिर मकान छोड़ छोड़ कर और अपने बच्चों को लेकर किसी ऊंची जगह पर भाग गये, किसी ऊंचे मकान पर चढ़ गये लेकिन उनको

(श्री उम्मेदी लाल)
अब खाने पीने का कोई साधन नहीं है, न रहने का कोई साधन है, उनके लिये अनाज की व्यवस्था, आटे की व्यवस्था सरकार सोचे तो कुछ मतलब हो सकता है।

लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपसे अर्ज कर दूं एक प्रश्न यह है कि भरतपुर जिलाधीश ने सारी व्यवस्था की लेकिन वहां बिजली की लाइन टूट गयी, माड़ भूनने वालों से बात करो तो उनके माड़ टूट गये। अब सवाल यह है कि अब क्या हो सकता है? उन लोगों को बाहर से आटा मंगाकर व्यवस्था की जाये। जिन लोगों के घर बरबाद हुए हैं और सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों ने मटके इकट्ठे किये सारे टूटे फूटे बासन और कपड़े थे वह सारे के सारे बाढ़ में बह गये। वह उनको निकाल नहीं सके। उनका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी सूरत म, मैं अर्ज करूं कि उन लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए कोई एसा रास्ता निकालें कि जिससे बाढ़ के पानी से लोग बच सकें और उनको मदद मिल सके। इन परिवारों में जो बहे हैं ज्यादातर चमार हैं, कोई धोबी है, कोई खटीक है, कोई नाई है तो कोई बलाई है और बहुत से शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भी हैं और बहुत से ऐसे लोग थे जो कि मन्दिरों में हाथ जोड़ते थे कि भगवान इससे हमारी रक्षा करो। वहां पर एक मिडिल स्कूल थी। पट्टियों की ओर उस मिडिल स्कूल के ऊपर से पानी चला गया, तो यह हिण्डौन कस्बे की हालत है। हमारे यहां हिण्डौन में दो नदियां बहती हैं गम्भीरी और जगर। जगर के ऊपर बांध बंधा हुआ है और वह बांध टूट जाता तो मेरा ख्याल है कि कई इलाकों को साफ कर देता। उससे कम से कम दस गांव बह जाते और उनका कहीं पता नहीं चलता। उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान दिया जाये और उनको कहीं न कहीं दूसरी जगह बसाया जाये और जो जमीन उनकी बरबाद हुई है उस जमीन की व्यवस्था कहीं अन्य कराई जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज गम्भीरी नदी से इस प्रकार का हाल हुआ है। मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि उसमें 5 पुल टूटे हैं। एक नदी ने पांच पुल तोड़े और जितने गांव बसे हुए थ कम से कम 20 गांव थे जो मेरे क्षेत्र में हैं जिनमें कोई मवेशी का ठिकाना नहीं, न कपड़ों का ठिकाना और न लोग यह कह सकते कि हमारा घर यहां पर है। सैकड़ों कुंए बरबाद हो गए, जमीन नष्ट हो गयी, तो ऐसी सूरत में सरकार एसा रास्ता निकाले कि जिनके घर बरबाद हुए हैं, मवेशी बरबाद हुए हैं, कुए बरबाद हुए हैं, उनको मदद मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में ही समाप्त करता हूं।

एक प्रार्थना और है उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ कि पहले एक अकाल पड़ा था राजस्थान में और हमारी हिण्डौन तहसील से काफी तादाद में हम लोगों ने मदद की लेकिन हम आज उसका इनाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तहसील में जो अकाल हुआ है

(श्री उम्मेदी लाल)

वह वर्षा से हुआ है और इस वर्षा कारण जो बरबादी हुई है इसकी पूर्ति परमात्मा ही कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार उन लोगों की मदद करें तो उजड़ी हुई दुनियां फिर दुबारा बस सकती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उनको मदद दी जाये, फेसेलिटीज दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अलॉटमेंट होते हैं बहुत से एलाटमेन्ट एसे हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य इस बाढ़ अकाल सहायता का अलॉटमेन्ट से कोई संबन्ध नहीं है।

(अनवरत घन्टी)

श्री बिरदाराम।

**श्री बिरदाराम** (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, जालोर जिला पिछड़ा हुआ जिला है। पच्चीसा, छब्बीसा में अकाल बहुत भयंकर पड़ा था और सत्ताइसा में अच्छी फसल हुई तो उस फसल का फायदा काश्तकारों को नहीं मिला क्योंकि भाव सस्ते हो गए। तो काश्तकारों के लिए तो कोई अनाज नहीं रहा। अठ्ठाइसा में बारिश कम होने की वजह से एक फसल नहीं हो सकी। अभी इस समय काश्तकारों ने करीब 50 परसेन्ट खेत बंये। अभी तक बारिश नहीं हुई। अभी बारिश होने से काश्तकारों को जितना फायदा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका क्योंकि अनाज की जड़े पक गयी। अब बारिश, होने से वह अनाज ज्यादा नहीं फैल सका। भगवान की कृपा से जो बारिश हो जायगी तो खल है, घास है यह होने से जरूर काश्तकार को कुछ फायदा मिलेगा और बारिश नही हुई तो हमारे वहां जिले में ऐसी जमीन है कि जो कुओं में पानी है वह नदी के चलने से ऊंचा आता है और नदी नहीं आने से कुए का पानी नीचे चला जाता है। वहां कुओं में पानी ऊपर रहता है तो वह मीठा होता है और नीचे होता है तो खारी पानी आ जाता है, तो इससे काश्तकारों को काफी नुकसान होगा। तो सरकार इस समय जालौर जिले की ओर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी राहत कार्य खोलें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जवाई में नहर आ जाती है तो जालौर का कुछ एरिया उसमें आता है और नर्बदा नदी के बारे में तो करीब 62 से यह बात चल रही है जो अभी तक विचाराधीन है। तो सरकार इसका काम जल्दी से जल्दी करें और जल्दी से नर्बदा का काम चालू करा दें तो जालौर जिले के अन्दर की काफी तहसीलों में फायदा हो सकता है।

और सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जो पिछले साल में अकाल में काम किए थे और जो अधूरे हैं, उनको इस साल में ले लें। जो सडकें अधूरी हैं, मेंटल, ग्रेवर रोड बनी है, उनको डामर नहीं लगा है, और जो नदी नाले अधूरें हैं उनको पहले ले लें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम हो सकता है। और जिले में जो पीने के पानी की समस्या है तो सरकार को जल्दी से जल्दी यह पीने के पानी की समस्या को हल करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी तरह से सरकार से, मैं यह भी निवेदन

(श्री विरदाराम)
करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस जिले में दूसरी इण्डस्ट्री और उद्योग लगाए जायं । राजस्थान में और जालौर जिले में तो काश्तकारों को मजदूरी मिल सकती है, काश्तकारों को दूर नहीं जाना पड़ता है । अभी वहां कोई उद्योग नहीं है । काश्तकार अगर काम करना चाहे मजदूरी करना चाहें तो उनके लिए कोई इण्डस्ट्रीज या उद्योग नहीं है । यहां पर इण्डस्ट्री और उद्योग लगाने से काफी मजदूरों को लाभ होगा और काफी लोगों को काम मिलेगा । यहां के व्यापारी बाहर जाकर उद्योग लगाते हैं इसका कारण यह है कि राजस्थान में पूरी पावर और जो कोटा मिलना चाहिए वह आसानी से नहीं मिल सकता है, कई अड़चनें आती हैं । जिससे ज्यादातर व्यापरियों को बाहर जाना पड़ता है । बाहर ऐसा नहीं है । एक जगह का जो कोटा मुकर्रर हो गया तो वह उनको मिल जाता है इसलिए यहां के व्यापारी बाहर जाकर काम करते हैं, या उद्योग लगाते हैं । बाहर भी ऐसा है कि वहां भी भाषा वाले और प्रान्त वाद्ज झगड़े हैं । वहां कहते हैं कि राजस्थान में और पंजाबी ये सिंधी लोग हैं, ये हमको, हमारे देश को लूट कर खा गए हैं । इस बारे के कई लोग बाहर के हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वे लोग भी राजस्थान में उद्योग खोलना चाहते थे, इसलिए सरकार उनको पूरी सुविधा यहां पर दे ।

इसके अलावा जो डेयरी फार्म की योजना है उसके बारे में निवेदन यह है कि भीनमाल के पास जोड़ है उसमें हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो इस काम में आ सकती है । तो उसके पास में जो फैक्ट्री दूध की खोलते हैं तो वह भीनमाल में ही खोलनी चाहिए । डेयरी फार्म भीनमाल में रहता है और फैक्ट्री दूसरी जगह रहती है तो यह ठीक नहीं रहेगा । भीनमाल एक ऐसा कस्बा है जो हर जिले के नजदीक है । बाड़मेर 90 मील है भीनमाल से, सिरोही 50 मील है, बालोतरा और बड़े 2 कस्बे नजदीक पड़ते हैं । इसलिए डेयरी फार्म वहां खोल भी दें तो भी दूध की फैक्ट्री जिससे मक्खन और दूध का पाउडर बनाना है वह फैक्ट्री भी भीनमाल में लगानी चाहिए । इसके अलावा इसमें हर व्यक्ति का शेयर लिया जाय ।

और उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह नल योजना को लिया गया है । इसमें मुडी गांव है । उसमें आज से पहले ही नल योजना है । लेकिन वहां पर नालियां वगैरा नहीं बनी हैं जिससे पानी रुका रहता है...

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(अश्रव्य)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं साहब ।

हमारे वहां पर भेड़ों की घास चराई की रेट अलग अलग है । एक तहसील में एक भेड़ की चराई चार आना, पच्चीस पैसे लेते हैं और उसी जिले में दूसरी जगह सवा रुपया एक भेड़ का है । एक भैंस का एक जगह तीन रुपया है और दूसरी जगह दस रुपया है । हमारे जालोर जिले में दस रुपया है, कई जगह तीन रुपया भैंस का है । सांचौर में तीन रुपया है । ऊंट के भी इसी तरह से अलग अलग

(श्री बिरधाराम)

रेट हैं। इसलिए सारे राजस्थान में एक रेट होनी चाहिए।

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घंटी)

(अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल।**

**श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में अचानक बाढ़ के आ जाने से जो वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया उसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने, जो लोगों को नुकसान हुआ, जो तबाही हुई, उसके बारे में सदन को अवगत करा दिया है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। प्रकृति पर किसी का वश नहीं है। कुछ दिन पूर्व वहां पर बारिश न होने के कारण ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी फसल नष्ट हो गई है, अकाल की स्थिति बन रही है लेकिन दूसरे दिन ही इतनी ज्यादा वर्षा हुई कि बाढ़ के आने से वहां पर जो अनावृष्टि की स्थिति थी, वह अतिवृष्टि में परिवर्तित हो गई। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि बाढ़ का इतना भयंकर प्रकोप था कि जो फसल सूखे से नष्ट हो रही थी वह बाढ़ के कारण बिल्कुल समाप्त हो गई और फसल के साथ साथ वहां के आदमियों की जानें गईं, सैंकड़ों मवेशियों की जानें गईं, मकान नष्ट हुए। और भी बर्बादी हुई। तो इसके लिए वैसे राजस्थान सरकार द्वारा वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत ज्यादा सहायता प्रदान की गई, मिलिट्री को भी बुलाया गया और जहां तक हो सकता था, बराबर मदद दी गई, इसलिए तो मैं वास्तव में राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं, परन्तु मुझे अफसोस है कि राजस्थान सरकार का ध्यान धौलपुर सब डिवीजन की तरफ नहीं गया। भरतपुर जिले में पांच तहसीलें हैं—रूपवास, नदबई, बैर, बयाना और धौलपुर। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि इन चार तहसीलों के अलावा बाढ़ की लपेट में धौलपुर सब डिवीजन के भी करीब 70–80 गांव आए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि धौलपुर सब डिवीजन के बाडी और बसेडी, सरमथुरा इसमें एक दिन और रात में करीब 19 इंच वर्षा हुई और उस वर्षा के कारण सारे तालाब भर गए। ओवर फ्लो होने लगा जिसकी वजह से पार्वती नदी में पानी आ गया और उससे एकदम बाढ़ आई। जिस प्रकार वहां पर बाढ़ आई वैसी आज से सौ वर्ष पहले तक कभी नहीं आई। उस अचानक बाढ़ से लोगों को बहुत नुकशान हुआ। काफी मवेशी मरे, आदमियों की जानें गईं, मकान नष्ट हो गए, सड़कें नष्ट हो गईं, पुल टूट गए, आप अन्दाजा लगाइये कि कितना नुकसान हुआ होगा। जहां बड़े 2 पुल और पक्के मकान इसको बरदाश्त नहीं कर सके वहां कच्चे मकान या आदमी कहां तक बरदाश्त कर सकेंगे, यह आप देखिए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्रीजी से कि जो अकाल सहायता दी जाती है उसमें धौलपुर को नेगलेक्ट किया गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि धौलपुर में भी सहायता उपलब्ध कराने की कृपा करें। अभी तक देखते आए हैं कि पिछले दो चार वर्षों में जब भी सहायता दी जाती है वह भरतपुर तक

(श्री बनवारी लाल)

ही रह जाती है, धौलपुर तक नहीं पहुँचती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी सहायता दें उनमें विशेष रूप से धौलपुर के बारे में अंकित कर दें कि यह वहां के लिए है ताकि वहां के लोगों को महसूस नहीं हो कि हमें वंचित रखा जा रहा है।

दूसरा निवेदन यह है कि इस समय जो लैंड रेवेन्यू की वसूली हो रही है, जिसे वहां के स्थानीय अधिकारी कर रहे है, उसको स्थगित कर दें, क्योंकि लोगों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उनके पास कोई साधन नहीं बचे हैं।

इसके अलावा तीसरा निवेदन यह है कि वे लोग भूख से परेशान हैं, उनके सारे साधन खराब हो गए हैं, ऐसी स्थिति में उसके लिए सस्ते गल्ले की दुकानें खोल कर उनको भूखों मरने से बचाया जावे और ज्यादा से ज्यादा सड़कों की मरम्मत के लिए, बांधों की मरम्मत के लिए रुपया देकर और दूसरी सहायता देकर वहां के जन जीवन को सामान्य बनाया जाय यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने गत वर्षों में विकास के काम किए लेकिन आज राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं रही। जैसे के उत्तर पश्चिम में राजस्थान केनाल को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए था। इसी तरह से दक्षिण पूर्व में जो घने जंगल थे उनको सरकार को नष्ट होने से रोकना था। मैंने पिछले दस पन्द्रह सालों में वनों की सुरक्षा के बारे में सरकार के सामने कई सुझाव दिए लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है। उदयपुर डिविजन में काफी घने जंगल थे जहां सूर्य की किरण तक जमीन पर नहीं गिरती थी दुष्काल नहीं होता था। 50/60 इंच बारिश होती थी। अभी तक 11 इंच वर्षा हुई है। आजादी के बाद ठेकेदारी प्रथा आरम्भ की गई और जंगलों का नष्ट करना आरंभ हो गया। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार के वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जंगलों को बर्बाद किया है और तब से ही दुष्काल होने लगा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ऐसे घने वन थे कि वहां पर लाखों रुपयों की वन सम्पदा होती थी। अधिक वर्षा होने से अधिक पौधे होते थे। जंगलों में वनस्पति और घास वगैरह होती थी और वहां पर अनाज पैदा होता था। वर्षों से वहां पर माही नदी बहती आ रही है। उस पर बांध बनाने की बात चल रही है। ढाई करोड़ रुपया अब तक खर्च कर दिया गया है। इस गति से माही बांध पांच साल में भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सरकार से यह निवेदन है कि माही योजना को जोकि 21 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराना चाहिये। इस नदी पर गुजरात सरकार ने दो बांध बना लिये हैं। वहां पर कडाना बांध बन रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के हजारों मजदूर मजदूरी के लिये वहां पर जाते हैं। वहां पर इस साल दुष्काल है– हर साल वहां पर ये मजदूर काम पर लग जाते थे, दुष्काल

(श्री नाथूराम)

होने की वजह से गुजरात सरकार ने इनको मजदूरी पर नहीं लिया है, वे वहां से वापिस लौट कर आ गये हैं, बिना मजदूरी के इधर उधर भटक रहे हैं। इस साल हमारे क्षेत्र में वर्षा देरी से आरम्भ हुई है। जुलाई महीने में थोड़ा पानी बरसा और लोगों के पास जो बीज था वह खेतों में डाल दिया और कुछ हिस्सों में तो बीज ऊगा नहीं। वर्षा नहीं होने से फसलें सूख गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कई खामियां है। बांसवाडा शहर में, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में थोड़ा पानी बरसा और इसकी खबर आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित कर दी गई। मैंने स्वयं ने शहर से एक मील दूर जाकर देखा, वहां पर धूल उड़ रही थी। बांसवाडा के कई गांव ऐसे हैं कि वहां पर फसलें खतम हो गई है। लोगों में आतंक है, वे घबराये हुए हैं। मजदूरी मिलेगी या नहीं। कैसे गुजारा होगा। पिछले पांच साल का दुष्काल का कर्जा रह गया है वह सरकार जबरदस्ती वसूल कर रही है। इस बारे में सरकार से मैंने कई बार निवेदन किया है। कलेक्टर को कहा है। उन्होंने यह बताया है कि सरकार के आदेश हैं। वसूली स्थगित कैसे की जाय ? मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों की स्थिति अच्छी है उनसे वसूली करनी चाहिये। जिनके घर में साधन नहीं है आज उनकी कुर्की हो रही है। गांधी शताब्दी वर्ष में गरीबों को जमीनें अलॉट हुई परन्तु उनका मौके पर कब्जा नहीं हुआ है। पटवारी से मिलकर पैसे वालों ने जमीन पर कब्जा कर लिया और जिनको जमीनें अलॉट हुई थी वे वंचित रह गये हैं। जिन गरीब लोगों ने नाजायज कब्जा करके कुछ फसलें बोई थी, उस फसल को भी गये महीने पटवारी ने नष्ट कर दिया है, कुछ जगह किश्तें ले ली हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ आज आजादी की रजत जयंती मना रहे हैं, पिछले वर्ग के लोगों को उठाने की बात कर रहे हैं, जो गरीब थ, भूमिहीन थे, जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था, फसल बोयी थी उनकी फसलों को आज चराया जा रहा है। उनके साथ सख्ती करके वसूली की जा रही है। इसलिये मेरा इस सरकार से निवेदन है कि कलेक्टर महोदय को आदेश दिया जाय कि वहां पर तत्काल राहत कार्य आरम्भ किये जायें, मजदूरी लोगों को मिले और गांवों में जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया है, आदेश हो जाता है परन्तु सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं खुली हैं। मेरा निवेदन है कि गांवों में जहां पर लोगों को मजदूरी मिल रही हो वहां पर सस्ते अनाज की दुकानें खुलनी चाहिये। मक्का, चना ज्यादातर उधर भेजना चाहिये। यह एक आदिवासी क्षेत्र है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यहां पर बताया है कि मक्का की राब बना कर उसको उबाल कर खाते हैं और जिन्दा रहते हैं। इसी तरह से लोग ज्यादा रहते हैं। टिनेन्सी एक्ट में संशोधन कर दिया है। महुवे को काटने नहीं दिया जाता है। ठेकेदार लोग गुजरात वगैरह से आ कर इनको कटवा कर ले जाते हैं। भयंकर दुष्काल में मक्का, महुवे को खा खा कर लोग अपने दिन निकालते थे। मैं सरकार

(श्री नाथूराम)

से निवेदन करता हूं कि माननीय रिलीफ मिनिस्टर, जो कि पहले से ही इस काम के लिये होशियार हैं, पहले भी उन्होंने यह काम ठीक प्रकार से किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि जिस तरह से पिछले ऐतिहासिक दुष्काल में काम किया उसी तरह से इस साल भी वहां पर काम करायेंगे। पिछले दुष्काल की स्थिति अलग थी। पहले तालाबों में पानी था, अनाज था, चारा था। इस बार चारा नहीं हैं। मवेशियों को जिन्दा रखना है। किसान का एक बैल मर जाता है तो वह किसान पांच साल में नहीं रख सकता है। इनकी कीमत बढ़ गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को, मजदूरों को काम दिलाने, अनाज दिलाने के साथ साथ मवेशियों के लिये चारे की भी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि माही नदी का पानी बह कर दूसरे प्रदेश में चला जाता है। इसकी स्कीम मन्जूर हो गयी है। वहां पर बिजली पहुंच गई है किन्तु इसकी सरकार की ओर से अव्यवस्था है। वहां पर लिफ्ट व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। माही नदी के दोनों तरफ लिफ्ट योजना द्वारा ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करनी चाहिये। रबी की फसल मिलेगी, गेहूं चना पैदा होगा और मवेशियों को खुराक भी हो जायेगी। मेरा तो यह निवेदन करना है कि सरकार का यह बिजली विभाग निकम्मा है। बिजली जहां पर पहुंच गयी है वहां पर दो दो साल तक लोगों को कनेक्शन नहीं मिले हैं। सरकार के लाखों रुपये खर्च हुए हैं। एक एक भी बिजली की योजना शुरू नहीं हुई है। इन विद्युत योजनाओं की स्वीकृति कर के ज्यादा से ज्यादा लाबें ताकि अनाज पैदा हो सके, ऐसी सरकार को कोशिश करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा निवेदन और करना चाहूंगा। पिछले साल लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। इस सम्बन्ध मैंने ओवरसीयर, इन्जीनियर्स पर आरोप लगाये थे और उन पर मंत्री महोदय मैंने यह आश्वासन दिया था कि कमीशन बिठा कर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में रिलीफ में जो लाखों रुपयों का काम हुआ है उसका मूल्यांकन करके जिन्होंने भ्रष्टाचार को फैलाया है उन्हें वे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सरकार का यह आदेश था वह कागजों में पड़ा रह गया है। इसलिए फिर निवेदन करता हूं कि पिछले दुष्कालों में धन का दुरुपयोग हुआ है तो इस साल के भयंकर दुष्काल में सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। कई ओवरसीयर, इन्जीनियर ने झूठे बिल बनाये, ट्रक चलाये आज तक किसी को सजा नहीं दी गई है। ये लोग हर तरह से पावरफुल हैं। इस बार भी सिंचाई के काम लिये जायेंगे इसके लिये आपको ईमानदार आदमियों को रखना चाहिये, पुराने भ्रष्टाचारियों को सस्पेन्ड करना चाहिये और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और। सस्ते अनाज की दुकानें खोलने के साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई व्यापारियों के यहां पर अनाज के बोरे भरे हुए हैं। वह अनाज ट्रकों में भरा जाकर गुजरात को जा रहा है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनाज व्यापारियों के पास है वह सरकार को लेकर लोगों को वितरण करना

(श्री नाथूराम)

चाहिये। इससे लोगों की अनाज की समस्या हल हो सकेगी। मजदूरी लोगों को मिलना चाहिये और माही बांध पर काम के आदेश हो जायें तो काम से, लोगों को ऐसी राहत देना चाहिए कि नजदीक में उनको काम दिये जायं। जो पिछले वक्त के अधूरे तालाब वगैरह हैं उन तालाबों का निर्माण करना चाहिए। जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं वे अपने बच्चों और मवेशियों को सम्भाल सकें। एक परिवार के दोनों ही व्यक्ति अगर मजदूरी पर जायेंगे तो बच्चे और मवेशियों को कौन सम्भालेगा? इसलिए नजदीक के जो अधूरे वर्क्स हैं उनको पूरा कराके राहत देना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री झाबरमल।

**श्री झाबरमल** (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष, महोदय स्वतन्त्रता रजत जयन्ती के साथ-साथ अकाल का प्रश्न इस बात का संकेत है कि हमारी योजनाएं कितनी थोथी हैं? मूल बातों से कितनी परे हैं। आज 25 साल के बाद भी हम वहीं हैं जहां 100 125 साल पहले थे। यह हमारी प्रगति की निशानी है? अकाल जैसे मामले पर क्यों विचार करना पड़ रहा है? इसका कारण यह है कि हमारी जो उत्पादन की नीति है उसको इस बात से सम्बन्धित नहीं किया गया कि जो भी प्रोजेक्ट हों इस सूखे और मरुस्थली एरिया के लिए उनका खेती से सम्बन्ध हो। और यह क्यों पनपा? क्यों अकाल स्थाई स्थान ग्रहण किये हुए है, यह एक मूल बात है सोचने की? उसमें बात यह है कि इस अकाल को सुखाड़िया सरकार ने बड़े इत्मिनान से पाला है, पोसा है, इसको पनपने का पूरा अवसर दिया है......

**एक माननीय सदस्य** : वाह वाह।

**श्री झाबरमल** : जहां अकाल प्रजा के के लिए अभिशाप रहा वहां अकाल मंत्री-मण्डल के लिए, मंत्रियों के लिए, अफसरों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।

**एक माननीय सदस्य** : भविष्य देखकर आये हैं क्या?

**श्री झाबरमल** : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल को स्थाई रूप से मिटाने के लिए जो कुछ भी योजनाएं लागू करें वह उसके लिए ही हों। मैं तो यह कहता हूं कि सारे प्रोजेक्ट्स को स्थगित करके अकाल के ऊपर बहुत गहराई से, गम्भीरता से विचार करके एक ऐसे तरीके से उन पर अमल करना चाहिए ताकि सदा सदा के लिए हम अकाल के नाम से न घबरायें, न डरें और न भयभीत हों। आज पीने के पानी की समस्या, अनाज की समस्या, बाढ़ की समस्याएं, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं वे रत्ती भर नहीं मिट सकी हैं, यह इस सरकार के शासन का जो तरीका रहा है उसका स्पष्ट उदाहरण है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो भी अब राहत-कार्य चालू किये जायं उन सब को प्रोडक्शन से सम्बन्धित किया जाय। जैसे नहर का मामला है, राजस्थान नहर अगर पूरी हो जाती तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती। उसी तरह से एक नहर की और योजना है जो

(श्री झाबरमल)

कि हमारे राजबहादुरजी ने नेपाल के गवर्नर (राजदूत) बनने से पहले दी थी जो कि अलवर, भरतपुर, झुन्झुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 400 मील लम्बी नहर उधर बनाई जा सकती है। ऐसे सिंचाई के साधनों के तौर पर कुओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। सबसिडी देकर कुए खुदवाने चाहिए।

इसके बाद में खनिज की तरफ देखना चाहिए। जहां पर खनिज मिलते हों वहां पर उनको प्रोत्साहन देना चाहिए।

इसके बाद में पशुधन हमारे यहां काफी हैं। उनके लिए चरागाहों की व्यवस्था करना चाहिए। हम अगर इस तरह से दूसरे तरीके लोगों के जीने के लिए नहीं निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायगी, और हमेशा हमेशा के लिए इसी भयंकर स्थिति में रहना पड़ेगा कि अकाल पड़ गया, क्योंकि अकाल का भरोसा नहीं है। जो भी हमारी योजनाएं हैं उनको हमें उत्पादन से जोड़ना चाहिए।

इस अकाल के मामले में राहत-कार्य के साथ-साथ अनाज भी मुहैया कराना है उसको बड़ी ईमानदारी से कैसे लागू कर सकते हैं यह सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अनाज का जो मामला है इसने साफ जाहिर कर दिया है कि लोग परेशान हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है और उसमें ब्लैक होता है। अगर नाज के मामले में ऐसा हुआ, जिसके भरोसे जिन्दा रहेंगे, अगर वही ठीक ढंग से नहीं मिल सका और उसमें अव्यवस्था रही, उसमें ब्लैक हुआ और वह काम ऐसे लोगों को दिया गया जिनका करेक्टर संदिग्ध है तो फिर हमारा जो लक्ष्य है कि हम हर आदमी को सस्ते नाज की दुकानें खोलकर नाज मुहैया कराने की चेष्टा करने की चेष्टा कर रहे हैं वह बेमानी हो जायगी। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कान्सेंशस मेथड अपनाया जाय। गांव के आदमी जिसका नाम लेते हैं उसको ही रिटेल शोप देना चाहिए। जिला स्तर पर वह फैसला करें कि अमुक आदमी को रिटेल शाप दे दी जाय। अब इस मामले को अगर हम करना चाहते हैं तो मशीनरी हमें दूसरे ढंग की लगानी पड़ेगी। अगर दूसरी मशीनरी को नहीं लगाना चाहते हैं तो, इसमें यह बात नहीं है कि ईमानदार आदमी नहीं है ईमानदार व्यक्तियों को सबसे पहले ढूंढ ढूंढ कर इस काम में लगाना हमारा पहला कर्त्तव्य होना चाहिए। अब जब कि....

**श्री केसरीमल**: खोज करनी पड़ेगी।

**श्री झाबरमल**: आज सरकार ने इस बहस को बेमानी बना दिया है। इस बहस को शुरू में ही सदन में ले लेना था। लोगों ने कहा कि-सदन का सत्र कल तक के लिए बढ़ा दिया जाय। लेकिन फिर भी लोगों की इस बात को नहीं माना और कहा कि जवाब आज ही करेंगे और मजबूर कर दिया तो इससे वे सारे लोग जो बहस में भाग लेना चाहते थ नहीं ले सके। आज भी सरकार का वही रुख है जो पहले था। वह गम्भीरता से इस मामले को नहीं लेना चाहती है।

मैं सरकार से अब सीकर के मामले में कहना चाहूंगा। वहां पर सिलेटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर उस प्रोजेक्ट को आज ही हाथ में ले लिया जाय तो सीकर जिले में उसको चालू किया जाय तो 50 हजार

(श्री झाबरमल)

आदमियों को उसमें लगा सकते हैं। दूसरा सीकर जिले के फतेहपुर की जिस कान्स्टीटुएन्सी से मैं आया हूं वहां के लिए एक सेन्टर की योजना है उसको तुरन्त लागू किया जा सकता है और हजारों आदमियों को काम पर लगाया जा सकता है। ऐसे ही दूसरे काम जिनमें कुओं में बिजली पहुंचाने का काम जो है उसको सीकर जिले में प्राथमिकता दी जाय। यह स्कैर्सिटी वाले 10 जिलों में से एक है। पिछले अधिवेशन में झुन्झुनूं से आने वाली सदस्या ने एतराज उठाया था कि झुन्झुनूं और सीकर में रेनफाल पाली से कम है। वहां पर पानी का जो लेवल धरातल है वह पाली से नीचे है तो सीकर और झुन्झुनूं में उस योजना को नहीं लिया गया। उनके कहने से मात्र झुन्झुनूं की कुछ तहसीलों को उसमें इन्क्लूड कर लिया गया है। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं जो कि चूरू और बीकानेर जिलों से घिरा हुआ है वहां पर पीने के पानी की परेशानी रहती है। सीकर के आधे जिले में जिसमें लगातार पीने के पानी की मुसीबत रहती है वहां पर कुछ हिस्सा तो खारे पानी का है और कुछ में सिर्फ कुओं को गहरा करने की आवश्यकता है, उन कुओं को गहरा नहीं किया जा सका है और ज्यादा कुएं नहीं बनवाये जा सके हैं इसलिए उस स्कीम को सीकर के कम से कम आधे जिले में साधारण रूप से लागू कर दिया जाय। अगर उस योजना को हाथ में लिया जाता है तो पीने के पानी की समस्या के साथ-साथ वह बात प्रोडक्शन से भी जोड़ी जा सकती है। और खारा पानी जिस इलाके में हैं वहां पर तालाब बना देने चाहिएं ताकि जब कभी भी बरसात हो तो उसमें कम से कम पीने के लिए पानी का स्टोरेज हो जाय। इसलिए जो मेरा जिला है उसमें मेरी कान्स्टीटुएन्सी जो है उसमें जो कमियां हैं मैंने बताई उनको हाथ में लेने से हमारी काफी समस्याएं हल हो सकती हैं।

इसके बाद में यह बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो हल करने की है, वह हमारा चरित्र है। जबतक हम अपने चरित्र को राष्ट्रीयता में नहीं ढालेंगे तब तक हमें इससे निपटना मुश्किल हो जायेगा। आज एक सड़क बनाते हैं। नयी सड़क बनाते हैं। 15 दिन के बाद लगता है कि वह सदियों पुरानी है। बांध है। नया बनता है और टूटकर तबाही मचा देता है। इसी प्रकार से मकान बनाते हैं तो उसके पहले ही उसकी मरम्मत का बजट आ जाता है। आज जनता और सरकार के बीच में खाई है। आज ठगी और झूठ को समझदार की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम जनता को किस प्रकार अपना सकेंगे।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

मैं यह भी कहूंगा, जिस प्रकार प्रजा चाहती है, उस प्रकार से कामों को लागू किया जाये। नहीं तो इस वक्त तो हम परेशानी से मुक्ति पा जायेंगें।

(9.12 रात्रि)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तो मैं यह कहूंगा कि हमें अकाल से निपटने के लिए इसका स्थायी हल खोजना पड़ेगा।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** अध्यक्ष महोदय....

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा)** : अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि और अनावृष्टि ने राजस्थान को खतरे में ढकेल दिया है मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर नगर की जनसंख्या साढ़े 3 लाख है । राजस्थान का दूसरे नम्बर का शहर है । वह खतरे में है । जो उपलब्ध आंकड़े हैं इसका कारण भूतकाल में ऐसा कोई वक्त नहीं आया । आज 14 अगस्त तक साढ़े 38 मिलीमीटर बरसात हुई है। उसका कोई उपयोग नहीं हो सका । पीने के पानी की व्यवस्था एक विकट रूप धारण कर चुकी है । हमारे यहां पीने का पानी लगभग 100 मील दूर जवाई बांध से आता है । हेमावास से भी पानी आता है । इस समय जवाई बांध में पानी 150 क्युबिक फीट अर्थात 100 फीट गेलन पानी है । जवाई से 100 रवाना होता है वह जोधपुर पहुंचते पहुंचते कम रह जाता है । अगर और पानी नहीं आया तो नवम्बर तक का पानी है । रामपुरा योजना से 20 लाख गैलन पानी रोज आता है । वैसे भगवान की दया से सुनने में आया है कि 25 मिलीमीटर वर्षा हुई है । तो जोधपुर का आदमी कहां जाये । वसे एक योजना ट्यूब वैल्स की बनाई गई है । राज्य के द्वारा जिसमें 30 लाख गैलन उधर से और 20 लाख गैलन रामपुरे से प्रतिदिन मिल सकता है। अगर ऐसे काम हम करें तो हम जिन्दा रह सकते हैं । ईश्वर से प्रार्थना है कि साढ़े 3 लाख लोगों की समस्या पैदा हो गई है, वह दूर होगी । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस योजना को आप अपना लीजिये । 15-20 रोज में इसका पूरा नतीजा निकल जायेगा । मैं एक यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में 16 गांव आते हैं जो कि नगर पालिका क्षेत्र में गिने जाते हैं । चूंकि वे नगर पालिका में आ गये हैं, इसलिए वहां के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन है कि भविष्य में अकाल राहत कार्यों के बारे में इन 16 गांवों को नहीं भूलें । इसके लिए भले ही उनको नियमों में परिवर्तन करना पड़े । लेकिन मानवता के नाते इन 16 गांवों को नहीं भूलें । जोधपुर जिले में 25 हजार मजदूर फिट्सर पत्थर की खानों में काम करते हैं । उनके माल की खपत नहीं हो पायेगी । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि राहत कार्य खोले जायें । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जोधपुर की जनता के साथ में राजस्थान सरकार ने घोर अन्याय किया है । जोधपुर के लिए अनएम्पलायमेण्ट स्कीम में भी राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया । जयपुर को चमकीला बनाने के लिए इस योजना के लिए 50 लाख रुपये की स्कीम बनाई गई है । यहां के गन्दे पानी को निकालने के लिए और बरसात के पानी को निकालने के लिए योजना बनाई गई है । मैं दावे से कहता हूं कि जयपुर और जोधपुर शहर के आंकड़े देख लिये जायें जो खर्चा हुआ है । मैं कहूंगा कि जयपुर में पर केपिटा ज्यादा खर्चा हुआ है । यह तो बात एक बाप के बेटे जैसी होती है ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : आप अपने यहां पैसा लगाइयेगा, मैं कहां मना करता हूं । मैं दावे से कहता हूं कि पिछले 15 वर्षों में निरन्तर जयपुर शहर की उपेक्षा हुई है । मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया है, राजस्थान की राजधानी को डेवलप् करने को कहा है ।

**श्री अध्यक्ष** : बोलने दीजिये ।

**श्री अमृतलाल गहलोत** : मैं जयपुर शहर के विकास की अवहेलना के लिए नहीं कहता हूं । हम बराबर बरताव चाहते हैं । मैं कोन सा अन्याय कह रहा हूं । मैं तो खर्चे की बात कह रहा हूं । जितना खर्चा हुआ है, वह आप देख लें । मैंने और कुछ नहीं कहा है । सरकार इस पर विचार करे ।

**श्री अध्यक्ष** : अगर हाउस की मर्जी हो तो, क्योंकि 4 घण्टे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, 10 बजे तक डिबेट का टाइम रख लें । 10 बजे मन्त्री महोदय का रिप्लाई शुरू हो जाये । 11 बजे समाप्त हो जाये ।

**एक माननीय सदस्य** : अब तो बहुत कम बोलने वाले रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : इसलिए मैंने कहा है ।

**एक माननीय सदस्य** : करीब करीब सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, अगर साढ़े दस भी बज जायें तो भी कोई बात नहीं । क्योंकि सभी को बोलने का मौका मिल जाये ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं ने तो आप की भावना जाननी चाही है । अगर आप बैठना चाहते हैं तो और बैठिये ।

श्री मनोहर लाल ।
(अनुपस्थित)
श्री महेन्द्र ।
(अनुपस्थित)

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन !

**श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उससे प्रकृति हमेशा अनुदार ही रही है । इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार अकाल की स्थिति चली आ रही है । मैं राज्य सरकार को और भारत सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब हमारे वहां पर जहां कि कुओं में पानी नीचे है और खारा भी है उस क्षेत्र में एक छोटी सी लिफ्ट योजना बनाई गयी है । यह योजना हालांकि पूरे क्षेत्र को तो फायदा नहीं पहुंचा सकेगी पर फिर भी कुछ इलाके में सिंचाई होगी । आमतौर पर हम यह उम्मीद लेकर चलते हैं कि हमारे यहां की जो पानी की समस्या है उसका कोई स्थायी हल निकाला जाय जिससे कि इस समस्या का हमेशा के लिये समाधान हो सके । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में हमेशा ही अकाल पड़ता है । पिछले वर्षों में संवत् 2025 व 2026 में भी अकाल पड़ा था और इस साल भी भयंकर अकाल है । कोई दो चार गांवों में वर्षा जरूर हुई है पर वह भी नहीं के बराबर है । मैं इसके लिये राज्य सरकार से पिछले कई वर्षों से बार बार निवेदन करता आ रहा हूं कि वहां की जनता के लिये इसका कोई स्थायी हल निकाला जाये । पर मेरे बार बार निवेदन करने पर भी वहां जनता के लिये अकाल के दिनों में भी कोई राहत कार्य, नहीं खोले गये हैं । आज भी प्रश्नोत्तर काल में मुझे लिखित उत्तर मिला उसमें भी राज्य सरकार ने यह कहा कि राजस्थान नहर में काम करने के लिये वहां की जनता के लोगों को कहा गया था पर वे काम पर वहां

(श्री भीमसेन)

नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार का जवाब बिलकुल ही असत्य और निराधार है। हमारे क्षेत्र के लोगों के लिये वहां का कोई प्रावधान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की स्थिति वर्षा नहीं होने से इतनी भयंकर हो गयी है कि वहां लोगों की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई है और खासतौर से वहां के क्षेत्र को जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है किस तरह से वे लोग बेचारे अपना गुजारा चलाते हैं यह रहस्य ही बना हुआ है। इसलिये राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां पर अकाल राहत अधिकाधिक खोले जायें जिससे कि वहां के लोगों को काम धन्धा मिल सके ताकि वे अपना पेट पाल सकें। पिछले साल भी राजस्थान में अकाल पड़ा था तब भी अकाल राहत कार्य राजस्थान में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों म खोले गये थे। उन अकाल राहत कार्यों में काफी गड़बड़ी हुई थी। इसमें खास तौर से मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान बीकानेर जिले में जो अकाल राहत कार्य चल रहे थे उसमें काफी गड़बड़ियां थीं। इस ओर आकर्षित किया था पर राज्य सरकार ने कोई जांच किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं की। इसलिये मेरा निवेदन है कि अब जब बीकानेर क्षेत्र में आप अकाल राहत कार्य खोलें तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जो अकाल राहत कार्य खोले जायें वह काम कलक्टर्स के माध्यम से होने चाहियें ताकि उसम गड़बड़ियें होने की गुन्जाइश कम रहे। पिछले अकाल के दिनों में अकाल राहत कार्य करने की एजेन्सी पी०डब्लू०डी० विभाग के अधिकारियों के हाथ में थी। और पी०डब्ल्यू०डी० के अधिकारी स्वच्छन्द तरीके से काम करते थे। वे ही लोगों का काम देने वाले थे वे ही लोगों की हाजरी लेने वाले थे, और वो ही ड्राईंग और डिसबर्सिंग आफिसर होते थे इस वजह से काफी गड़बड़ियां होने की आशंका हुई थी।

इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां अकाल राहत कार्य खोले जायं उसमें तीन प्रकार की एजेंसियों से काम लिया जाय। राजस्व विभाग से हाजरी लेने का काम, पी० डब्ल्यू०डी० के अधिकारियों से टेक्निकल राय देने का कार्य और इसके अलावा पेमेन्ट करने की एजेंसी अलग होनी चाहिये जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ न हो सके। जो लोग काम करने के लिये आयें उनको आईडिंटिटी कार्ड देना चाहिये और जिसके पास वह कार्ड हो केवल उसी को ही काम देना चाहिये। इस तरह से राहत कार्य करेंगे तो कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा जिला स्तर पर विजिलेन्स कमेटी होनी चाहिये या ऐसी मोबाइल पार्टी होनी चाहिए जो शिकायतों को आन दी स्पाट जांच कर सके। इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो कार्यों म किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो सकेगी।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राहत कार्य खोलने के साथ साथ राज्य सरकार को अनाज पहुंचाने की व्यवस्था भी तत्काल करनी चाहिये। अनाज पहुंचाने के लिये राज्य सरकार को जगह जगह डिलर्स अपाइंट करने चाहिये।

(श्री भीमसेन)

लेकिन होल सेलर डीलर से लेकर गांव तक ले जाने की जो ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था पिछले अकाल में की गई थी उसका हमें बड़ा अनुभव है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि वह गलतियां पुनः नहीं दोहराई जायं। सरकार को चाहिये कि थोक व्यापारी से लेकर रिटेल व्यापारी तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार खुद करे ताकि ठीक समय पर और ठीक कीमत पर अनाज पहुंच सके। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

दूसरा, पशुओं के लिये अभी से ही सरकार को सजग होना चाहिये। हमारे इलाके में लोग आम तौर से पशुपालक हैं। इस समय हरियाणा में भी सूखा पड़ा हुआ है, इसलिये हमारे पशुओं का वहां जाना भी मुश्किल है और इसलिये हमारे पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी गम्भीर समस्या है। इसलिये मैं सजेशन देना चाहूंगा कि राजस्थान नहर के मुख से 80 मील तक एमरजेन्सी के तौर पर पानी छोड़ा जाये और राजस्थान नहर के बायें कैनाल और दायें कैनाल के दोनों ओर सरकार घास पैदा करने की व्यवस्था करे, दोनों ओर घास बोया जाये तो वह पशुओं के काम आ सकती है। इस तरह की व्यवस्था आप अभी भी करेंगे तो हमारे जिले के पशुओं को बचाया जा सकेगा। पशुधन ही वहां का मौलिक धन है और पशुओं पर ही वहां के लोगों की जिन्दगी का भरोसा है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर का कार्य सरकार चला रही है। वहां पर जो बांया चैनल सरकार बनाने जा रही है उसका काम भी अगर आप रिलीफ वर्क्स में करायें तो आपका यूटिलिटी का काम होगा और बहुत बड़ा परमानेन्ट यूटिलिटी का कार्य आप कर पायेंगे। इसी तरह राजस्थान नहर की बायीं तरफ जहां-जहां पानी उपलब्ध हो सकता है वहां राज्य सरकार की ओर से या कृषि विभाग की ओर से घास पैदा करने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे आइन्दा के लिये पशुपालक अपना निर्वाह कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था अगर सरकार कर सके तो वहां के पशुपालकों के सामने समस्या पैदा नहीं होगी।

इसके अलावा गांवों में कुछ औरतें होती हैं जो रिलीफ पर काम नहीं करतीं, उनके लिये आपको खादी का काम देना पड़ेगा। अगर खादी बोर्ड के मारफत आप कुछ काम उन औरतों को घर बैठे दिला सकें तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में लोकल राहत कार्य करने की आवश्यकता है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दीपन्कर।

(अनुपस्थित)

श्री रणजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहन राज।

**श्री मोहनराज** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में अकाल की स्थिति के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। साथ साथ पाली जिले का जो घाटोर क्षेत्र है, जिसमें पाली, सूमेरपुर, देसूरी और रानी, यह चार पंचायत समितियां आती हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगा।

(श्री मोहनराज)

वहां पर स्थिति और भी विकट है। सब से पहले तो मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा

गत वर्ष इस सारे क्षेत्र में अकाल की भयंकर स्थिति थी। शुरुआत में ही यह निवेदन किया था कि गांवो के अन्दर पीने के पानी के कुए हैं उनको गहरा करने के लिये धनराशि दी जाय। आखिर में दो माह पूर्व कुछ पैसा जो सरकार से आया था उसके लिये भी यह आदेश दे दिया कि 30 जून तक खर्च नहीं हुआ वह वापिस लौटा दिया जाय, सारे का सारा। जिन पंचायतों ने कुओं को गहरा कराने के लिये इस मद में खर्च किया था और उनको यह विश्वास दिलाया था कि उनको पैसा मिल जायगा, वह पैसा भी नहीं मिला और आज भी मजदूरों की मजदूरी बाकी है। इसलिय जिन गांवों में पीने के पानी के कुए हैं

(9.31 रात्री)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उनको तत्काल गहरा कराने के लिये धनराशि दिलायी जाय ताकि लोगों को पीने का पानी मिलता रहे और इस दुविधा से उनको बचाया जाय।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं लोगों को अनाज की व्यवस्था कराने की। यह एक गम्भीर समस्या है। लोगों के पास अनाज नहीं है और अनाज खरीदने के लिये पैसा भी नहीं। मैं जिस इलाके से आ रहा हूं वह आधा क्षेत्र आदिवासियों का है, गिरासिया लोग हैं और जिस कठिनाई में वे लोग रह रहे हैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। चार पांच दिन पहले स्थानीय अधिकारी, प्रधान और मैं भी उन इलाके में गये। हमने देखा कि पांच-पांच, छः छः वर्ष के बच्चों को घरों से निकाल दिया गया। जो खुद अपना पेट नहीं भर सकतीं। वे इन बच्चों को भी नहीं खिला सकतीं इसलिये आदिवासी महिलाओं ने इनको बाहर निकाल दिया और वे खुद शहरों की ओर भागना चाहती हैं और बच्चे उनके इसमें बाधक होते हैं। हमने कोशिश की। राहत कार्य वहां खोलें तो विश्वास है कि वे लोग रह सकें। अन्यथा गांव गांव में ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी कि अबोध और अनाथ बच्चों को सम्हालना हमारे लिये कठिन हो जायगा। तत्काल वहां पर राहत कार्य खोले जांय। दस दिन पहले की बात है। आदिवासियों को भड़काया कि बरसात नहीं हो रही है इसका कारण है कि चन्द महात्मा हमारे क्षेत्र में बैठे हुए ह। उन्होंने ही बरसात को बांध दिया है। इस प्रकार की एक हवा फल गयी। अघोर मंडल के महन्त हैं। एक हजार लोगों को इकट्ठा कर लिया। साधुओं को मारेंगे, दुकानों को लूट लेंगे और गांवों का भरण पोषण करेंगे। साधुओं को मारना चाहिये जिससे बरसात बरसने लग जावेगी। उसी रात को पुलिस के उप-अधिक्षक आर० एस० डी० ओ० ने साधुओं की व्यवस्था की। मैं भी उनके साथ गया और लोगों को समझाया कि यह बात नहीं है। मूर्खता है उसको हल करने के लिये तुम्हारे लिये राहत कार्य आदि साधन खोले जावेंगे और तुम्हें सस्ता अनाज मिलेगा। कुछ चन्दा करके दुकानें खोलीं जिससे कि सस्ता अनाज मिले।

(श्री मोहनराज)

स्थानीय लोगों से चन्दा मांग कर हमेशा अनाज मुहैया नहीं किया जा सकता। वहां पर भूखमरी की स्थिति है वह और भी भयंकर हो जावेगी और लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये बड़ी से बड़ी फोर्स भी उन पर काबू नहीं पा सकेगी। इसलिये आदिवासी क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य खोले जायं।

तीसरी बड़ी समस्या मवेशियों को पालने की होगी। इसलिये होगी कि बरसात नहीं होने के कारण गांवों में बिलकुल घास नहीं होगी। पुराना स्टॉक भी नहीं है। तीन-चार वर्ष पहले भयंकर अकाल पड़ा था और जमा करके रखा था वह स्टॉक भी खत्म हो गया। बड़े बड़े बीड़ों में घास रह गया है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बिराजे हुए हैं। बाली खास कस्बे में जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा का बीड़ है। जोड़ के नाम से तीस वर्ष से नाजायज कब्जा कर रखा है। कर रखा था कि यह पर्सनल प्रोपर्टी है। सरकारी रिकार्ड देखा गया तो सरकारी जोड़ है। गलत इन्द्राज करवाया। 7 हजार बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा करके जितना भी उसमें घास हो रहा है वह अपने लिये लेते हैं और उसको बेचते हैं। स्थानीय अधिकारी जांच करके इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इन्द्राजात गलत हुए हैं और यह सरकारी जोड़ है। इसलिये जिलाधीश को आदेश दें कि घास कुड़क करके, अटेच करके राहत कार्य के लिये लिया जाय। इस प्रकार कई जोड़ हैं। पाली के पास भी तीन हजार बीघे पर नाजायज कब्जा कर रखा है जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा ने। सरकारी रिकार्ड में यह सरकारी जमीन है। इस प्रकार कई जमीनें हैं। सरकार सतर्कता से अधिकारीयों को कह कर अपने कब्जे में ले ले तो घास की समस्या का हल स्थानीय व्यवस्था पर किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

राहत कार्यों के लिये राज्य मंत्रीजी से बात की तो उन्होंने कहा कि सड़कों के लिये ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता। बंधे हैं, सिंचायी के लिये छोटे बड़े बांध हैं, उनके लिये तो पैसा दिया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बाली तहसील के इलाके की नदियां जवाई बांध या हेमावास में पानी ले जाती हैं। नया बांध नहीं बनायें। उस केचमेन्ट एरिया का पानी हेमावास या जवाई में जाता है, उस पर रोक लगा दें और सड़कों के लिये पैसा लगा दिया जाय तो हजारों लोगों को काम और रोजी दे सकते हैं। नये बांध, तालाब नहीं बनाये जा सकते तो एनीकट बनाइये। हजारों लोगों को काम दिये बगैर शान्ति व्यवस्था नहीं रह सकती और भूखे लोगों को यों ही छोड़ा नहीं जा सकता।

इस वास्तविक समस्या की ओर ध्यान देना होगा तब ही हल निकाल सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं इन्हीं बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर राहत कार्य खोलें जिससे हजारों लोगों को कार्य दिया जा सके और भूखमरी से उनको बचाया जा सके।

**श्री उपाध्यक्ष** —श्री ज्ञानसिंह चौधरी;
श्री प्रद्युम्नसिंह
श्री बनवारीलाल
श्री नाथूराम
श्री जगमोहनसिंह — अनुपस्थित
श्री रावतराम
श्री यशवन्तसिंह नाहर
श्री जवाहरमल
श्री गौरीशंकर मुनीम

**श्री गौरीशंकर मुनीम** (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के विषय में ज्यादा तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि यहां हाउस में काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि मैं झालावाड़ जिला के खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है क्योंकि दस वर्ष से जनसंघ जीत कर आता था और इस वर्ष मैं ही जीतकर आया हूं और किन कठिनाइयों से आया हूं उनका मैं आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि दस वर्ष में वहां पर कोई काम नहीं हुए हैं। मैंने लोगों से यह वादा किया था कि मैं आपके यहां काम कराऊंगा और मैं इस के लिये मंत्री महोदय से भी निवेदन करता रहा हूं। 4।। महीने हो गये हैं उस क्षेत्र में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है जबकि अकाल पड़ रहा है। गये वर्ष भी बारिश बहुत हो गयी इसलिये लोगों की फसल नष्ट हो गयी और उनको कोई मदद नहीं मिली। इस वर्ष बारिश बहुत कम हुई जो नहीं के बराबर बारिश है। वैसे वर्षा हो गई है पर कब हुई, जब फसल आधी से अधिक सूख गई। अगर यही हालत रही तो लोग भूखों मर जावेंगे।

वहां की हालत यह है कि एक रुपये की जितनी ज्वार आज मिल रही है पहले चार आने की उतनी मिल रही थी। इन्हीं दिनों में चार गुना बढ़ोतरी महंगाई में हो गई है। लोगों के पास न काम है, न अनाज है। महंगाई इस कदर है कि हद्द नहीं।

खानपुर क्षेत्र में भीमसागर बान्ध है। चालीस लाख रुपया उस पर सरकार ने लगा दिया पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने तो उसके लिये कह दिया कि उनके पास अधिक पैसा इस पर लगाने को नहीं है, पर अब अकाल के वास्ते सरकार को करोड़ों रुपया मिलेगा और करोड़ों ही खर्च करेगी। ऐसी सूरत में उस बान्ध पर पचास लाख रुपया खर्च कर दे तो वह बान्ध पूरा हो जावेगा और इससे बीस हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी, व्यापारियों को राहत मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा।

आपके क्रेश प्रोग्राम में लाखों रुपया बेकार जा रहा है। कभी दो लाख दे दिया, वह दो लाख साफ हो गया तो फिर दो लाख दे दिया, तो इस तरह से पैसा बर्बाद करने से लाभ क्या है। आप काम एक ही करिये पर उसे पूरा तो करिये ताकि उसका लाभ बराबर लोगों को मिले।

फिर एक बात निवेदन और करनी है, वहां सस्ते अनाज की दुकानें सरकार ने अभी तक नहीं खोली हैं। सारा इलाका भूख से त्राहि त्राहि कर रहा है। शहरों की हालत फिर भी ठीक है, पर गांवों में लोग दो दो दिन से एक बार रोटी के दर्शन करते हैं क्योंकि रोजगार नहीं है,

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

अनाज महंगा है, उसे खरीदने के लिये उतना पैसा लोगों के पास नहीं है। इस लिये सस्ते अनाज की दुकानें जल्दी खुलवाइये। फिर मेरी यह भी समझ में नहीं आता कि इन दुकानों में आज अनाज किस तरह से कितना देंगे। तीन छटांक प्रति व्यक्ति देंगे तो इससे कैसे काम चलेगा, कैसे लोग पेट भरेंगे। कम से कम प्रति व्यक्ति इतना तो दीजिये कि वह उससे पेट भर सके उससे। आप पेट भर अनाज दिला दीजिये, फिर वह सड़ी गली जैसी कुछ भी हो दिलावें तो सही। लोग तो भूखों मर रहे हैं।

मेरे खानपुर इलाके में बिजली आजतक नहीं आई, कतई बिजली नहीं। मैंने मन्त्री जी से भी निवेदन किया था तो कहा कि विचार कर रहे हैं। बिजली भी आपने लोगों को थोड़ी बहुत दे दी तो काम चलेगा। मेरे क्षेत्र में कम से कम एक हजार कुंए वाले इसकी इन्तजार में बैठे हैं। सरकार को आमदनी होगी। किसानों को राहत मिलेगी। और बहुत कुछ फायदा होगा। न तो मिनिस्टर लोग काम करते हैं, और जो कोई बात कहते हैं तो उसको टालमटोल करके टाल देते हैं।

मेरे यहां तो आप दो काम कर दो एक तो यह बान्ध पूरा करवा दो और दूसरी बिजली दे दो, बाकी सड़कें मत बनाओ, हमें खड्डों में ही रहने दो, हम आपसे सड़कों के लिए कुछ नहीं कहेंगे, दूसरी जगह खूब बनाओ, हमें एतराज नहीं, आप तो बिजली और बांध करवा दो, अपना पेट वहां के लोग इन्हीं से ठीक तरह से भर लगे। वहां इसके बाद कभी अकाल की भी नौबत नहीं आवेगी। आप लाखों करोड़ों रुपैया फिजूल खर्ची में बहा देते हैं, लाखों करोड़ों आपके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में चले जाते हैं। आपने चालीस लाख इस बान्ध पर लगाया, पर अभी वह सारा ब्लाक पड़ा है, फिजल पड़ा है, उससे कोई आमदनी नहीं हो सकती, लाभ नहीं होकता, जब तक कि उसे आप पूरा नहीं बना दें।

हरिश्चन्द्र बान्ध में 16 लाख लगा दिया नतीजा कुछ नहीं निकला, दो लाख और लगा दिये। वह भी बह गया। इससे फायदा क्या है। चालीस लाख ब्लाक पड़ा है, 16 लाख यों ही गया। हर साल दो दो, चार चार लाख लगाते हैं सब बेकार जाता है, आपको लगाना हो तो एक बार लगाकर एक काम को, एक को तो, पूरा कर दें ताकि उसका रिटर्न तो मिलने लग जावे। मैंने मन्त्री महोदय से हाथ जोड़कर कहा कि इन कामों को तो आप पूरा करवा दो। इन्जीनियरों को मत भेजो, इनके दिमाग में खुराफात सूझती है। एक काम में दो लाख लगवा कर छोड़ दिया, वह अधूरा है दूसरा काम हाथ में ले लिया उसमें दो चार लाख उलझा दिये तो इससे लाभ नहीं होने वाला है। इस तरह से इन लोगों ने लाखों रुपया सरकार का बेकार कर दिया है। आप आदमी भेजो तो अच्छे भेजो। मैं बतलाऊं आपको। अभी बीस रोज पहले उस बान्ध के लिये आई हुई, भीमसागर बान्ध के लिये आई हुई सीमेन्ट की बोरियां बाहर बेचने के लिये ट्रक में भरकर जा रही थीं, जाती हुई ट्रक पकड़वाई हैं, पर मन्त्री महोदय ने क्या किया, जरा बतलावें आप। 56 हजार बोरी सीमेन्ट की वहां पड़ी हुई है

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

जिनमें से बीस हजार बोरी तो पानी में भीगकर पत्थर बन गयी । और बाकी इस तरह से ट्रकों में भरकर बाजार में बिक रही हैं। अब इस तरह की बातें कहता हूं तो आप कहते हैं मैं बुरा आदमी हूं । ये बातें कह रहा हूं तो इससे जो काम होने वाला है वह भी नहीं होगा ऐसा भी मुझे कहा जाता है । पर सच बात तो कहनी पड़ेगी । इतनी नैतिकता तो उस क्षेत्र से मैं आया हूं, मुझे बरतनी पड़ेगी । जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, इससे जनहित के बहुत से काम हो सकते हैं । पर इस लूट के कारण वे सब रुक जाते हैं और आप फिर कह देते हैं कि यह काम नहीं हो सकता क्यों कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। पैसा तो आपका इस तरह से बरबाद हो रहा है, खजाने में आवेगा कहां से और टिकेगा कैसे ? आप इस तरह के मामले में कोई एक्शन नहीं लेते । उल्टे हमें ही भला बुरा कहते हैं और हमारे ही काम बन्द होने का डर दिखाते हो । तो तीस हजार बोरी आपका सीमेन्ट पत्थर बन गया । उसका मतलब ढाई लाख रुपये आपका इसमें से बेकार चला गया । क्यों नहीं इसके लिये आप इन्जीनियरों के कान खींचते हैं ? आप सोचेंगे कि वहां की हालत अगर सुनते हैं तो मैं सबसे ज्यादा नालायक साबित होऊंगा उन लोगों की निगाहों में । मैं यह सब कुछ नहीं कहूंगा । आंखें बन्द कर लूंगा, जबान चुप कर लूंगा, आप तो मेरे इलाके में बस ये दो काम करवा दीजिये । एक तो भीमसागर बान्ध पूरा करवा दीजिये और दूसरा बिजली पहुंचा दीजिये । बाकी सब बातों को भूल जाऊंगा मैं । कभी जबान पर भी नहीं लाऊंगा ।

फेस प्रोग्राम के पैसे की भी यह गत बनेगी । यह तीन लाख भी यों ही जावेगा । आप यह क्यों नहीं करते कि इसके बदले में तीन लाख की पक्की डामर की छः सात मील लम्बी कोई सड़क वहां बना दें । मेरी समझ में नहीं आता आप किस तरह से क्या प्रोग्राम बनाते हैं ? टिकाऊ काम कराइये ताकि पैसा काम में आवे व्यर्थ नहीं जावे ।

एक निवेदन और कर देता हूं किसानों की इधर हालत इससमय बहुत दयनीय है । इस स्थिति में भी अगर फरजी जमीन ही मान लें किसी ने जोत ली तो ट्रैस पास का मुकदमा लगाकर तहसीलदार, व पटवारी उनको तंग करते हैं, रिश्वतें मांगते हैं, कितना दुख दे रहे हैं वे इनको, बेचारे रोते हैं । तो मेरा निवेदन है कि अकाल के दिनों में वसूली बन्द करा दीजिये । वह वसूली भी हालांकि वाजिब नहीं है । वाजिब वालों से वसूल नहीं कर रहे हैं । तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यह बान्ध हमारा पूरा करवा द और बिजली दे दें ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री लूणाराम ।

**श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से निर्माण कार्यों के बारे में मैं बोलने के लिये सोच रहा था, पर आज ऐसे विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है कि जिसके नाम से गरीब तो क्या, अमीरों के भी कलेजे धक करने लग जाते हैं ।

(श्री नूणाराम)

बरसात के न होने से और भी ज्यादा लोग दुविधा में फंसे हैं कि एक तरफ तो उनकी निगाहें हैं आकाश में बादलों की तरफ और दूसरी तरफ दिन भर पड़ रही कड़कड़ाती धूप में बिलबिलाये हुए भूखे प्यासे अपने बाल बच्चों और मवेशियों की तरफ देखकर कांप जाते हैं। उन्हें देखकर नींद नहीं आती उनको रात को। रात में भूख के मारे बच्चे बिलबिलाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मवेशी बिल-बिलाते हैं और उनके छोटे बच्चे भी बिलबिलाते हैं। उनको भी खाने को चारा नहीं और कव्वे इधर रात भर कांव कांव लगाये रहते हैं।

ऐसी स्थिति में हर आदमी का दिल भयंकर रूप से भयाक्रान्त है। बरसात के बारे में भी ऐसी बात है जैसे सहायता मन्त्री महोदय मेरे क्षेत्र के बारे में कहने लगे कि तुम्हारे क्षेत्र में तो तीन इन्च बरसात आ गई है। यह सही है कि तीन इन्च बरसात हुई। पर वर्षा कहां हुई, किस तरह हुई। केवल तीन चार बार में हुई है और वह भी तहसील हैड क्वार्टर पर हुई है जहां पर वर्षा मापने का यंत्र लगा हुआ है। कहीं भी वर्षा नहीं हुई केवल नापने के लिये तीन इन्च वर्षा शहर में हो गई। जहां तक गांवों का सवाल है केवल 22 गांवों में मामूली वर्षा, एक इन्च से ढाई इन्च तक हुई है जो ऐसे समय में हुई है कि सारी की सारी फसलें सूख चुकी थी और नई फसल की उम्मीद नहीं रही है। इसी प्रकार वर्षा नापने की भी एक समस्या है। तहसील हैड क्वार्टर पर हर जगह वर्षा नापने का यन्त्र है। सरकार इस यन्त्र को लेकर हमारे भाग्य का फैसला करती है। गांवों की हालत यह है कि एक गांव में तो वर्षा हो गई और बिलकुल पास वाले गांव में वर्षा नहीं हुई। आपने सबने यहां भी देखा होगा। जयपुर में चौड़े रास्ते में वर्षा हो रही है और चान्दपोल में वर्षा नहीं है और अगर चान्दपोल में वर्षा हो रही है तो जौहरी बाजार में नहीं है। यह अकाल के नापने का यन्त्र सही नहीं है। इसलिये मैं माननीय अकाल सहायता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो गांव हैं उन्हीं में यन्त्र लगाकर इसी वर्षा के आधार पर जांच कराई जाय, तो ठीक है। इसके साथ बजट अधिवेशन में जब आये और बातों की चर्चा हुई तो सबसे अधिक टैक्स के लिये सरकार द्वारा किसान को चुना गया। किसान को इसलिये चुना गया कि उसकी हालत सुधरी है, किसान में सम्पन्नता आई है। यह एक सोचने और देखने की बात है कि उसकी सम्पन्नता पशुधन और कृषि पर निर्भर है, जो आज चौपट हो रही है। आज किसानों के घर जाकर देखें तो यह मालूम होगा कि उनके पास एक समय का भी अनेकों के पास भोजन नहीं है, तो वह सम्पन्नता कहां रही ?

दूसरी चीज जो सरकार से चाहते हैं वह भी सरकार नहीं कर रही है क्योंकि इस साल हम मानते हैं हर योजना में कटौती की गई है और सबसे ज्यादा कृषि और पशुपालन पर की गई है, जो केवल हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि जिस पर सारों के जीवन का आर्थिक ढांचा कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेरे

(श्री लूणाराम)

क्षेत्र में आज ऐसी हालत है । आज लोग मजदूरी के लिये भी कहीं नहीं जा सकते हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज के टाईम पर यह हो रहा है कि कहीं वर्षा न हो जाय । हम चले जांय और कहीं पीछे से वर्षा हो जाय और वर्षा हो गई तो कहीं चले जाने से बिखर जायेंगे । घास दूर-दूर तक नजर नहीं आती है । मजदूरों को कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही है । इसलिये मेरा निवेदन है शीघ्रातिशीघ्र सबसे पहले काम की व्यवस्था होनी चाहिये और काम की व्यवस्था इस रूप में न हो जैसा पिछला अनुभव बता रहा है । अकाल के नाम पर हर आदमी भय खाता है पर सरकार के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के घर पर अकाल घोषित होने पर घी के दिये जलाये जाते हैं । कहां एक आदमी का जीवन बचाने का प्रश्न है और कहां एक आदमी के घर भरने का प्रश्न है ? यह पिछला अनुभव बता रहा है । मेरा निवेदन है लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी लोग चोरी और झूठ तो कम से कम न सीखें । चरित्र ऊंचा रह सके इस बात का हमेशा प्रयत्न करना चाहिये । हर काम के बारे में आज यही स्थिति है । सड़कों जैसा काम न लेकर ऊन कताई आदि का काम लें जिसे हमारी घर की औरतें अच्छी तरह कात सकती हैं । उसी प्रकार जिन गांवों में अकाल है, छोटे-छोटे जोहड़ हैं उन्हें काम की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाय । मेरा निवेदन है गांवों में आज इस प्रकार का काम दिया जाय जो अकाल का समय जिसे निश्चित नहीं कहा जा सकता है, वे उन्हीं गांवों में बने रहें और अन्यत्र न जाना पड़े

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय बोला हूं और जल्दी ही समाप्त करूंगा । लेकिन जो कुछ स्थिति है उसको जरूर निवेदन करूंगा । आज हमारे यहां जो पहले काम हुये हैं उनके बारे में यह है कि हर प्रकार से डिले की जाती है और डिले करने का कारण यह बताया जाता है, एस्टीमेट नहीं बना है । यह पी० डबल्यू० डी० से होना है और यह फलां काम उस विभाग से होना है, इससे काम नहीं चलता है । विभागों में कोर्डिनेशन जरूर होना चाहिये । सारी पी० डबल्यू० डी० से योजना बनाकर सड़कें बनाई गई हैं और उन सड़कों के अन्दर 100 प्रतिशत खर्चा आज उस विभाग के द्वारा हुआ है। आज उसी विभाग के अधिकारियों से पूछते हैं तो बताते नहीं है । यह पांच प्रतिशत काम को 100 प्रतिशत बतायेंगे पर इस काम को घटा कर करने को और पांच प्रतिशत भी एस्टीमेट के काम को मानकर करने को तैयार नहीं होंगे । कोई एस्टीमेट नहीं है, कोई योजना नहीं है। सरकार की सारी योजनायें फैल हैं और एस्टीमेट के बहाने से काम में डिले करते हैं । मेरा निवेदन है ऐसे लोगों के हाथ में कम से कम गरीबों को न फंसाया जाय जिससे सारे अरमानों पर पानी फिरता हो । इसके अलावा खादी का काम भी रहता है तो मेरा निवेदन है यह काम चाहे किसी भी विभाग से, किसी भी अधिकारी से और किसी भी विभाग का क्यों न हो यह सारा कार्य जिला स्तर पर जिलाधीश के एक पूल के रूप में अकाल सहायता विभाग को बदल करके उस काम को कराया जाय जिससे काम सुचारू रूप

(श्री लूणाराम)

से चलाया जा सके । एक विभाग दूसरे विभाग पर आरोप करने के बजाय कुछ नहीं कर सकता है ।

दूसरी बात इसी संदर्भ में यह है कि आज सबसे बड़ी भयंकर समस्या पीने के पानी की है । आज मवेशी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उनको कहीं से पानी निकाल कर पिलाया जा सके । दूसरे ऐसे गांवों को पीने के पानी की कोई सहायता नहीं दी जाती है जहां पर कोई साधन नहीं हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती है, इसलिये बिना किसी भेदभाव के मशीन से कुएं जहां चलाते हैं या किसी भी प्रकार चल रहे हैं पीने के पानी की कम से कम सहायता अवश्य पहुंचानी चाहिये । साथ ही साथ ट्यूबवैल का भी जिक्र है । मैं ट्यूबवैल के बारे में ज्यादा निवेदन न करके इतना ही निवेदन करूंगा कि गांवों के अन्दर बहुत से ऐसे कुंए हैं जो काफी लागत से बनाये गये हैं और गांवों में बिजली पहुंची हुई है लेकिन गांव वाले बिजली नहीं लगा सकते और वह कुंए ऐसे हैं कि जो आज पचास-पचास हजार रुपये के बिना भी उस तरह के कुए तैयार नहीं हो सकते । तो सरकार को चाहिए कि जहां आठ-दस हजार से बिजली लग सकती है वहां जरूर बिजली लगाई जाये । इससे दो लाभ होंगे कि एक तो सिंचाई के भी काम में वह कुए आ सकते हैं और दूसरे पीने के पानी की भी व्यवस्था हो सकती है । तो ऐसी राष्ट्रीय सम्पति है उसको नष्ट नहीं की जाकर ऐसे कुओं के अन्दर मशीन लगाने के लिए राहत दी जाये ।

साथ ही साथ पीने के पानी के लिए जो स्कीम बनाई जाती हैं उन स्कीमों के अन्दर यह व्यवस्था रखी गयी हैं कि 5 हजार की जनसंख्या से गांवों में तो रीजनल स्कीम हो सकती है । मेरा निवेदन करना यह है कि हमारे यहां क्षेत्र में गांवों की दूरी अधिक है और फिर आबादी कम है इसलिए स्पेशल प्रावीजन रखते हुए 4 हजार से कम की पॉपुलेशन को आधार मानते हुए और जहां गांवों में पानी मीठा है और एक गांव से दूसरे गांव में लाइन बिछाने के अन्दर अधिक खर्च होता है तो ऐसे गांवों में पीने के पानी की स्कीम एक गांव की बनाई जाये जिससे यह समस्या हल हो सकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तीसरी बात अनाज के बारे में है । अनाज के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, पिछला अनुभव बताता है कि अनाज के ट्रान्सपोर्ट के लिए लोगों को स्वीकृति दी गयी और सहकारी समितियों द्वारा भी यह काम कराया गया लेकिन स्थिति यह हुई कि जिन ठेकेदारों से माल उठाया गया उनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ और सहकारी समिति वाले इस काम के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सहकारी समितियों को कहा जा रहा है कि तुम को 6 पैसा प्रति क्वि० प्रति मील के हिसाब से दिया जायेगा जब कि ठेकेदारों को 18 पैसा प्रति क्वि० प्रति मील के हिसाब से मिला है । इसलिए इस तरह की बात से सहकारी समितियों को बढ़ावा देने में कमी आई है । दूसरी बात मजदूरी के बारे में कही गयी है । हमारे यहां हफ्ता 15 रोज का होता है और लोगों की उसी में काम

(श्री लूणाराम)

चलाना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि आजकल ऐसी हालत में जहां सौ प्रतिशत मजदूरी मिलनी चाहिए उन्होंने मजदूरी काटकर लोगों को पांच प्रतिशत मजदूरी दी है जिसके कारण से लोगों के पास सारे के सारे पैसे खत्म हो गए और इसलिए कोई भी दुकानदार उनको अनाज देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम कुछ नहीं चाहते, हम तो अनाज चाहते हैं। आप मजदूरों को अनाज दीजिए। हम चाहते हैं कि आप उनको सहायता दो। उनको आज बोहरे तक गांव के पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मजदूर अपना पेट पालने में असमर्थ रहता है क्योंकि ऐसा विश्वास नहीं है कि मजदूरी, जो निश्चित है वह मिलेगी या वह बहाना कर रहा है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहायता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में सही ढंग से मजदूरों के लिए अनाज की व्यवस्था की जाये तो वह उचित रहेगा।

इसी के साथ साथ जहां अच्छा पानी है, मीठा पानी है और जहां भूगर्भ शास्त्रियों ने अच्छा पानी बताया है तो ऐसे स्थानों पर ट्यूबवेल बनाये जायें और यह सामूहिक क्षेत्र में बनाये जायें ताकि इससे लोग कृषि भी कर सकते हैं और पीने का पानी भी मिल सकता है। मेरे क्षेत्र में ऐसी 15-20 गांवों की बैल्ट है कि जहां अच्छा पानी है तो ऐसे क्षेत्र में ट्यूबवेल का काम कराया जाना चाहिए।

इसी के साथ साथ पशुधन, जो पशुपालक के साथ साथ राष्ट्रीय धन है, उसको बचाने के लिए जो बड़े बड़े सरकारी बीड़ हैं, उदाहरण के तौर पर डूंगरगढ़ के अन्दर 15 हजार बीघा का बीड़ है, इसी तरह से बीकानेर में हजारों बीघा के अन्दर सरकारी बीड़ हैं। ऐसे बीड़ों में ट्यूबवेल खोदकर पशुओं के लिए चारा लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज वनों के बारे में भी यही स्थिति है कि हम देखते हैं अच्छे घास उगाने के स्थान पर अच्छे बंगले बनाये जाते हैं और घास को स्टोर करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। जब कि हम भी किसान हैं और हम घास का स्टोर रखते हैं इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो भी इस प्रकार के काम हैं उन सारे कामों को, एक जिले के अन्दर सारे विभागों का समन्वय करके काम को कराया जाये जिससे राहत मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, वसूली का मामला इस प्रकार से है कि चाहे कोई गांव अकाल में था या नहीं था उन सारे गांवों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। लोग घर बार छोड़ कर जा रहे हैं और एक ओर राजस्व अधिकारी चाहते हैं कि वसूली के मामले में हमारे आंकड़े ऊंचे हों। इसी होड़ में वे लगे हुए हैं। तो इस होड़ के अन्दर आज लोगों को बरबाद किया जा रहा है और इस बरबादी से बचने के लिए जो वसूलियां होनी हैं उनकी माफी होनी चाहिए। 30 अप्रेल और 30 नवम्बर के बीच में जो वसूलियां की जाती हैं वह कतई उचित नहीं है क्योंकि उस समय के अन्दर आप अनुमान लगाकर देखो तो मालूम होगा कि ज्यादा से ज्यादा 15-20 परसेन्ट से अधिक वसूली नहीं होगी क्योंकि यही

(श्री लूणाराम)

उनके खेतों में काम करने का समय है। करीब 20 परसेन्ट वसूली के लिए सरकार को भी इतना बदनाम होना पड़ता है और भूखे किसानों, आदमियों को भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं क्योंकि यह कृषि का सीजन होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी वसूलियों से बड़ी परेशानी होती है। इसी के साथ ही साथ यह निवेदन है कि गांव के लोगों के जो लड़के ऊंची क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी आज स्थिति यह है कि उनसे फीस नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि ऐसे छात्रों के लिए फीस की व्यवस्था की जाना नितान्त आवश्यक है।

इसके साथ ही साथ जो चिलिंग प्लान्ट की योजना है उसको शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये। दुधारू गायों और पशुओं के लिए घास की डिपो भी खोली जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री चतुर्भुज

**श्री चतुरभुज** (टोडा रायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल और बाढ़ के विषय पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं भी अपने विचार पेश करना चाहता हूं। बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर कोटा तक आज भी अकाल की स्थिति है और सरकार के सामने बड़ी दयनीय स्थिति है। मैंने कई अकाल देखे लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ और जहां बरसात नहीं हुई वहां अबकी बार बहुत ज्यादा अकाल पड़ेगा। ऐसी दशा खेतों की हैं और सारी जमीन खाली पड़ी है। इसके बावजूद हमने देखा है और हमारी समस्या यह हो गई है कि पहले तो कई गांवों में फसल नहीं हुई और यह डर रहा कि शायद सूखे के कारण फसल नष्ट हो जाएगी और इससे भयानक स्थिति पैदा हो सकती है लेकिन अब भी फसल होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस भयानक स्थिति को सरकार गम्भीरता से ले और केन्द्र के साथ भी गम्भीरता से ले क्योंकि केवल राजस्थान सरकार के लिए ही इस सारी स्थिति को सम्भालने की बात आसान नहीं है। यह राजस्थान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकोप है। कैसे हम पशुधन की दशा को सुधार सकेंगे और कैसे पशुधन को आयन्दा जिन्दा रखेंगे? लोगों के मन में यह बात है कि हम हमारे ढोरों को बचायेंगे कैसे, हमारे ढोर बचेंगे भी या नहीं। लोगों के अन्दर आत्म विश्वास नहीं रहा है कि ढोर बचेंगे या नहीं। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करता हूं कि पशुधन का क्या होगा? इस ओर सरकार विचार करें। राजस्थान सरकार ने पहले भी अकाल की स्थिति को सम्भाला है और हमें विश्वास है कि इस बार भी सरकार इनको बचा सकेगी। जो पैसे वाले हैं जिनके पास साधन हैं, वे तो सोचते हैं कि जो हमारा पशुधन है उसको हम हमारे पास जो अनाज है, खेत हैं और दूसरे साधन हैं उनसे बचा सकेंगे। लेकिन गरीबों की अवस्था दूसरी है, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं स्थिति को बड़ी चिंताजनक मानता हूं।

इसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के

(श्री चतुरभुज)

विषय में भी निवेदन करना चाहता हूं। आगे भी सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में यहां कहा है और मैं भी अपने क्षेत्र के बारे में यहां कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में टोडीसागर बांध है जो कि टोडा और मालपुरा के बीच में है और जिसकी भराई 23·24 फीट है लेकिन आज वहां एक इंच भी पानी नहीं है। अगले जमाने में भी हमने देखा है कि आज की परिस्थितियां उस समय भी आई थी और उसमें किस प्रकार सरकार ने दृढ़ता के साथ और बड़ी कुशलता के साथ विचार कर उसका सामना किया था। वही व्यवस्था आज भी सरकार करेगी और आज भी इस पर सरकार धनराशि लगाएगी, लेकिन यहां पर, मेरे क्षेत्र में जो गरीबों के पास कुछ भी साधन नहीं है, गरीबों की हालत बहुत खराब है। उस स्थान पर अगर सरकार नहीं पहुंचेगी तो आखिर में वहां पर क्या हालत होगी। इस बांध के सम्बन्ध में भी अगर सरकार समुचित व्यवस्था नहीं करेगी तो आखिर वहां पर सिचाई के साधन और क्या हो सकेंगे।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि जो रिलीफ बोर्ड की स्थापना की बात है तो मैं समझता हूं कि सरकार को तुरन्त रिलीफ बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए जिससे जनता का हित हो, सरकार का हित हो, और देश का हित हो और जिससे जो पैसा सरकार रिलीफ के काम में खर्च करे उसका दुरुपयोग नहीं हो। आज करोड़ों की तादाद में गांव गांव में तहसील तहसील में सरकार का पैसा लगा हुआ है, राहत के काम के नाम पर सड़कें बनाई गई लेकिन उनकी हालत यह है कि उन पर साईकिल तक नहीं चल सकती हैं, मोटरें नहीं निकल सकती हैं। यह हमारी दशा है। इसलिए यह जरूरी है कि रिलीफ बोर्ड की स्थापना हो जो इस सारे काम को देखे और जो पैसा गरीबों के पास पहुंचना चाहिए, वह उनको मजदूरी के रूप में और दूसरी सहायता के रूप में पहुंचे। लोगों को मजदूरी मिले और जिनके पास साधन हैं वे अपने साधनों का उपयोग आज की इस स्थिति में करें और मजदूरों को मजदूरी दें।

हमारे क्षेत्र में जो टोडी सागर है उसमे डाई नदी का पानी आता है लेकिन उसका बहाव इस ओर नहीं होने से वह खाली पड़ा रहता है। नदी जो आती है वह मेवाड़ से आती है और बनास में जाती है। उसका बहाव इस ओर नहीं मोड़ने से वह बांध खाली रह जाता है, इससे सारा क्षेत्र खाली रह जाता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो लसाडिया बांध की योजना थी उसको सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसके बिना इस बांध का कोई उपयोग नहीं हो सकता और हम जनता के सामने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि यह लसाडिया बांध की जो योजना मंजूर हुई थी उसको सरकार जल्दी से जल्दी पूरा कर। इससे एक ही नहीं छः छः तहसीलों का भला हो सकता है। मैं यह आशा के साथ कह सकता हूं कि कम से कम उस काम के पूरा हो जाने पर और बांध के बंधने से कम से कम एक लाख टन अनाज ज्यादा उपज सकेगा जिससे देश का और गरीबों का भला होगा। हमने इसका सर्वे भी करा लिया था।

(श्री चतुरभुज)
आप जानते हैं कि आबादी इतनी बढ़ती जाती है और आखिर में इस बढ़ती हुई आबादी को हम कैसे बचायेंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो गम्भीर स्थिति हमारे सामने है उसकी ओर सरकार ध्यान दे।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करता हूं कि आज शक्कर के मामले में क्या स्थिति चल रही है उसमें किस प्रकार से धांधली चल रही है। गांवों के लिए जब शक्कर देनी होगी तो पहले तो कह देंगे कि फलां तारीख को आओ शक्कर लेने के लिए। जब उस दिन शक्कर लेने जायेंगे तो कह देंगे कि अभी तक रेट नहीं आई, फिर आओ। उनको वापिस भेज देते हैं और उसके बाद जब फिर लेने जायेंगे तो कह देंगे कि अब तो तारीख निकल गई और इस तरह से उस शक्कर को शहर में ही इधर उधर कर देते हैं। और गांव वाले बिना शक्कर के रह जाते हैं। गांव में शादी ब्याह भी होते हैं, उनको भी शक्कर की जरूरत होती है लेकिन उनको बाजार से चार रुपये किलो में शक्कर लेकर काम चलाना पड़ता है। इसके लिए बार बार चिल्लाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे शक्कर भी जनता तक सहज में पहुंच सके ताकि जनता का भला हो और सरकारी धन का भी दुरुपयोग न हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गुमानमल लोढ़ा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की दुष्काल की और प्रदेश की दर्दनाक स्थिति का जो चित्रण लगभग सारे वक्ताओं ने किया है, मैं इस मौके पर विशेषतौर से जोधपुर नगर, जहां की स्थिति पेय जल के अभाव के अन्दर ऐसी हो गई है और एक माह के पश्चात् वह स्थिति इतनी भयंकर होने वाली है कि शायद आज के इस युग में भी जब कि मानव चन्द्रलोक में जाकर विचरण कर रहा है, जब कि विज्ञान ने प्रकृति की बहुत सी वस्तुओं पर विजय प्राप्त करके ऐसा चमत्कार बताया है कि जिससे सारी दुनियां स्तब्ध है, उस समय जोधपुर नगर को, यदि युद्ध स्तर पर आने वाले एक महीने के अन्दर अन्दर पेय जल प्राप्त करवाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया गया तो शायद जोधपुर नगर को खाली कराना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना दुर्भाग्य पूर्ण है और मैं आपके माध्यम से मंत्री-मण्डल व माननीय मुख्य मंत्री महोदय व सारे माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगा कि 25 वर्ष की आजादी के पश्चात् यदि हमें इस समस्या पर विचार करना पड़े कि अमुक गांव के अन्दर पीने का पानी नहीं है, अमुक शहर को खाली करवाना पड़ेगा तो क्या वास्तव में ढोल पीट कर दुनियां के सामने कह रहे हैं, प्रगति के जो चरण बता रहे हैं कि हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यह कहने में कितना भ्रमपूर्ण है इसके बारे में विचार करें। जयन्ती मनाते समय हम इस बात का लेखा जोखा देखें कि वास्तव में पेय जल की समस्या क्यों हल नहीं हो पाई है। यह कहा गया है, पिछले अकाल के समय कि 15 वर्ग मील के अन्दर, इस एरिया के अन्दर रहने वाले कम से कम हरेक व्यक्ति को पीने का पानी मिल सकेगा और गांव के अन्दर आस पास में

(श्री गुमानमल लोढा)

कोई साधन नहीं होगा तो व्यवस्था होगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इन सारी योजनाओं पर तुषारापात हो जाता है, जबकि पीने के पानी के लिये हम भगवान की ओर देखते हैं। जिस साल वर्षा का अभाव होता है हमारा सारा प्रशासन, सारा कार्य, सारी योजनाएं हमारे सारे उद्योग, हमारा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारा यह सारा ढांचा चरमरा कर गिर जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बार कम से कम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विचार होकर मांग की जावे, राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से विचार करके, सलाह करके इस फेमीन को, इस अकाल को जो हमारे यहां पर लगभग कोई नया नहीं है कि इस बार ही अकाल पड़ा है, तीन चार साल में एक बार अकाल पड़ता है और इस कारण से इस अकाल की समस्या पर विचार करके इस समस्या पर स्थायी रूप से हल करने के लिये एक हाई पावर कमीशन राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार के कोलोब्रेशन के अन्दर, उसके कन्सलटेशन के अन्दर अविलम्ब निर्माण करें ताकि हमें बार बार इस पर विचार न करना पड़े। राजस्थान नहर की बात को लेकर आज से 15-20 साल पहले कहा था कि राजस्थान नहर लायेंगे, सारा इलाका सर-सब्ज हो जायेगा, रेगिस्तान नखलिस्तान हो जायेगा। सब तरफ बाग बगीचे हो जायेंगे। खेती होगी। लेकिन 15 साल हो गये। राजस्थान का हर काम धीमी गति से चल रहा है और बीकानेर के आस-पास ही इसका काम चल रहा है, गंगानगर का चक्कर लगा रहे हैं। रामगढ़ तक आने में न मालूम कितना समय लगेगा और क्या हमारे समय में हम यह देख सकेंगे या हमारी पीढ़ियां इसको देख पायेंगी। यह समस्या है। मैं मांग करूंगा कि जोधपुर की जो जल समस्या है उसको हल करने के लिये राजस्थान कैनाल की जो योजना है जो कि जैसलमेर जिले तक आने वाली है, उसके बीच में चाहे लिफ्ट योजना बनाये, चाहे अन्य किसी प्रकार का काम करना पड़े, उसे भी जोधपुर के साथ जोड़ दीजिये। यहां पर बात हुई है, मुख्य मंत्री ने भाषण दिया है कि नर्वदा का पानी ला रहे हैं, राजस्थान कैनाल ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवल इन भाषणों से काम नहीं चल सकता है। आज का मानव आपसे जवाब चाहता है। वाद-विवाद के अन्दर आपने देखा होगा, हमारे सत्तारूढ़ दल के लोगों ने, एक एक माननीय सदस्य ने चिल्ला चिल्ला कर यहां पर कहा है कि कान्स्टीट्यून्सी में जाते हैं तो मतदाता कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। घास, चारे के लिए, बाढ़ के लिये क्या कर रहे हैं और वहां पर उनको निरुत्तर होना पड़ता है, यह समस्या कितनी गंभीर है, देखा है। इसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया जा रहा है। मंत्री महोदय सक्रिय हैं यह प्रशंसा की बात है। मुख्य मंत्री महोदय को इस प्रसंग के ऊपर सारे कार्यों को छोड़ कर यह सब जो वाद-विवाद चल रहा है, जो हाउस में उत्साह है, हर क्षेत्र से आये हुए विधायक अपनी अपनी गाथाएँ, कहानियां सुनाने को उत्सुक हैं, मैं चाहता हूं कि इसे गंभीरता के साथ लिया जाये। मुख्य मंत्री महोदय

# Page No 193



(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उपस्थित रहें और आज विचार किया जाये। मुख्य मंत्री इस बात के लिये केन्द्रीय सरकार से बात करें और अकाल का परमानेन्ट सॉल्यूशन निकालने के लिये, स्थायी हल निकालने के लिये एक हाई पॉवर कमीशन का निर्माण करें जिसमें सभी प्रकार के सदस्य हों, टैक्नीकल एक्सपर्ट्स हों, चाहे उनको विलायत से बुलावें। इजरायल से एक्सपर्ट्स आये थे, उपाध्यक्ष महोदय, और मुझे बताया गया है कि ये रेगिस्तानी बड़े बड़े टीबे जहां पर एक घास भी नहीं उगती है नखलिस्तान में परिणत किया जा सकता है। यह इजरायल ने किया है इसको सब जानते हैं। इजरायल का निर्माण हमारी आजादी के बाद हुआ है। यह छोटासा मुल्क है जो कि भूतपूर्व मारवाड़ राज्य या जोधपुर डिवीजन के बराबर है। इस इजरायल के मुकाबले राजस्थान का क्षेत्र हरा भरा है और उधर इजरायल नखलिस्तान बन चुका है। इजरायल के सारे के सारे फल अमेरिका को जाते हैं। हेलिकोप्टर के द्वारा फल सारे विश्व के अन्दर पहुंचाये जाते हैं, यह सच्चाई है। सब से बढ़िया फल इजरायल के अन्दर पैदा होते हैं। हमारा कितना महान देश है, 55 करोड़ का देश है, कितने व्यक्ति और साधन उपलब्ध हैं, यहां की शस्य श्यामला भूमि है, हरी भरी भूमि है, सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, तब भी राजस्थान को नखलिस्तान नहीं कर सके हैं, पेय जल की समस्या को हल नहीं कर सके हैं। अमेरिका, इजरायल, रूस और दुनियां को छान डालें इस मानवीय समस्या का हल करने के लिये, कोई भी साधन इसके लिये कम नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक प्रयास नहीं किया जायेगा हमें बार बार सदन में बैठ कर, घंटों तक इस समस्या पर विचार करना पड़ेगा। पिछले अकाल के अन्दर लाखों की तादाद में जैसलमेर, बीकानेर की सड़कों पर मवेशी सड़ कर मर गई, यद्यपि सारे प्रयास किये गये हैं। इस साल भी अकाल प्रारम्भ हो गया है और इसका भीषणतम प्रहार होने वाला है और इस पर विचार नहीं किया तो वह पुराना इतिहास फिर से दुहरा जायेगा। गिद्ध और चीलें लाखों मवेशियों के ऊपर मंडरा रहे हैं। उधर के इलाके के अन्दर मवेशियों से धंधा मिलता है, पशुपालन का उद्योग वहां पर चलता है जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यहां पर बताया है, उनका धंधा, उनका जीवन, सारा का सारा जीवन-निर्वाह, उनकी सम्पत्ति इन मवेशियों पर निर्भर है और मवेशी चली जाती है तो उनके पास क्या रहता है। इसलिये इस समस्या पर गंभीरता के साथ विचार करें और विचार कर निर्णय करें। क्यों बार बार आ रही बाढ़ उसको रोक नहीं पा रहे हैं। यह पहली बार भरतपुर में बाढ़ नहीं आई है। सवाई माधोपुर में बाढ़ नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में अन्य प्रान्तों से पानी आता है, हरियाणा में अन्य प्रान्तों से आता है तो क्यों नहीं ऐसा प्रबन्ध हमारे यहां पर किया जाता है और यह बाढ़ आने की क्यों अवस्था हो रही है। क्यों नहीं इस प्रकार की नहरों का निर्माण कराया जाय कि यह समस्या दूर हो जाय। 55 करोड़ का लोन केन्द्रीय सरकार के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिये दिया गया था। उस समय यह आरोप लगाया गया था, मेरे द्वारा नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों के द्वारा कि 20 करोड़ रुपयों का उसमें गोलमाल हुआ है, इसकी जांच करायी जानी चाहिये, किन्तु अभी तक जांच नहीं हुई है। यह कहा जाता है कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गांव के अन्दर कई लोग साधन-सम्पन्न हो गये हैं। उनके नया फर्नीचर आ गया है, नये मकान बन गये हैं। कोई कहते हैं कि क्या तेरे मकान में, तेरे घर में फेमीन आ गया है, अकाल आ गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अकाल के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ। जो मेट थे, सुपरवाईजर थे, पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी थे, आस पास के क्षेत्र के सरपंच थे और जो कोई थे उन्होंने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में घोटाला किया है। उन्होंने मवेशियों की चिताओं पर रोटी सेकने का प्रयास किया है। इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। हमारी करोड़ों रुपयों की राशि व्यय हो रही है, वह ठीक तरह से व्यय होगी इसके लिये हमें आश्वस्त किया जाना चाहिये। मैं प्रार्थना करूंगा कि अकाल और बाढ़ की जो गंभीर समस्या है उसका हल निकाला जाना चाहिये और जोधपुर की समस्या का खास तौर से निवेदन करूंगा कि रामपुरा योजना को निश्चित रूप से, ठोस रूप से पूरी करिये। इस योजना के कारण पिछले वर्ष पानी की समस्या से, पेय-जल की समस्या से जोधपुर की जनता को राहत मिली थी। दुर्भाग्य से रामपुरा योजना को समाप्त करने का षड्यन्त्र किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि अकाल के समय में कम से कम रामपुरा योजना को बन्द करने का कोई प्रयास नहीं किया जायगा। हो सकता है कि रामपुरा योजना के कारण कुछ क्षेत्रों को नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान को काम्पेन्सेट किया जा सकता है। हर इरिगेशन की स्कीम में, हर डेम के बनने पर, कॉलोनी बनने पर स्थानीय क्षेत्रों को छोटा-मोटा नुकसान हो सकता है। वह नुकसान इतना भयंकर नहीं हो सकता है। आज तीन-साढ़े तीन लाख जनता जोधपुर की पानी के कारण त्राहि-त्राहि करके तरस रही है। आज पानी की इतनी शॉर्टेज है कि सायंकाल को तो बिलकुल ही पानी नहीं मिलता है। पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए रामपुरा योजना को निश्चित रूप से पूरा किया जाय। उसको रोका नहीं जाय, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाय।

इसके साथ-साथ दूसरा जो सरदारपुरा से आने वाले माननीय विधायक महोदय, ने कहा कि डाल के नीचे नलकूप, ट्यूबवैल्स लगवाये जायं। इतना ही नहीं कोरा गांव के पास पानी उपलब्ध है वहां पर ट्यूबवैल लगाने की योजना बनाई जाय। इसके साथ में बोरूंदा पाताल तोड़ कुआं है। वहां पर किसी व्यक्ति विशेष को प्रधानता नहीं देकर मानवीयता को प्रधानता दी जाय और बोरूंदा से पानी लाने की कोशिश की जाय।

जवाई के एन्क्रोचमेंट एरिया में बरसात नहीं होने के कारण जोधपुर में डेढ़ मास से पानी ज्यादा नहीं आ सकेगा। इसलिये आज के विचार विमर्श में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह जोधपुर की साढ़े तीन लाख की जनता के लिए पेय-जल की समस्या है जिसके कारण से जोधपुर को खाली कराये जाने की सम्भावना आने वाली है।

अन्य जगहों में भरतपुर वगैरह में बाढ़ वगैरह से जो दुर्गति हुई है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पानी आ चुका है और

# Page No 195



(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। बोट्स पहुंचे नहीं, नौकाएं पहुंची नहीं और हवाई जहाज से केवल कुछ पैकेट्स ड्रॉप करने से काम नहीं चलता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, भरतपुर की समस्या को विशेष रूप से लें। भरतपुर नगर को खतरा है। वहां का जीवन तबाह हो चुका है। आस-पास के बान्ध टूट चुके हैं। विप्लव (आप्लावन) और प्रलय का दृश्य सामने आ रहा है। इसलिए इन सारी बातों को गम्भीरता से विचार करके माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से सक्रिय कदम उठायें। केन्द्र से सहायता लेकर, अपने सारे सोर्सेज को पूल करके युद्ध-स्तर पर इस समस्या को किसी प्रकार से हल करें। सारी ढाई करोड़ जनता के अन्दर लगभग 50 लाख जनता इससे ग्रसित है उसको राहत देने का प्रयास करें। सदन के सभी सदस्य, सारे विधायक और राजस्थान की सारी जनता उनके साथ है। इस बात के अन्दर हम हर प्रकार की सहायता देने को तैयार हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो दिशा मैंने आपको दी है, जो मार्ग-प्रदर्शन किया है उस मार्ग पर होते हुए उस कार्य को किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री श्रीराम गोटेवाला।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष, वैसे मेरा क्षेत्र अकाल से प्रभावित नहीं है डाईरेक्ट रूप से, लेकिन जैसे भरतपुर की बाढ़ का असर या बीकानेर और जोधपुर के अन्दर आज जो स्थिति है या डूंगरपुर और बांसवाड़े के अन्दर जो स्थिति है उसका निश्चित रूप से असर राजधानी पर पड़ता है। क्योंकि समय काफी हो चुका है इसलिए संक्षिप्त के अन्दर ही मैं अपनी बात को इस बारे में कहना चाहता हूं।

एक मुख्य बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 20 साल से लगातार हम एक डिविजन के अधिकांश गांवों को अकालग्रस्त घोषित करते आये हैं। इस बारे में मेरा एक निवेदन है कि हमको अब योजना यह बनानी चाहिए कि उस इलाके के ऊपर कितना रुपया खर्च करें और किस प्रकार से करें ताकि कम से कम उस इलाके में भविष्य में अकाल पड़ने की सम्भावना न रहे। इस प्रकार की व्यवस्था करें, और उसके लिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से इजरायल में कुछ भी रेगिस्तान का भय नहीं रह गया है उसी तरह से यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है विश्व बैंक की ओर से जोधपुर, जालौर, नागौर और एक जिला और है, इन चार जिलों की योजना को लेकर इस प्रकार की योजना बनाने की बात हुई थी कि जिससे पानी की व्यवस्था की जा सके, सिंचाई के साधन मुहैया करवाये जा सकें और यहां पर अकाल जैसी स्थिति न रहे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर हमारे मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग और उनकी सारी मशीनरी है, बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए है। जो भरतपुर में स्थिति पैदा हुई, हमारे यहां बाढ़ की वजह से जो स्थिति पैदा हुई उस बारे में मेरा निवेदन है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग और उनके अभियन्तागण क्या कर रहे ह? क्यों काफी पहले सूचना नहीं दी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

गई ? क्यों यह तबाही पैदा हुई ? आज, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मौसम विभाग की सूचनाएं अधिकांश में गलत निकलती हैं। इसके बारे में देखना चाहिए कि इस वैज्ञानिक युग में इतना नियन्त्रण कर लिया गया है कि जिस समय चाहें उस समय वर्षा कराने की बात कर ली गई है। आज 20 वर्षों से लगातार 200 करोड़ रुपया खर्च करके भी हम इस बात को नहीं कर पाये हैं कि हम यहां पर यह कह सकें कि अब की बार हम अकाल का सामना नहीं करेंगे। राजस्थान नहर निश्चित रूप से रेगिस्तान और हमारी अकाल-समस्या का एकमात्र समाधान है और उस योजना पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी आज अधूरी पड़ी हुई है। वहां पर इस प्रकार से काम हाथ में लिया गया है। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी अदूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई गई है कि वहां पर 58 दिन तक कर्मचारियों की हड़ताल चली। उस हड़ताल के बारे में फैसला नहीं हुआ जो पहले होने की बात थी। उनको 58 दिन का वेतन दिया गया। एक राष्ट्रीय योजना का काम बन्द पड़ा रहा 58 दिन तक। इसके बारे मे सदन के सम्मानीय सदस्यों ने इस तरह की मांग की है कि राजस्थान नहर योजना जिसके बारे में 1958 में यह घोषणा की थी कि 72 तक इस योजना को पूर्ण कर दिया जायगा और वह जैसलमेर से रामगढ़ तक पहुंच जायगी, लेकिन वह आज गंगानगर जिले से बाहर नहीं निकली है और जहां तक मेरी जानकारी है वह योजना छतरगढ़ तक ही सीमित रहने वाली है और खाली गंगानगर जिले को ही उससे सिंचित करने की बात है। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि गंगानगर जिला पूरा सिंचित हो, वह होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आगे क्या योजना है ? गंगानगर जिले की भी दो तहसीलों को अभाव ग्रस्त घोषित किया हुआ है। गंगानगर के अलावा चूरू जिला पड़ा हुआ है, झुन्झुनूं और सीकर जिले हैं, जिनके बारे में शायद कभी चर्चा नहीं होती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर बड़ी विषम परिस्थिति है। हम बराबर सुनते रहे हैं कि गुड़गांवां से कैनाल लाकर पानी देने की बात हो रही है। यहां की धरती उपजाऊ है लेकिन यहां पर 100-150 फुट नीचे से पानी निकलता है। बड़ी परेशानी की हालत में किसानों को जिन्दगी-यापन करनी पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था करना है कि जितने जिलों में अकाल की स्थिति रहती है और पिछले 20 सालों से अकाल का सामना करते रहे हैं उन सारे जिलों के लिए किस प्रकार की योजना बना रहे हैं, जिससे कम से कम राजस्थान नहर परियोजना जिसमें 80 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, और इस वर्ष भी 11 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और जिसके लिए 67 करोड़ रुपया पौंग डैम पर खर्च कर चुके हैं, और वहां के विस्थापितों को बसाने के लिए राजस्थान के अन्दर लगभग ढाई लाख एकड़ जमीन सुरक्षित छोड़ी है।

मेरा एक निवेदन इसके साथ यह भी है क्योंकि जो भी माननीय सदस्य अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों से आते हैं, उन्होंने वहां के पशुओं के चारे का सवाल उठाया है। उस ढाई

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लाख एकड़ जमीन को किसी तरह अलॉट करके वह करते हैं तो एक बड़ी समस्या को हल करेंगे । इसी तरह से अकालग्रस्त क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्यों ने रुपये की मांग की है । मैं निवेदन करूंगा कि यह रुपया मांगना और रुपया देना क्रिमिनल वेस्टेज है, ऐसा मैं मानता हूं । यह ठीक है, आप धीरे बना रहे हैं । हमें 20 वर्ष तक काम करके आज अकाल का नाम मिटा देना चाहिए था, इसके लिए हमने क्या किया है ? आज यह 200 करोड़ रुपये अगर हम नहर पर लगाते तो हमारी सारी स्थिति ठीक हो जाती । आज हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति विषम है । जिस समय राजस्थान नहर परियोजना निर्धारित की गई थी तो यह कहा गया था कि यह आत्मनिर्भर योजना है । कॉलोनाइजेशन योजना भी इसके साथ साथ थी । हनुमानगढ़ मण्डी डेवलप करने का सवाल था । वहां बीच में एक नाला आता है, उसको ठीक करने के लिए राजस्थान सरकार ने लगभग 5 करोड़ रुपया व्यय किया है । वहां पर हजारों क्युसेक पानी बेकार जाता है । करोड़ों रुपये खर्च करके वहां कन्ट्रोल करने की बात की है । इस प्रकार ये हमारे अधिकारी क्या किया करते हैं ? इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमें इस प्रकार के काम हाथ में लेने चाहिए कि जिससे हम अकाल की बात नहीं करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

भविष्य में हम सिंचाई की और पानी की बात कर सकें ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा । यहां पर नर्वदा परियोजना की बात हुई । मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान के लिए यह एक सौभाग्य की बात होगी । मेरे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है और मैं भी यह निवेदन करूंगा, मैं खुद जोधपुर गया था । वहां पर पानी का अभाव है । मैं जयपुर के बारे में यह जरूर कहूंगा कि यहां पर पीने के पानी का अभाव नहीं हुआ है । एक दफा जरूर हुआ है । यहां पर बीसलपुर में बांध बनाये जाने की योजना हुई थी । ताकि बनास नदी का पानी यहां लाया जा सके जिससे कि यहां की समस्या हल हो । राजस्थान नहर परियोजना के बारे में सारा सदन एकमत है । चाहे वह सवाई माधोपुर में तेलशोधक कारखाने की बात हो, चाहे खाद के कारखाने की बात रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम केन्द्र के सामने सही ढंग से अपने पक्ष को नहीं रख पाते हैं । पोंग डैम पर भी सदन में चर्चा काफी हुई है । राजस्थान के सदस्यों ने केन्द्र में सही पक्ष रखा तो उसका असर हुआ । इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की जो अन्य समस्याएं हैं, उन्हें हमारे सदस्य केन्द्र के सामने रखें तो उनका अच्छा असर हो सकता है । हमारे पास लाखों एकड़ जमीन है । जिसका उपयोग करके हम अकाल के नाम को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं । वैसे अनाज की समस्या हल हो चुकी है । यह एक योजना ही अनाज की समस्या को हल कर सकती है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा जो अकाल के सम्बन्ध में कार्य खोले जायें, वे स्थायी कार्य होने चाहिए । अस्थायी कार्य न हों । मैं कई स्थानों पर होकर आया हूं । मैं यह मानता हूं कि कई लोगों के लिए अकाल के कार्य वरदान होकर आते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हमें चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है, उसके लिए हम जुट जायें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री देवीलाल !

**श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने इलाके की समस्याओं को अलग अलग ढंग से रखा है । बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की भी चर्चा की गई है। कई रेगिस्तानी इलाके अकालग्रस्त हैं । वैसे ही मैं भी उदयपुर जिले की तरफ माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर जिला पहाड़ी क्षेत्र है । वह आदिवासियों का इलाका है । वहां सारे जिले में मक्की की फसल सूख गई है । जो मैदानी इलाका है, वहां कुछ फसल रह गई है । वह भी साधारण रूप से ही है । कहीं कहीं कुछ वर्षा हुई, कहीं नहीं हुई । लेकिन स्थिति फसल के पैदा होने जैसी नहीं है। अब अगर बरसा हो जाये तो भी उस इलाके में लोगों की हालत सुधर जाये, ऐसी स्थिति नहीं है । इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस इलाके में लोगों को काम दिया जाये । लोगों को काम मिले तो उन्हें राहत मिले । हमारे यहां बांधों के काफी काम अधूरे हैं, जो पूरा होने पर सिंचाई के साधन हो सकते हैं । जैसे कि पिछले अकाल में देवासर योजना चलाई गई थी। हमारे क्षेत्र में जो डैम योजना है, वह भी सर्वे होकर सरकार के सामने आ चुकी है। उसको भी कराया जाये तो काफी समस्या हल हो सकती है। इसी प्रकार से खैरवाड़ा वाली योजना का भी सर्वे हो चुका है। जहां पर आवागमन के साधन चल रहे है, जहां पर बसें जा सकती हैं, ऐसे स्थानों पर सड़कों को लिया जाये जिससे कि लोगों को फायदा हो । वहां की हालत बड़ी खराब है । कई लोग जंगल से लकड़ी बेच कर तब अनाज लेकर जाते हैं, जिससे कि अपना गुजारा करते हैं। यह समस्या मैं माननीय मन्त्री महोदय को विदित कराना चाहता हूं । पहले जब गृहमन्त्री जी हमारे फैमिन के मन्त्री थे, उस वक्त भी दौरा करके देखा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब जो मन्त्री जी हैं फैमिन के, उन्होंने देखा ही नहीं है । मैं चाहता हूं कि वह दौरा उस क्षेत्र का करें तो सारी स्थिति मालूम हो सकती है । तो मेरा निवेदन यह है कि उस इलाके में रिलीफ के काम नहीं खोले गये तो स्थिति भयंकर हो सकती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मुंशीलाल ।

**श्री मुंशीलाल** ( बस्सी ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की बाढ़ और अकाल की भयंकरता पर प्रकाश डाला गया है। पहले तो मानसून आया लेकिन लगातार एक महीने तक बरसात नहीं हुई । इससे जो फसल बोई गई थी, वह सूखकर नष्ट हो गई। इधर भरतपुर जैसे इलाके हैं, जहां की बाढ़ के कारण हजारों बीघा जमीन की फसल नष्ट हो गई है । हमारे इलाके में जान, माल और पशुओं की बड़ी क्षति हुई है। पश्चिमी राजस्थान में भी अकाल ने अपनी छाया डाल दी है । इसलिए राजस्थान सरकार और राजस्थान मन्त्रिमण्डल, जो अकाल और बाढ़ की भयंकरता है, उसके लिए केन्द्र से अधिक धन लें और काश्तकारों की मदद करें । मजदूरों पर संकट आ गया है । जो काम चलाये जायें वह स्थायी योजना बनाकर अकाल की समस्या को हल

(श्री मुन्शीलाल)

किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा स्थिति इस इलाके की ऐसी है कि जिससे भारत सरकार को चाहिये कि वह इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा राहत कार्य खोलें । मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे महान देश भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी व राजस्थान सरकार इस क्षेत्र के लिये उदारतापूर्वक रुपये अकाल राहत कार्य खोलने के लिये देगी । उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले की और खास तौर से मेरे क्षेत्र बस्सी और उसके आस-पास गांवों की हालत बहुत ही खराब है । हमारा इलाका हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा है और अकाल के परिणाम बर्दाश्त करता रहा है । हमारे यहां के गरीब काश्तकारों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं । मूंगफली की, बाजरा की, ज्वार की जो कुछ भी फसलें बोई गयी थीं उन फसलों से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि जो फसल बोई गई थी उसके एक महीना निकल जाने तक कोई बरसात नहीं हुई । इसलिये मेरी मान्यता है कि जो भी बुवाई हुई थी उसमें से करीब 50 प्रतिशत नष्ट हो गई है । इसके अलावा हमारे यहां की धरती, जो बस्सी और आस-पास के इलाकों की है, वह बारानी जमीन है इसलिये उससे भी काफी नुकसान हमारे यहां के काश्तकार को होता है । इसके अलावा अभी जो बरसात हुई है उससे जो छोटे मोटे बांध थे वह भी टूट गये हैं जिससे खास तौर से लालगढ़ बांध, खोड़ी बांध, नई के नाथ का बांध जो थे उसमें कई जगहों से क्रेक आ गई है और बाढ़ आ जाने से सेवापुरा, कुनधारा घाटी व घाटा, दौसा, लालसोट, जमवा रामगढ़, बस्सी आदि के गांवों में बाढ़ की वजह से पानी बह कर इन क्षेत्रों में आ गया है और उससे बेचारे काश्तकार व वहां की गरीब जनता को परेशानी हुई है । इसके अलावा उस बाढ़ के कारण काफी मिट्टी बह कर आ गई है इससे अभी की फसल तो नष्ट हुई ही है, इसके अलावा अगली फसल भी नष्ट हो जायेगी । इसके अलावा भी छोई के पानी से भी वैसे तो हमेशा कुछ न कुछ फसल नष्ट होती रहती है । अब की तो वहां स्थिति भयंकर रुप से खराब है । सिकराय, बस्सी, लालसोट, दौसा के आस-पास के गांवों की हजारों बीघा जमीन की फसल नष्ट हो चुकी है । इधर तो बाढ़ की वजह से दौसा, सिकराय, बस्सी के आस-पास के गांवों के काश्तकार फसल नहीं होने की वजह से परेशान हुए तो उधर अकाल के कारण काश्तकारों ने जो बैंकों से कर्जा ले रखा था उससे भी वहां के काश्तकार काफी परेशान हैं । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति वहां की जनता की हो गई है कि वहां के लोगों को जो ज्यादातर खेतीहर है, फसल नष्ट होने से बरबाद हो गये हैं और वहां उनके लिये कोई मजदूरी भी नहीं है । क्योंकि वहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं । आज स्थिति इसके परिणाम स्वरूप ऐसी हो गयी है कि लोग बेरोजगार होने की वजह से भूखे मरते देहली वगैरह को रोजगार के लिये जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों को काम दिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय का खासतौर से जयपुर जिले के बस्सी, दौसा, लालसोट और सिकराय जमवारामगढ़ व जटवाड़ा के आसपास के गांवों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा कि वहां पर अविलम्ब राहत कार्य खोले जायें । क्योंकि आज इन गांवों के काश्तकारों की हालत बहुत ही खराब है ।

( श्री मुन्शीलाल)

इसके लिये जो मोटे मोटे बान्ध हैं जिनमें कि क्रेक्स पड़ गयी हैं और जो बान्ध टूट गये हैं उन्हें जल्दी से ठीक कराया जाये। हमेशा जब दूसरे इलाकों में अकाल पड़ता है तो वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं पर जयपुर जिले के अन्दर ऐसी स्थिति है कि वहां पर अकाल राहत कार्य खोले नहीं जाते हैं। क्योंकि जयपुर जिले में अकाल होने पर यहां के अधिकारी लोग अकाल डिक्लेअर नहीं करते हैं जिससे वहां की जनता को बहुत परेशानी होती है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसके लिये निष्पक्ष जांच कराये और उन इलाकों में राहत कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करायें। उपाध्यक्ष महोदय, 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हो चुकी है इसलिये मेरा निवेदन है कि जयपुर जिले में राहत कार्य खोलने के लिये प्राथमिकता दी जाय ताकि वहां की जनता को राहत मिले।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बी० एन० जोशी।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई)** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल का एक बहुत ही दर्दनाक और निराशाजनक पहलू है और वह यह है कि जैसे जैसे राजस्थान में विकास का काम और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कार्य बढ़ता ही गया तो अकाल पर खर्चा कम होना चाहिये था, वह कम होने के बजाय बढ़ता गया। ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस तरह सिंचाई की योजनायें बनाई गईं, ट्यूब वैल्स इन्स्टाल किये गये, गांवों में तकावी बांटी गई और नहरों के जरिये पानी पहुंचाया गया, उसी मात्रा में फैमिन पर एक्सपेन्डीचर भी, बजाये कम होने के, बढ़ता ही गया। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो उस वक्त सूखे के लिये कुछ राशि का प्रावधान था, उस वक्त नौ या दस करोड़ का प्रावधान रखकर हम चलते थे जो आज बढ़कर 35 और 70 करोड़ तक पहुंच जाता है। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं नहीं समझता कि जितने भी अरबों रुपये योजनाओं पर खर्च किये, चम्बल की योजना पर, माखरा की योजना पर, राजस्थान नहर पर, जवाई बांध पर और इसके अलावा कई मीडियम इरिगेशन और माइनर इरिगेशन वैल इरिगेशन पर खर्च किये, उन सबका क्या नतीजा निकला? फैमिन के खर्च पर कोई कमी नहीं आई और उस पर एक्सपेन्डीचर बढ़ता चला गया। यह सब कैसे हुआ यह भी एक रीसर्च का इश्यू है और सरकार को चाहिये कि एक कमेटी बिठाकर इस बात की जांच करवाये कि यह स्थिति कैसे पैदा हुई।

इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि, इसमें कोई दो राय नहीं कि, जनतन्त्र के अन्दर, डेमोक्रेटिक सरकार को अपने साधनों की सीमाओं के अन्दर खर्च करना चाहिये और साथ ही पशुधन और मनुष्यों का जीवन बचाने के लिये कोई भी कसर छोड़ी नहीं रखनी चाहिये। लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि, जैसे जनसंघ के नेता कह रहे थे, अकाल के खर्च में काफी मात्रा में अपव्यय और अनियमिततायें भी होतीं हैं और फिजूलखर्ची भी होती है। बहुत सी बातें उन्होंने कहीं, सभी तो सही नहीं हो सकतीं, लेकिन यह बात सही है कि अपव्यय और

(श्री विशम्बरनाथ जोशी)

अनियमितताएं होती हैं। तो राजस्थान जैसे राज्य में, जहां पर हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि अरबों रुपये का कर्ज है, उस राज्य में अकाल पर जो भी खर्चा हो उसका मैक्सीमम यूटिलाइजेशन हो, ऐसी व्यवस्था हमें करना चाहिये। अगर हम अकाल को बिल्कुल ही खत्म नहीं कर पाते तो कम से कम उसका इम्पेक्ट तो प्रोग्रेसिविली रिड्युस होता जाय ऐसी व्यवस्था हम करें। अगर हम यह भी नहीं कर पाते तो हम राजस्थान की भावी पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं कर रहे है और उन पर कर्ज का बोझ लाद रहे हैं।

स्टेट की कनामी पर भी इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। हर साल, हर माह और हर काम के लिये हमें केन्द्रीय सरकार के पास खड़ा होना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति अगर चली तो, जसा कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है और केरल के जार्ज ने कहा है, हिन्दुस्तान की फीडरेशन सरवाइव नहीं कर सकती, और मैं भी कहना चाहूंगा कि इस बात पर हम सीर्यसली सोचें। एक तरफ तो धन की हानि होने दें और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट हम करें उसका मक्सीमम युटिलाइजेशन हो और वेस्टफुल एक्सपेंडीचर नहीं हो यह हमें देखना पड़ेगा। यह बात भी सही है कि बहुत सी एरियाज में अकाल हो, चाहे नहीं हो, हम खुद जाकर अकाल घोषित करवाना चाहते हैं। यह स्थिति नहीं होनी चाहिये और राजस्थान की जो अर्थ व्यवस्था है उसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो भारत सरकार सड़कों को फैमिन वर्क्स के अन्तर्गत नहीं लेना चाहती, इसलिये सड़कों के काम को फैमिन वर्क्स मे तब ही लेना चाहिए जब कि दूसरा कोई काम नहीं हो। लेकिन सड़कों के कामों में भी आप वहीं तो कंकरी मंगवा कर रख लें और सड़क का काम शुरू नहीं हो, लाखों रुपयों का मेटीरियल इस तरह पड़ा हुआ हो, यह बात नहीं होनी चाहिये। मैंने देखा है तीन-तीन साल से रोड़ी पड़ी हुई है और सरकार की तरफ से 75 प्रतिशत का इन्वेस्टमेंन्ट हो चुका है लेकिन केवल बाकी के 25 प्रतिशत की वजह से वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि कहीं अकाल का एरिया है, कहीं बारिश नहीं हुई है और हुई है तो इतनी जोरों से हुई है कि भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर को काफी इलाके में बाढ का सामना भी करना पड़ रहा है। फलड रिलीफ के कार्य को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिये। बाढ में कुछ घण्टों की देरी के कारण नगर और शहर साफ हो सकते हैं जब कि अकाल म तो थोडी देर भी हो जाय रिलीफ पहुंचाने में तो यह स्थिति नहीं होती है। जहां इस प्रकार की बाढ आई है यह मेरे क्षेत्र के पास ही पड़ता है। एक पौधा बीस फूट को दूरी पर नजर आयेगा तो दूसरा पौधा बहुत दूर। खेत के खेत साफ हो गये हैं। ऊपर की नदियां बाण गंगा, रूपारेल, में छोटी-मोटी योजना को यदि शुरुआत की जाती है तो भरतपुर के साथी तीव्र विरोध करते हैं कि भरतपुर का इलाका सूख जायगा। फलड से नुकसान

(श्री विशम्भर नाथ जोशी)

भी करोडों रुपयों का हुआ है सड़कें और नहरें टूट गयी हैं और करोडों रुपया जिन पर खर्च हुआ वहां और खर्च करना पड़ेगा। इन नदियों पर, भरतपुर में पानी की कमी नहीं हो जाय इसलिये बांध बनाने से कतराते रहे। अगर बांध बंध जाता तो फ्लड नहीं आता और इसका इतना भीषण रूप नहीं होता। दूसरे इलाके को पानी से सिचाई के साधन मिल जाते और एक दम इतना रुपया रखना पड़ा वह नहीं रखना पड़ता। इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 10, 12 अगस्त को इतनी जबरदस्त बारिश हुई है अलवर-भरतपुर क्षेत्र म, बसवा क्षेत्र में, 40 परसेन्ट मकान बिलकुल बिस्मार हो गए। पानी आया और उसके साथ ही फ्युरिय स्टोर्म आया। 40 परसेन्ट मकान गिर गये। समाज के सबसे गरीब लोगों के पास शिडयूल्ड कास्टस् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास कच्चे मकान होते हैं और सबसे अधिक यह गरीब तबका ही इसका शिकार होता है। इस सम्बन्ध में पंचायत समिति, नगरपालिका, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियां को, कलेक्टर को और मंत्री महोदय को भी सूचित किया लेकिन कोई खास कार्यवाही हुई हो ऐसा नजर नहीं आता है। सारे मकानों के निर्माण के लिये पैसा नहीं दे सकते। हाऊसिंग को-ऑपरेटिव की स्कीम चलायी थी सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ने। उसमें से उनको दिया जावेगा, लेकिन वह लिमिटेड अमाउन्ट था जो खतम हो चुका है। अब आप दस पांच लाख रुपया दे दीजिये ताकि इन लोगों को लॉन मिल जायगा। यह रुपया एल० आई० सी० से मिलता है जहां कि काफी फन्ड्स है। ज्यादा से ज्यादा आप यह कीजिये जिससे कि इस पैसे का गरीब लोग फायदा उठा सकें। उनको सिमेन्ट, इमारती लकड़ी भी मुहैया करनी चाहिये। उनके पास जो अनाज वगैरा था वह भी बह गया, अनाज वगैरा की फेयर प्राइस शॉप्स खोलें और फैमिन एरिया में प्रोवाइड करें। फलड से जो डमेजेज हुई है आपको इन सब की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके साथ ही एक सुझाव और देना चाहूंगा। हमारा तजुर्बा रहा है कि हमेशा फैमिन के पैसे के उपयोग को लेकर वाद-विवाद होता रहा है। काफी घोटालों की भी चर्चा होती रही है। जवाब भी जरूर दिये जा रहे हैं लेकिन हमेशा के लिये इसको दूर कर दिया हो ऐसा नहीं हो पाया है। सही या गलत जो भी होता है, उसमें फिर शंका की गुंजायश नहीं रहनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा कि सारे सदन के सदस्यों में से एक प्रकार की कमेटी बनाई जाय जिसमें सब पार्टी के लोग हों। यह कमेटी फैमिन एरियाज का जाकर निरीक्षण करें और फलड एरिया को जाकर देखें। कितनी किसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिये वह दी जा रही है या नहीं। क्या रिटर्न मिलने वाला है इन वर्क्स का। वर्क्स का इम्पलीमेन्टेशन हो रहा है या नहीं। कहीं अधिकारी लोग इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इससे आप सारे सदन को भी एक साथ रख सकेंगे और फैमीन रिलीफ में उपलब्ध किये गये पैसे के

(श्री विशम्बर नाथ जोशी)

युटिलाइजेशन के बारे में भी आश्वस्त कर सकेंगे। साथ ही इस प्रकार के क्रिटिसिज्म को भी साइलेन्स कर सकेंगे। इस ओर भी मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करनसिंह।

श्री करनसिंह (डीग) : कल मैंने अध्यक्ष महोदय को आधे घण्टे की चर्चा के लिये अकाल तथा बाढ़ पर और भी दो अन्य माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर एक प्रस्ताव दिया था। मुझे खुशी है और मैं आसन को धन्यवाद देता हूं कि इस आधे घण्टे की बजाय 12 घण्टे का समय उन्होंने दिया और सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

वैसे तो बाढ़ और सूखा की स्थिति पर सभी माननीय सदस्यों ने सभी बातें बता दी हैं। फिर भी एक दो बातें कहना उचित समझूंगा और इसके लिये सदन का अधिक समय नहीं लूंगा।

वैसे इस बार राजस्थान में अकाल नहीं, महा अकाल है क्योंकि आधे हिस्से में सूखा है और आधे मे बाढ़ का प्रकोप है। इस बारे में सभी माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उन पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करके अमल करे तो बहुत काफी है, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी थोड़ा सा निवेदन भरतपुर की बाढ़ की स्थिति के बारे में कर देता हूं।

भरतपुर में तीन नदियां पड़ती हैं, गम्भीरी, बाणगंगा, रूपारेल और इनके द्वारा राजस्थान का कुछ भाग का पानी, जहां वर्षा ज्यादा होती है अरावली हिल्स, करौली वगैरह में उसके पानी को बाढ़ के रूप में लेकर यमुना के द्वारा वह पानी चला जाता है जहां से आता है। इसको लेकर भरतपुर में तबाही के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह कि भरतपुर और अलवर में जितने बांध हैं वे बहुत पुराने हैं और भूतपूर्व रियासतों के समय के बने हुए हैं। नदियों से पानी और मिट्टी बहकर आती है और इस कारण बीच बीच में उनकी कभी सफाई नहीं होने से वे सारे बांध मिट्टी से भर गये हैं और इस कारण उन बांधो के धरातल बहुत ऊंचे हो गये हैं जबकि बांध की दीवारों की ऊंचाई वही है जो पहले थी। मिसाल के तौर पर निवेदन कर दूं कि भरतपुर में कल्याणी बांध है जिसकी क्षमता 10 फीट पानी की है। अब स्थिति यह है कि 10 फीट होते हुए भी उस बांध के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कोई भी पैदल निकल जावे वह डूबेगा नहीं। वहां का भीतरी हिस्सा काफी ऊंचा हो चुका है मिट्टी भर भर कर।

अब जो बांध टूटे हैं उनकी मरम्मत मई व जून के महीने में कराई जावेगी उस समय बरसात का पानी आने तक मिट्टी जम नहीं पावेगी। नतीजा यह होगा कि दुबारा जब भी पानी आवेगा उस जगह वह बांध टूट जावेगा। इसलिये राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इन बांधों की मरम्मत जल्दी कराई जावे जिससे सर्दियों में पानी की बौछार आने पर वह जमीन मजबूत हो जावे।

इस वर्ष गम्भीरी ने गम्भीर रूप

# Page No 204



(श्री करनसिंह)
धारण किया, रूपारेल तूनाफमेल बन गई और बाणगंगा ने भी बाण चलाये और भरतपुर में तबाही मचाई ।

इसमें सेना ने प्रशंसनीय सहयोग दिया जिसके लिये मैं उन वीरों को धन्यवाद देता हूं । इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्री राजबहादुरजी ने समय पर आकर जो सहयोग दिया इसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देना बहुत बहुत उचित समझता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ और सूखे से पैदा हुए अकाल से सबसे ज्यादा हानि किसान वर्ग की हुई है । पहली वर्षा हुई उसमें कुछ बुवाई हुई । ज्वार कुछ कुछ बड़ी हुई । पर बीच में वरसात नहीं होने से और तेज धूप पड़ने से उसमें पारी कीड़ा उत्पन्न हो गया । उस कीड़े लगी ज्वार को मवेशी ने खाया तो वह मरा । तो इस तरह से बहुत से मवेशी मर गये कुछ बाढ़ में बह गये ।

किसानों का पहला सहारा काश्त है, दूसरा मवेशी । तो न काश्त रही न मवेशी । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे किसानों के मनोबल को ऊंचा करें, उसे गिरने न दें और इसके लिये कम से कम आज सदन में वे यह आश्वासन दें कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आई है, जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उस क्षेत्र की सिंचाई के रूप में सिंचाई का आबियाना सिंचाई विभाग नहीं लेगा ।

दूसरी बात है लगान की माफी । तीसरा तकाबी या लोन जो भी दिया उस की वसूली स्थगित हो । इन तीन बातों की घोषणा आप कर दें तो किसान का मनोबल ऊंचा होगा और दूसरी सहायता के बारे में और नुकसान के बारे में तो काफी कह दिया गया है । उसी पर अमल कर लिया जावे तो काफी होगा ।

धन्यवाद ।

**श्री मोहम्मद उस्मान (नागौर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागौर के जिस जिले से आया हूं वहां वह राजस्थान का पश्चिमी क्षत्र कहलाता है । जैसे अभी पोकरण और ओसियां से आये माननीय सदस्य ने बताया उस इलाके में, जिसमें मेरा एरिया भी सम्मिलित है, मामूली सी वरसात हुई । अब हम जब यह कहते हैं कि वह एरिया भी अकालग्रस्त है तो आप स्वीकार नहीं करते । मेरा आपको सुझाव है कि आप स्वयं जाकर वहां की दशा देखलें । जो पानी वरसा वह तो जमीन गीली करके ही रह गया । छोटी छोटी नाड़ियां हैं, वे भी खाली पड़ी हैं । उनके पास तक आकर पानी रह गया वह पूरी भरी भी नहीं । तो यह एरिया भी काल की छाया में फंस गया है । इस इलाके में तो पीने के पानी की भी कठिनाई है । चार सौ फीट तक गहरे कुओं में पानी नहीं रह गया है । फेमीन इस एरिया में भी हर साल जैसे पड़ता है । गये दो साल भगवान् की कृपा से हम बच गये ।

अब कहा यह गया है कि फेमीन में लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, पैसा सब भ्रष्टाचार में चला जाता है, पर मेरे इलाके में, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं हुआ, काफी अच्छा काम हुआ है । फेमीन में पैसे की गड़बड़िया होती हैं, मैं मानता हूं । मिनिस्टर नहीं करता, वहां की जनता, गरीब आदमी, मजदूर करते हैं ।

# Page No 205



(श्री मोहम्मद उस्मान)

मैं निवेदन करता हूँ कि गरीब को रोजी रोटी देनी है और उनको भूख से बचाना है। आप उधर जो अधूरे काम पड़े हैं पहले के, वे पूरे करावें। फैमिन की सड़कें पूरी करावें, ग्रेवल रोड के आसपास कुछ सामान गिट्टी आदि पड़ी हैं, लोग उसको उठाकर ले जा रहे हैं। आप उसे काम में लीजिये। सड़कें जो बनी हैं वे बिलकुल खराब हालत में हैं। उनकी मरम्मत नहीं होती। जो डामर की सड़क बनाई जाने की हो वह डामर की बनावें।

वहां छोटे छोटे तालाब हैं, वे सब मिट्टी से भर गये हैं उनकी मरम्मत और खुदाई करावें, मिट्टी निकलवा कर ठीक करावें।

खिवसर सरीखे गांवों में तो कहा जाता है कि कुंए ही नहीं हैं। कहीं कहीं तीन-तीन, चार चार हजार की आबादी में एक ही कुंआ होता है। तो इस स्थिति को देखते हुए मेरा सुझाव है कि आप ट्यूब वैल खुदवाएं और फिर जनसंख्या भी लोगों की बढ़ रही है। ट्यूब वैल हो जावेंगे तो लोगों को पीने के पानी के लिये रोज रोज इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मेरे खुद के गांव में पांच पैसे में एक पानी का घड़ा मिलता है। तो उनके पास पानी पीने के लिये लाने का साधन नहीं है। तो ऐसी हालत में मेरे इलाके के गांवों में कुए, ट्यूब वैल और छोटी मोटी नाड़ियां तयार कराने की जरूरत है। रोड की भी जरूरत है। सड़कें भी बनवा दें। बस इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष:** I can allow only one.

**श्री नाना लाल (राजसमन्द):** यह तो हम मानते हैं कि राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य से अकाल आ पड़ा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत सरकार का ध्यान उदयपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर लोगों में आतंक छाया हुआ है। लोग लूट-खसोट पर उतारू हैं। गांव गांव में चारे की व्यवस्था करनी चाहिये। इस समय मवेशियों की विकट समस्या है। अनाज मिल सकेगा, लेकिन चारे की विकट समस्या है, इसलिए तत्काल हर गांव में चारे की व्यवस्था कर दी जाय तो उपयुक्त होगा। हर तहसील में राहत कार्य खोल दिये जायं और एक समिति बना दी जाय। हर तहसील वाईज समिति का गठन कर दिया जाय। चाहे पी०डबल्यू०डी० वर्क हो, चाहे सड़क का वर्क हो, बार बार अफवाहें आती हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती हैं। कुछ काम होता है तो कुछ गलती भी हो जाती है, लेकिन समितियां बनाई जाये तो गलती नहीं होगी अत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि तत्काल ही राहत कार्य चालू कर दिये जांय ताकि लोगों में आतंक छाया हुआ है वह मिट जाय। मैं राजसमन्द क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पानी की बहुत समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मवेशियों के लिये कतई पानी नहीं रहा है। मैं अधिक न कहते हुये बस इतना ही निवेदन करूंगा, राहत कार्य तत्काल शुरू करा दिये जांय।

**श्री जेठमल आर्य (रेवदर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल सहायता मंत्री जी का सिरोही जिले की

(श्री जेठमल आर्य)
ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिरोही जिले में इतना आतंक छाया हुआ है फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची पढ़ी है, उसमें उसका नाम नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। सिरोही की पांच तहसीलें हैं उसमें इतना भयंकर अकाल है लोग पानी पीने के लिये तरसते हैं। अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ होता है उसमें भी भूतपूर्व जागीरदार और राज्य कर्मचारियों द्वारा बहुतसी अनियमितता होती है। जिनको मजदूरी मिलनी चाहिये उनमें भी बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होती है। रेवदर के काश्तकारों को अपनी जमीन नहीं मिल रही है। अभी अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था, वहां मुझ से दो गांव के लोग आकर मिले। नाराणी और बेगरा के लोग थे, करीब 500 आदमियों की बस्ती है। उन्होंने बताया अकाल की स्थिति में जो भूतपूर्व जागीरदार हैं, उन्होंने हमारी जमीन छीन ली है, इसलिये उसमें अलाटमेंट न किया जाय। अभी कुछ दिनों पहले रेवदर में अलॉटमेंट हो रहा था तो टोकरा गांव का उसके जागीरदार ने अपने बहुत से साथियों सहित आकर कहा मेरे गांव में जो सीलिंग की जमीन है वह बताये और उसी अनुसार अलॉटमेंट करेंगे अन्यथा मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एस. डी. एम. ने जमीन अलॉटमेंट करने तारीख बदल दी और कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है अकाल राहत के काम में अधिक से अधिक मजदूरी उन लोगों को दी जाय और जमीन का अलॉटमेंट किया जाय। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन अकाल की स्थिति पर विचार कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे यहां अकाल पड़ता है। वास्तव में यह सही बात है। हम को शौक नहीं है कि अकाल बतायें और सरकार के लाखों रुपये खर्च करवायें। सही माने में अकाल पड़ता है। इतना गहरा पानी है मेरे क्षेत्र का, मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, और वे स्वयं जानते है हमारे क्षेत्र में बहुत गहरे कुए हैं और उन कुओं से पानी निकालने के अन्दर बहुत तकलीफ होती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उन कुओं को बिजली दी जाय और बिजली से उन किसानों को पानी निकालने की सुविधा दी जाय तो किसान अपने खेत में कृषि का उत्पादन बढ़ा सकता है। और हमारे इलाके में, उपाध्यक्ष महोदय आज बान्ध के काम शुरू हैं। बान्ध पहले भी बनाये गये हैं और बान्ध से हमारे इलाके में काफी फायदा मिला है। जिन कुओं में बहुत गहरा पानी था वह ऊंचा आया है। परबतसर में बान्ध बान्धे गये है। हमारे इलाके में जो बान्ध की सर्वे हुई है उसका काम पूरा करने में जल्दी करें तो हमारे यहां के किसान को फायदा हो सकता है। अकाल की समस्या को मिटाने का यह एक तरीका है। अकाल को रोकने के लिये यही बढिया तरीका है कि गांवों में बान्ध बान्धे जायं और बिजली का विस्तार किया जाय और जहां किसानों

(श्री जेठमल बरवड़)

के बान्ध नहीं है उन किसानों को कुए के लिये तकाबी दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री महोदय निवेदन करूंगा, हमारी जो पंचायत समिति है उसको कुआ खोदने के लिये ऋण दिया जाय ताकि किसान कुआं खोदकर कृषि का उत्पादन बढ़ा सकें। आज बैंकों से ऋण दिया जाय परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय मैं सही अर्ज कर रहा हूं हमारे इलाके में जो भी बैंक है वह किसानों को ऋण नहीं देती हैं। एक भी बैंक ने किसान को लोन नहीं दिया है और किसानों की उल्टी मजाक उड़ाते है। बैंक के लम्बे चौड़े फार्म भरने पड़ते हैं। साधारण किसान उनको किसी हालत में पूरा नहीं कर सकता है और, उपाध्यक्ष महोदय, जैसे तैसे भरा कर देते हैं तो लोन नहीं मिलता है, इसलिये मैं आपके द्वारा फेमिन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो कुओं के लिये ऋण की बात कही, दूसरी बात बिजली की कही और तीसरी बान्ध की बात कही वह इन कामों को पूरा करें, जो जो मामले हैं उनको चालू किया जाय और जो सर्वे हुई है उनको पूरा किया जाय। सरकार द्वारा उन लोगों के काम शुरू किये जायें। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पानी की बड़ी समस्या है। हमारे इलाके में बरसात हुई है वह लेट हुई है। पहले थोड़ी वर्षा हुई थी उसमें बाजरा बोया गया था लेकिन लम्बे अर्से तक बारिश नहीं होने से सारी फसल नस्ट हो गई। अब फिर वर्षा हुई है और किसान खेत की बुआई कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब बाजरे की मौसम चली गई है। मोठ आदि पैदा हो सकेगा, अगर समय पर आगे बरसात हुई तो। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायं ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिल सके और अभी हमारे यहां परबतसर में एक बहुत बड़ा पशु मेला लग रहा है। यह 24 तारीख को मेला शुरू होगा और उसके अन्दर भी अभी चारे की समस्या पैदा होगी क्योंकि यह मेला हमको बहुत ज्यादा फायदा देता है। हमें कृषि से फायदा नहीं होता जितना कि मेले से होता है। अगर वहां घास की व्यवस्था कर दें और अनाज की व्यवस्था कर दें तो हमको ज्यादा फायदा हो सकेगा इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस मेले के अन्दर घास का डिपो खोल दें ताकि किसानों को सस्ते घास का प्रबंध हो जाय वरना किसान अपने बैलों को सस्ते भावों पर बेचने के लिए मजबूर हो जायेंगे और जिन लोगों ने चारा इकट्ठा किया हुआ है वह बड़ी मंहगी कीमत पर चारे को बेचेंगे। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि वहां चारे का डिपो खोला जाये और सस्ते अनाज की दुकानें भी खोली जायें। और एक बात और निवेदन करूं कि हमारे इलाके में जो फैमिन का काम हुआ था उसमें तालावों से मुरड़ निकाली गयी थी, सड़कों का डिमार्केशन हो गया, अर्थवर्क भी हो गया लेकिन वह मुरड़ सड़कों पर नहीं डालने से मुरड़ बेकार हो गयी और सड़कें भी बेकार हो गयीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

परबतसर से डेगाना जाने वाली रोड़

(श्री जेठमल बरबड)

पर चलना मुश्किल हो गया है। आज कोई भी आदमी गाड़ी लेकर जाता है तो उसकी गाड़ी का एक एक टायर पंचर होता है। वहां रोडवेज़ चालाई है लेकिन आप सड़कों को देखें तो वहां चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं 15 अगस्त को गया था तो मैं सोच रहा था कि यह गाड़ी घर भी पहुँचेगी या नहीं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों के अन्दर जो भी पत्थर निकाले जायें, मेटेरियल जो आस पास इकट्ठा कर सकते हैं, उसे सड़कों पर डलवाया जाये और उसको पूरा कराया जाये। दूसरा निवेदन यह है कि जो सड़कें अकाल राहत में करायी जायें उनका मेन्टीनेन्स हमेशा होना चाहिए। अगर उसका मेन्टीनेन्स नहीं होता है तो सड़कों पर जितना पैसा खर्च होता है वह बेकार चला जाता है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप और मंत्री महोदय, को धन्यवाद दूं कि आपने अकाल की स्थिति के ऊपर सदन के सारे माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। जयहिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री कालूराम।

**श्री कालूराम** (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फमिन के सिलसिले में चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें शरीक होना चाहता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बिलाड़ा है और बिलाड़ा जोधपुर में है। जोधपुर में अकाल की स्थिति भयंकर है और पिछले साल भी कई गांवों में-बिलाड़ा तहसील में अकाल था। 80 गांव फैमिन में आये थे और अभी जून के महिने में जो नाड़ियां खुदवाई गई थीं, उनका पेमेन्ट नहीं हुआ है, वह पेमेन्ट कराया जाये और क्रेश प्रोग्राम दौरान जो कार्य चल रहे हैं उनका भी पेमेन्ट नहीं हुआ है वह भी कराया जाये। इसके अलावा बिलाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में करीब 9–10 गांवों में बिजली आई है मगर 7–8 महीने से ट्रान्सफार्मर्स लगा दिये गये हैं लेकिन वहां कनेक्शन्स कुओं पर नहीं दिये गये। वहां कुओं पर कनेक्शन्स तत्काल दिलाये जायें जिससे कि सिंचाई के साधन बन सकें। यही मेरे दो तीन सुझाव हैं और इनके बारे में सरकार कदम उठाये जिससे किसानों को सिंचाई के लाभ मिल सकें।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री गोरधनसिंह।

**श्री गोरधनसिंह** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल ऐसी चीज़ है कि जिसके नाम से बुखार चढ़ जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। अभी तक इसका मसला हल नहीं हुआ है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। क्यों नहीं इसका परमानेन्ट सॉलशन निकाला गया जिससे कि यह हमेशा के लिए मसला खत्म हो जाता? जब भी कभी काम होते हैं तो टेम्पोरेरी होते हैं और ग्रेवल रोड़ बनती हैं और पता नहीं पड़ता कि रोड़ बनी है या नहीं और पैसों का दुरुपयोग होता है। अनाज की दुकानें इस तरह खोली जाती हैं किसानों को अनाज लेने के लिए चार-चार और पांच-पांच मील जाना पड़ता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक गांव में आबादी के हिसाब से कोई भी पॉलिसी निर्धारित की जाये जिससे कि प्रत्येक गांव में अनाज की दुकान खुल जाये जिससे किसानों को अनाज आसानी से मिल सके।

(श्री गोरधनसिंह)

बाढ़ के सम्बन्ध में भी सरकार को काम करना चाहिए। जयपुर के अन्दर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो बाढ़ का मुकाबला जयपुर वालों को करना ही पड़ता है। कई दफा आश्वासन देते हैं लेकिन उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाये और समस्या का हल किया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामगोपाल।

**श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का नाम लेना ही बहुत बुरा है लेकिन हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस वर्षाकालीन सत्र के टाइम पर हमारे सदन के माननीय सदस्य अपने मुख से बारबार अकाल का नाम ले रहे हैं। लेना पड़ता है क्योंकि हम आशा लगा कर बैठे हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अकाल राहत मंत्री भी जितने माननीय सदस्य बोले हैं उनके विचारों को ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि हम आशा लगा कर बैठे हैं कि हमारे विचार उन तक पहुंचे और उस क्षेत्र की गरीब जनता के लिए, भूखे काश्तकारों के लिए, कुछ इस प्रकार के राहत कार्य खुलवायेंगे जिससे उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कोटा जिले को न भूल जावें और यह न सोच लें कि वह तो नहरी इलाका है, इसलिए वहां पर अकाल की छाया नहीं पड़ी हो, किन्तु कोटा जिला भी अकाल की छाया से बचा नहीं है। उसकी जितनी तहसीलें है, छबड़ा, छीपा, बड़ौद, शाहगंज, अटरु, बारां तहसील, किशनगंज, शाहबाद तहसीलें, इसके अन्दर चारे का जितना अभाव इस समय हुआ है उससे वहां पर काफी मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है और उनमें से काफी मवेशी दूसरे इलाकों में चले गए हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर कि इन गांवों की सीमा के बाहर मवेशियों की लाशें सड़ रही हैं और बड़ी भारी बदबू हर गांव के आस-पास आ रही है, यह चारे के अभाव का परिणाम है। इसी प्रकार काश्तकारों के लिए और मजदूरों के लिए पानी नहीं बरसने से साहूकार समझते हैं कि उनके पास तो कोई किसी प्रकार का उपजाऊ का साधन है नहीं और अगर इनको ऋण दिया जाएगा तो वसूल कैसे होगा, इसलिए उनको कोई ऋण देता नहीं और आज जो उनके सामने खाद्यान्न की समस्या है और कर्ज की समस्या है वह बड़े जोरों से चल रही है, क्योंकि इतने टाईम के बाद में अगर वह फसल जो बोयेंगे और पैदा भी होगी तो वह उनको बहुत दिनों के बाद मिल सकेगी।

मैं कोटा जिले की शाहबाद तहसील की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पिछली बार भी शाहबाद बाढ़-ग्रस्त हो चुका है। बाढ़ग्रस्त एरिया में अकाल पड़ जाता है तो वहां क्या हालत हो सकती है! वहां फसलों की हालत यह है कि जिन खेतों पर फसलें उगी हैं वहां पर भी पकने की कोई सम्भावना नहीं है। पिछली बार तो यह हालत हुई थी कि जहां पर हमेशा से अकाल पड़ता आया है उस जगह से बाजरा वहां पर गया था और उससे वहां के लोगों ने अपना जीवन चलाया था। उसके बाद में रबी की फसल समाप्त हो गई। उसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि

(श्री रामगोपाल)

कोटा कलेक्टर से पांच दिन में रिपोर्ट मंगा रहा हूं और सारी समस्याओं का समाधान कर व्यवस्था करूंगा। मैंने पार्लियामेंट के मेम्बर साहब से भी बात की। उन्होंने कहा था कि मैंने मुख्य मंत्री जी को यहां पर पत्र लिखा है शाहबाद की स्थिति के सम्बन्ध में और मुझे आशा है कि मंत्री जी ने इस पर गौर किया होगा और इसके बारे में विचार किया होगा। वह तो पिछले साल की घटना रही किन्तु आज सूखे की स्थिति बदली है, उसके बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। उस क्षेत्र के अन्दर जो स्थिति है उसके दो चार छोटे 2 उदाहरण दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं और बहुत से माननीय सदस्यों को अभी तक और बोलना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी मंत्री जी को भी जवाब देना है और बराबर घण्टी बज रही है। सरकार की ओर से पंचायत समिति शाहबाद में एक बंगाली कालौनी की स्थापना पारणिया के अन्दर की, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। वर्षा के अभाव के कारण सूखा पड़ रहा था, वहां के तालाबों का पानी सूख चुका है तो फिर वे किस प्रकार से खेती करें। उनकी हालत बड़ी दयनीय है। वैसे तो साहूकार उनको ऋण देगा ही नहीं लेकिन जो उनके पास था उसको गिरवी रख कर उससे काम चलाया है। मैं पांच तारीख को गया था उस क्षेत्र में दौरा करने के लिए। वहां पर कम से कम दो सौ व्यक्ति कोटा कलेक्टर के पास आने के लिए तैयार हो रहे थे पैदल पैदल। पारणिया कोटा से करीब 30 मील दूर है, वहां से वे लोग पैदल चल कर आ रहे थे। रास्ते में मैं बारां में मिला। उन्होंने बताया कि हमारा सब कुछ चला गया है। हमारे यहां पर जो मुर्गी पालन का धन्धा है उसमें से एक भी मुर्गी का नामोनिशान नहीं छूटा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारा इलाका आदिवासियों का इलाका है और डकैतियों का एरिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं। तो इस प्रकार की अकाल की भयंकर स्थिति फैली हुई है और खाद्यान्न की भी भयंकर समस्या है। वहां एक प्रकार का पेड़ है उसकी जड़ को खोद-खोद कर शाम को पानी में भिगोते हैं और पानी में उसको उबाल कर पेट भरते हैं। यह शाहबाद की स्थिति है। माननीय मंत्री जी इसको भूलें नहीं और कोटा की जो सूखाग्रस्त की स्थिति है उसकी ओर ध्यान दें। वहां पर जो भी राहत कार्य खोलने हों वह तुरन्त खोलें।

वहां पर एक सिंचाई की योजना है गोपालपुरा की। वहां पर सिंचाई की योजना चल रही है उसमें सरकार कभी स्वीकृति करती है और कभी कटौती करती है। वहां पर बैठे हुए कर्मचारी बड़ी 2 तनख्वाहें उठाते हैं, गवर्नमेंट का लाखों रुपया तनख्वाह में जाता है। 10-12 साल से यह योजना पूरी नहीं हुई है। जिससे हमारे यहां पर सिंचाई के साधनों की समस्या सामने आ रही है। इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय, ताकि इसका समाधान हो और चारे की व्यवस्था हो।

एक और विशेष बात की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित

(श्री रामगोपाल)

करूंगा । शाहबाद के अन्दर पेयजल की भयंकर समस्या है और लोगों को तीन-तीन, चार-चार मील से पानी लाना पड़ता है । प्रत्येक परिवार में एक गाड़ी और दो बैल तो केवल पानी भरने में ही काम में लाए जाते हैं। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है । कहीं पर खड्डे भर जाते हैं और उसमें गायें, भैंसें बैठती हैं। उसी गन्दे पानी को लोगों को पीना पड़ता है ।

क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और हो सकता है कि और भी माननीय सदस्य बोलें, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्क्ष महोदय · ·

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

(व्यवधान– अश्रव्य)

**श्री मनोहर कोठारी** : मैंने आपसे पूछा था उस वक्त मुझे आपने कहा था कि 7 बजे तक बैठेंगे और सबको बोलने का मौका देंगे । मैं यह आपको याद दिलाता हूं कि उस वक्त आपने यह कहा था ।

(व्यवधान–अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल लें ।

**श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज के इस वाद-विवाद में और विचार-विमर्श में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं हो सकता जो भाग न ले । भाग न लेने के कारण में मुख्य बात यह है कि जब वह अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाएगा तो लोग पूछेंगे कि अकाल राहत और बाढ़ की समस्या पर विधान सभा में वादविवाद हो रहा था तो तुम किस मर्ज की दवा थे, तुम कहां गए थे और कुछ नहीं कहा । इसलिए मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आखिर में ही सही लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर इस अकाल के सम्बन्ध में थोड़े से अपने विचार भी व्यक्त कर दूं ।

नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें अधिकांशत: वे भील जाति के लोग निवास करते हैं आसपास के गांवों में कि जिन्होंने कभी महाराणा प्रताप के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हल्दी घाटी के युद्ध स्थल पर अपना खून बहाया था । इसके साथ ही नाथद्वारा में यों भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ऐसे लोग निवास करते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है । तहसील भर में काश्तकारों और इन भीलों का बाहुल्य है कि जिनकी इस वर्ष भी और दुर्भाग्य से गत वर्ष भी फसलें पाले के कारण खराब हो गईं और यह सम्भव नहीं है कि इस वर्ष तो किसी भी तरह से ठीक फसल हो पाएगी । पानी बरसेगा लेकिन दुर्भाग्यवश पूरी नाथद्वारा तहसील उदयपुर जिले के साथ-साथ सूखी रह गई और जो फसलें बोई गई थीं, शुरू शुरू में एक बार पानी गिरा लेकिन बाद में पानी नहीं बरसने के कारण मक्का की फसल पूरी की पूरी निष्प्राय: हो गई और लोगों को खेतों को हांककर उसे खास तौर से खाद के रूप में उपयोग में लिया है । मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत दुखद विषय है । इन 20 वर्षों में एक के बाद एक भयंकर अकाल पड़ते जा रहे हैं । अकाल की विभीषिका से हम लोग अच्छी तरह

(श्री मनोहर कोठारी)

परिचित हैं और इस वर्ष का अकाल और भी ऐसा भयानक है कि मैं समझता हूं कि इसके लिए राज्य सरकार को कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। आज वस्तुतः जिन लोगों के पास अनाज है, जिनके पास खेती करने को जमीन है लेकिन पानी नहीं है। जिनके पास सारे साधन हैं और दूसरी 2 खेती की सामग्री है वह भी सब बेकार पड़ी हुई है क्योंकि वर्षा के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं। जहां पर गत वर्ष में अकाल घोषित किया गया था वहां पर पीने के पानी की भी समस्या है लेकिन अभी तक वहां राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि नाथद्वारा तहसील के अन्दर राहत कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किए जायं। बहुत ही इस बात की आवश्यकता है कि वहां पर अभी पानी नहीं बरसता है तो अगली फसल भी खराब हो जाने की पूरी-पूरी संभावना है। नाथद्वारा में और नाथद्वारा के पास बनास नदी का डैम है वह सूखा पड़ा है। राजसमन्द का तालाब सूखा पड़ा है और इस तरह से कुए, तालाब और पिछौला, फतह-सागर सूखा पड़ा है। ऐसी हालत में जो मेवाड़ का उदयपुर जिला है, जो सारे देश में काश्मीर के समान सुन्दर और सुरम्य लगता है और वर्षा ऋतु में उसकी छबि निराली हो जाती है, बाहर के आदमियों के द्वारा उदयपुर की प्राकृतिक छटा के बारे में सुनने को मिलता है। सावन के त्यौहार आ गये हैं और लोगों के घर में भावना पैदा हो गई है कि अब क्या होगा। उनके कष्टों को दूर करने के लिये राहत कार्य शुरू करने की आवश्यकता है। सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था करनी चाहिये। वहां पर घास की व्यवस्था आवश्यक हो गई है। आज एक रुपये में 20 पूले घास के मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपने पशुधन को जीवित रख सके यह मुश्किल है। वहां पर घास का प्रबन्ध नहीं है। घास का प्रबन्ध या फिर मोटे अनाज का प्रबन्ध किया जाये ताकि जिससे मवेशी जिन्दा रह सकें।

(11.50 रात्रि)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति पदासीन)

माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अन्दर मक्का की जिन्स ज्यादा भिजवायें। एक तरफ लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, दूसरी तरफ मक्का की फसल खराब हो गई है और इधर मक्का के भाव बढ़ गये हैं। वे लोग अब खुले बाजार से मक्का को नहीं खरीद सकते हैं। चोर बाजार में मक्का बिक रही है। आप वहां पर मक्का की सप्लाई कर दीजिये और सस्ते अनाज की दुकानें शीघ्र खुलवायें।

पीने के पानी की स्थिति भी वहां पर खराब है। केलवाड़ा गांव में एक कटोरी ले जाकर कुंए में उतर कर पानी भरना पड़ता है। मालूम पड़ा है कि इसमें एक औरत की मृत्यु हो गई, वह गिर पड़ी और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर घास का अभाव है। उस इलाके के अन्दर जहां पर महाराणा प्रताप ने किसी जमाने के अन्दर अपने दुर्दिन बताये थे, मुगल सल्तनत से बचने के लिये, आजादी की रक्षा के लिये, उस हल्दीघाटी के क्षेत्र में एक भील ने पेड़ की पत्ती

(श्री मनोहर कोठारी)

को तोड़कर मवेशी की हिफाजत की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से वह पेड़ से गिर गया और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज किस तरह की विभिषिका है, खास कर के उदयपुर जिले में और उदयपुर जिले में हमारे ये जो गांव है जिनमें खास करके ऐसी आबादी है, इस प्रकार के लोग रहते हैं जिन्हें आदिवासी जनजाति के नाम से जाना जाता हैं, कुछ हरिजन जाति के लोग हैं, और कुछ काश्तकार हैं। इन लोगों के सामने ऐसी भयानक अकाल की स्थिति आज से पहले कभी नहीं हुई थी। आज तक के अकाल में यह स्थिति पहली बार से देख रहे हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे तत्काल कार्यवाही करेंगे। आपने यह घोषणा की है कि सस्ते अनाज की दुकानों के लिय आपने आदेश दे दिये हैं। 34 दुकानें खोलने की बात कही हैं और 204 दुकानें प्रस्तावित की हैं। जो भी हो वहां पर तत्काल दुकानें खोलने की आवश्यकता है जिससे लोग भूख से बच सकें।

पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वह व्यवस्था होनी चाहिये। अन्त में राज्य सरकार का ध्यान इस बारे में आकर्षित करता हूं इसलिए अन्त में कह रहा हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां की जो समस्या है उसको ध्यानपूर्वक सद्भावनापूर्वक लेकर वहां के लोगों को इस भयानक अकाल से पूरी तरह से बचाने की कोशिश करें।

**श्री सभापति** : श्री जयनारायण।

**श्री जयनारायण रौत (लसाड़िया)** : सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री महोदय और राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के जो अकाल और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं और किस प्रकार राजस्थान सरकार अकाल से मुकाबला करने के लिये कदम उठा रही है, उस पर विचार रखने का अवसर हमें दिया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस डिबेट को दिनांक 17 को प्रारंभ कर दिनांक 18 अगस्त में समाप्त करेंगे। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

(11.55 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं अकाल राहत मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि गत अकाल के समय मुझे याद है, 66–67 के वर्ष में जब अकाल पड़ा था और उदयपुर जिले में अकाल पड़ा और उदयपुर जिले में अकाल की बड़ी भीषण स्थिति थी, उन दिनों की बात याद है। मैं यह कह सकता हूं कि जिस हिम्मत से हमारी सरकार ने और हमारे अकाल राहत मंत्रीजी ने उस अकाल का मुकाबला किया था और एक भी व्यक्ति को इस राजस्थान में अकाल से मरने नहीं दिया। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी काम जिस हिम्मत के साथ हुए, लेकिन इन सारे कामों के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ बुराइयां देखने में आई हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना उचित समझता हूं कि 66–67 के अकाल में जो राहत कार्य

**(श्री जयनारायण रौत)**

चले, उन राहत कार्यों में एक ऐसा क्षेत्र है धरियावद वहां पर ऐसे मजदूर हैं, जिन्होंने वहां पर बैल गाड़ियां चलाई थीं, आज दिन तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। मैं समय समय पर अकाल राहत मंत्री जी को स्मरण कराता रहा हूं, लिखित में भी देता रहा हूं लेकिन आज तक इन आदिवासी लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि अकाल राहत मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे। और चूंकि इस वर्ष भी यह भयंकर अकाल पड़ने जा रहा है, अकाल की भीषण स्थिति आप सब देख रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे यहां, जो पिछले सालों में अकाल पड़ा था और जिन मजदूरों का उस वक्त भुगतान नहीं हुआ था वह इस समय भुगतान करने की कृपा करेंगे। यहां पर माननीय सदस्य श्री बी० एन० जोशी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनके विचारों से सहमत हूं और राज्य सरकार से खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल अक्सर पड़ा ही करता है। जब ऐसे अकाल का हम मुकाबला करते हैं तो कुछ न कुछ विकास के काम, अकाल का मुकाबला करने के लिए रोकने पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे परमानेन्ट काम हम कर लें जिससे भविष्य में अकाल पड़े तो हमें कुछ सहूलियत मिले, कुछ राहत मिले और वहां के अकाल का आसानी से मुकाबला हो जाये। लेकिन स्थिति विपरीत सी है। हमारे यहां पर अकाल जिस तरह से पड़ते हैं और उन पर जिस तरह से योजनाओं पर धन व्यय करते हैं उससे कहीं अधिक धन हमें प्रत्येक अकाल पर व्यय करना पड़ता है। मैं उदयपुर जिले के बारे में यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो अकाल की भीषण स्थिति उदयपुर जिले की है, भाई मनोहर जी ने, माननीय सदस्य श्री देवपुराजी ने जिले की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अकाल की इतनी भयभीत स्थिति के बावजूद भी राज्य सरकार खासकर राजस्व विभाग और दूसरे कुछ विभाग ऐसे हैं जिनकी किस्तों के अन्दर और आदिवासी लोगों के अन्दर कुछ बकाया चली आ रही है। उस बकाया को आज जबरदस्ती उनके द्वारा वसूल किया जा रहा है। अगर इस तरह की बकाया इस अकाल की भयभीत स्थिति में भी वसूल की जाय तो मैं यह मान कर चलता हूं कि आज आदिवासी पेट नहीं भर सकते। जिनके पास पेट भरने को धान भी नहीं है वे आदिवासी कहां से इनका भुगतान करेंगे? इसलिए मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की वसूली जो हो रही है उसको तत्काल बन्द कराने की जिलाधीश को आज्ञा दी जाय।

मैं थोड़ा सा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की जो स्थिति है और आदिवासियों की जो स्थिति है उनके घरों में जाकर देखें तो एक किलो धान भी उनके यहां नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में मजदूरी नहीं है तो कहां से अन्न खरीदें और किस तरह से अपने परिवार का पेट पालें और कहां पर काम करें? तो राज्य सरकार से और खास तौर से अकाल राहत मंत्रीजी से, जो कि आदि-

(श्री जयनारायण रौत)

वासी लोगों की स्थिति को समझते है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों की हैसियत आज बिल्कुल नहीं के बराबर है, उन्हे जल्दी से जल्दी रोजगार दें, काम दें ताकि उन्हें कुछ पैसा मिले और वे अन्न खरीद सकें और अपने बाल-बच्चों का पेट भर सकें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी ने कहा कि यदि उनके बैलों को नहीं बचाया गया तो स्थिति यह हो जायगी कि आग बरसात हुई तो खेती के लिए हजार हजार में बैल खरीदने पड़ेंगे और किसानों की जीविका का यह साधन नष्ट हो गया तो आने वाले समय में अगर बरसात हो जायगी तो बैल खरीदना मुश्किल हो जायगा, और राजस्थान सरकार बैल खरीदने के लिए धन मुहैया नहीं कर पायेगी। जितनी महत्वपूर्ण समस्या अन्न की है, काम उपलब्ध कराने की है, उतनी ही महत्वपूर्ण समस्या पशुओं को बचाने के लिए चारे की व्यवस्था करने की भी है। मंत्री महोदय से, खास कर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चारे की व्यवस्था साथ-साथ करके (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसके साथ साथ काम उपलब्ध करादें। यह बात सही है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि दुकानें आदिवासियों के लिए नजदीक खुलवायें ताकि आदिवासियों को दूर न जाना पड़े और जो महाजन उनका शोषण करते हैं उससे वे बच सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी** : माननीय उपाध्यक्ष, एक व्यवस्था का प्रश्न है। भारतीयाजी नहीं है लेकिन सवाल यह है कि जब पहले से 18 तारीख के 11 बजे सदन बुलाया गया था और अब 18 तारीख लग गई है, प्रारम्भ हो गई है और अपने आप 18 तारीख का प्रोग्राम हो गया है। 17 तारीख की रात को 12 बजकर 2 मिनिट हो गया है। अगर पहले से 18 तारीख का प्रोग्राम नहीं होता तो मेरी मान्यता यह है कि सदन चल सकता था। चूंकि पहले से प्रोग्राम 18 तारीख के 11 बजे का था तब तक तो प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं किया जाय। मेरी मान्यता है कि सदन 12 बजकर 5 मिनिट पर खत्म किया जाय। इस व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री परसराम मदेरणा** (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया उसमें तथ्य नहीं है ......

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : यह व्यवस्था तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय देंगे।

**श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी** : 5 बजे से 12 बजे तक हम 7 घंटे ज्यादा कार्य कर चुके हैं और जो कार्यक्रम 18 तारीख का था वह तो लागू हो गया। तो इस बारे में आसन से व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने व्यवस्था दे दी है जब कि 5 बज रहे थे और सदन का समय समाप्त होने वाला था उस समय कि सदन का समय तब तक के लिए बढ़ाया जाय जब तक कि यह चर्चा पूर्ण न हो जाय। सदन ने इस प्रस्ताव को

(श्री जयनारायण रौत)

पारित किया है। आपने उस मोशन को रखा था सदन में। इसलिए जब तक बाढ़ और अकाल की स्थिति पर चर्चा समाप्त न हो जाय, तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय। उसम दूसरे की बात नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ ऑर्डर उठाया है इसमें मैं समझता हूं कि कोई तथ्य नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष:** इस सम्बन्ध में सदन ने पहले ही यह अनुमति दी थी कि जब तक कि इस अकाल के और फ्लड के बारे में चर्चा चलेगी तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है, और मैं समझता हूं कि चर्चा लगातार चल रही है और उसका जवाब माननीय मंत्रीजी को देना बाकी है।

**श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी:** सवाल तारीख का है।

**श्री उपाध्यक्ष:** इसलिए जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उसको इस तरह से लें। माननीय मंत्रीजी।

**श्री परसराम मदेरणा:** माननीय उपाध्यक्षजी, बाढ़ और अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में इस सदन में 45 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। 45 में से 10 माननीय सदस्यों ने बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा की है और 35 माननीय सदस्यों ने अकाल के सम्बन्ध में चर्चा की है। जहां तक अकाल का सम्बन्ध है राजस्थान में ही नहीं देश भर में इस तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी 10 दिन पहले यह सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान के काफी बड़े इलाके में वर्षा हुई है। राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अन्दर वैस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हो गई है और मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के इलाके में, हिमाचल के इलाके में भी वारिश हुई है, नहीं तो मैं समझता हूं कि इस शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल पड़ने की सूरत पैदा हो गई थी मुल्क में। राजस्थान के अन्दर 9–10–11 तारीख और 12 तारीख को इन चार दिनों के अन्दर राजस्थान के चार जिलों के अन्दर काफी वर्षा हुई और वह भी 10–11 तारीख को काफी वर्षा हुई। अलवर, कामां, आदि एरिया में सबसे ज्यादा बरसात हुई और बांध टूटे और नदियों के अन्दर फ्लड आया। नदियों में फ्लड के साथ साथ बान्ध टूटने से पानी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में गया, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के गांवों में नुकसान किया। पशुओं का नुकसान हुआ, चल-अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ और हजारों मकान गिर गये। मकानों के साथ-साथ हजारों पशु भी मौत के मुह में चले गये। यह बाढ़ की स्थिति है। राज्य सरकार को इसकी जानकारी 11 तारीख को मिली। उनके मिलने के बाद में चीफ सैक्रेट्री और इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली गये हुए थे। वहां पर भारतवर्ष के चीफ सैक्रेट्रियों की केबीनेट सैक्रेट्री, यूनियन गवर्नमेंट ने मीटिंग बुलाई थी। उनको यह आदेश दिया गया कि भरतपुर शहर को बाढ़ से खतरा उत्पन्न हो गया है। उसको खतरे से बचाने के लिए वह एरिया कम्युनिकेशन्स से महरूम हो गया है। इस एरिया में जा नहीं सकते। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन्स टूट चुके हैं इसलिए आर्मी को रिक्वीजिशन किया जाना चाहिए। 11 तारीख की रात को, 11 कहें या 12 तारीख को रात के 3 बजे आर्मी को आदेश मिला कि

(श्री परसराम मदेरणा)
राज्य सरकार की सहायता के लिए जाना चाहिए । आर्मी की जो निजी विंग है, उसके कुछ लोग आये थे । रात को उनकी आर्मी भरतपुर पहुंच गई थी । यह राज्य सरकार की जानकारी में है । भरतपुर काफी जलमग्न ही नहीं हुआ है, लोगों की जान-माल का भी नुकसान हुआ है । इस बार खेती का भी भारी नुकसान हुआ । जो अच्छी जमीन थी, वह जमीन भी खराब हुई है । जो जमीन खराब हुई है, उसके रिक्लेमेशन का सवाल है । सैन्ट्रल स्टडी टीम ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है । उस रिपोर्ट के बाद सैन्ट्रल स्टडी टीम के चैयरमैन मि० मनचन्दा राजस्थान में आये हुये है । वह पहले भी आये थे । लिखा-पढ़ी चल रही है । लेकिन हफ्ते भर के भीतर भीतर ही वह खुद ही आ गये हैं । जिस समय कि बाढ़ की लीला फैल रही है । वैसे कहीं महीने भर में आते हैं । लेकिन कहां कितना पानी फैला है कितने गांव महरूम हुए हैं, कितने गांवों का नुकसान हुआ है इसके लिए मैंने राज्य सरकार से एक हेलीकोप्टर मांगा था । ताकि भरतपुर का जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, उसको दिखा सकें । जैसे ही यह सूचना मिली उसी वक्त कलेक्टर को आदेश दे दिये गये थे, खास तौर से राशन सप्लाई के काम को शुरू किया जाये । जो लोग महरूम हो गये हैं, उनके लिए छोटे बड़े बहाने न लेकर वार स्तर पर काम किया जाये । भरतपुर में अधिकारी लोग पहुंच गये थे । 13 तारीख को भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री आये हुये थे । वह भी पहुंच गये थे । मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी नुकसान हुआ है, चल और अचल का नुकसान हुआ है, पशुधन का नुकसान हुआ है, भूमि का नुकसान हुआ है, उसका असेसमेन्ट किया जायेगा । यहां पर वैर से आने वाली सदस्या ने कहा है कि पटवारी गलत असेसमेण्ट करते हैं । वह पटवारी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । क्योंकि रबी की फसल का जो नुकसान हुआ है, उसका जो असेसमेण्ट किया गया है, उसका भी उनका है । तो मैं इस सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, तीनों जिलों में जो बाढ़ का असर है, जो कुछ भी मकान ढह गये हैं, उनका असेसमेण्ट करने के लिए पटवारी से ऊंचे अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए । पटवारियों को नहीं । यहां पर बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने टिन शीट के लिए कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए मैंने कह दिया है । किसी का कच्चा मकान था तो जब तक थोड़ा बहुत पानी टूटे 8-10 दिन में उसके नीचे रहें । आठ दस दिन में फैसला करेंगे । जहां तक चिकित्सा के बारे में कहा गया तो उसके लिए पहले ही आदेश दे दिये हैं । मैं यह निवेदन कर रहा था कि 10 मकान सवाई माधोपुर में गिरे हैं । मैंने कल ही वहां के कलेक्टर को चिकित्सा की व्यवस्था के लिए आदेश दिये हैं । यहां पर वैर से आने वाली माननीय सदस्या ने सुझाव दिया था........

**श्री निरंजन प्रसाद तिवाड़ी** : कैटिल की चिकित्सा के लिए कहा था । बीमारी फैलेगी ।

**श्री परसराम मदेरणा** : मेरा मतलब दोनों से था । वैर से आने वाली सदस्या ने सुझाव रखा था कि मकानों के बारे में सीधे सहायता न देकर हाउसिंग स्कीम का जो फेयर कण्ट्रीब्यूशन है, वह बाढ़ के अमाउंट से कर दिया जाये । मैं इस सम्बन्ध में

(श्री परसराम मदेरणा)
इसको मन्त्रिमण्डल में ले जा रहा हूं। जो चेयरमैन सैण्ट्रल स्टडी टीम के आये हुए हैं, मैं समझता हूं उनको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कल ही सैण्ट्रल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, बेलगांवकर, उनसे बात करेंगे।

यहां पर धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर वर्षा से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बसेड़ी में करीब 19 इंच वर्षा हुई है। राजाखेड़ा में सबसे कम है। बसेड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा हुई। यह जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है, यह बात सही नहीं है। कलेक्टर ने हमको बताया था। धौलपुर को भी सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से धौलपुर और भरतपुर में कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा। यह आश्वासन मैं देना चाहता हूं।

यहां पर दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि उनके गांव में कुछ कच्चे मकान गिरे हैं। इसके लिए राशन की सहायता पहुंचाने के लिए मैंने स्वयं परसों जयपुर कलेक्टर को आदेश दिये थे कि सिकराय इलाके में बाढ़ के कारण हुए नुकसान वाले लोगों को सहायता दी जाये। जो बाद में सहायता दी जाने वाली है, वह भी, इस समय दोनों दी जायेंगी। बाढ़ के बारे में बहुत सी बातें भरतपुर के सम्बन्ध में कही गई हैं। यह कहा गया है कि बांधों के बारे में टैक्निकल गलती रखी गई है। इस सम्बन्ध में नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि कोई पैसा मांगा गया था और सुखाड़ियाजी ने आश्वासन दिया था। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है।

मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया, और भरतपुर बांध के फीडर के कन्स्ट्रक्शन में जो टैक्नीकल मिस्टेक रह गयी है उसके बारे में हमने यह मामला सिंचाई विभाग के मन्त्रीजी को रेफर कर दिया है। और उसमें यह लिखा है कि उसकी जांच करायी जाय। इधर रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में कहा है कि रूपवास के आसपास के 25 गांवों में अभी तक राहत नहीं पहुंची। वह 25 गांव इस राहत से महरूम रह गये। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर के आसपास का जितना भी एरिया है वह 25 गांव हैं, जिनकी कि उन्होंने चर्चा की है, उसके लिये कलेक्टर भरतपुर को बाढ़-ग्रस्त एरिया में रिलीफ देने के आदेश दे दिये हैं। आज सदन में बयाना से आने वाले माननीय सदस्य और वैर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि वहां की स्थिति बहुत ही खराब है और वहां तुरन्त राहत पहुंचाई जाना अनिवार्य है। उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तीन चार दिन पहले, बयाना से वाया भूसावर को भरतपुर की तरफ जो बाढ़ आ रही थी उसको रेस्टोर कर दिया है। वहां पर लोगों के राशन की व्यवस्था कर दी गयी है। और राशन में बाढ़ग्रस्त एरिया में, आटा, गुड़, चना वितरित किया जा रहा है। कलेक्टर भरतपुर के डिस्पोजल पर यह सभी खाद्यान्न भेज दिया गया है। इन एरियाज में गेहूं वितरित नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये एक खास बात और बता देना चाहता हूं कि कल मेरी कलेक्टर से

(श्री परसराम मदेरणा)

बातचीत हुई है और उसे हमने इस बात की डिस्क्रीशनरी पावर दे दी है कि इन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में अग्रिम रिलीफ के लिये सात दिन तक मुफ्त आटा और गुड़ बांटा जायेगा। इसके अलावा बयाना से आने वाले माननीय सदस्य और वैर से आने वाली माननीय सदस्या ने यहां इस सदन में कहा है कि अभी वहां पर तीन चार महीनों तक भूमि हीनों को मुफ्त राहत पहुंचाने की जरूरत है। तो उसके बारे में आपको आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी मुख्य मन्त्री भरतपुर के बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा करने गये थे तो उन्होंने वहां पर स्पॉट पर भरतपुर कलेक्टर को ऐसा आदेश दिया कि अगर हालत खराब रहे तो जो सात दिन अवधि तक मुफ्त रिलीफ देने की व्यवस्था है वह 15 दिन तक कलेक्टर अपने डिस्क्रीशन पर बढ़ा सकता है। इसके आगे भी अगर हालत खराब रहती है तो मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिये भी राज्य सरकार केबीनेट में निर्णय लेगी। बाढ़ के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि भरतपुर में जो बाढ़ आयी है वह वर्षा से नहीं आयी है बल्कि बाण गंगा में बाढ़ आने की वजह से और इधर जमुवारामगढ़ बसवा के आसपास के इलाकों में ज्यादा वर्षा होने से छोटे मोटे बान्ध टूट गये थे उससे यह इलाका बाढ़ग्रस्त हो गया है। इधर ज्यादा वर्षा होने से जो बाढ़ आयी है उससे जो अजान बान्ध है उसमें भी क्रेक्स आ गयी हैं और इसके अलावा एक बात और है, वह यह है कि करौली में करीब 25–30 इन्च वर्षा हो गयी और सवाई माधोपुर जिले में ज्यादा वर्षा होने से गम्भीरी नदी में बाढ़ आजाने से उसके आस पास के बांध भी टूट गये। सवाई माधोपुर जिले के बांध टूटने से उसका बहाव दूसरी तरफ हो गया और अगर यह नहीं होता तो भरतपुर को खतरा हो सकता था। क्योंकि कुछ पानी आगे निकल गया और उससे यू० पी० के 100-150 गांव अफेक्टेड हो गये। पानी का बहाव अलग हो जाने से भरतपुर शहर बच गया वरना भरतपुर शहर को पूरा खतरा था। मैं सदन के माननीय सदस्यों को, और खासकर उन सदस्यों को जो कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से आने वाले हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार बाढ़ की स्थिति के बारे में अपने कर्तव्य को समझती है और उसके बारे में पूर्ण जागरूक है। मैं सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि बाढ़ग्रस्त ऐरिया के जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

**एक माननीय सदस्य** : लैण्ड रेवेन्यू के बारे में? कैटल कन्जरवेशन के बारे में?

**श्री परसराम मदेरणा** : लैण्ड रेवेन्यू के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मसला अकाल में नहीं आता है। अकाल के संबन्ध में कुछ सदस्यों ने कैटल कन्जरवेशन के बारे में कहा है उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बारे में सरकार जागरूक है। और जहां अकाल की स्थिति है वहां पर रिलीफ चालू किये गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने सदन में कहा है कि ऐसा कार्य किया जाय जिससे कि धन का अपव्यय न हो उसके बारे में राज्य सरकार ने अब ऐसे कार्य

(श्री परसराम मदेरणा)

कराने की योजनायें बनायी हैं जो कि रेम्यूनरेटिव वर्क्स हों। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सड़क बनाना, तालाब बनाना वगैरहा ऐसे कार्य हैं जिन में धन का अपव्यय ज्यादा होता है उनको हाथ में नहीं लिया जाय। तो इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि अब राज्य सरकार ने रेम्यूनरेटिव वर्क्स हाथ में ले लिये हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कुछ जिलों में राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य शुरू करा दिये हैं और कुछ जिलों में अभी तक अकाल राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। उसके लिये मैं राज्य सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार सभी जिलों की तरफ बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में छीपा बड़ौद, शाहबाद आदि तहसील में जाकर देखें कि वहां पर जनता की क्या स्थिति है। हालांकि मैं वहां नहीं जा सका हूं, इसका मतलब यह नही है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह सही है कि पहले छीपा बड़ौद, शाहबाद, सिरोही और इधर जोधपुर डिविजन में और पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं हुई थी। अकाल की स्थिति पैदा हो गयी थी। पर अभी पिछले दस दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में, जहां कि पहले वर्षा नहीं हुई थी, वहां पर वर्षा हुई है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज ही मेरे पास खबर आयी है कि जोधपुर में आज तक 73 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जहां पर पहले आन्धियां चल रही थीं वहां पर वर्षा हुई है। इस प्रकार जालौर में 80 से लेकर 40 मिलीमीटर वर्षा हुई है। भीनमाल में 30 मिली मीटर वर्षा हुई, सांचौर में 15 मिली मीटर वर्षा हुई, चौहटन में जहां पर वर्षा नहीं हुई थी वहां पर 10 से लेकर 12 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसके अलावा जो अकाल स्थिति वर्षा नहीं आने से पैदा हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि मानसून समय पर नहीं आया। दूसरे इस बार जो मानसून आये वह अरेबियन सी से उठकर आये थे न कि बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से मानसून न उठने से यह स्थिति हुई। इसके अलावा जालौर, बाड़मेर आदि पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में पहले थोड़ी वर्षा हुई और लोगों ने फसल की बुवाई करदी और बाद में वर्षा नहीं होने की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। लेकिन अभी इन इलाकों में वर्षा होने से 60 प्रतिशत बाजरे की फसल खड़ी होने की गुन्जायश है। इसके अलावा अब मानसून उन इलाकों में पहुंच जाने से पीने के पानी के संबंध में और घास के संबंध में वहां की जनता को काफी मदद मिलेगी। आज के दस दिन पहले ऐसी हालत थी कि राज्य सरकार के सामने बहुत बड़ा पेचीदा और मुसीबत का प्रश्न पैदा हो गया था। राजस्थान ही नहीं किन्तु आस पास के पड़ोसी राज्यों में भी सूखे की स्थिति है। लाखों पशु मध्यप्रदेश में चले जाते थे लेकिन मध्यप्रदेश में भी अकाल था। वहां भी बारिश हो गयी है। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी मैं गया हेलीकाप्टर से। महुआ से आगे आते हैं तो पूरा का पूरा एरिया हरा दिखता है। 10 तारीख को जोधपुर गया था। उस समय जयपुर जिले की क्या हालत थी। जयपुर

(श्री परसराम मदेरणा)

की फसलें सूखने लग गयीं थी। अब वे वापिस हरी हो गयीं। करोड़ों के अन्दर संख्या है कैटल की। पूरी की पूरी को बचाने की सारी कोशिश करेंगे, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। पहले लाखों मवेशियों के माइग्रेशन का इन्तजाम किया था। ज्यादा परिश्रम करने के बावजूद भी पंजाब हरियाणा से 30 हजार क्विंटल से अधिक घास एक्सपोर्ट नहीं करा सके। लोगों के पास अपना स्टाक भी था। वह भी बहुत कम था यहां की पापूलेशन को देखते हुए। राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, उनके माननीय सदस्यों ने भी चारे के सम्बन्ध में एक सवाल खड़ा किया। कोटा में भी चारे की कमी है, भीलवाड़ा में भी चारे की कमी है। सहाड़ा, बनेडा तहसीलें हैं, वहां भी और डूंगरपुर और उदयपुर में भी काफी विषम स्थिति है। इसी प्रकार जोधपुर डिवीजन के कई जिलों में अकाल की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने जिलाधीशों को इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि जो सरकार के ट्यूब वेल्स हैं, उनके अलावा भी इमिडियेटली स्कीम तैयार करा ली जाय और राज्य सरकार के पास भेजी जाय, और साथ ही साथ ईरिगेशन आथोरिटीज को भी आदेश दे दिये गये हैं कि यदि दस पन्द्रह दिन में बारिश नहीं होती है और चारे का इन्तजाम नहीं होता है तो बड़ी तादाद में हरी घास उगानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। 70 हजार क्विन्टल घास फोरेस्ट के पास है। 32 हजार देने के लिये तैयार हो गये हैं। 1 लाख क्विन्टल के आस पास हो जावेगा। चारे की वास्तव में विषम स्थिति है। जब तक राजस्थान के आस पास के इलाकों में अच्छी स्थिति नहीं रहती है तो चारे की काफी विषम स्थिति हो सकती है। माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि ईरिगेशन के जो कुए हैं वहां पर घास उगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करें जिससे पशुधन की सुरक्षा कर सकें।

दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने बात कही कि राजस्थान की ईरिगेशन की पोटेन्शियलिटी बढ़ती गई और पंचवर्षीय योजनाओं के जैसे जैसे काम हाथ में लेते गये त्यों त्यों फेमीन पर अधिक खर्चा बढ़ता गया। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि 179 हैक्टर के करीब हैं, 18 परसेन्ट इलाके में मेजर डेम हैं, मिडियम और छोटे छोटे बांध हैं, पंचायत समितियों के छोटे टैंक्स भी हैं, काश्तकारों के टैंक्स भी हैं और बहुत से टैंक्स ऐसे हैं जिनसे इनडाइरेक्ट कुओं में पानी बढ़ता है और इसी प्रकार सिंचाई के कुए भी हैं। कुछ इलाकों को ले लीजिये। पूरा का पूरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिविजन, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को ले लीजिये, वहां पर कुओं में पानी ही जब आवेगा जब कि बांधों में पानी होगा। कुओं में पानी है तो बांध में भी पानी चला जावेगा। यदि तालाबों में पानी नहीं है, कुए नहीं भरे हैं तो तालाबों में पेटा काश्त कैसे हो सकती है। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के बाद में भी मानसून डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। दूसरे बंधे बने हुए हैं उनमें भी पानी नहीं है। जोधपुर से आने वाले माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य जानते होंगे, भारत सरकार सिचाई के काम को फर्स्ट प्रायरिटी देती है। अपने यहां खडीन कहते हैं। 200 के करीब हैं। पूरे सूखे पड़े हुए हैं। वर्षा नहीं होती है तो बन्धे खाली रह जाते हैं। इरिगेशन होना चाहिये वह नहीं होता है, कुओं के पानी में बढ़ोतरी न होकर एरिया का सिकेज हो जाता है। वर्षा कम होती है तो यह दिक्कत हो जाती है। प्लान बनाते गये और आगे बढ़ते गये। 64 में अकाल पड़ा। इससे पहले लम्बे अर्से तक अकाल नहीं पड़ा। 66, 67, 68, 69, 70 और इस वर्ष यह स्थिति आयी है। संवत् 25, 26 में जो स्थिति थी उससे आज के दिन स्थिति काफी गम्भीर है। न चारा हुआ है, न अनाज हुआ है। उस वक्त अनाज 20 पर्सेन्ट था। कुछ घास भी थी। कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, इन दिनों में। पहले भरतपुर के एरिया में काफी अच्छी बारिश हुई थी तो लाखों मवेशी उस एरिया में गये थे, आज वहां बाढ़ का प्रकोप है। तो आज मैं कहने की इस स्थिति में नहीं हूं कि कितना सुधार हुआ है। आने वाले दिनों में कितनी बारिश होती है और घास का प्रोडक्शन कितना बढ़ सकता है इस पर निर्भर है। कभी राज्य सरकार यह नहीं चाहती है कि यूटिलिटी वर्क्स न दिये जायं। लेकिन सरकार इस स्थिति में फंस जाती है। आज की स्थिति है अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो 15 हजार गांव सूखे की स्थिति में आवेंगे। 80-90 लाख की पोपुलेशन अकाल की चपेट में आ सकती है।

और 10 पर्सेन्ट की भी कमी न आते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां कि 25 पर्सेन्ट पापूलेशन अकाल की चपेट में है। इतने आदमियों को काम में लगाना है तो फिर यूटीलिटी के काम कैसे हो सकेंगे। 12½ रुपये की बात फलोदी वालों ने कही। यह पहले भी दिया था। भारत सरकार ने रजामन्दी जाहिर की थी, पर बाद में इन्कार कर दिया।

यह भी कहा गया कि यूटीलिटी वर्क लेने चाहिये। इनमें अगर डामर का काम हाथ में लेते हैं तो इसमें मेटीरियल कम्पोनेन्ट ज्यादा होगा। इसी तरह से राजस्थान कैनाल को आगे बढ़ाने का काम अगर करते हैं तो इसमें भी मेटीरियल कम्पोनेन्ट 60 प्रतिशत है। अब 4।। काम थे पर पाबन्दी लगा दी गई कि एक पर्सेन्ट मेटीरियल कम्पोनेन्ट से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। और अगर राज्य सरकार खर्च करना चाहती है तो वह अपने वित्तीय साधनों से काम ले। हमारे पास अब जो वित्तीय साधन हैं, वे आप जानते हैं।

तो जब हम पर यह बन्धन लगा दिया कि एक पर्सेन्ट कम्पोनेन्ट मैटीरियल का होना चाहिये इससे ज्यादा नहीं तो ऐसी स्थिति में अगर मजदूर काम पर आते हैं तो सभी को काम देना भी जरूरी है। इसलिये निवेदन कर दूं कि इन सब कामों की प्रायरिटी भारत सरकार ने पहले से तै कर रखी है।

ऐसी स्थिति में लास्ट रिजोर्ट हमारे पास यह रहता है कि हम सड़कों का काम हाथ में लें। नहीं तो ऐसी स्थिति भी रह सकती है कि यूटीलिटी वर्क न हों, काम न दें और भयंकर स्थिति बन जाय। लोग

(श्री परसराम मदेरणा)

भूखों मर सकते हैं। इसलिये यह तो एश्योरेन्स मैं सदन में देना चाहता हूं कि राज्य सरकार को कितना भी खर्चा क्यों न करना पड़े, यूटिलिटी वर्क के अलावा भी दूसरे वर्क हाथ में लेने पड़े, जोहड़ खुदाई, तालाब, सोइल कन्जर्वेशन, अफॉरेस्टेशन के काम हैं वे करने पड़े पर अभाव की स्थिति में किसी को भूख से नहीं मरने देंगें।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पक्के काम हाथ में लिये जावें, इर्रिगेशन के काम एनीकट के काम आदि आदि। पर मैं निवेदन करूं कि उधर का सारा इलाका पहाड़ी इलाका है, एनीकट बनाने में इर्रिगेशन के काम में कटिंग का काम बहुत है। यह सब मशीनरी की अपेक्षा रखता है तो इसलिये यह भी सम्भव नहीं है करना। हां, ज्यादा छोटे बान्ध अगर हों रेतीले मैदान में या जगह में तो ऐसे काम हाथ में ले सकते हैं। रेत के या रोड वर्क के सम्बन्ध में भी जितना मैटीरियल कम्पोनेन्ट खर्च किया था चाहे ब्लास्ट करवाई थीं, चाहे चिप्स करवाई थी, डामर डलवाया था या किसी एनीकट का पक्का काम कराया था। सबका खर्चा हुआ है राजस्थान सरकार का। उसका एक पैसा भी भारत सरकार ने नहीं बंटाया है। मैटीरियल कम्पोनेन्ट के काम का पैसा राजस्थान सरकार पर लोन के रूप में रहा है।

श्री मोहनलाल छांगाणी : राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां पड़ने वाले सारे अकाल का काम भारत सरकार ले। यह बात भारत सरकार तक पहुंचाने में आप हमारा लीडरशिप लें।

श्री परसराम मदेरणा : वित मन्त्री ने यह घोषणा में कहा था कि राजस्थान सरकार की वितय स्थिति अकाल में बहुत बड़ी राशि खर्च करने से खराब हुई है तो इसके लिये आगे से भारत सरकार एक नेशनल कैलेमिटी फण्ड बनाए और इस फण्ड में सभी हर साल कुछ कन्ट्रीब्यूट करें। इससे जहां कहीं भी इस तरह की स्थिति बने मदद की जाय।

छठा फाइनेन्सियल कमीशन बैठ गया है। राज्य सरकार ने अपने मेमोरेण्डम के जरिये पिछले साल जो खर्चा हुआ है उसके सामने रखने की तैयारी कर रही है। सरकार अपना केस बना रही है। हम इस सारे मामले को उसके सामने जोरदार तरीके से परस्यू करेंगे। यह तो राज के हाथ की बात है। पर भारत सरकार में भी चौथा फाइनेन्सियल कमीशन जो बैठा था उसने अपनी रिपोर्ट में पचास प्रतिशत लोन और पचास प्रतिशत एड का काम रखा है। इस तरह से इसने असिस्टेन्स में कोई कमी नहीं की। छठा कमीशन अब बैठा है जो सैन्ट्रल असिस्टेन्स के पैटर्न को थ्रू आउट कन्ट्री बनाएगा और इसके सामने हम अपने केस को रखेंगे।

पहले भी हमने यह प्रश्न उठाया था कि राजस्थान के भू-भाग को एक विशेष स्थिति है। यहां का रेनफाल देश भर से कम है। यहां अकाल हर साल एक न एक हिस्से में बराबर पड़ता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार हमें शत प्रतिशत एड दे। छठे कमीशन के सामने हम इसी मुद्दे को रख रहे हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

कई माननीय सदस्यों द्वारा और भी कई मुद्दे उठाये गये। उनका हरेक का उत्तर न देते हुए भी जो जनरल बात कही गई है कि सस्ती अनाज की दुकान जल्दी से जल्दी खोली जावें। इस बारे में मैंने जैसे पहले निवेदन किया था फिर कहता हूं कि राजस्थान के पास मोटा अनाज मक्का, बाजरा नहीं है। 16/17 हजार टन ही है दूसरा अनाज। जो है वह हम दे रहे हैं। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो अनाज वितरित किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि वह ठीक कैसे नहीं है। हम तो एफ० सी० आई० से ले रहे हैं। अगर इसमें कोई पुराना सड़ा गला या फोरिन मैटीरियल हो तो कलेक्टर को उसी वक्त एतराज कर देना चाहिये था। फिर भी हम आदेश दे रहे हैं कलेक्टर को कि जहां कहीं अनाज परटीकूलर स्पेसिफिकेशन से बिलो का हो तो एफ० सी० आई० वालों से नहीं लिया जाना चाहिये। हम उस मैटीरियल को नहीं लेंगे जो ह्यूमन कन्जम्पशन के लायक नहीं है या जिसमें फोरिन मैटीरियल है।

पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा गया। मैं जानता हूं कि बहुत से इलाकों में इसकी किल्लत है। इसके सम्बन्ध में राज सरकार ने जितनी रीजनल पाइप लाइन स्कीमें हैं वे करीब 28 इस साल चालू होने वाली हैं। 26 ऐसी हैं जिन पर काम चालू है। उनकी भी स्वीकृति हो चुकी है। यह भी हमने कह दिया है कि इन स्थानों पर इरिगेटेड ट्यूब वैल भी खोल दिये जावें। फिर ज्यों ज्यों हमें अधिक रिगें प्राप्त होती जावेंगी वहां ट्यूब वैल जल्दी से जल्दी खोदकर पानी की व्यवस्था की जावेगी।

अब पानी जहां ट्रान्सपोर्ट करते थे, वहां भी हमने आदेश दे दिये हैं कि इस व्यवस्था को रेस्टोर कर दिया जावे आगे भी। इसके लिये 73 फोर व्हील ट्रक और ट्रेक्टर हमने गरमी में पिछली बार में दिये थे वे काफी डिटीरियोरेट कण्डीशन में हैं। उनको रिपेयर करा रहे हैं। नये भी खरीद कर इस व्यवस्था को चालू रखने का सरकार ने निर्णय लिया है।

जहां तक कुओं को गहरा करने का प्रश्न है, यह भी सरकार करेगी चाहे इसके लिय मसला ब्यावर का हो या जोधपुर का हो चाहे पाली में हो। इसकी योजना बना रहे हैं आगे की। जोधपुर की स्कीम बनकर आ गई है। ब्यावर के सम्बन्ध में भी 9 तारीख को जिलाधीश ने हैण्ड पम्प की स्कीम बनाकर दी है इसमें भी डेढ़ लाख खर्च करके हैण्ड पम्प लगवा रहे हैं इसके अलावा भी दूसरे कामों को वार फूटिंग पर करके पानी का प्रबन्ध वहां के लिये किया जावेगा। ब्यावर में पानी की किल्लत हमेशा रही है। वहां पानी की कठिनाई को पूरी तरह से दूर करने का कोई भी रास्ता सरकार नहीं छोड़ेगी।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान कैनाल पर बीकानेर जिले के लोगों को काम पर नहीं लगाने की बात कही। मैं निवेदन कर दूं हमने आज भी और पहले भी कभी इन्कार नहीं किया, पर यह तथ्य है कि आज भी और पहले भी वे लोग वहां से कभी काम

(श्री परसराम मदेरणा)

करने नहीं आये। बीकानेर जिले में राजस्थान कैनाल चल रही है, पिछले अकाल में भी वहां काम करने वाले करीब तीस हजार लोग थे। 10 हजार मजदूरों को लगाने की क्षमता राजस्थान कैनाल की है। अगर ज्यादा लगाने की हुई तो ज्यादा से ज्यादा आदमी लगाने की बात है। 30 हजार आदमी राजस्थान कैनाल मे लगाने के बाद लेबर नहीं थी। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में अब लोग थे नहीं। हो सकता है अच्छी फसल हो गई हो और लोग अपने घरों को चले गये हों। फैमिन की सिवियरिटी नहीं थी। हमने फैमिन काम इसलिये नहीं खोले, डिसकशन किया, किस इलाके के लोगों को राजस्थान कैनाल में काम दिया जाना चाहिये। लूनकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने गुड ऑफिस को यूज करें। राजस्थान कैनाल जैसी योजना जो बीकानेर जिले मे निकल रही है छतरगढ़ से नहीं निकली तो मेरा मानना यह है कि अगर यह नहर आगे बढ़ी और अगर इस रेगिस्तान की धरती को चीरती हुई आगे नहीं बढ़ी तो उस सोल्यूशन को भी निकालना है।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : अब मजदूर राजस्थान कैनाल में काम में आने को तैयार हैं। दो महीने स्ट्राइक हो गई थी।

**श्री परसराम मदेरणा** : अब स्ट्राइक समाप्त हो गई है। आप लोगों को तैयार कीजिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां मेटीरियल के सम्बन्ध में बातें कहीं। पिछले सालों में जो मेटीरियल इकट्ठा हुआ पड़ा है उसमें डिपार्टमेंट की रेसपान्सिबिलिटी नहीं है, यह सूचना गलत है। टैक्नीकल ऐजेन्सी जो काम करती थी जितना मेटीरियल पड़ा है उसकी देखरेख में है। चोरी आदि की और उपयोग करने की जिम्मेदारी टैक्निकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। एफ० सी० आई० ने माल बेचा इसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन कुछ आक्शन जरूर कर रहे हैं और जब आक्शन कर रहे थे तो उसको रुकवाया। राजस्थान में पौने तीन लाख टन के आस पास पड़ा हुआ है। वह एफ० सी० आई० बाहर नहीं भेज सकती है। एक लाख का इन्डेन्ट भारत सरकार को पेश किया है। सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर रोक लगा सकें।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : 15 हजार बोरी भेजी है एफ० सी० आई० ने।

**श्री परसराम मदेरणा** : हमने पहले मांग की नहीं। तीन साल बाद बाजरे में घुन लग जाता है। कुछ तो पहले आवश्यकता नहीं थी। महाराष्ट्र में भेजा है। वहां आवश्यकता थी इसलिये बेच दिया होगा। मुझे मालूम नहीं किस प्राइस में वेचा है। हो सकता है कुछ घाटा हुआ होगा।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : 48 में खरीदा और 42 में बेचा है। हेन्डलिंग चार्जेज अलग है।

**श्री परसराम मदेरणा** : 48 की खरीद नहीं है। यह कब की बात है।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : दो महीने की।

**श्री परसराम मदेरणा** : हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं है। अनाज तो कुछ अर्से तक रखा जा सकता है लेकिन बाजरा...

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : बफर स्टाक...

**श्री परसराम मदेरणा** : आज बाजरे का ज्यादा स्टाक नहीं हो सकता है । कुछ माननीय सदस्यों ने वसूली के बारे में कहा, वसूली के बारे में मैं निवेदन कर दूं सदन के करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है कि जो वसूली हो रही है उनको अविलम्ब रोक दी जाय । कल मंत्री मण्डल की बैठक हो रही है । मैं इसको वहां ले जा रहा हूं । इसके बारे में मैंने आज ही मुख्य मंत्री जी से बात की है । मैंने यह भी सुझाव दिया था कि मैं सदन को आश्वासन दे दूं किन्तु कल मंत्री मण्डल के तय हो जाने पर ही कुछ स्थिति बन पायेगी । फसलें खराब हो रही हैं नष्ट हो रही हैं बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से इसलिये वसूली रोकनी चाहिये । नहीं तो दूसरी तरह की स्थिति खड़ी हो सकती है। पिण्डवाडा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं रोटी भी नहीं खाऊं और मुझे भरतपुर भाग जाना चाहिये । मैं उनका नेक शुक्र गुजार हूं । विधान सभा की बैठक हो रही है। यह नहीं हो सकता है। मैं इस समय विधान सभा छोड़कर भाग जाता । अकाल या बाढ़ पर खर्च करने की—रिलीफ मंत्री अभी यहां पर मौजूद नहीं हैं । मैं यहां पर हूं । रात का एक बज गया है । वे कहें तो मैं भाग जाऊं। आज खाना खाया नहीं है। काम को ऐफिसियेन्टली चलाना पड़ता है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हर जगह रिलीफ वर्क को देखने जाऊं तो इसमें मेरा निवेदन है, मेरे सब जगह जाकर देखने से काम हो जायगा, मैं इसको नहीं मानता । डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन फुल स्विंग में है या नहीं, नीचे के अधिकारी काम करते हैं या नहीं । उस बात की कमी आई तो एक बार नहीं कई बार जाना पड़ता है। मैं स्वयं देखना चाहता हूं। एक बार जाकर आया भी हूं, कल मुख्य मंत्री जी जाकर आये हैं । मैंने आॅर्डर्स दिये हैं फोन पर । भरतपुर के कलेक्टर से पूछ लेना मैं दिन में तीन बार फोन करता हूं ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : माननीय सदस्य का कहना है अकाल सहायता मंत्री जी भोजन नहीं करेंगे तो धान की समस्या हल हो जायगी । शायद भोजन नहीं करते हैं या इतना भोजन करते हैं कि अकाल की समस्या तो बराबर बनी रहती है ।

**श्री परसराम मदेरणा** : अब मैं माननीय सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं । राज्य सरकार ने जिलाधीशों को इस बात के आदेश दिये हैं जो भी काम लेना है राहत के उनको प्लान तैयार कर लेनी चाहिये-मास्टर प्लान । मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जहां कहीं अकाल राहत के काम चलते हैं उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमितता नहीं हो इसके लिये अवश्य कोई न कोई हल निकालेंगे ताकि कोई व्यक्ति गड़बड़ी और अनियमितता नहीं कर सके। 1959 में इस प्रकार के आदेश दे दिये गये थे लेकिन कुछ अनुपालन नहीं कर रहे हैं । फर्जी मस्टर रोल की कार्यवाही नहीं हो-इसके लिये सख्त कदम उठाये जा रहे हैं । एक्जीक्यूटिव ऐजेन्सी के जो ओवरसियर हैं उनके कहने से मैं इस तरह के काम खोलने वाला नहीं हूं । एक गलती सिस्टम में रह जाती है तो उसका सुधार करना है । कोई व्यक्ति बेईमान है, करप्शन करता है और फर्जी मस्टर रोल का फुल प्रूफ है तो फेमिन

(श्री परसराम मदेरणा)

कोड के अनुसार उस पर कार्यवाही होनी चाहिये और यह इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात के आदेश दे रहे हैं कि समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको पहले काम में लगाया जाये और ऐसा न हो कि एक फैमिली के अन्दर दस आदमी हैं और दसियों ही काम पर लग जायें और एक फैमिली का एक भी आदमी काम पर नहीं लग पाये इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पच्चीसे के अकाल में नहीं लेकिन छब्बीसे के अकाल में आदेश दिये थे कि जहां फैमिली में 5 मेम्बर्स हैं उस फैमिली के 2 आदमी लगेंगे, जहां फैमिली में 6 मेम्बर्स हैं उनमें से 3 आदमी लगेंगे, जहां फैमिली में 8 मेम्बर्स हैं उनमें से 4 आदमी काम पर लगेंगे और जहां फैमिली में 8 से ऊपर मेम्बर्स हैं उनमें से 5 आदमी काम पर लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। यह आदेश इसलिए दिये थे कि परिवार की आमदनी इतनी हो जाये कि जिससे वह अपना गुजारा चला सकें। इसीलिए मिलो कार्ड पहले प्रिन्ट किये जायेंगे। जिलाधीशों की यह सब से पहली जिम्मेदारी होगी कि वह कार्ड्स बनवालें। जब फैमिन की चर्चा बजट पर होगी और बजट सेशन में होगी उस समय कई शिकायतें आयेंगी कि फर्जी मस्टररोल बन गये इसलिए मैं इस सिस्टम को फुल प्रूफ करना चाहता हूं।

यहां पर लोंग टर्म और परमानेन्ट सालूशन ऑफ ड्राट की बात कही। फलोदी और भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्यों ने, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल हमारे प्रान्त में ही नहीं होता बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में भी सूखे की स्थिति रहती है। आंध्र प्रदेश में रहती है, महाराष्ट्र के इलाके में रहती है, बिहार के इलाके में रहती है और राजस्थान के इलाके में भी रहती है और तामिलनाडू में रहती है इसलिए भारत सरकार ने 70 पर्सेन्ट टाइम बाऊन्ड प्रोग्राम बनाया था और 100 करोड़ की योजना बनायी और परमानेन्ट तरीके से उसमें काम हो—यह काम चल रहे हैं।

बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बारे में भी जिक्र किया गया। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इरिगेशन और इसी तरह के काम लिये जांय। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर दो–दो करोड़ की आउटले है जो इरिगेशन के काम इनकम्पलीट पड़े हैं उनको कम्पलीट कराने के लिए वह अमाउन्ट सेंक्शन हुआ है और वहां काम चल रहे हैं इसलिए दूसरे इलाकों में जहां इरिगेशन की पासीबिलिटी थी वह काम भी हाथ में लिए गए, एफोर्सटेशन के काम हाथ में लिए गए–यह सब करने के बावजूद भी अगर मानसून हमारे साथ दगा करता है तो सब प्रयत्न होते हुए भी कि बीकानेर के इलाके के अन्दर राजस्थान कैनाल निकलेगी और राजस्थान कैनाल निकलेगी तो आप भोजन करेंगे तो उससे आपकी भूख मिटेगी मेरी उससे भूख मिटने वाली नहीं है और कई डिस्ट्रिक्ट्स में आज कमान्ड एरिया के अन्दर जो हैं तीन सिस्टम इरिगेशन में हैं। आधे इलाके के अन्दर अकाल पड़ता है और काम खोलने पड़ते हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि यदि कैनाल आती है तो फूड प्रॉडक्शन में बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सभी इलाकों में तो ऐसा नहीं हो सकता।

(श्री परसराम मदेरणा)

वहां पर कोएसस देखना चाहते हैं तो वह होने वाला नहीं है पूरे डेजर्ट में। पूरे डेजर्ट में कैनाल बनाना, ट्यूबवैल की बात करना तो मैं आपको कहूं कि ट्यूब वैल तो सभी जगह बहुत खोदे गये हैं। जैसलमेर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि इससे पशुओं के लिए घास उगाई जा सकती है। तो वह कोई घास उगाने वाले नहीं हैं। 500 या 600 फुट गहरे ट्यूबवैल हैं। या तो पश्चिमी इलाके में जो ट्यूबवैल हैं वह तो पाताल तोड़ पानी है और दूसरे इलाकों में हैं उनकी सब–साइल क्वालिटी है। ट्यूब वैल इतने गहरे हैं कि यदि इतनी लम्बी ट्रान्स-मीशन लाईन डालें तो वह इकानामिकल नहीं होगी ऐसी वहां की भौगोलिक स्थिति है। इसलिए ट्यूबवैल खोदने के सम्बन्ध में डिपार्टमेन्ट से मैंने बात की थी। वह भी अपने प्लान योजना के अन्दर 70–80 ट्यूबवैल खोदने का प्रोग्राम हाथ में ले रहे हैं। इसके लिए पहले सोर्स मालूम करना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चल सकेगा। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक भी ट्यूबवैल बिना कमिशन किये हुए हम छोड़ने वाले नहीं हैं।

दूसरे सबसिडी का सवाल है और ट्रान्सपोर्टेशनस का सवाल है सभी इन्तजाम किये जायेंगे लेकिन जहां पानी बहुत ही कम हो जायगा हम वहां कुओं को गहरा करेंगे। और आज ब्यावर का इलाका है। पूरे इलाके का सब-साइल क्वालिटी है। मैंने जिलाधीश को आदेश दिये हैं कि पूरी योजना बना कर हमारे पास में लायें लेकिन उसके बाद में भी पानी नहीं है, कुछ पानी का फैलाव नहीं है, तो उनमें निश्चित् रूप से पानी कम हो जायेगा। यह बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। इसलिए कल स्टेडी टीम के चेयरमेन हैं और जो सूखे से पीड़ित इलाके हैं उसमें वह जा रहे हैं और परसों वापिस आयेंगे। राज्य सरकार भी उनसे बात करेगी। मैं अभी उनसे मिल नहीं सका हूं। लेकिन वह परसों शाम को वापिस आयेंगे तब बात करूंगा। भारत सरकार के एग्रीकल्चर के स्टेट मिनिस्टर यहां आये थे 10 तारीख को। उनसे हमने इसकी जानकारी की थी और आज भी बारिश वैस्टर्न मानसून की आई है उससे स्थिति में कितना फर्क आता है उसका असेसमेन्ट राज्य सरकार करती रहेगी।

मैं इतना सदन के सभी माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसी आवश्यकता हुई पानी की व्यवस्था भी सरकार करेगी, अनाज की व्यवस्था भी करेगी, मोटे अनाज की व्यवस्था भी करेगी। मक्का उपलब्ध है, बाजरा भी उपलब्ध है वह भी लोगों को सरकार उपलब्ध करायेगी और इस व्यवस्था में जो कमी है उसमें एफीशियेन्सी लाने के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं उठा रखेगी। माननीय सदस्यों ने सूखे के सम्बन्ध में चर्चा की है और उस पर अपने सुझाव रखे हैं, आपके सुझावों का मैं आदर करता हूं। आपके जितने सुझाव हैं उनके सम्बन्ध में मंत्री मण्डल में निर्णय लिया जायेगा और मैं उनको मंत्री मण्डल के सामने रख रहा हूं ताकि उन पर कोई निर्णय लिया जा सके। आप अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वहां की जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि राज्य सरकार, जो आज सूखे की स्थिति में है, अभाव की स्थिति में हैं और बाढ़ की वजह से जो लोग डूब में आये हुए हैं उनको राहत देने का प्रयत्न करेगी और

# Page No 229



(श्री परसराम मदेरणा)

किसी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया जायेगा। जो बाढ़ आयी है उससे लोगों की फसल भी खराब हो गयी है, दूसरे-दूसरे नुकसान भी हुए हैं लेकिन प्रकृति के प्रकोप के सामने जितना उसको रोक सकते हैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे और उस ओर प्रयास किया जायेगा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का, जो राजस्थान के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, राजस्थान सरकार के सामने चैलेंज है, उस चैलेंज में आप लोगों का सहयोग मिलेगा और हर प्रकार से काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को राहत देने में आपका निरन्तर सहयोग राज्य सरकार को मिलता रहेगा, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनेक सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष :** नो क्वेश्चन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी क्वेश्चन सो फार दिस मोशन इज कन्सर्न्ड।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित् काल के लिए स्थगित की जाती है।

---

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक 18-8-72 को प्रातः 1 बज कर 11 मिनट पर अनिश्चित् काल के लिए स्थगित हुई )

---

Page No 230



# परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 28 की सूची)

उच्च प्राथमिक शाला खोलने व जिलेवार निर्धारित केन्द्र

1972-73

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 41 |
| 2. | अलवर | 55 |
| 3. | भरतपुर | 58 |
| 4. | जयपुर | 67 |
| 5. | झुन्झुनू | 71 |
| 6. | सीकर | 37 |
| 7. | सवाई माधोपुर | 48 |
| 8. | टोंक | 24 |
| 9. | बीकानेर | 21 |
| 10. | चूरू | 32 |
| 11. | गंगानगर | 40 |
| 12. | बाड़मेर | 30 |
| 13. | जैसलमेर | 10 |
| 14. | जोधपुर | 35 |
| 15. | जालोर | 25 |
| 16. | सिरोही | 15 |
| 17. | नागौर | 45 |
| 18. | पाली | 32 |
| 19. | कोटा | 46 |
| 20. | बूंदी | 19 |
| 21. | झालावाड़ | 29 |
| 22. | बांसवाड़ा | 29 |
| 23. | भीलवाड़ा | 41 |
| 24. | डूंगरपुर | 20 |
| 25. | चित्तौड़गढ़ | 41 |
| 26. | उदयपुर | 77 |
| 27. | अवशिष्ठ | 26 |
| | | 1,000 |

# परिशिष्ट 2

( ता० प्र० सं० 30 की सूची )

**श्रम न्यायालय, राजस्थान, जयपुर**

| क्रम संख्या | मुकदमा का वर्णन | मुकदमों की संख्या जो 15-4-72 को विचाराधीन है | सम्बन्धित कामगारों की संख्या | मुकदमों की संख्या जो 2 साल से अधिक समय से चल रहे हैं | मुकदमों की संख्या जो 5 साल से अधिक समय से चल रहे हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रेफरेन्स | 420 | 1100 | 132 | 12 |
| 2. | शिकायत जे० दफा 33 ए० | 21 | 21 | 4 | 3 |
| 3. | मु० द० जे० दफा० 35 (2) | 53 | 74 | 58 | .. |
| 4. | मु० द० जे० प० 33 सी० | 375 | 375 | 83 | 42 |
| 5. | एस० ओ० अपील | 4 | .. | 3 | .. |
| 6. | दरख्वास्त जे०दफा 13 ऐ० स्टेंडिंग आर्डर्स एक्ट | 5 | 5 | .. | .. |
| 7. | दरख्वास्त जे० दफा० 33 सी० (केन्द्रीय सरकार) | 121 | 121 | 10 | 5 |
| | योग .. | 999 | 1696 | 290 | 52 |

ह० जर्ज,
लेबर कोर्ट, राजस्थान, जयपुर।

Statement showing the number of
Industrial Tribunal,

| Description | Opening balance on 1-1-71 | INSTITUTED 1-1-71 to 31-3-71 | 1-4-71 to 30-6-71 | 1-7-71 to 30-9-71 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Reference U/s. 10 | 206 | 50 | 17 | 32 |
| 2. Complaint U/s. 33-A | 228 | 57 | 22 | 40 |
| 3. Misc. cases U/s. 33 (2) (b) | 134 | 6 | 13 | 10 |
| 4. Misc. Appeal U/s. 9-I | 1 | Nil | 1 | Nil |
| 5. Reference Cent. Govt. U/.s 10 | 29 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Complaint Cent. Govt. U/s. 33-A | 3 | Nil | 5 | Nil |
| 7. Misc. cases Cent. Govt. U/s. 33(2)(b) | 6 | Nil | Nil | Nil |
| TOTAL .. | 607 | 115 | 61 | 86 |

# Page No 233



cases Instituted and Disposed of by
from 1-1-71 to 31-12-71

| 1-10-71 to 31-12-71 | Total | Disposed of 1-1-71 to 31-3-71 | 1-4-71 to 30-6-71 | 1-7-71 to 30-9-71 | 1-10-71 to 31-12-71 | Total | Pending at the end of year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 325 | 16 | 19 | 28 | 26 | 89 | 236 |
| 28 | 275 | 42 | 9 | 44 | 23 | 118 | 257 |
| 18 | 181 | 7 | 13 | 12 | 93 | 125 | 56 |
| 1 | Nil | Nil | 1 | Nil | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 43 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 32 |
| Nil | 8 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | 8 |
| Nil | 6 | Nil | 3 | Nil | Nil | 3 | 3 |
| 72 | 941 | 67 | 46 | 87 | 148 | 348 | 593 |

Sd/-
JUDGE,
*Industrial Tribunal,*
*Rajasthan, Jaipur.*

# परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 34 की सूची)

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN

## FOOD SUPPLIES DEPARTMENT

*Sub*:—Statement showing the Fair Price Sugar Shops

| S. No. | Name of District | | | | Sugar Shops |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajmer | .. | .. | .. | 435 |
| 2. | Alwar | .. | .. | .. | 638 |
| 3. | Barmer | .. | .. | .. | 241 |
| 4. | Bundi | .. | .. | .. | 109 |
| 5. | Banswara | .. | .. | .. | 189 |
| 6. | Bharatpur | .. | .. | .. | 273 |
| 7. | Bhilwara | .. | .. | .. | 301 |
| 8. | Bikaner | .. | .. | .. | 131 |
| 9. | Churu | .. | .. | .. | 259 |
| 10. | Chittorgarh | .. | .. | .. | 289 |
| 11. | Dungarpur | .. | .. | .. | 162 |
| 12. | Ganganagar | .. | .. | .. | 278 |
| 13. | Jaipur | .. | .. | .. | 709 |
| 14. | Jodhpur | .. | .. | .. | 316 |
| 15. | Jaisalmer | .. | .. | .. | 79 |
| 16. | Jalore | .. | .. | .. | 138 |
| 17. | Jhunjhunu | .. | .. | .. | 302 |
| 18. | Jhalawar | .. | .. | .. | 96 |
| 19. | Kota | .. | .. | .. | 288 |
| 20. | Nagour | .. | .. | .. | 363 |
| 21. | Pali | .. | .. | .. | 319 |
| 22. | Sikar | .. | .. | .. | 331 |
| 23. | Sawai Madhopur | .. | .. | .. | 411 |
| 24. | Sirohi | .. | .. | .. | 76 |
| 25. | Tonk | .. | .. | .. | 172 |
| 26. | Udaipur | .. | .. | .. | 440 |
| | TOTAL .. | .. | .. | .. | 7,075 |

विषय:– सस्ते गल्ले की दुकानों की सूचना

| नाम जिला | | दुकानों की प्रस्तावित सं० | दुकानें जो खोली गईं। | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 433 | 433 | शक्कर वितरण का कार्य भी ये ही दुकानें कर रही हैं। |
| 2. | अलवर | – | 13 | |
| 3. | बाड़मेर | 200 | 57 | शक्कर वितरण का कार्य भी ये ही दुकानें कर रही हैं। |
| 4. | बून्दी | 26 | – | |
| 5. | बांसवाड़ा | 56 | – | |
| 6. | भरतपुर | – | – | |
| 7. | भीलवाड़ा | 110 | 40 | |
| 8. | बीकानेर | 191 | 64 | |
| 9. | चूरू | 203 | 28 | |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 160 | – | |
| 11. | डूंगरपुर | 61 | 50 | |
| 12. | गंगानगर | 51 | 51 | |
| 13. | जयपुर | 240 | 240 | शक्कर वितरण का कार्य भी ये ही दुकानें कर रही हैं। |
| 14. | जोधपुर | 310 | 310 | |
| 15. | जैसलमेर | 90 | 84 | |
| 16. | जालौर | 216 | – | लाइसेन्स के लिए आदेश दिया गया। |
| 17. | झुन्झुनूं | 160 | 160 | |
| 18. | झालावाड़ | 46 | 44 | |
| 19. | कोटा | 71 | – | |
| 20. | नागौर | 425 | – | |
| 21. | पाली | 327 | 327 | |
| 22. | सीकर | 45 | 16 | |
| 23. | स० माधोपुर | – | – | |
| 24. | सिरोही | 150 | 75 | |
| 25. | टौंक | – | – | |
| 26. | उदयपुर | 204 | 34 | |
| | योग: | 3775 | 2026 | |

## परिशिष्ट 4

### समयाभाव के कारण सदन में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

#### अधिकारियों की सम्पति की जांच

35. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार, सरकारी अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच करने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से?

(2) यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ने इसकी प्रारम्भिक रूप रेखा तैयार कर ली है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(1) जी नहीं, आवश्यकता होने पर ही सम्बन्धित अधिकारी की सम्पत्ति की जांच कर ली जाती है।

(2) समस्त अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच अकारण किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं की गई है।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता है।

#### तहसील शेरगढ़ के अ विग्रस्त ग्राम

36. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ के कितने अभावग्रस्त गांवों की सूची जिलाधीश, जोधपुर के कार्यालय से सहायता विभाग को भेजी गई थी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सहायता विभाग द्वारा तहसील शेरगढ़ के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये? गांव चोरड़िया के अभावग्रस्त गांवों की सूची में से क्यों हटा दिया गया है?

(3) जोधपुर के जिलाधीश ने अकाल सहायता समिति की सिफारिश पर किन-किन कार्यों को अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में खोलने की सूची भेजी है? उनमें से तहसीलवार कौन-कौन से कार्य सहायता विभाग से मन्जूर कर खोलने के आदेश दिये गये हैं?

(4) तहसील फलौदी तथा शेरगढ़ में कितने गांव ऐसे हैं जो गत तीन वर्ष से अभावग्रस्त हैं तथा उन गांवों की बिघोड़ी की माफी एक वर्ष की गई है?

(5) पीने के पानी की दृष्टि से कितने गांवों में राज्य सरकार ने बन्दोबस्त किया है? जोधपुर जिले की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ के 52 गांवों में 8 आने से अधिक फसल खराब होने और अभाव स्थिति घोषित किये जाने के लिए प्रस्ताव जिलाधीश, जोधपुर द्वारा सहायता विभाग को भेजे गये थे। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सहायता विभाग द्वारा तहसील शेरगढ़ के 51 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये

# Page No 237



( अकाल सहायता मंत्री )

गये। ग्राम चोरडिया में 50 प्रतिशत से कम खराबा होने के कारण अभाव स्थिति घोषित नहीं की गई ।

(3) जोधपुर के जिलाधीश ने अकाल राहत परामर्श दात्री समिति की सिफारिश के अनुसार 7 कार्य सिचाई विभाग के अभिकरण से, 5 कृषि विभाग भू-संरक्षण के अभिकरण से तथा 25 सड़क कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से प्रस्तावित किये थे। इनमें से 5 भू-संरक्षण कार्य सहायता विभाग द्वारा दिनांक 1-6-72 को तथा 4 सिंचाई कार्य दिनांक 2-6-72 को स्वीकृत कर दिये गये। सड़क कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 30-5-72 को जिला-स्तरीय अधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात् स्वीकृति दी गई ।

(4) तहसील फलोदी के 28 गांव तथा तहसील शेरगढ़ के 11 गांव ऐसे हैं जो पिछले तीन वर्ष से निरन्तर अभावग्रस्त हैं जिनकी विघोड़ी की माफी एक वर्ष की कर दी गई है ।

(5) पीने के पानी की दृष्टि से जिला जोधपुर में 195 गांवों में ट्रक टैंकरों से तथा 31 जगहों पर पी० आई. द्वारा व्यवस्था की गई है । तहसीलवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

———

जिला धीश जोधपुर द्वारा अभावग्रस्त घोषित करने हेतु प्रस्तावित गांवों की सूची
( तहसील शेरगढ़ )

| क्र० सं० | नाम ग्राम | क्र० सं० | नाम ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1. | शेरगढ़ | 27. | जिजनयाला |
| 2. | साई | 28. | निम्बों का गांव |
| 3. | शान्तरा | 29. | खुडियाला |
| 4. | मांडूजाटों | 30. | लोढ़ता अवलायता |
| 5. | मांडुचारणो | 31. | लोढ़ता हरिदासोत |
| 6. | बावा | 32. | मालू कलां |
| 7. | सुपेलिया | 33. | मालू राजवा |
| 8. | दासानिया | 34. | जूडिया |
| 9. | सोमेसर | 35. | सुकेरिसांसण |
| 10. | पुगलिया | 36. | सुलकियातला |
| 11. | कनोविढसा महासिंह | 37. | सेतराबा |
| 12. | आसरलाई | 38. | चोरडिया |
| 13. | उठवाहुलिया | 39. | बोयासरिया |
| 14. | कुडकिया | 40. | जेठानिया |
| 15. | सगरा | 41. | बालेसरसता |
| 16. | चांदसमा | 42. | बालेसरदुर्गावता |
| 17. | सांवलों की ढाणी | 43. | कुईजोधा |
| 18. | देचू | 44. | कुई इन्दा |
| 19. | तेना | 45. | केतुहेमा |
| 20. | सुखमंडला | 46. | वेलवा |
| 21. | मिलाखोर | 47. | वस्तुवा |
| 22. | छवाडिया | 48. | डेरिया |
| 23. | कनोडिया पुरोहितान | 49. | मेरिया |
| 24. | देवानिया | 50. | लवारन |
| 25. | नाथढाऊ | 51. | चामू |
| 26. | गोपालसर | 52. | कलाऊ |

तहसीलवार पेयजल व्यवस्था की सूची:

| ट्रक टैंकर्स द्वारा | गांव |
|---|---|
| 1. जोधपुर | 109 |
| 2. बिलाड़ा | 24 |
| 3. ओसियां | 17 |
| 4. फलौदी | 37 |
| 5. शेरगढ़ | 8 |
| | 195 |
| **पी० आई० द्वारा** | |
| 1. बिलाड़ा | 1 |
| 2. फलौदी | 19 |
| 3. शेरगढ़ | 11 |
| 4. जोधपुर | .. |
| | 31 |

**आर० ए० सी० की सातवीं बटालियन के सेवा मुक्त जवान**

33. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 7 वीं बटालियन आर० ए० सी० जयपुर के जवानों को बंगाल में आये शरणार्थियों के कैम्पों की रक्षा के लिये यहां से दिनांक 13-6-71 को भेजा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि बंगाल की समस्या तय हो जाने के बाद उक्त बटालियन में से कुछ सैनिकों को रिटायर किया गया ? यदि हां, तो कितने सैनिकों को ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बटालियन में से जवान सैनिकों को तो निकाल दिया और बड़ी आयु वाले सैनिकों को वहां रखा गया ? यदि हां, तो 50 वर्ष की आयु वाले तथा उससे बड़े कितने कांस्टेबिल या हैड कांस्टेबिल हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बटालियन के कुछ जवानों को बंगाल में ही सेवा मुक्त कर दिया गया तथा उनको घर जाने का भी मार्ग व्यय या रेल्वे वारन्ट नहीं दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बटालियन के जयपुर से पश्चिम बंगाल में जाते समय श्री दीनदयाल एस० पी० को 70 हजार रुपये जवानों के कल्याणार्थ (वेलफेयर) दिये गये थे ? यदि हां, तो उन्होंने इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार से किया ?

**उत्तर**

1. बटालियन को आई० जी० पी०, पश्चिमी बंगाल के डिस्पोजल पर रखा गया था।

2. जी हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 30-6-72 से इस बटालियन को तोड़ दिया गया था जिसके फलस्वरूप पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा नियुक्त बोर्ड ने सैनिकों की छंटनी कर कुल 32 आरक्षक और 221 आरक्षकों को सेवामुक्त कर दिया गया था।

3. जी नहीं। 50 साल और उससे ऊपर आयु वाले केवल 3 हैड कांस्टेबिल व 3 सिपाही उनकी टेकनीकल योग्यता और अच्छे स्वास्थ्य के आधार पर रखे गये हैं।

4. जी नहीं। सिर्फ दोषी सिपाहियों को सेवा मुक्त किया गया था।

5. जी नहीं।

**जालोर जिले में खोली गई स्कूल**

38. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में जिलास्तर की कमेटी की बैठक जिले में उच्चतर प्राथमिक एवं प्राथमिक पाठशालाएं खोलने के लिए तारीख 29-6-72 को बुलाई गई थी ? अगर हां, तो उसमें किए गए निर्णयों के अनुसार कहां कहां, कितनी कितनी पाठशालाएं

(श्री रघुनाथ विश्नोई )
खोलने का निर्णय लिया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिला समिति के निर्णयों के विरुद्ध दूसरी पाठशालाएं खोलने के आदेश निरीक्षक विद्यालय, जालोर ने प्रसारित कर दिए ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या निरीक्षक विद्यालय, जालोर को ऐसा करने का अधिकार था ? अगर नहीं, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि तारीख 29-7-72 को मालूम पड़ने पर जिलाधीश, जालोर ने दुबारा निरीक्षक को बुलाकर उपरोक्त शिकायत की जांच की एवं सरकार को इस बारे में रिपोर्ट भेजी है ? अगर हां, तो जिलाधीश, जालोर ने कब एवं क्या रिपोर्ट भेजी है और उस रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कमेटी के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) यह सही है । निरीक्षक के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । विद्यालय निरीक्षक से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है ।

(4) जी हां । जिलाधीश ने अपने पत्र दिनांक: 5-8-72 द्वारा सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है । सरकार द्वारा जिलाधीश, जालोर को कमेटी के निर्णय दिनांक 29-6-72 के अनुसार ही कार्यवाही करने हेतु दिनांक: 7-8-72 को निर्देश दे दिये गये हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर विकास न्यास, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट्स

39. श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को नगर विकास न्यास, जयपुर की वर्ष 1969-70, 1970-71 के हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इन ऑडिट रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया इनका विवरण एवं ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) ऑडिट रिपोर्ट में जिन आपत्तियों का उल्लेख किया जाता है उसका कितने समय में निराकरण किया जाय इस प्रकार के कोई नियम राज्य सरकार ने बना रखे हैं ? यदि हां, तो आपत्ति निराकरण करने की अवधि कितनी है ? उक्त नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, जयपुर के वर्ष 1969-70 के हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक: 22-10-70

(नगर विकास न्यास मंत्री)

को प्राप्त हुई है। वर्ष 1970-71 की ऑडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) वर्ष 1969-70 के ऑडिट रिपोर्ट का अनुपालना प्रतिवेदन नगर सुधार न्यास, जयपुर द्वारा दिनांक 17-1-72 को स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को भेजा जा चुका है। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

राजस्थान स्थानीय निधि अधिनियम की धारा 10 तथा नियम 28 के अनुसार प्रतिवेदन का अनुपालना प्रतिवेदन उनकी प्राप्ति की तिथि से 3 माह के अन्दर भेजने की व्यवस्था है। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी हां। अनुचित भू-खण्ड आवंटन का उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, किन्तु न्यास के सभी आवंटनों को अनुचित नहीं मानते हैं। सिन्धी कॉलोनी के 21 प्लॉटों, गांधी शताब्दी के उपलक्ष में अनुसूचित जाति / जन-जाति को आवंटन हेतु 16 प्लॉटों तथा मोती डूंगरी विस्तार योजना में खुली भूमि से आवंटित समस्त प्लॉटों के आदेश निरस्त किये जा चुके हैं। शेष के विषय में वस्तुस्थिति से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत करा दिया गया है, क्योंकि आवंटन न्यास की सहज शक्तियों के अन्तर्गत ही हैं तथा जहां आवश्यक था वहां राज्य सरकार की स्वीकृति ली गई है / ली जा रही है। ऑडिट रिपोर्ट में किसी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है, अतः कार्यवाही करना संभव नहीं है।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**मन्त्री मण्डल के सदस्यों द्वारा की गई यात्राएं**

**40. श्री निरंजन नाथ आचार्य:** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मार्च, 1972 से जुलाई, 1972 तक मुख्य मंत्री, मंत्रियों व राज्य मंत्रियों में से प्रत्येक ने राज्य एवं राज्य के बाहर यात्रा करके कितनी धनराशि टी० ए० व डी०ए० के रूप में उठाई?

**उत्तर**

मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों व राज्य मंत्रियों द्वारा राज्य एवम् राज्य के बाहर मार्च, 1972 से जुलाई, 1972 तक यात्राओं हेतु टी० ए०, डी० ए० के रूप में उठाई गई धनराशि की मंत्रीवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

मार्च, 1972 से जुलाई, 1972 तक मुख्य मंत्री एवं मन्त्रियों व राज्य मंत्रियों द्वारा राज्य एवं राज्य से बाहर की गई यात्राओं हेतु टी० ए० व डी० ए० के रूप में उठाई गई धनराशि को तालिका:—

| क्रम संख्या | नाम मंत्री | राज्य में यात्रा यात्रा भत्ता 3क | राज्य में यात्रा दैनिक भत्ता 3ख | योग 3ग | राज्य के बाहर यात्रा यात्रा भत्ता 4क | राज्य के बाहर यात्रा दैनिक भत्ता 4ख | योग 4ग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री बरकतुल्ला खां, मुख्य मंत्री | 211.20 | 279.00 | 490.20 | 2044.54 | 713.00 | 2757.54 |
| 2. | श्री हरिदेव जोशी, स्वास्थ्य मंत्री | 180.17 | 186.00 | 366.17 | 303.75 | 155.00 | 458.75 |
| 3. | श्री परसराम मदेरणा, कृषि मंत्री | 115.20 | 527.00 | 642.20 | .. | .. | ... |
| 4. | श्री नारायणसिंह मसूदा, सहकारिता मंत्री | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5. | श्री चन्दनमल वैद, वित्त मंत्री | .. | 558.00 | 558.00 | 773.35 | 558.00 | 1331.35 |
| 6. | श्री रामचन्द्र चौधरी, राजस्व मंत्री | 1220.74 | 1240 00 | 2460.74 | 630.66 | 720.75 | 1351.41 |
| 7. | ओंकारलाल चौहान, श्रम मंत्री | 72.85 | 1457.00 | 1529.85 | 378.27 | 650.00 | 1029.27 |
| 8 | श्रीमती कमला बेनीवाल, राज्य मंत्री जनसम्पर्क | .. | ... | .. | .. | .. | .. |
| 9. | श्री जुझारसिंह, राज्य मंत्री, खनिज | 103.94 | 1395.00 | 1498.94 | . | 124.00 | 124.00 |
| 10. | श्री मूलचन्द, राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामों उद्योग | . | 1922.60 | 1922.0 | .. | 186.00 | 186.00 |

# Page No 244



**बीकानेर जिले के अभावग्रस्त ग्राम**

41. **श्री भीमसेन** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971-72 में बीकानेर जिले के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे तथा उनमें से कितने गांव लगातार एक वर्ष से अधिक की अवधि तक अभावग्रस्त घोषित थे ?

(2) राज्य सरकार ने उपरोक्त गांवों के कृषकों को रोजी देने के लिये क्या क्या अकाल राहत कार्य खोले तथा कितने लोगों को रोजगार के साधन मुहय्या किये ?

(3) क्या यह सही है कि अभावग्रस्त क्षेत्र के लोगों की गम्भीर स्थिति के होते हुए भी एवं संबंधित राजनीतिक संस्थाओं, पंचायत समितियों एवं विधायकों के बार बार राहत कार्य खोले जाने की मांग करने के बावजूद भी लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा सकी ?

**उत्तर**

(1) सन् 1971-72 में बीकानेर जिले के 415 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे उनमें से केवल 73 गांव एक वर्ष से अधिक निरन्तर अभावग्रस्त घोषित थे।

(2) राज्य सरकार ने उपरोक्त गांवों के कृषकों को रोजी देने के लिए राजस्थान नहर परियोजना पर श्रमिकों को भेजने की व्यवस्था की थी।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था के अनुसार लोगों को राजस्थान नहर परियोजना पर नहीं जाने के कारण अन्य सहायता कार्य नहीं खोले गये।

**सांचोर के स्कूलों के भवन**

24. **श्री रघुनाथ विश्नोई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, उच्च प्राथमिक (कन्या) पाठशाला, सांचोर एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला, सांचोर ढाणी, सांचोर के भवन अपर्याप्त हैं ? अगर हां, तो सरकार उक्त पाठशाला भवनों को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त पाठशाला भवनों को बनाने के लिये काफी जन सहयोग मिला है और आगे भी जन सहयोग मिलने की काफी संभावना है बशर्ते सरकार भी उसी मात्रा में अनुदान प्रदान करें ? अगर हां, तो सरकार उपरोक्त विषय में इस वर्ष क्या अनुदान करना उचित समझेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि सांचोर जैसे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र की दृष्टि से सरकार को पाठशाला

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भवन निर्माण के लिए विशेष प्रावधान रखने की आवश्यकता है ? अगर हां, तो सरकार ने अब तक इस बारे में क्या प्रयत्न किये हैं एवं भविष्य में क्या प्रयत्न किये जावेंगे ?

(4) क्या सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला भवन निर्माण के लिए जहां जन सहयोग की मात्रा प्राप्त नहीं होगी, वहां सरकार कोई अनुदान नहीं देगी, अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना नहीं चाहती ? अगर नहीं, तो सरकार क्या पाठशाला भवनों की शर्त ग्रामों में पाठशाला खोलते वक्त रिलेक्स करना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) सरकार ने बिना जन सहयोग की मात्रा के क्या कभी पाठशाला भवन निर्माण के लिए अनुदान की धनराशि तहसील सांचोर में मंजूर की है ? अगर हां, तो कब कब, कहां कहां ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) जी हां । बजट प्रावधान होने तथा जन सहयोग प्राप्त होने पर ही इन भवनों को पूर्ण करवाया जा सकता है ।

(2) इन भवनों के निर्माण के लिये कुछ जन सहयोग प्राप्त हुआ था। बजट में प्रावधान के अनुसार शालाओं के लिये 50 प्रतिशत जन सहयोग के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिये अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है ।

(4) भवन निर्माण की जिम्मेवारी स्थानीय जनता की है, अगर कहीं जन सहयोग की कोई भी आशा नहीं रही तो सरकार यथा परिस्थिति विचार करेगी ।

(5) जी नहीं ।

**मुख्य सचिव अन्य सचिवों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा टी० ए० एवं डी० ए० के रूप में उठाई गई राशि ।**

**43. श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

मुख्य सचिव एवं अन्य सचिवों तथा राजस्थान के उच्च अधिकारियों (विभागाध्यक्षों) ने मार्च, 72 से जुलाई, 72 तक कितनी टी० ए० एवं डी० ए० के रूप में धनराशि उठाई ?

(स्थगित किया गया)

**प्रभावग्रस्त क्षेत्र के निवासियों से वसूलियां**

**44. श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अफेक्टेड एरिया (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स)

Page No 246



(श्री भीमसेन)

एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभाव स्थिति के दौरान कृषकों से समस्त प्रकार की वसूलियां बंद करने एवं उनके विरुद्ध चल रहे दीवानी मुकदमों की सुनवाई स्थगित करने, नये दीवानी मुकदमात दायर न करने एवं डिक्रियों की इजराय आदि पर कानूनन प्रतिबन्ध है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की वसूली उक्त कानून के प्रभावशील रहने तक कर सकती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऑडिट आब्जेक्शन्स के आधार पर ऐसे अभावग्रस्त घोषित किये गये क्षेत्रों के निवासियों से विशेष सहायता की राशि को वसूल करने का कोई कानूनी एवं नैतिक हक सरकार को प्राप्त नहीं है ?

(3) उपरोक्त कानून के प्रभावशील रहते हुए एवं दैवी प्रकोप से पीड़ित लोगों की दयनीय आर्थिक स्थिति के होते हुए ऐसी वसूलियों के आदेश किन अधिकारियों द्वारा किन आधारों पर दिये गए ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान एफेक्टेड एरिया (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 की धारा 3 व 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार जिस अवधि तक किसी क्षेत्र को दुर्भिक्ष या अभावग्रस्त घोषित करती है; उस अवधि तक धारा 5 से धारा 7 के अन्तर्गत धन की डिग्री या गिरवी को प्रभावशील बनाने में डिक्री या फोरकिलोजर के लिए अन्तिम या प्रारम्भिक डिक्री एवं किसी अदालत द्वारा गिरवी के बदले बेचान या फोरकिलोजर के लिए प्रारम्भिक या अन्तिम डिक्री की इजराय के लिए तथा नये दीवानी मुकदमा दायर न करने पर रोक लगाई जाती है। सहकारी बैंकों व पंचायत सीमितियों द्वारा दिये गये ऋण वसूली चूंकि न तो डिक्री से की जाती है और न दीवानी अदालत से की जाती है। अतः उक्त कानून के अन्तर्गत नहीं आती।

(2) ऑडिट एतराजात के आधार पर यदि अभावग्रस्त घोषित किये गये क्षेत्रों के निवासियों को दी गई विशेष सहायता नियमों के विरूद्ध पाई जाय तो वसूली पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

लालसोट व चाक्सू क्षेत्र में भू-तल जल का सर्वे

45. श्री मीठालाल : क्या भू-तल जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने जयपुर जिले की लालसोट व चाक्सू तहसील का भू-तल जल सर्वे पूर्ण करवा लिया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जयपुर जिले की लालसोट एवं चाक्सू पंचायत समिति का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण

(भू-तल जल मंत्री)

अभी तक नहीं करवाया जा सका है। लालसोट पंचायत समिति का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1972-73 में लिया जाने का कार्यक्रम है। चाकसू पंचायत समिति का विस्तृत सर्वेक्षण अभी संभव नहीं है क्योंकि विस्तृत सर्वेक्षण में वर्षा के पूर्व एवं वर्षा के बाद का जलस्तर व पानी का निकास और उसके फलस्वरूप जलस्तर का गिरावट सब का विस्तृत में ध्यान करना होता है और प्रत्येक क्षेत्र की जल क्षमता का जांच करना होता है इसमें काफी समय लगता है। राजस्थान भू-जल मण्डल के पास सर्वेक्षण के जितने दल है उनको दृष्टि में रखते हुये सर्वेक्षण की व्यवस्था की जाती है।

———

परिशिष्ट

(ता० प्र० सं० 28

LIST OF APPLICATIONS PENDING

| Name of the District | DT-14 | Belarus 47 H.P. | Zetor 5511 | Ursus | Zetor 2011 | Ford 3000 | Massey Ferguson 50 H.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajmer | — | 8 | 8 | — | 6 | — | 5 |
| Alwar | 7 | 10 | 18 | — | 11 | — | 13 |
| Banswara | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| Barmer | — | 3 | — | — | 3 | — | 1 |
| Bharatpur | 6 | 30 | 14 | 3 | 12 | — | 15 |
| Bhilwara | — | 4 | 4 | — | 4 | — | 1 |
| Bikaner | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Bundi | 1 | 8 | 1 | — | — | — | 1 |
| Chittorgarh | — | 6 | 2 | — | — | — | 6 |
| Churu | — | 19 | 4 | 1 | 5 | — | 4 |
| Dungarpur | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Ganganagar | 2 | 101 | 17 | — | 18 | — | 28 |
| Jaipur | 3 | 47 | 9 | — | 52 | — | 24 |
| Jaisalmer | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Jalore | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Jhalawar | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| Jhunjhuu | — | 10 | 1 | — | 2 | — | 5 |
| Jodhpur | 1 | 14 | 1 | — | 1 | — | 10 |
| Kota | 1 | 3 | 3 | — | 8 | — | 7 |
| Nagour | 1 | 15 | 5 | — | 6 | — | 3 |
| Pali | 1 | 9 | 1 | — | 4 | — | 13 |
| S. Madhopur | — | 10 | 1 | — | 4 | — | 6 |
| Sikar | — | 21 | 3 | — | 7 | — | 4 |
| Sirohi | — | 2 | — | — | — | — | 1 |
| Tonk | — | 4 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| Udaipur | — | 6 | — | — | 3 | — | 2 |
| TOTAL .. | 23 | 339 | 95 | 4 | 154 | — | 154 |
| Pending from | 10-3-69 | 14-4-70 | 20-7-70 | 4-7-72 | 19-7-71 | — | 28-9-70 |

5

की सूची)

FOR ALLOTMENT OF TRACTORS

| Russian T-25 | IMT 555 | International B-276 | IMT 35 H.P. | Massey Ferguson 35 H.P. | Zetore 35H.P. | Rumanian U651 | Deutz | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 4 | — | — | — | — | — | 31 |
| — | — | 5 | 1 | 1 | — | — | — | 66 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | 9 |
| — | 1 | 7 | — | 2 | 1 | — | — | 92 |
| — | — | 1 | — | 1 | 4 | — | — | 19 |
| — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| — | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 40 |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| — | 5 | 1 | 4 | 9 | — | — | — | 185 |
| — | 3 | 7 | 29 | 12 | 7 | — | — | 193 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| — | — | 3 | — | — | — | — | — | 8 |
| — | 6 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| — | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 26 |
| — | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | 23 |
| — | — | 9 | — | 1 | — | — | — | 32 |
| — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 36 |
| — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 32 |
| — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 24 |
| — | — | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 42 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 12 |
| — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 14 |
| — | 16 | 59 | 44 | 38 | 19 | 1 | — | 946 |
| — | 17-4-71 | 21-8-71 | 21-4-72 | 3-9-70 | 27-3-70 | 25-10-71 | — | — |

LIST OF ALLOTTED TARACTORS

| Name of the District | Bylaruse | Zetor 5511 | Ursus | Zetor 2011 | Ford 3000 | Massey Ferguson 135 | Russian T-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ajmer | 3 | 2 | 9 | 21 | 3 | 1 | 6 |
| 2. Alwar | 9 | 4 | 63 | 103 | 15 | 5 | 13 |
| 3. Banswara | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 4. Barmer | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| 5. Bharatpur | 7 | 4 | 134 | 209 | 9 | 10 | 24 |
| 6. Bhilwara | 4 | 3 | 11 | 21 | 4 | 2 | 4 |
| 7. Bikaner | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 8. Bundi | 3 | 2 | 9 | 21 | 5 | 1 | 7 |
| 9. Chittorgarh | 6 | 3 | 17 | 28 | 5 | 2 | 6 |
| 10. Churu | 8 | 3 | 16 | 22 | 17 | 1 | 7 |
| 11. Dungarpur | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12. Ganganagar | 16 | 6 | 59 | 126 | 25 | 7 | 26 |
| 13. Jaipur | 21 | 9 | 123 | 153 | 20 | 22 | 34 |
| 14. Jaisalmer | 1 | — | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 15. Jalore | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 16. Jhalawar | 3 | 2 | 8 | 10 | — | 1 | 3 |
| 17. Jhunjhunu | 9 | 1 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 18. Jodhpur | 3 | 4 | 13 | 44 | 3 | 8 | 7 |
| 19. Kota | 5 | 4 | 24 | 44 | 6 | 2 | 9 |
| 20. Nagour | 4 | 2 | 26 | 56 | 4 | 6 | 5 |
| 21. Pali | 4 | 2 | 19 | 34 | 3 | 1 | 10 |
| 22. Sawai Madhopur | 7 | 3 | 17 | 35 | 4 | 2 | 8 |
| 23. Sikar | 4 | 2 | 24 | 40 | 7 | 1 | 8 |
| 24. Sirohi | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 25. Tonk | 4 | 1 | 12 | 27 | 3 | 3 | 4 |
| 26. Udaipur | 8 | 5 | 20 | 23 | 6 | 3 | 9 |
| TOTAL .. | 146 | 70 | 665 | 1087 | 154 | 87 | 213 |

IN VARIOUS DISTRICTS

| IMT 555 | International B-276 | Russian DT-14 | German RSO9 | Rumanian U500 | Rumanian U650 | Rumanian U651 | Rumanian U650M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 60 |
| 7 | 7 | 10 | 11 | — | 4 | 4 | 4 | 259 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 39 |
| 10 | 11 | 8 | 26 | — | 15 | 20 | 9 | 496 |
| 5 | 2 | 2 | — | 2 | 9 | — | 8 | 77 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 52 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | — | 1 | 6 | 4 | 96 |
| 6 | 4 | 3 | — | — | 13 | 2 | 10 | 112 |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 19 | 24 | 13 | 6 | 1 | 67 | 48 | 7 | 450 |
| 16 | 11 | 21 | 46 | 3 | 19 | 32 | 6 | 536 |
| 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 25 |
| 3 | 2 | 4 | — | — | 6 | 1 | — | 43 |
| 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 34 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | — | 4 | — | 1 | 72 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 116 |
| 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 122 |
| 7 | 6 | 9 | 4 | — | 9 | 4 | 6 | 148 |
| 7 | 4 | 4 | 8 | — | 7 | 8 | 8 | 119 |
| 5 | 3 | 6 | 4 | — | 4 | 5 | 1 | 104 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | — | 116 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 29 |
| 5 | 3 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 68 |
| 6 | 4 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | 94 |
| 137 | 125 | 130 | 136 | 12 | 179 | 149 | 76 | 3364 |

## परिशिष्ट 6

( अ० ता० प्र० सं० 4 की सूची )

### पंचायत समिति, चाकसू के अन्तर्गत सभी विद्यालयों की सूची

| माध्यमिक | उच्च माध्यमिक | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक |
|---|---|---|---|
| 1. चंदलाई | .. | 1. चाकसू नं० 1 | 1. गरूड़वासी |
| 2. चाकसू | .. | 2. चाकसू नं० 2 | 2. गादेड़ा |
| | | 3. चाकसू नं० 3 | 3. कोटूम |
| | | 4. चाकसू नं० 4 | 4. गोदरबाबावड़ा |
| | | | 5. कुवरियावास |
| | | | 6. शिवदासपुरा |
| | | | 7. मोजोढिया |
| | | | 8. डूमली का वास |
| | | | 9. वाड़ापदम पुरा |
| | | | 10. देहलावास |
| | | | 11. रूपाहेड़ी |
| | | कन्या | |
| | | 1. चाकसू | |

### पंचायत समिति–प्राथमिक शालायें

1. खेड़ा लदाना
2. तामड़िया
3. हिण्डोनिया
4. आनन्दराय पुरा
5. माधोसिंहपुरा
6. सूमो
7. मूंडिया
8. रूपवास
9. खेजडोबुजुर्ग
10. थली
11. ईटोली
12. बाढ़ बागपुरा
13. कल्याणपुरा
14. कृपारामपुरा
15. भोज्यड़ा
16. करेड़ा
17. चन्दलाई
18. चन्दलाई वास
19. शिवदासपुरा
20. उदयपुरिया
21. मारिया का वास
22. परतीपुरा
23. रामपुरावास गोनेर
24. खेड़ा जगन्नाथपुरा

25. जानकीवल्लभपुरा
26. सरदेड़ा
27. सीतरिया
28. देवकिशनपुरा
29. फतेहपुरा
30. सोमलिया
31. मोहनोदिच्छ
32. हरिपुरा
33. बाजोडिया
34. बाढमहाराम
35. छांदेल
36. बाजलपुरा
37. बापू गांव
38. सालिगरामपुरा
39. शील की डूंगरी
40. खेडारामोला
41. ब्रह्मदेवपुरा
42. हरिनारायनपुरा
43. राडोली
44. दोलिया
45. नरोत्तमपुरा
46. श्रमदाशाई
47. रायनगर
48. कोटखावदा कन्या
49. महालियामेवा
50. कंवरपुरा
51. बडोदिया
52. रलावता
53. ठि० गुजरान
54. ठि० मोपान
55. बनसरोपुरा
56. गरूडवासी कन्या
57. लालपुरा
58. मड़ली
59. जयप्रकाशपुरा
60. जयसिंहपुरा
61. सांवलिया
62. शक्करसावदा
63. सवाई जयसिंहपुरा

**पंचायत समिति, फागी के अन्तर्गत विद्यालयों की सूची**

| उच्च प्राथमिक | उच्च माध्यमिक | माध्यमिक |
|---|---|---|
| 1. घोरू | 1. फागी | 1. माधोराजपुरा |
| 2. लदाना | | |
| 3. मेंहदवास | | |
| 4. नीमेडा | | |
| 5. रेमणशमाजो | | |
| 6. मंडावरी | | |
| 7. डाविच | | |
| 8. चकवाड़ा | | |
| 9. मोहब्बतपुरा | | |
| कन्या | | |
| 1. फागी | | |

**पंचायत समिति, फागी की प्राथमिक शालाओं की सूची**

1. फागी
2. नरेडा
3. मंडवारा
4. घटावली
5. रोटवाड़ा
6. मंडोर
7. गोहन्दी
8. पीपला
9. श्री मोडिण्डाभोजपुरा
10. पहाड़िया
11. लवाड़िया
12. गोपालपुरा
13. क० शा० रेनवाल
14. क० शा० चेरु
15. माघोराजपुरा
16. क० प्रा० माघोराजपुरा
17. क० प्रा० नोपेड़ा
18. छापरी
19. मादी
20. कुटलो
21. डालनिया
22. कीरतपुरा
23. टोकेलनरूकन
24. बूकनो
25. जयसिंहपुरा
26. पन्डम
27. चांदमौल्ला
28. डिडावता
29. सोजत
30. मोहनपुरा
31. बनेड़िया
32. हनुलिया राकान
33. बोची
34. बोसरा
35. भांकरोद
36. भादसा
37. करमा
38. मंडालिया
39. बिजूविदा
40. सेदरिया
41. बोकड़ावास
42. खेडाहनुमानजी
43. दगुसी
44. सापीलाई
45. बिशनपुरा
46. आयल दुर्ग
47. जासडीडेगियान
48. पहाडियान सोसाईटी
49. हीरापुरा
50. चितोडा
51. मानपुर चेट
52. रामघन
53. श्रीराम गंज
54. पंचाला
55. भोजपुरा
56. दता
57. गोकुलपुरा
58. हरसूलिया
59. परचन्द उर्फ संस्थ,
60. सिरस्सा
61. सुरतनिया
62. शंकरपुरा
63. जसेला
64. मोहनपुरा पृथ्वीसिंह का बास
65. हथेली
66. प्रतापपुरा
67. किशोरपुरा

[redacted]

परिशिष्ट—17 अगस्त, 1972—परिशिष्ट

कार्यालय पंचायत समिति, चाकसू (जयपुर)

पंचायत समिति, चाकसू के अधीनस्थ प्राथमिक शालाओं की भवन संबंधी सूचना निम्न प्रकार है:-

| नाम शाला भवन उपलब्ध की सूची | सूची जहां शाला भवन उपलब्ध नहीं |
|---|---|
| 1 प्रा० शा० टूमली का वास (क्रमोन्नत) | 1 प्रा० शा० आनन्द रामपुरा |
| 2 ,, तमिड़िया | 2 ,, खेड़ालदाना |
| 3 ,, हिंगोनिया | 3 ,, बाढबागपुरा |
| 4 ,, माधोसिंहपुरा | 4 ,, भोज्याडा |
| 5 ,, चूणी बहुरान | 5 ,, कल्याणपुरा |
| 6 ,, मंडालिया मेदा | 6 ,, कोलिया |
| 7 ,, रूपवास | 7 ,, हरीनारायणपुरा |
| 8 ,, थली | 8 ,, शीशस्या |
| 9 ,, टूटोली | 9 ,, यारलीपुरा |
| 10 ,, खेजड़ी | 10 ,, मंडालिया |
| 11 ,, कुआ रामपुरा | 11 ,, रलावता |
| 12 ,, करेड़ा | 12 ,, ठीकरिया मीनान |
| 13 ,, कन्या, कोटखावदा | 13 ,, खड़ा जगन्नाथपुरा |
| 14 ,, रूपाहेड़ी (क्रमोन्नत) | 14 ,, कन्याशाला चंदलाई |
| 15 ,, महादेवपुरा | 15 ,, कन्याशाला गरूढवासी |
| 16 ,, रामनगर | |
| 17 ,, खेड़ा रानीवास | |
| 18 ,, देहलाला | |
| 19 ,, झांपदा | |
| 20 ,, नरोत्तमपुरा | |
| 21 ,, लालपुरा | |
| 22 ,, सांवलिया | |
| 23 ,, जयप्रकाशपुरा | |
| 24 ,, शक्करखावदा | |
| 25 ,, बड़ली | |
| 26 जयसिंहपुरा | |
| 27 ,, चंदलाई | |
| 28 ,, बड़खेड़ा | |
| 29 ,, उदयपुरिया | |
| 30 .. तोतरिया | |
| 31 ,, रामनगर | |
| 32 ,, वाड़ा पदमपुरा (क्रमोन्नत) | |

[redacted]



पंचायत समिति, चाकसू के अधीनस्थ प्रा० शा० की सूची-(क्रमशः)

| [redacted] नाम शाला भवन उपलब्ध की सूची । | सूची जहाँ शाला भवन उपलब्ध नहीं |
|---|---|
| 33 प्रा०शा० जानकी वल्लभपुरा | |
| 34 ,, बाप गांव | |
| 35 ,, आंकोड़िया | |
| 36 ,, खाजलपुरा | |
| 37 ,, छांदेल | |
| 38 ,, बाढमहावतान | |
| 39 ,, सालिगरामपुरा | |
| 40 ,, कवटपुरा | |
| 41 ,, वढोदिया | |
| 42 ,, ठीकरिया गुजरान | |
| 43 ,, अजमेरी पुरा | |
| 44 ,, शील की डूंगरी | |
| 45 ,, देवकिशनपुरा | |
| 46 ,, हरीपुरा | |
| 47 ,, फतेहपुरिया | |
| 48 ,, राडोली | |
| 49 ,, नारियाकावास | |
| 50 ,, कन्या शिवदासपुरा | |

परिशिष्ट—17 अगस्त, 1972—परिशिष्ट

पंचायत समिति, फागी की प्राथमिक शालाओं भवन के संबन्धी सूची

| जिन प्राथमिक शालाओ के भवन उपलब्ध है | | जिन प्राथमिक शालाओ के भवन उपलब्ध नहीं हैं | |
|---|---|---|---|
| 1 | फागी | 1 | अराना |
| 2 | माधोराजपुरा | 2 | सिलूडिया |
| 3 | चकारडो | 3 | मण्डालिया |
| 4 | कन्याशाला माधोराजपुरा | 4 | दखली |
| 5 | पीपला | 5 | चूकिडानास |
| 6 | छीमिन | 6 | किरलपुरा |
| 7 | शोपालपुरा | 7 | खूकली |
| 8 | दाखरा | 8 | पनास |
| 9 | मांगपोटा | 9 | सरसूडिया |
| 10 | झाडला | 10 | सेला |
| 11 | खंडाहनुमानजी | 11 | मौजपुरिया |
| 12 | मण्डोर | 12 | कन्याशाला, नीमेटा |
| 13 | रोटवाडा | 13 | श्रीरामगांव |
| 14 | जैयसिंहपुरा | 14 | कुनाडा |
| 15 | टरकसनतेपान | 15 | मोहनपुरा राजावतान |
| 16 | कासरू | 16 | किल्याणपुरा |
| 17 | सालडिया | 17 | हीरापुरा |
| 18 | सिरस्या | 18 | मोहनपुरा जयसिंह |
| 19 | माकलपुरा | 19 | डारलीपुरी |
| 20 | झाडिन्दामौजपुरा | 20 | पहाडिया सोसावटी |
| 21 | सुलतानिया | 21 | रायथल |
| 22 | कासया उर्फ दरवान | 22 | ओकोलाई |
| 23 | जयाटोला चक | 23 | मानपुरनेट |
| 24 | छापरो | | |
| 25 | नारेडा | | |
| 26 | मण्डावरा | | |
| 27 | मण्डावरी | | |
| 28 | पटियाली | | |
| 29 | डालनिया | | |
| 30 | शंकरपुरा | | |
| 31 | समालिया उर्फ मुवालिया | | |
| 32 | विशालू | | |

परिशिष्ट —17 अगस्त, 1972 — परिशिष्ट

पं० स०, फागी की प्रा० शा० भवन के सम्बन्धी सूची

| जिन प्रा० शा० के भवन उपलब्ध है | जिन प्रा० शा० के भवन उपलब्ध नहीं है |
|---|---|
| 33 दौंचा | |
| 34 चापमाकला | |
| 35 डिडावता | |
| 36 गोगुन्दी | |
| 37 कन्या शाला, रेनवाल | |
| 38 मोहब्बतपुरा | |
| 39 पड़ाड़िया | |
| 40 यासला जोगियान | |
| 41 बड़ली | |
| 42 ऊनया | |
| 43 ऐचली | |
| 44 चितोड़ा | |
| 45 माधो | |
| 46 हनूतिया रावान | |

# Page No 259



## परिशिष्ट 7

( अ० ता० प्र० सं० 5 की सूची )

प्रश्न 1 की सूची

80 पैसा प्रति 1,000 लीटर प्राइवेट पार्टी।

67 पैसा प्रति 1,000 लीटर पंचायत।

---